खण्ड-363, अंक-2
शुक्रवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1905
(2 सितम्बर, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 363 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रश्नोत्तर	6–80
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	80–81
विधान सभा सदस्य एवं राजस्व मन्त्री, श्री बैजनाथ कुरील के निधन पर शोकोद्गार	81–83
भूतपूर्व सदस्य श्री सैयद अली जहीर, सेठ अबू सिंह, श्री बद्री नारायण मिश्र, श्री सत्य नारायण दत्त, श्री महावीर पाण्डेय, श्री जुगल किशोर, श्री रामचन्द्र आजाद, श्री जरगाम हैदर, श्री देवीचरण अग्निहोत्री तथा श्री देव मूर्ति शर्मा के निधन पर शोकोद्गार	84–93
सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जनरल शाहनवाज खां के निधन पर शोकोद्गार	93–95
सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री यूरी व्लादिमीरो विच आन्द्रोपोव के निधन पर शोकोद्गार	95–98
तिथियां	99–103

विधानसभा

संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान [द्वितीय] अध्यादेश, 1983 [सदन के पटल पर रखा गया] – 250

उत्तर प्रदेश केसारी [प्रतिषेध] [द्वितीय] अध्यादेश, 1983 [सदन के पटल पर रखा गया] – 250

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 [सदन के पटल पर रखा गया] – 250

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अध्यादेश, 1983 [सदन के पटल पर रखा गया] – 250

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 250

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 250

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 250

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 251

रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 251

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 251

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 251

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 251

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 251

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 251

उत्तर प्रदेश कोल्डस्टोरेज विनियमन (सशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 252

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) – 252

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1980–81 (सदन के पटल पर रखा गया) – 252

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौतीसवां संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) – 252

जल संस्थान (भू–गृहादि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी) – 252

उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, देवरिया का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन, 1981–82 (सदन के पटल पर रखा गया) – 253

पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 1978–79 (सदन के पटल पर रखा गया) – 253

वित्त (विक्री–कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) – 253

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1981–82 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां उत्तर प्रदेश सरकार) (सदन के पटल पर रखा गया) – 253

वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 1981–82 उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखे गये) – 253

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1981–82 का प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)– 254

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (अष्टम प्रतिवेदन) वर्ष 1980–81 (सदन के पटल पर रखे गये) – 254

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 – 254

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 – 254

विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 – 255

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध सूचनाऐं– 255

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की नियम समिति (1982-83)– का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) – 255

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किया गया] – 255

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किया गया] – 256

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति [1982–83] के प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किये गये] – 256

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति [1982–83] का द्वितीय प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किया गया] – 257

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1982–83) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया)– 257

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) – 257

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किया गया] – 257

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति [1982-83] का चौदहवां प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किया गया] – 258

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी/संयुक्त समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किया गया] – 258

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का सोलहवां प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किया गया] – 258

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किया गया] – 258

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन [सदन में प्रस्तुत किया गया] – 259

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र के सम्बन्ध में सूचना – 259

श्री गौरी शंकर एडवोकेट का इण्डियन कांग्रेस [सोशलिस्ट] दल से सम्बद्ध न होने के सम्बन्ध में सूचना – 259

विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना– 259

कल दिनाक 1 सितम्बर, 1983 को सदन में पर्चे फेंकने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही । – 260

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय की सभा, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड एवं संजयगांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना – 261

दिनांक 25 फरवरी, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य – 262

दिनांक 2 मार्च, 1983 को श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में शोधन वक्तव्य – 262

रुड़की विश्वविद्यालय [संशोधन] विधेयक, 1983 [पुर: स्थापित किया गया] – 263

विधेयकों के पुर:स्थापन का प्रस्ताव सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा न रखे जाने पर आपत्ति – 263

उत्तर प्रदेश बिक्री कर [संशोधन और वैधीकरण] विधेयक, 1983 [पुर:स्थापित] – 264

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 [पुर:स्थापित] – 265

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983 [पुर:स्थापित] – 265

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 [पुर:स्थापित] – 265–266

मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव [जारी] – 266–270

श्री गौरी शंकर एडवोकेट द्वारा काँग्रेस [आई] दल की सदस्यता ग्रहण करने संबंधी घोषणा – 270

मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव [अस्वीकृत] – 270–353

नत्थियाँ – 354–384

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 2 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 397

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा	कमला दरियावादी, श्रीमती	कानपुर
अजहर ईमान, श्री	मिर्जापुर	कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	कल्याण सिंह मोलंकी, श्री	बरेली
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद	कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़	काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
अमरनाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
(उर्फ अनिल सिंह)		किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
अमीरुद्दीन, श्री	बिजनौर	कुवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	कुदगिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	(बेगम एजाज रसूल)	
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
अलमेलु, अम्माल, कुमारी	बस्ती	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (तल्लू)	बहराइच	केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	केशोराम, श्री	बदायूं
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी	कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
(उर्फ सुत्तन भैय्या)		कैलास टण्डन, श्री	वाराणसी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	कैलास प्रसाद, श्री	गोरखपुर
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी,	एटा	खरपत, श्री	वाराणसी
ऊदल, श्री	वाराणसी	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
ए. सी. ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय	खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
		खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच

खुशहाल सिंह रागड़, श्री	टिहरी गढ़वाल	जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़	जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़	जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती, श्री	फैजाबाद
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर	जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा	झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
गया सिंह, श्री	उन्नाव	झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	नैनीताल	तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
गुलाब सेहरा, श्री	आगरा	तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
गुलाम नबी, श्री	आगरा	तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती	थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा	दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद	दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा	दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा	दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर	दीना नाथ, श्री	बस्ती
गौरी शंकर ऐडवोकेट, श्री	इटावा	दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा	दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोण्डा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री	बांदा	दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल	दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ	दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
चन्द्र सिंह, श्री	मेरठ	देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़	देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी	धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
छेदी लाल, श्री	गोण्डा	धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर	धरमपाल, श्री	बहराइच
जगदीश नारायण, श्री	फतेहपुर	धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद	धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर	धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	धर्मसिंह, श्री	बुलन्दशहर
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच	धुप राय, श्री	देवरिया
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी	नत्थू लाल, श्री	हरदोई
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी	नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
जयदीप सिंह वरार, श्री	बरेली		

नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फरारे आलग, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा

बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा०	देवरिया
बैजनाथ कुरील, श्री	लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भीम सिंह, श्री	मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	गाजियाबाद
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मंगलदेव, श्री	गोंडा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती

माधव प्रसाद, श्री फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री गोंडा
मारकण्डेय चन्द, श्री गोरखपुर
मित्रसेन, श्री फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री बदायूं
मुईद अहमद, श्री सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मेंहदी असगर, श्री मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री कानपुर
मोहन लाल, श्री हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर गोंडा
मोहम्मद नवी, श्री बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
रति राम, श्री बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री राय बरेली
रवीन्द्र श्री आजमगढ़
राजकिशोर राव, श्री बहराइच
राजकुमार राय, श्री आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती सुल्तानपुर

राजपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री एटा
राजेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री हरदोई
राम करन, श्री वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री बलिया
राम चन्द्र, श्री वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री वाराणसी
रामजी राम, श्री फैजाबाद
राम धनी, श्री गाजीपुर
राम नारायण, श्री गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री कानपुर
रामपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री जालौन
राम प्रसाद, श्री मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री खीरी
राम यज्ञ सिंह, श्री सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री सीतापुर
राम लाल, श्री सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री हरदोई
राम शिरोमणि, श्री जौनपुर

राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रूद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)	इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रूखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	विजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वारेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बाँदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव नारायन सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवमगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, श्री	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	विजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयो, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	विजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूँ
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकटा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्त बख्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज' श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, नवाब श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद

सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सुल्तानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूरजभान, पंडित	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री	मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंस राज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोबिन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हेमचन्द निमेष, श्री	मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 2 सितम्बर, 1983

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली योजना की जन प्रतिनिधियों की बैठक बुलाए बिना स्वीकृति

*1–श्री रामनारायण सिंह (एडवोकेट)–

क्या वित्तमत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद की वर्ष 1983-84 की विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली की योजना जिला प्रशासन द्वारा तैयार करायी गई है तथा बिना जन-प्रतिनिधियों की बैठक बुलाएं तथा उनके स्वीकृति कराए सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेज दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्तमंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)–

जी हां ।

शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जिला योजना 20 अक्टूबर, 1982 तक शासन को प्रस्तुत की जानी थी। इस बीच जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता हेतु नामित माननीय मंत्री जी से समय सुनिश्चित न हो सकने के कारण जनपद के जन-प्रतिनिधियों का अनुमोदन प्राप्त करना सम्भव न हो सका । ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामनारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का यह आशय है कि जन-प्रतिनिधियों के प्रति सरकार का जो उत्तरदायित्व है, उसकी घोर उपेक्षा की गयी है, उसी का यह एक नमूना है । इस परिप्रेक्ष्य में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली का मुख्य आधार यह था कि जनता तक शासन पहुंचे, जन-प्रतिनिधियों का प्रशासन से अच्छा सम्बन्ध हो और इसीलिए यह नीति निर्धारित की गई थी कि जिला प्रशासनिक स्तर पर जो योजना बनाई जाए, वह जन-प्रतिनिधियों को सहमति हेतु भेजी जाए·····।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें, प्रश्न पर आएं ।

श्री रामनारायण सिंह–

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह नीति निर्धारित हुई थी तो फिर गाजीपुर जनपद और उसके जन-प्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा इस मामले में क्यों की गई है ? और यह मंत्री जी कौन थे जो गाजीपुर जनपद से सम्बद्ध किये गये थे और जो उक्त समिति की अध्यक्षता हेतु समय नहीं निकाल सके ?

श्री ब्रह्मदत्त–

वास्तव में हमें इस बात का खेद है कि जिला योजना बनाने के लिये सम्बन्धित माननीय मंत्री जी को संसद सदस्यों और माननीय विधायकों की बैठक बुलाकर

[श्री ब्रह्मदत्त]

एप्रूवल प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। मुझे इस बात का खेद है कि मंत्री जी इसको नहीं बुला पाए और हमारे अधिकारियों की एक मजबूरी थी, क्योंकि जिला योजना के लिये एक समय निर्धारित है राज्य में भेजने के लिये। इससे पहले अधिकारियों ने संसद सदस्यों और माननीय विधायकों को जिला योजना का प्रारूप भेज दिया था, लेकिन उनको उसमें कोई कमेन्ट नहीं प्राप्त हुए। इसमें कोई भी मंत्री हों, मैं उनकी तरफ से खेद प्रकाश करता हूं।

श्री रामनारायण सिंह–

सभी सत्ता और विरोध पक्ष के माननीय सदस्य यहां पर मौजूद हैं, किसी भी जन-प्रतिनिधि को जिला प्रशासन द्वारा जिला योजना की कोई भी कापी नहीं भेजी गई है। मैं सरकार पर ऐसा लांछन लगाते हुये कहना चाहता हूं कि इस तरह से यह जन-प्रतिनिधियों की खुली अवमानना की गई है और इस तरह की झूठी सूचना देकर हमें गुमराह किया गया है। तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर कि जिला प्रशासन ने गाजीपुर के सांसदों और विधायकों को कोई भी जिला योजना के प्रति नहीं भेजी है, मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त–

मैं इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त करुंगा कि किस माध्यम से और किस तारीख को जिला प्रशासन ने इसे माननीय सांसदों और विधायकों को भेजा है और यदि इसमें आवश्यकता होगी तो इस पर सख्त कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री पंचानन राय–

इसमें स्पष्ट है कि जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी थी। जिला योजना में और मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें जन-प्रतिनिधियों को बुलाया ही नहीं गया है। यह हालत और भी जिलों की है, लेकिन चूंकि प्रश्न गाजीपुर का ही है, इसलिये मैं उनकी बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं मंत्री जी से इसी में यह जानना चाहता हूं कि जब शासन को अपनी नीति के विरुद्ध वह योजना मिली तो उसे किस प्रकार स्वीकार किया गया ? बिना जन-प्रतिनिधियों की राय लिए हुए ही यह योजना बना दी गयी थी, तो उसे कैसे स्वीकार कर लिया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त–

पहले हमने हर जिले को किसी न किसी मंत्री से सम्बद्ध किया है और यह हम मंत्रियों का कर्तव्य है कि हम जिला योजना के सम्बन्ध में वहां के समस्त जन-प्रतिनिधियों की राय लें, लेकिन हमारी भी मजबूरी रही है, डिस्ट्रिक्ट प्लान स्टेट को भेजनी पड़ती है। जब जिले का प्लान आ जाता है तो उसको हम यहां देखते हैं कि वह निर्धारित निर्देशों के मुताबिक है कि नहीं। लेकिन कहीं ऐसी बात हुयी है कि जिला प्लान के लिये संबंधित मंत्री ने बैठक नहीं बुलायी है तो मैं इसके लिये खेद प्रकाश कर चुका हूं और फिर कर हूं।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न में माननीय सदस्य की अवमानना के अलावा नीति के उल्लंघन की बात है। हो सकता है कि किसी माननीय विधायक के साथ ज्यादती की गयी हो तो

क्या ऐसी कोई शिकायत मंत्री जी के पास आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, नियोजन मंत्री के हिसाब से, माननीय विधायकों ने कोई शिकायत नहीं की है । अगर कोई करेंगे, तो मैं देखूंगा ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि अगर सम्बन्धित मंत्री नहीं गये, किसी वजह से हाजिर नहीं हो सके तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी कि संसद सदस्यों और जो विधायक हैं, एम. एल. सी. हैं उनको बुलाया जाता और जो प्रारूप तैयार किया गया है उसके बारे में उनकी राय ली जाती और सरकार को भेजा जाता । तो जिला प्रशासन ने जन-प्रतिनिधियों को क्यों नहीं सूचित किया और क्यों नहीं प्रारूप भेजा । क्या इसकी जांच करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि बैठक बुलाने में कठिनाई होती है क्योंकि प्रेजाइड नहीं कर सकते । लेकिन जिला प्रशासन ने इस बारे में सूचित किया है कि जिला योजना का प्रारूप माननीय संसद सदस्यों और विधायकों को उपलब्ध कराया है । मंत्रि-परिषद का एक प्रस्ताव है कि अगर कोई आवे तो परिचालन से स्वीकृति हो जाती है । गाजीपुर के बारे में देखेंगे कि इसका परिचालन किस माध्यम से किया गया ।

(नत्थी ख—ता. प्र. सं.—1 पुकारे जाने पर ।)

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मुझको स्पष्टीकरण करने का मौका दे दें ।

श्री राम नारायन—

केवल एक प्रश्न की इजाजत दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

*2—श्री रामस्वरूप निम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

[शुक्रवार, 2 सितम्बर, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गन्ना कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ में फी-पेंड के सम्परीक्षकों के रिक्त स्थानों को भरने हेतु साक्षात्कार तथा परीक्षाफल

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ. प्र. गन्ना कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ में फी-पेड के सम्परीक्षकों के रिक्त स्थानों को भरने के लिये जो साक्षात्कार दिनांक 16 अगस्त, 82 को हुआ उसका परिणाम अब तक घोषित न करने का क्या कारण है ? कब तक परिणाम घोषित हो जायेगा ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिह कुशवाहा)–

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ में नहीं अपितु गन्ना आयुक्त के नियंत्रणाधीन गन्ना विकास परिषदों की लेखा परीक्षा हेतु कार्यरत फी पेड योजना में सम्परीक्षकों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम 30 अभ्यर्थियों को दिनांक 16–8–82 को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था। इस चयन के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त होने के कारण परिणाम घोषित नहीं किये गये। चयन से सम्बन्धित प्रक्रिया तथा सभी पहलुओं का परीक्षण करके यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त 82 में रिटेन टेस्ट हुआ था। उसके बाद शिकायत मिली तो शिकायत मिलने और टेस्ट होने के बीच में जो समय है उसमें रेजल्ट क्यों नहीं आउट किया गया ? इस बात की शिकायत कब मिली।

कुंवर शिवनाथ सिह कुशवाहा–

श्रीमन्, पर्चा आउट होने की, नकल करने की, कापियां सेन्टर से बाहर भेजकर लिखाने की शिकायतें हुयी इसलिये रोका गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पूछा था, मेरी निजी जानकारी है कि इन पदों के अगेंस्ट एडहाक एप्वाइन्टमेंट मंत्री जी के दबाव में किये जा चुके हैं। जब इनकी नियुक्ति होगी तो वह हटा दिये जायेंगे। इसलिये जानबूझकर कुछ शिकायतें करायी गयीं। मैंने केवल जानना चाहा था सरकार की नीयत साफ करने के लिये। यह परीक्षा हुई अगस्त, 82 में। उसके बाद शिकायत पहली बार सरकार को कब मिली। 5 महीने बाद शिकायत आयी है तो इन 5 महीनों की अवधि में रिजल्ट क्यों नहीं आउट किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिह कुशवाहा–

मान्यवर, मेरे इस तरह के एडहाक एप्वाइन्टमेंट करने के आदेश नहीं हैं। इसके लिये जांच की जा रही है और जो नियमत: आवश्यक एवं संभव होगा वह कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा साफ सवाल है, उस सवाल का मंत्री जी जानबूझकर उत्तर नहीं दे रहे हैं.....।

श्री ख्वाजा हलीम–

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जो मंत्री को लोकायुक्त ने भ्रष्ट करार कर दिया हो क्या वह उत्तर दे सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, यदि मंत्री जी मेरे साफ सवाल का उत्तर नहीं देते हैं तो वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। मैंने एक सवाल पूछा सन् 82 अगस्त

में परीक्षा हुयी उसके 5 महीने बाद शिकायत मिल गयी कि गड़बड़ी हो गयी और परिणाम रोक दिया गया। 5 महीने का मौका था क्यों उस अवधि में परीक्षाफल क्यों नहीं घोषित किया यदि इसका उत्तर नहीं आता है तो मेरा आरोप स्वयं सिद्ध है कि जानबूझकर मंत्री जी के दबाव से जिन लोगों की एडहाक नियुक्ति हुई थी उनको बचाने के लिये जो बच्चे परीक्षा में पास हुये थे उनके साथ अन्याय किया गया है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जुलाई में परीक्षा हुई उसके बाद शिकायत के आधार पर 24 अगस्त को मैंने पत्र लिखा था, जिसमें मैंने स्पष्ट यह लिखा था कि कायदे की चयन समिति गठित करके जो पद रिक्त हो शासन द्वारा स्वीकृति लेकर नियुक्तियां की जायं मनमाने ढंग से नहीं। 24 अगस्त को मैंने यह पत्र लिख दिया था।

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज द्वारा जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर से गन्ने का क्रय

*2–श्री प्रियदर्शीय जेतली–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में रत्ना शुगर मिल, शाहगंज द्वारा माह जनवरी, 82 तक कितना गन्ना मिल द्वारा क्रय किया गया था और वर्तमान सत्र में जनवरी, 83 तक कितना गन्ना मिल द्वारा क्रय किया गया ? क्या मन्त्री जी उक्त तहसील में सम्बन्धित मिल द्वारा सम्पूर्ण सट्टे का गन्ना निश्चित अवधि के अन्दर लेने का आश्वासन देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

रत्ना शुगर मिल शाहगंज द्वारा जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर से माह जनवरी, 82 तक 32 हजार क्विंटल गन्ना क्रय किया गया तथा वर्तमान सत्र में जनवरी, 83 तक 42 हजार क्विंटल गन्ना क्रय किया गया।

सम्पूर्ण उपलब्ध गन्ना पेराई करने के पश्चात् चीनी मिल दिनांक 8–4–83 को अन्तिम रूप से बन्द हुई।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82–83 में कितना गन्ना बोया गया उस तहसील में और कितना गन्ने का सट्टा किया गया था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

अध्यक्ष महोदय, बोये जाने का आंकड़ा तो इस समय उपलब्ध नहीं है जो सट्टा हुआ था वह सन् 82–83 में 2 लाख 30 हजार था और समिति द्वारा आफर 2 लाख का था और आपूर्ति एक लाख 24 हजार की हुई।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि कितना गन्ना बोया गया था जितना गन्ना बोया जाता है उसके हिसाब से सट्टा नहीं होता है और मेरा निश्चित आरोप है कि सट्टे के आधार पर पूरा गन्ना नहीं उठाया जाता है फलतः किसान को अपना गन्ना जलाना पड़ता

[श्री प्रियदर्शी जेतली]

है और इस साल भी किसानों को अपना गन्ना जलाना पड़ा। मैं शासन से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि कितना गन्ना बोया गया। मुख्य बात यही है। क्या शासन इस बात का आश्वासन देगा कि अगली फसल में जितना गन्ना का सट्टा होगा पूरा गन्ना उठाने के लिये मिल को मजबूर करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

शासन न केवल एक मिल बल्कि प्रदेश में जितनी मिले हैं जितने गन्ने का सट्टा हुआ था एक-एक गन्ना क्रश करके बन्द हुई है। कहीं भी एक गन्ना नहीं जलाया गया है। यह फैक्ट्री जब आपने प्रश्न किया इसके पहले पूरा गन्ना उस क्षेत्र का क्रश करके बन्द हुई है।

मथुरा जनपद में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोकुल में दैवी आपदाओं से प्रभावित किसानों को छूट की सहायता

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि गत कई वर्षों से मथुरा जनपद में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोकुल के किसान विभिन्न प्रकार की दैवी आपदाओं से पीड़ित होते चले आ रहे हैं और इस कारण शासन उनके सरकारी देयों व बैंक ऋणों की वसूली को स्थगित करती आयी है ? यदि हां, तो क्या शासन इस निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की तंगी हाल को देखकर सभी प्रकार के सरकारी देयों की वसूली माफ करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

जी हां, मथुरा जनपद के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोकुल के किसान विगत कई वर्षों से विभिन्न दैवी आपदाओं से प्रभावित होते रहे हैं जिसके कारण शासन द्वारा कृषि देयों की वसूली स्थगित की जाती रही है परन्तु बैंक ऋणों की वसूली कभी स्थगित नहीं हुई है।

जिन कृषकों की फसल को दैवी आपदाओं के कारण 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षति पहुंचती है, शासन के राजस्व विभाग द्वारा मालगुजारी एवं लगान में छूट दिये जाने का प्राविधान है और तद्नुसार नियमानुसार छूट की सहायता दी जाती रही है तथा दी जाती रहेगी।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष पीड़ित व्यक्तियों को कितनी-कितनी मदद दी गयी थी ? उसकी मात्रा क्या थी ? किस रूप में दी गयी इसे मा० मंत्री जी बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत व्यापक प्रश्न है आप संक्षिप्त में पूछिए।

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)–

मान्यवर, मथुरा में दैवी आपदा से जो क्षति होती रही है उसमें 1979–80 में 9 लाख 5 हजार की सहायता भेजी गयी। 1980–81 में 7 लाख 75 हजार की, 1981–82 में 51 लाख 5 हजार की, 1982–83 में 12 लाख 20 हजार की तथा 1983–84 में 17 लाख की सहायता भेजी गई है।

श्री सरदार सिंह–

.माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितना बांटा गया और कितना शासन को वापस भेज दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, 1983–84 को छोड़कर जो धन भेजा गया था वह बांट दिया गया वैसे भी जो बच जाता है उसका सरेन्डर 31 मार्च को होता है वैसे अभी तक वहां से कोई भी धनराशि सरेन्डर नहीं हुई है।

श्री कन्हैया लाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 17 लाख रुपया इस वर्ष भेजा है और आपको मालूम है कि मथुरा में प्रदेश भर के सभी जिलों में, सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप है तो क्या 17 लाख रुपया मंत्री जी की नजर में बहुत कम नहीं है और यदि कम है तो उसे कितना बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, जो धनराशि भेजी गई है उसके साथ यह भी आदेश हैं कि उनको उससे अधिक की आवश्यकता पड़ती है तो वह मांग पत्र भेजे उस मांग को भी तुरन्त पूरा किया जायेगा।

श्री सरदार सिंह–

जिलाधिकारी मथुरा से कोई मांग पत्र भेजा गया है। उनका कहना है कि हम मांग-पत्र तो भेजते हैं परन्तु उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मदद तो वहां नहीं हो रही है। इस समय वहां दैवी आपदा है तो क्या माननीय मंत्री जी वहां की गम्भीरता को देखते हुए और अधिक धन देने की कृपा करें ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, वह तुरन्त मांग करें, हम उसे भेज देंगे और भेजी गई धनराशि का वह अपने विवेक से इस्तेमाल करें।

उप निबन्धक, फर्रूखाबाद द्वारा मुआयना फीस तथा इकरारनामे में राजस्व की हानि की शिकायत

*4–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक फर्रुखाबाद द्वारा मुआयना फीस में 7–50 रु० तथा 5–50 के गबन तथा 29-7-82 को एक इकरारनामे में रु० 40,000 (चालीस हजार) के राजस्व की हानि की शिकायत 26-7-82 से 30-8-82

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी]

के बीच आई. जी. रजिस्ट्रेशन, यू. पी. तथा सचिव, वित्त (बिक्री कर) विभाग को मिली ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, जब हम प्रश्नकर्ता माननीय सदन कोई प्रश्न करते हैं वह विशेष गम्भीर होता है । मंत्री जी को जब कोई प्रश्न देता है तो वह यह उम्मीद करता है कि हम उसका उत्तर जिस आशा, आकांशा से हमने प्रश्न किया है मिले । यह प्रश्न मान्यवर, 18–4–83 का प्रश्न संख्या–4 है जिसमें माननीय मंत्री जी से जानकारी मांगी गई है इस प्रश्न में इतनी जानकारी होने के बावजूद भी वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसमें लिखा है कि रुपये 40,000 के राजस्व की हानि की शिकायत 26–7–82 से 30–8–82 के बीच आई. जी. रजिस्ट्रेशन यू. पी. तथा सचिव वित्त (बिक्रीकर) विभाग को मिली ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि उनकी शिकायतें मिली या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, इस प्रश्न के बारे में प्रारम्भिक सूचना हमको मिली थी । उस सूचना से मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं । मैं उसकी जांच कराने के बाद मा० सदस्य को सूचित करूंगा । इस सम्बन्ध में दो शिकायतें मिली हैं एक 6–1–81 को और दूसरी 7–9–82 को । प्रारम्भिक जांच की गयी । जांच के परिणामों से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं, इसलिए मेरठ के उप महानिरीक्षक से जांच हेतु कहा गया है । उसकी जांच रिपोर्ट आते ही बता दूंगा ।

मिल्को केमिकल कंपनी, बंबई से केमिकल की सप्लाई तथा बकाया मूल्य का भुगतान

*5–श्री रामआसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया की महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स प्राइवेट लि., रामकोला को मिल्को केमिकल्स कम्पनी बम्बई द्वारा 24-11-78 एवं 27-2-79 में केमिकल्स की सप्लाई की गई जिसे शासन द्वारा नियुक्त रिसीवर द्वारा प्राप्त किया गया था, किन्तु उसकी कीमत 67,370 रुपए का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 1980 में उक्त मिल को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा अधिग्रहण कर लेने के बाद यह भुगतान खटाई में पड़ गया है ? यदि हां, तो भुगतान किसके द्वारा किया जायगा और कब तक करा दिया जायगा ?

श्री ब्रह्म दत्त–

रिसीवर द्वारा मिल्को केमिकल कम्पनी बम्बई से केमिकल की सप्लाई ली गयी थी और उसके मूल्य का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया जा सका । यह भी सही है कि उक्त चीनी मिल के अधिग्रहण के बाद उसका भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम

द्वारा नहीं किया गया। इस बकाया का भुगतान किसके द्वारा किया जायगा, इस प्रश्न का विधिक दृष्टि से परीक्षण किया जा रहा है। मामले में अन्तिम निर्णय होने पर ही भुगतान किया जा सकेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सामान्य नियम यह है कि जब किसी कन्सर्न का टेक ओवर होता है, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी उसे लेती है तो लायबिलिटीज उस तरफ ट्रान्सफर हो जाती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विधिक दृष्टि से जो परीक्षण कराया जा रहा है, वह कब तक पूरा हो जायगा और अंतिम निर्णय कब तक कर लिया जायगा और भुगतान कब तक दिला दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, यह जो फैक्ट्री है, वह रिसीवरशिप में 4–3–70 को ली गयी और 3-7-71 को चीनी निगम को दी गयी। फिर फैक्ट्री मालिक की तरफ से उच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की गयी। उसके बाद रिसीवरशिप के पक्ष में निर्णय लिया गया और इसके बाद सन् 1979 तक यह फैक्ट्री रिसीवर के अन्डर में रही। रिसीवर की नियुक्ति में फैक्ट्री पर अधिकार फैक्ट्री के मालिक का होता है। रिसीवर केवल प्रबन्ध व्यवस्था देखता है। 3–5–79 के बाद यह फैक्ट्री निगम के पास आ गयी है। किन्तु, इस बीच का पैसा कौन देगा, हम देंगे या फैक्ट्री मालिक इसकी विधिक राय ले रहे हैं। उसके मिलते ही कार्यवाही की जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है। गन्ना मंत्री जी ने 71 से लेकर के अब तक का लेखा जोखा बता दिया। बहुत छोटा सा सवाल है कि विधिक परीक्षण कब तक पूरा हो जायगा और इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लेंगे और कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, इसी फैसले के लिए विधिक राय ली जा रही है। फाइल तैयार होकर पड़ी हुई है। जब कभी फैसला करके राय भेज दी जायगी, उसके अनुरूप कार्यवाही की जायगी।

श्री ध्रुप राय–

अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस भुगतान से वर्मा जी का क्या सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

जनपद मैनपुरी के भूलेख कर्मचारियों (कानूनगो एवं लेखपाल) का वेतन निर्धारण

*6–श्री विष्णु दयाल वर्मा–

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में भूलेख कर्मचारियों (कानूनगो एवं लेखपाल) का वेतन निर्धारण लगभग 12 वर्ष से नहीं हुआ है जबकि उनके वेतनमान इस अवधि में तीन बार संशोधित हो चुके हैं ? यदि हां, तो वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

जी नहीं ।

जनपद मैनपुरी के सभी भूलेख कर्मचारियों (कानूनगो एवं लेखपाल) के वेतन निर्धारण का कार्य अद्यावधिक कर दिया गया और वेतन निर्धारण का कोई मामला अवशेष नहीं है ।

श्री विष्णु दयाल वर्मा–

अध्यक्ष जी, क्या मा० राजस्व मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह वेतन निर्धारण की प्रक्रिया कब समाप्त हुई और इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक कितने ऐसे लेखपाल और कानूनगो हैं जो रिटायर हो गये और उस लाभ से लाभान्वित नहीं हुए ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, यह तो अभी 1982 में ही हुआ है । यह बात जरूर है कि अभी उनके एरियर्स बनकर तैयार नहीं हुए हैं । एरियर्स ज्योंही बन जायेगा, उन सबको भुगतान कर दिया जायेगा । एरियर्स न बनने का एक कारण यह भी है कि वहां स्टाफ की कमी थी । दूसरा, जो लोग रिटायर हो गये हैं, उनको भी एरियर्स का भुगतान किया जायेगा ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, लेखपालों तथा कानूनगो का वेतन निर्धारण करने में 12 साल का समय बीत गया । जबकि आज दूसरा पे-कमीशन बैठ चुका है और उसकी रिपोर्ट भी आ चुका है और उसके आधार पर भी वेतन निर्धारण हो चुका है । मान्यवर, इस प्रकार उनके वेतन निर्धारण न होने की वजह से, जो लोग रिटायर हो गये हैं, उनके पेंशन में भी कमी आयी होगी । इस पूरे प्रकरण में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे जिम्मेदार अधिकारी, जिन्होंने वेतन निर्धारण करने में इतना विलम्ब किया, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, समय-समय पर इसे अप-टू-डेट किया जाता रहा है । फिर भी, यदि कोई रिटायर हो गया हो तो, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, उसका कोई लौस नहीं होगा । उसका जो एरियर बनेगा, उसे भुगतान किया जायेगा ।

नायब तहसीलदारों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन तथा नियुक्ति के आदेश

*7–श्री भीखा लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1978 में 162 नायब तहसीलदारों के चयन के लिए विज्ञापन निकाला जिसकी परीक्षा 1980 में हुई और परिणाम 1981 में घोषित कर दिये गये ? क्या यह सही है कि अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

वर्ष 1978 में नायब तहसीलदारों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया । उक्त विज्ञापन के आधार पर आयोग द्वारा वर्ष 1979 में परीक्षा ली गयी न कि वर्ष 1980 में तथा परिणाम जून, 1982 में घोषित किया गया न कि वर्ष 1981 में । 151 अभ्यर्थियों से आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी नियुक्ति के आदेश अप्रैल, 83 में जारी कर दिये हैं । शेष 11 अभ्यर्थियों के परिणाम बाद में प्राप्त हुये । नियमानुसार नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र, आचरण, स्वास्थ्य तथा घुड़सवारी के आवश्यक प्रमाण-पत्र मांगे गये हैं, जिनके प्राप्त होने पर उनकी नियुक्ति के आदेश राजस्व परिषद द्वारा शीघ्र ही जारी किये जायेंगे ।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में, उनसे दो बातें पूछना चाहता हूं :–

(1) जून, 1982 में रिजल्ट आउट हो गया और अप्रैल, 1983 में उनकी नियुक्तियां की गयीं । उनकी नियुक्तियों में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

(2) जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि "नियुक्ति से पहले नियमानुसार उनके चरित्र, आचरण, स्वास्थ्य तथा घुड़सवारी के आवश्यक प्रमाण-पत्र मांगे गये थे ।" मान्यवर, इन चार प्रमाण-पत्रों में से मैं केवल एक प्रमाण-पत्र 'घुड़सवारी' की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । यह जो प्रमाण-पत्र मांगा जाता था वह अंग्रेजों के जमाने में मांगा जाता था । जबकि किसी भी नायब तहसीलदार तथा लेखपाल को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस नियम के परिवर्तन करने पर विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, यह जो रिजल्ट आया था वह दिनाँक 22-11-1982 को सन् 82 के अन्त में आया था । यह जरूर है कि इस प्रक्रिया में कुछ देरी हो गयी जहाँ तक घुड़सवारी के प्रमाण-पत्र का सवाल है । मान्यवर, इसका प्राविधान "उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट रेवेन्यू ऐक्जूक्यूटिव सर्विसेज की नियमावली 1944" की धारा 11 व 21 के अन्तर्गत हैं । वैसे जैसा कि माननीय सदस्य का प्रश्न है, वह अपनी जगह पर ठीक है, फिर भी मैं सोचता हूं कि कभी पानी या सड़क खराब हो जाने से उन्हें घोड़े से जाना पड़ सकता है, इसलिये यह सीखना बहुत जरूरी है ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा कि नियमों में घुड़सवारी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, कि प्रदेश में इनके तहसील स्टाफ के पास, कितने के पास, घोड़े हैं, जिनसे सवारी की जाती है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि जरूरी नहीं कि वे घोड़ा रखें, घुड़सवारी जानना जरूरी है ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

जब रखना जरूरी नहीं है, तो इस फालतू नियम को क्यों नहीं बदला जाता ।

बुढ़वल शुगर मिल, जनपद बाराबंकी के कृषकों द्वारा दिया गया ज्ञापन व मांगे

*8–श्री राम सागर–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुढ़वल शुगर मिल जनपद बाराबंकी द्वारा कृषकों के पिछले बकाया आदि का जो एक करोड़ 12 लाख रुपये अनुमानित है के सम्बन्ध में वहाँ के कृषकों ने दिनांक 14-2-83 को भू. पू. गन्ना मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में गन्ना मिल के मैनेजर को कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो ज्ञापन की माँगें क्या हैं और उनमें से कितनी माँगों का पालन किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हां । ज्ञापन प्राप्त हुआ था । मांगे निम्नलिखित थी :–

(1) बाराबंकी व बुढ़वल के गन्ना किसानों का लगभग दो करोड़ रु. तुरन्त दिया जाये ।

(2) 10 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत घरेलू व कृषि कार्य हेतु बिजली की बढ़ोत्तरी समाप्त हो ।

(3) सट्टा बढ़ोत्तरी लागू की जायें । इन माँगों की स्थिति निम्नवत् हैं :–

(1) किसानों के ज्ञापन दिनाँक 14-2-1983 को बुढ़वल तथा बाराबंकी चीनी मिलों पर सत्र 1982-83 का क्रमश: 51.72 तथा 54.97 लाख रु० गन्ना मूल्य का देय था जिसका भुगतान हो चुका है । बाराबंकी चीनी मिल पर केवल 8 हजार रु० वर्ष 1981-82 के गन्ना मूल्य की मद से बकाया है ।

(2) दोनों चीनी मिलों द्वारा किये गये सट्टा से अधिक गन्ना सन् 1982-83 में पेरा गया ।

श्री राम सागर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मान्यवर, एक गन्ना मिल ऐसी है, जिसमें माननीय मंत्री जी के क्षेत्र घाटमपुर का गन्ना जाता है और जिसमें बाराबंकी का गन्ना भी जाता है, इनके प्रभाव से इनके क्षेत्र का गन्ना उसमें पहले पेर लिया गया और बाराबंकी के गन्ने की पेरायी नहीं हुई है । दूसरी तरफ बाराबंकी बुढ़वल मिल में सीतापुर का गन्ना आबंटित है, उसमें सीतापुर का गन्ना पहले पेरा गया और बाराबंकी का गन्ना पेरने से रह गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात की जांच करायेंगे कि बाराबंकी में कितना गन्ना पेराई से बच गया, जिसके लिये किसानों को खेतों में गन्ना जलाना पड़ा ? दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समस्या के निदान के लिये, भविष्य के लिये, वे क्या करने जा रहे हैं ? तीसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इतने प्रश्न एक साथ नहीं किये जा सकते ।

श्री रामसागर–

ठीक है, पहले दो प्रश्नों का ही उत्तर दिला दीजिये ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, फैक्ट्री के सुचारु रूप से संचालन के लिये जो भी आवश्यक है, उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री रामसागर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि 1981-82 का गन्ना मूल्य बकाया है। तो, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बकाया है, वह कब तक किसानों को दे दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, आज ही बुढ़वल फैक्ट्री को 30 लाख रुपये और बाराबंकी फैक्ट्री को 35 लाख रुपये, जो बकाया है, उसके देने के लिये आदेश कर रहे हैं ।

सहायक अभियन्ता, जनपद सहारनपुर तथा श्री रेवती रमण गर्ग जूनियर इंजीनियर, लक्सर के विरुद्ध रपोर्ट

*9–श्री मोहन सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, सहारनपुर एवं उप गन्ना आयुक्त, मेरठ ने सहायक अभियन्ता जनपद सहारनपुर, की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में जून, 1973 से मार्च, 1976 तक गन्ना आयुक्त, लखनऊ को क्या-क्या रिपोर्ट की थी तथा श्री रेवती रमण गर्ग, जूनियर-इन्जीनियर, लक्सर के सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी, सहारनपुर एवं उप गन्ना आयुक्त, मेरठ ने गन्ना आयुक्त, लखनऊ को क्या-क्या रिपोर्ट लिखी थी ? उन रिपोर्टों पर सहायक अभियन्ता, सहारनपुर तथा जूनियर इन्जीनियर, लक्सर के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गयी थीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जून, 1973 से मार्च 1976 तक सहायक अभियन्ता, जनपद सहारनपुर के विरुद्ध मुख्यालय सहारनपुर न बनाने, नियमित कार्यक्रमानुसार कार्य का निरीक्षण न करने, ठेकेदार के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने, कार्य से प्रायः अनुपस्थित रहने आदि की रिपोर्ट जिला गन्ना अधिकारी सहारनपुर द्वारा उप गन्ना आयुक्त मेरठ तथा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को की गयी थी । रिपोर्ट के आधार पर सहायक अभियन्ता को निलम्बित करके अनुशासनिक कार्रवाई की गयी तथा इसके फलस्वरूप उन्हें कठोर चेतावनी दी गयी और उनकी लापरवाही की भर्त्सना की गयी ।

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा]

इसी प्रकार श्री रेवती रमण गर्ग, अवर अभियन्ता, लक्सर के विरुद्ध भी उनके कार्य असंतोषजनक होने, कार्य प्रणाली विभाग के अनुरूप न होने तथा मुख्यालय लक्सर न बनने आदि के सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी, सहारनपुर द्वारा उप गन्ना आयुक्त मेरठ एवं गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश को रिपोर्ट किया गया था जिसके फलस्वरूप श्री गर्ग को उनके पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) को वापस भेज दिया गया।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का उत्तर बहुत ही चालाकी के साथ है। उन्होंने एक वाक्य लिख दिया है कि– "निलम्बित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी"। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब आज स्थिति क्या है ? निलम्बन बरकरार है या समाप्त कर दिया गया है ? यदि समाप्त कर दिया गया है, तो कब और किसके द्वारा किया गया ? जिस व्यक्ति के विरूद्ध इतनी प्रतिकूल बातें हों, उनको पुन: बहाल करने का क्या आधार है ? दूसरी बात, आपने नीचे लिखा है कि श्री गर्ग को उनके पैतृक विभाग को वापस भेज दिया गया है, तो आपके विभाग में उनके विरुद्ध जितनी बातें थीं, क्या उनसे आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवगत करा दिया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

इनको 29-9-80 को बहाल कर दिया गया। चरित्र पंजिका में अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ कठोर चेतावनी दी गयी। श्री गर्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को वापस कर दिया गया और विभाग ने आरोप लिखकर मुख्य अभियन्ता को दे दिये हैं। बराबर लिखा-पढ़ी हो रही है, लेकिन अभी कृत कार्यवाही की जानकारी नहीं हो पायी है।

श्री मोहन सिंह–

माननीय मन्त्री जी ने अब खुलासा किया। मैं जानना चाहता हूं कि सम्बन्धित व्यक्ति को किस पद पर और कहां नियुक्त किये हुए हैं ? जिस व्यक्ति के विरूद्ध इतनी प्रतिकूल बातें हों उसको पुन: बहाल करके अच्छे पद पर रखना निन्दनीय बात है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

यह तो जानकारी नहीं है कि नियुक्ति कहां है। इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि हमेशा-हमेशा उनको ससपेण्ड रखा जाय या नौकरी से निकाल दिया जाय।

श्री ऊदल–

जो सहायक अभियन्ता हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के उनके बारे में प्रमुख अभियन्ता को क्यों लिखा जा रहा है ? उनको लौटा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष–

आप देखिये, प्रश्न के उत्तर में ही लिखा है कि लौटा दिया गया है।

सीमान्त जनपद चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ की स्थापना तथा कुमायूं मंडल का पुनर्गठन

*10–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1960 में उ० प्र० शासन ने तीन सीमान्त जनपद चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ की स्थापना की थी और उसी के साथ उत्तराखण्ड नाम के एक मण्डल बनाने की घोषणा की थी ? यदि हां तो क्या यह उत्तराखण्ड मण्डल वास्तविक रुप से निर्मित हुआ ? यदि हां, तो इसका मुख्यालय कहां है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

जी हां । शासन द्वारा 3 सीमान्त जनपदों चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ का सृजन किया गया तथा विज्ञप्ति संख्या– 910/1 सी० दिनांक 24 फरवरी, 1960 गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तराखंड मंडल का सृजन किया गया था, जिसमें उपर्युक्त तीनों जनपद रखे गये थे । प्रारम्भ में उत्तराखंड मंडल के प्रथम दो आयुक्त तत्कालीन मुख्य सचिव अपने पद के अतिरिक्त रहे, जिनका मुख्यालय लखनऊ था । तत्पश्चात् आयुक्त, कुमायूं मंडल को उत्तराखंड मंडल का भी आयुक्त नियुक्त किया गया, जिनका मुख्यालय नैनीताल था ।

विज्ञप्ति संख्या 18–3/2–68–1 ग, दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तराखंड मंडल को समाप्त करके कमायूं मंडल का पुनर्गठन तथा गढ़वाल मंडल का सृजन किया गया । अत: वर्तमान में उत्तराखंड मंडल का अस्तित्व नहीं है तथा अब उसके मुख्यालय का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड मण्डल बनाने का सरकार का क्या औचित्य था ?

श्री बैजनाथ कुरील–

यह सीमा के जिले हैं । उस ववत ऐसा महसूस किया गया था कि इनका प्रबन्ध एक विशेष तरीके से किया जायगा और उसका संचालन यहाँ लखनऊ से होगा, यही उद्देश्य था ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट–

मैं मा० मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुमायूं और गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या उस समय प्रदेश सरकार की उत्तराखण्ड राज्य बनाने की कोई भावना थी और उसकी संस्तुति क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

वह जिले बार्डर के हैं, इसलिए ऐसा विशेष परिस्थितियों में किया गया ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

अभी भी यह तीनों जिले सीमांत जिले हैं, चमोली पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। अभी आपने बताया कि किसी के कहने-सुनने पर या सीमांत जिले होने की वजह से यह उन्तराखण्ड मण्डल समाप्त किया गया है, इसका क्या औचित्य है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मैंने यह नहीं कहा कि किसी के कहने-सुनने से ऐसा किया गया है, बल्कि वर्ष 1961-62 के परिप्रेक्ष्य में यह इंतजाम किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, भटनी (देवरिया) में कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*11–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ. प्र. शुगर कारपोरेशन यूनिट भटनी (देवरिया) में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी न करने का क्या कारण है ? तीन वर्ष के अन्दर कितने कर्मचारियों को शासन की ओर से स्थायी किया गया और वे कितने दिनों से कारपोरेशन में कार्य कर रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की भटनी (देवरिया) इकाई में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत कोई भी कर्मचारी अस्थाई नहीं है।

पिछले तीन वर्ष के अन्दर 20 कर्मचारियों को नियमित स्थाई तथा 51 कर्मचारियों को सीजनल स्थाई किया गया। 20 स्थाई कर्मचारियों में से एक कर्मचारी पेराई वर्ष 78-79 से, 13 कर्मचारी 80-81 से, 2 कर्मचारी 81-82 से तथा 4 कर्मचारी 82-83 से कार्य कर रहे हैं। 51 सीजनल स्थाई कर्मचारियों में से एक कर्मचारी पेराई वर्ष 72-73 से, 15 कर्मचारी 77-78 से, 25 कर्मचारी 80-81 से, 8 कर्मचारी 81-82 से तथा 2 कर्मचारी 82-83 से कार्य कर रहे हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के अंतर्गत 20 कर्मचारियों को नियमित स्थाई तथा 51 कर्मचारियों को सीजनल स्थाई किया गया है इसका आधार क्या है ? दूसरे कर्मचारी जो इन्हीं के साथ कार्य करते हैं बराबर से और वह समस्त सेवा शर्तें भी पूरा करते हैं तो उन्हें नियमित एवं सीजनल स्थायित्व क्यों नहीं प्रदान किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

कर्मचारियों के स्थायीकरण का माप-दण्ड जनरल मैनेजर ने बनाया है, परन्तु जनरल मैनेजर की जो गति-विधियां हैं वह इधर ठीक नहीं पायी गयीं, इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं। तथा स्थायीकरण के बारे में हम पुनः विचार कर रहे हैं।

काश्तकारों के साथ राजकीय देयों की वसूली में उत्पीड़क कारवाई न किये जाने का निर्देश

*12–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जिन काश्तकारों को वर्ष 1982–83 का गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है उनकी भुगतान न हुई धनराशि की सीमा तक उनसे राजकीय देयों की वसूली में कोई भी उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हां,

शासन द्वारा यह निर्देश दिए जा चुके हैं कि जिन कास्तकारों के पास सीजन 1981–82 या 1982–83 के गन्ना मूल्य की पर्चियां हैं और जिन पर मिल द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है उनके विरुद्ध पर्ची पर अंकित मूल्य की धनराशि की सीमा तक सरकारी देयों की वसूली के विषय में किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्यवाई न की जाय ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जिन काश्तकारों की बकाया मूल्य की पर्चियां जिन पर राजकीय देय भी है उनको आप रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर देते हैं और 10 प्रतिशत जुर्माना किया जाता है और इस तरह से उन पर उत्पीड़न की कार्यवाही हो जाती है । तो शासन से स्पष्ट निर्देश किये जायेंगे कि उन्हें रिकवरी सार्टिफिकेट जारी न किये जाय और उनसे 10 परसेन्ट की जुर्माने की वसूली न की जाय ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं यह निर्देश प्रति तीन महीनों के बाद जारी किये गये हैं कि कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न हो और इस शासनादेश की कापियां भी मेरे पास हैं ।

श्री हरगोविन्द वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जिन किसानों की पर्चियों के भुगतान बकाया हैं और उनके ऊपर जो कर्जा है, उन पर्चियों को राजस्व विभाग ले ले और उन्हें सरकारी बैंक से या खजाने से उसे वसूल कर ले । इस तरह से जो तमाम परेशानियां किसानों को उठानी पड़ती हैं और उनका जो उत्पीड़न होता है, उससे वह बच जायेगा और किसानों का भुगतान इस तरह से सरकारी खजाने में जमा कर दिया जायेगा, तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

शासन बली स्तर पर विचार हुआ था, इसमें भारी गड़वड़ी होने की सम्भावना है इसलिए इसको नहीं किया गया। गन्ना के बकाये के भुगतान के लिए सरकार ने 70 करोड़ 68 लाख की व्यवस्था की है और तत्काल गन्ना किसानों का सारा का सारा रुपया भुगतान किया जायेगा।

शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने का कथित विचार तथा विधायक श्रीयशपाल सिंह के पत्र पर कार्यवाही

*13–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री वताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्र में गैर कृषि भूमि पर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इस सम्वन्ध में श्री यशपाल सिंह, विधायक, जिला बुलन्दशहर ने अपने पत्र दिनांक 4-9-80 द्वारा उनमे इसी सन्दर्भ में सरायतरीन सम्भल, जिला मुरादावाद से जमींदारी प्रथा समाप्त करने हेतु अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 के अधीन यथा परिभाषित कृषि क्षेत्रों में ही मध्यवर्तियों के अधिकार अर्जित किये जाने का प्राविधान होने के कारण शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। प्रश्न में संदर्भित श्री यशपाल सिंह, विधायक, का पत्र प्राप्त हुआ था जिसे स्वायत्त शासन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय तथा जिलाधिकारी, मुरादाबाद, से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, यह जो मूल प्रश्न था उसको आप गौर से देखे कि उससे हट कर जबाब दिया गया है। मेरा प्रश्न करने का अभिप्राय यह था कि कृषक जो कृषि करते हैं उनकी भूमि पर सीमा रोपण लागू है और जो व्यवसायिक बड़ी-बड़ी भूमि के भू-स्वामी हैं, जिनके पास हजारों एकड़ भूमि पड़ी हुई है, उनकी भूमि पर कोई सीमा रोपण लागू नहीं की जा रही है। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो ऐसी भूमि पर सीमा रोपण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, मौजूदा कानून के तहत यह सम्भव नहीं है कि जो अकृषिक भूमि है उसकी जमींदारी खत्म की जाय। जो शहरों के अन्दर भी हैं और उन पर कृषि हो रही थी उनकी जमींदारी खत्म की गयी है। यह भी सर्वे कराया जा रहा है कि उस वख्त जो खात्मा हुए थे शहरी क्षेत्र की जमींदारी के, फिर क्या कोई ऐसी भी भूमि है शहर के अन्दर कि उस

पर लोगों ने खेती करना शुरू कर दी है उसके वाद फिर हम उस पर कार्यवाही करेंगे और उसे भी जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत समाप्त करेंगे ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया है, क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

किस पत्र व्यवहार की बात आप कर रहे हैं ।

ग्राम कंडा पट्टी पालकोट, तहसील देवप्रयाग को भूस्खलन से क्षति तथा ग्रामवासियों हेतु राहत कार्य

*14–श्री विद्यासागर नौटियाल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग तहसील की पालकोट पट्टी का गांव कन्डारी गांव भू-स्खलन से वुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो इसे अन्यत्र बसाए जाने हेतु अथवा ग्राम वासियों व उनकी भू-सम्पत्ति की रक्षार्थ शासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

वर्ष 1979 में देव प्रयाग मोटर मार्ग के चौदहवें किलोमीटर पर स्थित ग्राम कंडा पट्टी पालकोट तहसील देव प्रयाग भू-स्खलन से थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था बुरी तरह नहीं । भू-स्खलन से 3 आवासीय भवनों को खतरे की सभाम्वना हुई थी किन्तु उक्त भवनों को कोई क्षति नहीं हुई है । ग्राम कंडारी के अन्य आवासीय भवन भू-स्खलन स्थान से काफी दूर स्थित है और वह उक्त भू-स्खलन से प्रभावित नहीं हुये थे ।

भू-स्खलन से प्रभावित भू-भाग के ऊपर तथा ग्राम के नीचे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1981 में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया गया है तथा मोटर मार्ग के ऊपरी हिस्सा की ओर रिटेनिंग वाल व नालियों का निर्माण किया गया है । वर्ष 1979 के पश्चात उक्त क्षेत्र में पुनः भूस्खलन नहीं हुआ है तथा ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाये जाने का फिलहाल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि वर्ष 1979 में देव प्रयाग मोटर मार्ग के 14वें किलोमीटर पर स्थिति ग्राम कंडा पट्टी पालकोट तहसील देव प्रयाग भू-स्खलन से थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, बुरी तरह नहीं । भू-स्खलन से तीन आवासीय भवनों को खतरे की सम्भावना हुई थी किन्तु उक्त भवनों को कोई क्षति नहीं हुई । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उक्त गांव मोटर मार्ग से मुश्किल से 100 फिट की दूरी पर बसा हुआ है और दूसरी बात जो मा० मन्त्री जी ने कहा कि 1981 में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया गया है तथा रिटेनिंग वाल व नालियों का निर्माण किया गया है । तो क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि उक्त गांव धंस रहा है, दुबारा जांच करायेंगे और गांव वालों को अन्यत्र वसाने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मैं इसकी जाँच मुकम्मिल कराऊँगा और यदि कोई ऐसी स्थिति है तो उस गांव के लोगों को कहीं अन्यत्र बसाने का प्रयास किया जायेगा ।

जिला शाहजहाँपुर के ग्राम कोलापुर, सगाहा आदि में चकबन्दी

*15–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की तहसील व परगना जलालाबाद के 18 ग्राम कोलापुर, संगाहा आदि की चकबन्दी कराने हेतु सन् 82 में गजट हो गया ? यदि हां, तो उपरोक्त ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ कराने में देरी क्यों की जा रही है ? क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों की चकबन्दी शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

जी हां । ग्राम कोलापुर, संगाहा आदि 18 ग्रामों में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 7-8-1982 के गजट में प्रकाशित की गयी है । उक्त सभी ग्राम बैगुल एवं रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है, जिसमें चकबन्दी कार्य, बिना आयतीकरण स्टाफ द्वारा सर्वे कराये संभव नहीं है । विभाग में सीमित आयतीकरण स्टाफ की उपलब्धता के कारण उक्त ग्रामों में अभी तक सर्वेक्षण नहीं कराया जा सका । चकबन्दी आयुक्त द्वारा अब बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी शाहजहांपुर/बरेली को आदेश दे दिये गये हैं कि ग्राम कोलापुर, संगाहा आदि 18 ग्रामों में दो आयतकर्ताओं तथा अन्य चक-बन्दी स्टाफ को लगाकर आयतीकरण का कार्य 1 सितम्बर 1983 से प्रारम्भ करा दें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 18 ग्रामों के आयतीकरण के लिये उनके पास स्टाफ उपलब्ध नहीं था और 7-8-82 से चकबन्दी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई । जब मैंने प्रश्न किया तब आपने यानी 1 सितम्बर 1983 से चकबन्दी करने के आदेश दिये । मैं जानना चाहता हूं कि जिस सक्रियता से आप काम कर रहे हैं, साल भर से कोई काम नहीं हो रहा है, उसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या आप भरोसा करते हैं कि आप जैसे अक्षम मंत्रियों के आदेशों का पालन हो भी पायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, यह बात सही है कि विज्ञप्ति जारी हुये काफी दिन हो गये और साल भर हो गया, चकबन्दी का कार्य शुरू नहीं हुआ । उसका कारण यह है कि जो सूचना हमें मिली है उसके आधार पर वह ऐसी जगह जो दो नदियों के किनारे पर है वह बिना आयतीकरण के कराया है, उसमें चकबन्दी नहीं हुई । आयतीकरण का स्टाफ कम है । 20 सहायक आयतीकरण के स्टाफ की टीम हमारे पास है। हरदोई और खीरी से टीमें मंगाकर उस काम को कर देंगे ।

यू० पी० कोआपरेटिव शुगर फेडरेशन, लखनऊ द्वारा मेसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता से संयंत्रों की खरीद

*16–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि यू. पी. कोआपरेटिव शुगर फेडरेशन, लखनऊ ने दि० 27-9-82, 4-10-82 व 17-11-82 को एटलस इंडिया मशीनरी, कलकत्ता को 63वें ब्रिज का आर्डर क्रमश: 30800/– व 110000/– प्रति कोटे के हिसाब से दिया जबकि उ. प्र. की दुर्गा वेब्रिज मिल्स, मुजफ्फर नगर ने इन्हीं वेब्रिज के दाम क्रमश: 27000 रु. व 103000 प्रति कोटे के हिसाब से डाला लेकिन उसे आर्डर नहीं दिया जिससे शासन को करीब 7 लाख रुपया एटलस कम्पनी को ज्यादा देना पड़ा ? क्या यह भी सत्य है कि इन दामों के अतिरिक्त एटलस कम्पनी 17 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करती है जबकि प्रदेश के उद्योगों को इससे छूट है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

यू.पी. कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा दिनांक 4-10-82 को 30 टन के चार तथा 5 टन के 56 तौल यंत्रों के आदेश तथा दिनांक 17-11-82 को 30 टन के 3 तौल यंत्रों के आदेश मेसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को दिये गये। यह आदेश 30 टन की दशा में 1,00,000/– रुपये प्रति तौल यंत्र की दर से तथा 5 टन के तौल यंत्र की दशा में 26,200 रुपये प्रति तौल यंत्र की दर से दिये गये थे जिसका देय मूल्य (बिक्रय कर तथा आबकारी क्रय छोड़कर) क्रमश: 1,07,000 रुपया तथा 26,462 रुपया प्रति संयंत्र होता है जबकि दुर्गा वेब्रिज ने 30 टन तथा 5 टन के तौल यंत्रों के रेट क्रमश: रु. 1,00,000–00 तथा रुपये 26,000–00 टेण्डर में दिये थे, जिसका देय मूल्य (बिक्रय कर छोड़ कर) क्रमश: 1,04,500–00 रुपया तथा 27,560 रुपया प्रति संयत्र होता है, इन दरों के आधार पर सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा उक्त संयत्रों की खरीद पर मेसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड को कुल 22,30,872 रुपये देय होता है जबकि यदि संयंत्र मेसर्स दुर्गा वेब्रिज से क्रय किये जाते तो उन्हीं संयत्रों के लिए रु. 22,74,860 देय होते। मेसर्स इंडिया मशीनरी पर 15.75 प्रतिशत इक्साइज ड्यूटी लगती है किन्तु मेसर्स दुर्गा वेब्रिज का वार्षिक उत्पादन इतना कम है कि उन्हें एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। तौल यंत्र तकनीकी रूप में उच्चकोटि का होना चाहिए क्योंकि वह दीर्घकालीन प्रयोगार्थ यंत्र होता है। मेसर्स इंडिया मशीनरी के तौल यंत्रों के तकनीकी गुणों एवं कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए आदेश दिये गये। मेसर्स दुर्गा बेब्रिज द्वारा पूर्व में आपूर्ति किये गये तौल यंत्रों के विरुद्ध गुणों एवं कार्यकुशलता दोनों ही प्रकार की शिकायतें थीं जबकि मेसर्स इंडिया मशीनरी द्वारा की गयी आपूर्ति के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत नहीं है। इन्हीं कारणों से बिक्रय कर तथा आबकारी कर की देनदारी पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वह शासन को ही देय होता है।

तौल यंत्र क्रय करने के प्रकरण में अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय है कि प्रदेश में लगे हुये उद्योगों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने उत्तर में कहा है । मेसर्स दुर्गा वे. ब्रिज द्वारा पूर्व में आपूर्ति किये गये तौल यंत्रों के विरुद्ध गुणों एवं कार्य कुशलता दोनों ही प्रकार की शिकायतें थीं । तो मैं जानना चाहता हूं वह कौन सन् था और कब जांच हुई तथा किस अधिकारी ने जांच की ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, जो यंत्र खरीदे जाते हैं उसमें आधार यह रहता है कि प्रदेश में किसान तथा फैक्ट्रीज का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी का नुकसान न हो ···

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैंने यह नहीं पूछा, मैंने पूछा कि किस सन् में और किस अधिकारी ने जांच की ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

बता रहा हूं । दूसरा इन्होंने जो फैक्ट्रीज को सप्लाई की वह चार फैक्ट्रीज हैं रमाला, विलासपुर, अनूपशहर तथा बीसलपुर । वहां के प्रधानों ने सूचना दी कि घटिया किस्म की हैं । एक में तिथि 1977 की है । बाकी की सूचना तिथि की इस समय मेरे पास नहीं है ।

राजकीय लाटरी निदेशालय में तदर्थ आधार पर कार्यरत राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी

*17–श्री रुद्रप्रताप सिंह–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लाटरी निदेशालय में लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले पदों पर आसीन राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी कितने समय से तदर्थ आधार पर चल रहे हैं और इन नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

राजकीय लाटरी निदेशालय में उपनिदेशक के दो पद, सहायक निदेशक के दो पद, लेखाधिकारी का एक पद व सहायक लेखाधिकारी के दो राजपत्रित पद है । उप निदेशक का एक पद पी. सी. एस. संवर्ग का है, जिस पर उक्त संवर्ग का अधिकारी कार्यरत हैं । दूसरे पद पर निदेशालय के एक सहायक निदेशक दिनांक 15 सितम्बर, 1979 से तदर्थ आधार पर कार्यरत है ।

2–सहायक निदेशक के दोनों पद वर्तमान में रिक्त हैं ।

3–लेखाधिकारी का एक पद एवं सहायक लेखाधिकारी के दो पद उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के हैं तथा इन पदों पर उक्त संवर्ग के ही अधिकारी कार्यरत हैं ।

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

4–राजकीय लाटरी निदेशालय के कार्य कलाप विशिष्ट वाणिज्यिक प्रवृत्ति के हैं। अतः इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की औपचारिक सहमति इस बात के लिये प्राप्त कर ली गयी है कि निदेशालय में विद्यमान राजपत्रित पदों पर भर्ती अन्य विभागों से सुयोग्य अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर की जाये।

5–लाटरी निदेशालय में कोई भी अराजपत्रित पद, वर्तमान में लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं हैं।

*18–श्री राजेन्द्र अग्निहोती–

[19वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या–5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम नया बांस बांगर, जनपद बुलन्दशहर में ग्राम सभा की भूमि के आवंटन में अनियमितताओं की जाँच

*19–श्री किरन पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नया बांस बांगर, परगना डिवाई, तहसील अनुपशहर, जनपद बुलन्दशहर में ग्राम सभा की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में गम्भीर घोटालों की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने के आदेश जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने 24-11-82 को किये थे ? जांचोपरान्त परगनाधिकारी अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ने दो भिन्न जांच रिपोर्ट प्रथम 12-5-82 तथा द्वितीय 19-5-82 प्रस्तुत की थी। यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या जांच अधिकारी के विरुद्ध इस आचरण के लिये कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम नया बांस बांगर परगना डिवाई तहसील अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर में ग्राम सभा की भूमि के आवंटन में हुयी अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24-11-81 द्वारा श्री रमाशंकर डिप्टी कलेक्टर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया था। जाँच अधिकारी द्वारा केवल एक जाँच आख्या दिनांक 19-5-82 प्रेषित की गयी थी। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना बोने का क्षेत्रफल तथा औसत उपज

*20–श्री श्यामलाल वाजपेयी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि सम्पूर्ण देश के मुकाबले उ. प्र. में गन्ना बोने का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है ? यदि हां, तो गन्नों की उपज की औसत सबसे कम होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार गन्ना विकास विभाग को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अधिक गन्ना क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। देश के ट्रापिकल व सबट्रापिकल क्षेत्र के प्रदेशों में गन्ने की औसत उपज मुख्यतः जलवायु के कारण तुलनात्मक नहीं है। सब ट्रापिकल क्षेत्र में पंजाब प्रदेश के आलावा उत्तर प्रदेश की गन्ने की औसत उपज, सुनियोजित गन्ना विकास कार्यक्रमों के कारण सबसे अधिक है। अतः गन्ना विकास विभाग को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या हाल में ही उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा शासन को बसों के यात्री किराए में वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो प्रस्ताव क्या है तथा शासन द्वारा उस पर क्या नीति तय की गयी है ?

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

जी हाँ 30 प्रतिशत किराया वृद्धि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर 25 प्रतिशत किराया वृद्धि करने हेतु शासकीय अधिसूचना संख्या 2646 टी/तीस-4-59 के एम/78 दिनांक 25 जून, 83 के द्वारा आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। अन्तिम निर्णय शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आपत्तियाँ और सुझाव किसने आमंत्रित किये थे। परिवहन निगम की इस सिफारिश के बाद इसे प्रचारित करने के बाद पूरे प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा हो गया है, परिवहन निगम की बसें ठीक से चल नहीं रही हैं। पिछले वर्ष 65 प्रतिशत किराया बढ़ाया जा चुका है अब इसे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके विरोध में चारों तरफ जन आंदोलन हो रहा है। सभी राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर यहां मन्त्री जी घोषणा करेंगे कि परिवहन निगम का जो सुझाव है इसे अस्वीकार कर दिया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, किराये में वृद्धि का सुझाव केवल परिवहन निगम की ओर से ही नहीं आया बल्कि प्राइवेट कम्पनीज ने भी किराये की वृद्धि के बारे में लिखा है। उसका कारण यह है कि इस बीच सामान की कीमतों में वृद्धि हो गयी है। प्रधान प्रबन्धक ने कहा है कि परिवहन निगम के संचालन लागत में काफी वृद्धि हो गयी है टाटा, लीलैण्ड की चैसिस, विभिन्न प्रकार के पुर्जों, डीजल, पेट्रोल में वृद्धि, तथा सरकार द्वारा कर्मचारियों को समय-समय पर दिये गये अतिरिक्त महंगाई भत्ते में वृद्धि (व्यवधान) मान्यवर, मुझे सवाल का जवाव देने दें। इन सब चीजों की कीमतों में वृद्धि हुई है। उनको वर्तमान आर्थिक स्थिति में निगम कैसे ठीक कर सकता है। इसलिए इस वृद्धि की आवश्यकता हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी ने खटारा बसों का खटारा जवाव दिया।

मैं जानना चाहता हूं कि प्राइवेट कम्पनीज किराया बढ़ाने के लिये तो कहेंगी ही, परिवहन निगम कहेगा ही चूंकि वह दिवालिया हो गया है, वहां के अधिकारी भ्रष्ट हैं, इसलिये निगम दिवालिया हो गया हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में सरकार के इस निर्णय के

खिलाफ जनआक्रोश व्याप्त है, चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं और निगम की व्यवस्था खराब है। इस तरह का आक्षेप प्रधान मन्त्री से लेकर सभी ने किया है। इसलिये सरकार क्या इस मामले में विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कृपा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जो प्रस्ताव है उस पर सरकार विचार ही कर रही है और विचार करने के बाद कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि जून में भाड़ा वृद्धि का प्रस्ताव आया और उसमें जनमत जानने के लिए उसको प्रसारित किया। दूसरी तरफ परिवहन निगम ने माल भाड़ा डेढ़ गुना कर दिया। इसलिये क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जो पैसेन्जरों के साथ माल ढुलाई भाड़ा लगता था उसमें डेढ़ गुना वृद्धि निगम ने कर दिया है, निगम ने क्या उसके लिये आपसे अनुमति लिया है और ऐसी दशा में जबकि जनता की राय जानने के लिये उसको प्रसारित किया है तब तो यह वृद्धि और भी न्याय संगत नहीं है जिसमें आपने क्या कार्यवाही किया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज जो स्थिति है उसमें इसकी वृद्धि की आवश्यकता है। 1981 में वृद्धि की गयी थी उसके बाद कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके कारण किराये की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गयी है।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह परिवहन निगम में 12 करोड़ का प्रतिवर्ष जो घाटा है, जिसको मन्त्री जी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं, वह विभाग के अधिकारियों के कारण हुआ, यदि हां, तो जिन अधिकारियों के कारण यह घाटा हुआ जिनको आपने दंड नहीं दिया बल्कि उन्हीं की सिफारिश पर 25 प्रतिशत जनता पर बोझ डालने जा रहे हैं जिसका चारों तरफ विरोध हो रहा है। इसलिये क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे कि उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगें और उनकी संस्तुति पर किसी प्रकार का किराया नहीं बढ़ायेंगे और वह प्रस्ताव वापस लें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, वृद्धि की सिफारिश उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने किया है और निगम में कुछ गैर सरकारी सदस्य भी रहते हैं, जिनकी संस्तुति पर यह प्रस्ताव आया है। यह प्रस्ताव, केवल सरकारी अधिकारियों ने, यह ठीक है, प्रधान प्रबन्धक ने प्रसारित किया है, लेकिन यह निर्णय निगम के निदेशक मंडल ने किया है।

श्री मोहन सिंह–

मेरा प्रश्न था कि इस वर्ष वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है और शासन ने उसको जनता की राय के लिये प्रसारित कर दिया है, इस बीच क्या यह सही है कि माल ढुलाई भाड़ा जो 6 पैसे प्रति किलोमीटर था उसको बढ़ाकर 9 पैसा कर दिया है, क्या

[श्री मोहन सिंह]

इसकी स्वीकृति शासन से उन्होंने लिया था, यदि नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में निगम के अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही किया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं जिनके बारे में मा० सदस्य को शिकायत है, उनके विरुद्ध बराबर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष–

दुबारा आप प्रश्न कर दें ।

श्री मोहन सिंह–

परिवहन निगम ने जो अपना ढुलाई-भाड़ा 6 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 9 पैसा प्रति किलोमीटर कर दिया है, यानी डेढ़ गुना बढ़ा दिया है तो क्या उसे भी आपकी इजाजत से किया गया है, ऐसी परिस्थिति में जबकि वृद्धि का प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मैंने पहले ही निवेदन किया कि परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति···(व्यवधान) ।

(कई आवाजें–'आप हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये)

श्री मोहन सिंह–

इस प्रश्न को मैं तीन बार दोहरा चुका हूं···

श्री अध्यक्ष–

आप पुनः दोहरा दीजिये । (व्यवधान)

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मोहन सिंह जी ने जो कहा है, उसका मैं उत्तर देता हूं । शासन के पास जब प्रस्ताव आया, तो उसमें उसने 30 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, पर 25 प्रतिशत को ही स्वीकार करके शासन ने उसकी विज्ञप्ति प्रसारित की थी और उस संबंध में आपत्ति और सुझाव आम जनता से मांगे गये थे...'(व्यवधान)' ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माल-भाड़े के बारे में जो ड्योढ़ा कर दिया गया है, उसके बारे में निगम ने प्रस्ताव भेजा था, क्या सरकार ने उसकी अनुमति दी है ? यह प्रश्न मंत्री जी से पूछा गया था, लेकिन मंत्री जी जानबूझकर अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए उनको संरक्षण दे रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं । माल-भाड़े को ड्योढ़ा कर दिया गया है, तो इस पर शासन की क्या प्रतिक्रिया थी–शासन ने उसे स्वीकार किया होगा या अस्वीकार किया होगा ? यदि अस्वीकार किया हो तो वह स्पष्ट कह दें कि इसे हमने अस्वीकार किया था, लेकिन परिवहन निगम ऐसा है कि उसने हमारी बात नहीं मानी ।

मान्यवर, आप इसका उत्तर साफ दिलायें। दो ही इसके उत्तर हो सकते हैं 'हां' या 'नहीं'। मान्यवर, आप ही संरक्षण प्रदान करें, यह जनहित का प्रश्न है। आज हर राजनीनिक दल– सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष, इस फैसले का विरोध कर रहा है। सदन में यह बात छिपाई जाये, मान्यवर, आप भी इससे सहमत नहीं होंगे।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

निगम प्रस्ताव करने में स्वतन्त्र हैं, उसके पहले शासन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं हैं। उसने प्रस्ताव किया, वह प्रस्ताव शासन के समक्ष आया और शासन ने उस पर विचार करके विज्ञप्ति प्रसारित की... (व्यवधान)–(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं, मंत्री जी इस पर विचार करके उत्तर दें। (व्यवधान) मैंने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है, अब आगे आयेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...(व्यवधान)।

श्री भीखालाल–

मैं मंत्री जी के इस प्रकार के उत्तर और रवैये के विरोध में दो मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(मा० सदस्य सदन से चले गये।)

श्री मित्रसेन–

मेरा भी एक प्रश्न था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री मित्रसेन–

इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूँ।

(मा० सदस्य सदन से चले गये।)

प्रदेश आई० ए० एस० संवर्ग के अधिकारियों के त्यागपत्र देने का कारण

**2–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 जनवरी, 1983 से 15 अगस्त, 1983 तक कितने आई० ए० एस० अधिकारियों ने अपने पदों से त्याग-पत्र दिये हैं? त्याग-पत्र देने के क्या कारण हैं?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

1 जनवरी से 15 अगस्त, 1983 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश आई० ए० एस० संवर्ग के 2 अधिकारियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग-पत्र प्राप्त हुए हैं। त्याग-पत्र देने के व्यक्तिगत कारण थे।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे व्यक्तिगत कारण क्या थे, त्याग-पत्र देने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं ? त्याग-पत्र देने के समय वह किस पद पर थे और किस-किस तारीख को उन्होंने त्याग-पत्र दिये ? और उनके त्याग-पत्र क्या मंजूर हो गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिज़वी–

मान्यवर, प्रश्न के पहले हिस्से में पूछा गया है कि उनके नाम क्या हैं ? श्री रजत कुमार और दूसरे श्री ओम पाठक। जो तिथि के बारे में पूछा है तो श्री रजत कुमार ने इस्तीफा 13 जून, 1983 को दिया था और 19 जुलाई, 1983 को श्री ओम पाठक ने इस्तीफा दिया है। जो कारण दिये हैं वह यह हैं। श्री रजत कुमार के पत्र में लिखा है कि कुछ आब्जेक्टिव कारण हैं जिसकी वहज से इस्तीफा दे रहा हूँ और कोई कारण नहीं दिखाये हैं। श्री ओम पाठक ने लिखा है कि इस स्थान से मैं वह कार्य नहीं कर पा रहा हूँ जो कार्य उन्हें एक अधिकारी की हैसियत से करना चाहिये। बहुत से काम शासन द्वारा ऐसे कराये जा रहे हैं जो कि जनता के सहयोग से और वालंटरी आर्गनाइजेशंस से कराये जाने चाहिये। ब्यूरोक्रेसीं से निकल कर वह जनता की ज्यादा सेवा कर सकेंगें। तो मान्यवर, जब कोई इस्तीफा देता है तो दो चीजें एसरटेन की जाती हैं। पहली यह कि उसके खिलाफ किसी तरह की इन्क्वारी तो नहीं हैं। दूसरे यह कि उसके ऊपर किसी तरह के ड्यूज तो नहीं हैं। श्री रजत कुमार और श्री ओम पाठक के बारे में यही दोनों चीजें एसरटेन की जा रही है कि किसी प्रकार के ड्यूज इत्यादि तो उनके पास नहीं रह गये हैं। इसके लिये ए० जी० को लिखा गया है जब यह सूचना प्राप्त हो जायगी तो उनका इस्तीफा अग्रसारित केन्द्र सरकार को किया जायगा। यह आई०ए०एस० केडर के हैं इनका नियंत्रण भारत सरकार से होता है।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, श्री ओम पाठक का मूल पत्र सदन के पटल पर रखेंगें। मान्यवर, इसको पढ़वा दीजिये।

श्री अम्मार रिज़वी–

इसका सारांश मैंने बता दिया हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं हैं।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरा निवेदन हैं कि इसको पढ़वा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने सरांश बता दिया है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही हैं कि श्री ओम पाठक जब डी०एम० गाजियाबाद थे तो उनके विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार के आरोप थे जिसकी जांच सर्तकता विभाग द्वारा करायी जा रही है तो क्या सरकार आई० जी० की क्लियरेंस नहीं बल्कि विजीलेंस की क्लियरेंस मांग रही हैं या इस संबंध में किसी तरह की इन्क्वारी उनके खिलाफ सरकार के सामने पेंडिंग है ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस प्रकार का एक पत्र प्राप्त हुआ था और डी० एम० या किसी अधिकारी के विरुद्ध जब ऐसे पत्र प्राप्त होते हैं तो फैक्टस एसरटेन किये जाते हैं और उसके बाद जांच के लिये दिया जाता है। जो पत्र प्राप्त हुआ है तो फैक्टस एसरटेन किये जा रहे हैं। अगर प्राइमा फेसी चीज पायी जायगी तो इन्क्वारी की जायगी।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि श्री ओम पाठक का पत्र इस मायने में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस प्रदेश के प्रशासन में उसका एक इम्पैक्ट होने वाला है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मूल पत्र को पढ़ कर सुनाने की कृपा करें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो पत्र है वह अंग्रेजी में है। जो उन्होंने लिखा है उसका मैंने पूरा सारांश बता दिया कि जिला मैजिस्ट्रेट रहते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि जिस तरह उन्हें कार्य करना चाहिए वह नहीं कर पा रहें हैं। दूसरे पैराग्राफ में इच्छा व्यक्त की है कि इस सर्विस से बाहर रहकर वह ज्यादा अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगें। किसी पर न कोई आक्षेप और न कोई चीज है। साफ-साफ लिखा है उनका त्याग पत्र बिल्कुल अनकंडीशनल हैं, किसी तरह का कंडीशनल नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर, लखनऊ, इटावा तथा वाराणसी में फर्जी रिफंड वाउचर के मामले

1–श्री श्यामलाल बाजपेयी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि कानपुर, लखनऊ आगरा, इटावा तथा वाराणसी में वर्ष 1980 के कितने फर्जी ट्रेजरी चालान के कितने फर्जी रिफंड वाउचर के मामले अब तक विभाग के प्रकाश में आ चुके हैं और उससे कितने राजस्व की हानि हुयी है ? इन मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

तहसील बांसगाव के हल्का नं० 103 के लेखपाल श्री अमरनाथ यादव के विरुद्ध शिकायती पत्र

2–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 1982 में प्रश्नकर्ता ने गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील के हल्का नं० 103 के लेखपाल अमरनाथ यादव के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र जिला अधिकारी एवं राजस्व मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो क्या राजस्व मन्त्री ने जिलाधिकारी, गोरखपुर को उक्त लेखपाल के स्थानान्तरित करने के आदेश का पालन 27 अक्टूबर, 1982 को परगनाधिकारी, बांसगांव ने कर दिया ? क्या यह सही है कि पुनः उसे नए परगनाधिकारी ने दिनांक 8 जनवरी, 1983 से हल्का नं० 103 का कार्य करने की अनुमति दे दिया है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

नोट:-- अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव के हल्का नं०– 103 में कार्यरत तत्कालिक लेखपाल श्री अमरनाथ यादव के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र, दिनांक 19-8-82 प्राप्त हुआ । जांचोपरान्त शिकायत निराधार सिद्ध हुयी परन्तु प्रशासनिक आधार पर श्री अमर नाथ यादव को हल्का न० 103 से हल्का नं० 163 में स्थानांतरित किया गया और श्री यादव ने दिनांक 11-3-83 को हल्का नं० 103 का चार्ज देकर दिनांक 12-3-83 को हल्का नं० 163 का कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

जनपद फैजाबाद को शीतलहरी से बचाने हेतु दी गयी धनराशि, कम्बल व चादर अपात्र व्यक्तियों को वितरित किये जाने की शिकायत

3–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद को माह दिसम्बर, 1982 व माह जनवरी, 1983 में शीत लहरी के बचाने हेतु कुल कितने रुपये दिये गये उसमें कितने रुपये के अलाव किन-किन ग्रामों व बजारों व नगर के मोहल्लों में किन-किन तिथियों व स्थान पर जलाये गये ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद फैजाबाद को माह दिसम्बर, 1932 तथा माह जनवरी, 1983 में शीत लहरी से बचाने हेतु अलाव जलवाने के लिए 15,000 रु० का आवंटन हुआ था जिसमें से 10,440 रु० का व्यय जनपद के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तिथियों में अलाव जलवाने पर किया गया जिसकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 354 पर ।)

4–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या यह भी सही है कि शीत लहरी के बचाने हेतु कम्बल, चादर, जनपद में वितरण हेतु दिया गया ? यदि हां, तो कितने कम्बल, चादर कब दिये गये ? तहसीलवार किन अधिकारियों के माध्यम से कितने लोगों को वितरण किया गया ? क्या यह भी सही है कि बिना कोई माप दण्ड अपनाये वितरण किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

शीत लहरी से बचाव हेतु गरीबों एवं असहाय व्यक्तियों में वितरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा 377 कम्बल तथा 197 खेस (चादर) क्रय किये गये थे जो निम्नलिखित तहसीलों को बांटने हेतु निम्नांकित तिथियों में उपलब्ध कराये गये थे :–

नाम तहसील	कम्बलों की संख्या	तिथि	खेस चादर की संख्या	तिथि
1–सदर	98	1-1-83	50	13-1-83
2–अकबरपुर	93	3-1-83	49	12-1-83
3–बीकापुर	93	3-1-83	49	12-1-83
4–टांडा	93	4-1-83	49	9-1-83
योग	377		197	

कम्बल तथा खेस का वितरण सम्बन्धित परगनाधिकारियों की देख रेख में उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया गया। कम्बल व खेस का वितरण गरीब व अक्षम व्यक्तियों को ही किया गया है। इस प्रकार यह सही नहीं है कि बिना कोई मापदण्ड अपनाए वितरण किया गया।

5—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कम्बल चादर वितरण की सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को दिये बिना ही मनमानी तौर पर अपात्र व्यक्तियों को दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

कम्बल एवं खेस के वितरण की सूचना उपलब्ध जनप्रतिनिधियों को दी जाती रही है तथा मनमानी तौर पर अपात्र व्यक्तियों को वितरण किए जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में लेखपालों की सुपरवाइजर कानूनागो के पद पर प्रोन्नति की जाँच

6—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पिछड़ी जाति से सम्बन्धित और अल्प बचत योजना व जनगणना के काम में साल दर साल पुरस्कार पाने वाले रजत पदक से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किये जाने वाले तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी के वरिष्ठ एव सर्वश्रेष्ठ लेखपाल को पछाड़ कर कई कनिष्ठ लेखपालों को सन् 81 में सुपरवाइजर कानूनगो की जगह पर पदोन्नति दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके निराकरण के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। सन् 1981 तदर्थ प्रोन्नति हेतु लेखपालों की सूची जिले स्तर पर तैयार नहीं की गयी थी जिसके कारण सम्बन्धित तहसीलदारों तथा परगनाधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सर्वश्री अवध नरेश, राम निवास तथा श्याम बख्श सिंह की प्रोन्नति तदर्थ रूप से सुपरवाइजर कानूनगो पद पर की गयी जो रजत पदक से सम्मानित तहसील नवाबगंज के लेखपाल श्री राजाराम से कनिष्ठ हैं।

सर्वश्री श्याम बख्श सिंह तथा राम निवास के प्रत्यावर्तन के आदेश दिनांक 21-2-83 तथा श्री अवध नरेश के प्रत्यावर्तन के आदेश दिनांक 14-4-83 को जिलाधिकारी द्वारा दे दिये गये थे परन्तु उच्च न्यायालय से इन व्यक्तियों द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण प्रत्यावर्तन सम्बन्धी आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है फलस्वरूप श्री राजाराम को सुपरवाइजर कानूनगो का चार्ज नहीं मिल पाया है। तहसीलदार एवं परगनाधिकारियों द्वारा गलत संस्तुति किये जाने की जांच के आदेश राजस्व परिषद द्वारा दे दिये गये हैं।

ग्राम पकड़डिहा, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में भूखण्ड संख्या २८ को चिकित्सालय बनवाने हेतु प्रस्ताव तथा कब्जा लेकर कार्यवाही की सूचना

7–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ग्राम पकड़डिहा तहसील सदर के प्लाट नं. 28 रकबा 1-96 एकड़ को जनहित में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नाम करने सम्बन्धी प्रस्ताव करके दिनांक 5-5-79 को पारित प्रस्ताव को शासन के उच्चाधिकारियों एवं मन्त्रियों को मई, 1981 तक प्रश्नकर्ता आदि के अनेक पत्र दिये ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम पकड़डिहा तहसील सदर, जनपद गोरखापुर में भूखण्ड संख्या 28 क्षेत्रफल 1-96 एकड भूमि को जो चारागाह के लिए सुरक्षित थी, चिकित्सालय बनवाने हेतु दिनांक 5-5-79 को प्रस्ताव पारित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 26-2-83 को उक्त भूमि को पुर्नग्रहण करके स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखापुर के अधीन किये जाने तथा भूलेख अभिलेख में इसी प्रकार अंकित करने का आदेश दे दिया गया। भूलेख अभिलेखों में इसका अमल दरामद किया जा चुका है। मुख्य चिकित्साधिकारी को भी कब्जा लेकर कार्यवाही करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

8–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उक्त भू-संख्या को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देने हेतु प्रश्नकर्ता का 12 मार्च 1981 का पत्र उन्हें मिला और जिसकी प्राप्ति स्वीकृति तत्कालीन उप सचिव (श्री बद्री नारायण) ने अपने अ. शा. प. सं. बी.468/1-2/81 राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 7 मई, 1981 द्वारा किया है जिसमें जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा सूचना देने की बात है? यदि हां, तो अब तक सूचना क्यों नहीं दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ। माननीय सदस्य को 23-8-83 की स्थित से अवगत करा दिया गया है। मामला विचारधीन होने के कारण पहले अवगत नहीं कराया जा सका।

9–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्लाट को चिकित्सा एवं स्वाथ्य विभाग को देने के क्रम में सन्निकट ग्राम बिगुनपुरा में चल रहे राजकीय अस्पताल के नाम अंकित करने हेतु प्रश्नकर्ता के वर्ष 1982 में कुल कितने पत्र परगनाधिकारी, सदर गोरखपुर चकबन्दी आयुक्त व आपको प्राप्त हुए ? इन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

इस संबंध में परगनाधिकारी सदर को वर्ष 1982 में प्रश्नगत भू-खण्ड संख्या 28 रकबा 1-96 एकड़ पर नाम परिवर्तन हेतु कुल 3 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। शासन व चक-

बन्दी आयुक्त को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि पुर्नग्रहण करके स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कर दी गयी और भू-अभिलेखों में इसका इन्द्राज कराया जा चुका है।

ग्राम मुण्डलाना, मुण्डियाकी, मण्डावली जनपद सहारनपुर में हरिजन आवास हेतु ली गयी भूमि

10–श्री रामस्वरूप निम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 76–77 में ग्राम मुंडलाना, मुड़लाकी, मुड़ाकी, ब्लाक नारसन जनपद सहारनपुर में हरिजन आवास के लिए मुआवजा देकर जमीन ली गई थी और कब्जा दिला दिये गये थे ? क्या जिलाधिकारी, सहारनपुर ने उक्त आवासीय जमीनों को पुनः उन्हीं जमीदारों को वापिस करने की संस्तुति की है ? जिनसे जमीन ली गई थी। यदि हां तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्रामवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

1. ग्राम मुण्डलाना–

इस ग्राम में ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है। अतः अर्जन मुक्ति की संस्तुति एवं भू–स्वामियों को अर्जित भूमि की वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. ग्राम मुण्डियाकी–

इस ग्राम में हरिजन आवास के लिये गाटा 188 क्षेत्रफल 1–9–0 289 क्षेत्रफल 1–0–0 तथा 119 क्षेत्रफल 2–0–0 कुल 4–9–0 बीघे भूमि का अर्जन हुआ है। अर्जित भूमि को भू-स्वामियों को पुनः वापस करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

3. ग्राम मण्डावली–

इस ग्राम में गाटा संख्या 455 क्षेत्रफल 0–8–0 तथा 456 क्षेत्रफल 0–16–0 कुल 1–4–0 बीघे भूमि का अर्जन हरिजन आवास योजना के अन्तर्गत किया गया था। औपचारिक कब्जा लेने के उपरान्त यह बात प्रकाश में आई कि इस परियोजना हेतु ग्रामसमाज की भूमि उपलब्ध है। जिलाधिकारी द्वारा अर्जित भूमि को अर्जन से मुक्त करने की संस्तुति की गई। शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये गये। तद्नुसार जिलाधिकारी द्वारा अर्जित भूमि गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन उन्हीं भू-स्वामियों को विधिवत पट्टे पर दे दी गई जिनसे जमीन ली गयी थी। अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था।

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जौनपुर पर कृषकों की बकाया धनराशि

11–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल्स लि० जौनपुर द्वारा जनपद फैजाबाद की टांडा तथा अकबरपुर तहसीलों के किसानों का गत वर्षों

[श्री गोपीनाथ वर्मा]

का पैसा भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह बकाया मिल मालिकों द्वारा किन परिस्थितियों में किया गया तथा किन-किन वर्षों का और कितना बकाया है ? यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार किसानों के गन्ने का बकाया पैसा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या किसानों को बकाया रकम ब्याज के भुगतान करायी जायगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

रत्ना शुगर मिल शाहगंज, जौनपुर पर जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा तथा अकबरपुर क्षेत्र के किसानों का केवल पेराई सत्र 1981--82 का 10.82 लाख रु० गन्ना मूल्य भुगतान हेतु शेष है ।

मिल सुचारू रूप से न चलने एवं मिल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गन्ना मूल्य बकाया रह जाने की स्थिति बनी । इस बकाया के शीघ्र भुगतान हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

बकाया धनराशि पर ब्याज देने के प्रश्न पर विधिक स्थिति के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद रायबरेली, ग्राम ढोकनहा में कथित खारिज किये गये पट्टे तथा अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही

12–श्री कृष्ण कुमार शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत ग्राम ढोकनहा के किन-किन लोगों के पट्टे 9-1-78 को अतिरिक्त जिलाधिकारी, राजस्व ने खारिज किए ? क्या उनकी अमलदरामद ग्राम समाज के नाम हुई ? क्या जिनके पट्टे खारिज हुए थे वह लोग अब भी उस भूमि पर काबिज है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

अतिरिक्त जिलाधिकारी, राजस्व रायबरेली ने दिनांक 9-1-1978 को ग्राम ढोकनहा का कोई पट्टा खारिज नहीं किया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

13–श्री कृष्ण कुमार शुक्ल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा दोकनहा, रायबरेली में ग्राम समाज की भूमि पर कितने लोगों का अवैध कब्जा है । क्या चकवन्दी के दौरान कन्या विद्यालय व सहकारी समिति ढोकनहा के नाम भूमि आरक्षित की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर किसका कब्जा है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम दोकनहा में रबी 1390 फ० की पड़ताल में ग्राम समाज की भूमि पर 60 लोगों को अनाधिकृत रूप से काबिज पाया गया जिनको वर्ग 4 में अंकित करके बेदखली हेतु धारा 122- बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । चकवन्दी के दौरान कन्या विद्यालय हेतु

भूमि न० 409, रकबा 10 बिस्वा सुरक्षित की गयी थी जिसका आधा भाग खाली है। तथा आधे भाग पर राजकीय संस्था जच्चा बच्चा केन्द्र का कब्जा है। सहकारी समिति हेतु भूमि सं० 408 रकबा 15 बिस्वा भूमि आरक्षित की गई थी। इसके आधा भाग पर कन्या पाठशाला का भवन बना है तथा विद्यालय का कब्जा है। शेष आधे भाग के कुछ अंश पर पंचायत भवन बना है जो प्रधान के कब्जे में है। सम्प्रति सहकारी समिति का भाग गाटा नं० 378 रकबा 4 बिस्वा में बना है जो चकबन्दी के दौरान पंचायत भवन के नाम सुरक्षित किया गया था।

रजिस्ट्री विभाग, वाराणसी में लिपिकों एवं दूसरे पदों पर चयन एवं नियुक्तियाँ

14–श्री ऊदल–

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 6-12-82-को रजिस्ट्री विभाग, वाराणसी में लिपिकों एवं दूसरे पदों पर नियुक्ति की गयी है ? यदि हाँ तो कितने लोगों को चुना गया और चुनाव अधिकार कौन थे ? क्या यह सत्य है कि राम औतार जिला बांदा का पता वाराणसी का देकर रोल न० 246 इण्टरव्यू में चुन लिया गया है ? क्या यह भी सही है कि शशिकला नाम की लडकी जो मेरिट में थी उसको फेल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी नहीं, जी बल्कि नियमानुसार चयनोपरान्त जिला निबंधक, वाराणसी द्वारा दिनाँक 4–12–1982 को 6 अस्थाई निबंधन लिपिकों की नियुक्ति की गई है।

जी हाँ। यह सत्य है कि क्रमांक 246 पर अंकित श्री राम औतार अनुसूचित जाति अभ्यर्थी का जो जिला बांदा के मूल निवासी हैं तथा हाल निवासी वाराणसी हैं, चयन कर नियुक्ति जिला निबंधक द्वारा कर ली गई है।

कुमारी शशिकला का नाम मेरिट में सामान्य अभ्यर्थियों की सूची पर क्रम सं० 4 पर था। चूँकि सामान्य अभ्यर्थियों के लिये तीन ही पद थे, अतः कुमारी शशिकला का नाम प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया।

श्री अश्वनी कुमारी श्रीवास्तव–

अस्थाई निबंधन लिपिक वाराणसी द्वारा दिनांक 29 मार्च, 1983 को अपने पद से त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप हुयी रिक्त में कुमारी शशिकला जायसवाल को निबंधन लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

तहसील महाराजगंज के विभिन्नि विकास खण्डों में शीत लहरी में वितरित सामग्री का विवरण

15–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील महारागंज में विभिन्न विकास खण्डों में गत शीत लहरी में कितनी धनराशि का कौन-कौन सामान कब-कब बांटा गया ? क्या वितरण की सूचना संबंधित विधायकों को दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गोरखपुर जनपद की तहसील महराजगंज के विभिन्न विकास खड़ों में गत शीत लहरी में 2000 रु० के 36 कम्बल तथा 14,700 रु० के 350 खेस का वितरण माह जनवरी, 1983 में किया गया ।

उपरोक्त सामग्री के वितरण की सूचना संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा मा० विधायक को दिनांक 18-1-83 को मौखिक रुप से दी गई थी तथा माननीय विधायक द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार उनके समक्ष दिनांक 20-1-83 को उक्त सामग्री का वितरण किया गया था । उस समय तहसील के अन्य माननीय विधायकों के उपलब्ध न होने के कारण उन्हें वितरण के सबंध में सूचना नहीं दी जा सकी थी ।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम बन इमिलिया में हरिजनों को कथित आवंटित भूमि

16–श्री रामचरण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आम वन इमिलिया, तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में 1979 से 1982 तक कितने हरिजनों को भूमि आवंटित की गयी ? क्या उन्हें भूमि पर कब्जा दिला दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम बन इमिलिया, परगना भगवत तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में सन् 1979 से 1982 तक किसी भी व्यक्ति को कोई भूमि आवटित नहीं की गई है । उपलब्ध भूमि के पट्टे पहले ही करा दिये गये थे।

स्याना, बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर मार्ग से ग्राम थलइनातपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर व्यय

17–श्री छत्तर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना, बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर मार्ग से ग्राम थलइनातपुर के लिये जो सम्पर्क मार्ग गन्ना विकास ने बनाया था उसके कुल व्यय का 1/4 भाग किसानों से 5 रु. प्रति गाड़ी के रूप में वसूल कर लिया गया था ? यदि हां, तो वह अभी भी दिनांक 1-2-83 तक क्यों वसूला जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्ष 1978-79 में कराया गया था । इसके निर्माण पर कुल व्यय रु. 1,69,646.94 पै. किया गया था, जिसका 1/4 भाग रुपये 42,411.50 पैसे होता है । इसके विरुद्ध किसानों से 5/- प्रति गाड़ी के रूप में वर्ष 1980-81 तक केवल रु. 3,703.70 पैसे की कटौती की गयी थी । इसके बाद कोई कटौती नहीं की गयी है तथा वर्तमान में भी कोई कटौती नहीं की जा रही है ।

बलिया जनपद के गांव सभा खरुआंव में भूमि का आँवटन

18–श्री राम गोविन्द–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के तहसील रसड़ा के गांव सभा खरुआंव में दिनांक 28-3-80 को भूमि का आवंटन गलत तरीके से दूसरे गांव

के लोगों को कर दिया गया है तथा गरीब हरिजन जो इसी गांव के हैं उनको नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या गलत पट्टा को निरस्त करके उपयुक्त व्यक्तियों को जमीन दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री बैंजनाथ कुरील–

तहसील रसड़ा के ग्राम सभा खरुआंव में भूमि का आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 8-1-80 व परगनाधिकारी रसड़ा के अनुमोदन दिनाँक 18-4-80 के आधार पर किया गया है। इस आवंटन के निरस्त करने से सम्बन्धित व धारा 198 (4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी बलिया के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जिला पीलीभीत के सहकारी चीनी मिल बीसलपुर के अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्र

19–श्री तेज बहादुर गंगवार–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता सहकारी चीनी मिल बीसलपुर, जिला पीलीभीत के अन्तर्गत कितने गन्ना क्रय केन्द्र चल रहे हैं ? सत्र 1982-83 में कितने नए गन्ना क्रय केन्द्र खोले गए ? इन गन्ना क्रय केन्द्र की मिल गेट से कितनी दूरी है और केन्द्र खोलने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

पेराई सत्र 1982–83 में किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर जिला पीलीभीत के क्षेत्र में 10 गन्ना क्रय केन्द्र संचालित थे। वर्ष 1982–83 में सिमरा स्थान पर एक क्रय केन्द्र खोला गया जिसकी दूरी चीनी मिल गेट से 9.5 कि.मी. है। यह नया गन्ना क्रय केन्द्र टिकरी क्रय केन्द्र पर सम्बद्ध कुछ ग्रामों के कृषकों की मांग पर चीनी मिल की सहमति से खोला गया था।

श्री केहरी आदि जाटव निवासी, ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना, जिला मैनपुरी को भूमि के विक्रय की अनुमति

20–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कब बैनामा करने की अनुमति और कब तक के लिए दी ? क्या बैनामा अनुमति के समय के अन्दर करा लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

श्री केहरी आदि जाटव निवासी ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना तहसील जसराना जिला मैनपुरी को अपर जिलाधिकारी द्वारा उसकी प्रश्नगत भूमि के विक्रय की अनुमति दिनांक 19-10-77 को दी गयी जो 19-10-77 तक के लिए मान्य थी।

अनुमति पत्र में उल्लिखित भूमि में से 3.06 का बैनामा दिनांक 9-1-78 को 0.30 का बैनामा 10-1-78 को श्री ऐदल सिंह व मोहर सिंह के हक में किया गया जो निर्धारित

श्री बैजनाथ कुरील–

समय के बाद कराया गया है। समय के बाद बैनामा कराने का दायित्व विक्रेता का है। यद्यपि यह बैनामा अनुमति पत्र में उल्लिखित अवधि के बाद किया गया है परन्तु यह अवैध नहीं है क्योंकि अनुमति देने के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर किये गये बैनामे विधिक दृष्टि से सद्भावना के प्रतिकूल नहीं हैं।

जनपद गोरखपुर, ग्राम पुरषोत्तमपुर में सार्वजनिक मार्ग के अवरुद्ध होने के सन्दर्भ में पत्र

21–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज ग्राम पुरुषोत्तमपुर, डा० लक्ष्मीपुर में एक दंगा से सम्बन्धित सार्वजनिक मार्ग के अवरुद्ध होने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-8-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र ग्राम पुरुषोत्तमपुर, पोस्ट लक्ष्मीपुर एकदंगा, तहसील महाराजगंज में सार्वजनिक रास्ते के विवाद के सम्बन्ध में था। मौके पर जांच करके विवाद को समाप्त करा दिया गया है।

श्री फैलू, पुत्र मंहगू, मौहल्ला हुकुलगंज, वाराणसी का नाम बतौर सीरदार दर्ज होने का आदेश

22–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं० 1094/18, 1096/20, 1097/38 नाला, बंजर, गड्ढा, तालाब मु० खजुरी नई बस्ती, परगना शिवपुर, तहसील वाराणसी, जिला वाराणसी को ता० 7-1-70 को फैलू पुत्र मंहगू नि० हुकुलगंज वाराणसी को सीरदारी का अधिकार, किस अदालत, तहसीलदार वाराणसी तहसील या परगना हाकिम दक्षिणी, वाराणसी के यहां से दिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

प्रश्नगत नम्बरान 1094/0-14 डि० 1096/0-20 डि० 1097/0-38 डि० पर तत्कालीन सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आदेश दिनांक 7-1-70 द्वारा वाद सं. 150 में धारा 229 बी. उत्तर प्रदेश जमींनारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत श्री जग्गू का नाम खारिज करके फैलू पुत्र मंहगू राम मोहल्ला हुकुलगंज का नाम बतौर सीरदार दर्ज होने का आदेश हुआ है। गाटा नम्बर 1094 ग्राम खजुरी नाला पहले दर्ज था, जिस पर अदालत के आदेश से 1970 में नाम दर्ज हुआ। शेष दोनों नम्बरों पर 1359 फ० की खतौनी में 44 वर्ष की अवधि से जग्गू पुत्र शीतल का नाम जिमन 10 अ० में दर्ज था।

वाराणसी के हल्का लेखपाल श्री प्यारे लाल द्वारा कब्जे के इन्द्राज की जाँच

23–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्का लेखपाल प्यारे लाल, त० वाराणसी ने किस आधार पर नाला व पोखरा तथा बंजर की भूमि पर कब्जा लिखा है और 7-1-70 के पूर्व कितने वर्षों का कब्जा लिखा गया था ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर पूरी आख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम खजुरी के गाटा नं. 1094 पर 7-1-70 के पूर्व किसी व्यक्ति के पक्ष में कब्जे का इन्द्राज नहीं किया गया था । गाटा नम्बरान् 1096 व 1097 पर जग्गू का नाम जिम्मन 10 अ में 1359 फ. के पूर्व 44 वर्षों से दर्ज चला आ रहा था । जग्गू का इन्द्राज 7-1-70 के पूर्व तक बतौर काश्तकार चलता रहा है । केवल गाटा नम्बर 1096 पर 1371 फ. में मंहगू पुत्र गंगू तथा 1374 फ. में जित्तू व सीताराम का नाम खसरा के शिकमी कालम में दर्ज पाया जाता है । तत्कालीन हल्का लेखपाल श्री प्यारे लाल द्वारा उपरोक्त वर्णित इन्द्राज के अलावा कोई अन्य कब्जे का इन्द्राज नहीं किया गया है ।

यह उल्लेखनीय है कि श्री फैलू का नाम दर्ज किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 7-1-70 के विरुद्ध तजवीजासानी का प्रार्थना-पत्र स्टेट द्वारा दिनांक 18-6-81 की न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है । न्यायालय ने स्टेट के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 20-6-81 को यथास्थिति कायम रखने तथा निर्माण एवं स्थानान्तरण रोकने का आदेश दिया है जिसके विरुद्ध आयुक्त वाराणसी मण्डल के न्यायालय में निगरानी दाखिल की गयी है जो अभी विचाराधीन है । इस प्रकार स्टेट का तजवीजसानी का प्रार्थना-पत्र ही अभी विचाराधीन है । अतः ऐसी स्थिति में किसी और जांच का औचित्य नहीं है ।

श्री गंगा प्रसाद, प्रधान, का आपदा प्रभावित पात्र कवित्तयों को सहायता दिये जाने के संबंध में पत्र

24–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगें कि दिनाँक 1-2-83 को श्री गंगा प्रसाद प्रधान, ग्राम सभा मनीलाबाल विकास खंड़ राया, जिला मथुरा का अतिवृष्टि, अनावृष्टि व शीत लहर से पीड़ित लोगों की सहायता हेतु कोई प्रार्थनापत्र प्रश्नकर्ता की सिफारिश के साथ प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ, प्रश्नमत पत्र प्राप्त हुआ था, जो जिलाधिकारी मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ।

वर्ष 1982-83 में ग्राम मनीला वालू विकास खंड राया के 40 आपदा प्रभावित पात्र व्यक्तियों को 950/– रु० अहेतुक सहायता के रुप में वितरित किया गया । खरीफ

[श्री बैजनाथ कुरील]

1390 फसली (1982-83) में ग्राम मनीला बालू को 50 प्रतिशत से अधिक पहुंची क्षति के कारण मालगुजारी में छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है, तथा इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद की संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

ग्राम परसिया, जिला गोण्डा में मरघट की भूमि का निरस्त पट्टा

25–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के अता० प्र० सं० 27 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिस अधिकारी ने मरघट की भूमि का पट्टा अनियमित रूप से कर दिया था उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जब पट्टा किया गया था भूमि का उपयोग मरघट के रूप में नहीं किया जा रहा था। उस पर कतिपय लोगों ने अनधिकार कब्जा कर रखा था। उन्हें बेदखल करके तत्का, लीन शासनादेश के अन्तर्गत आसामी पट्टा किया गया था। बाद में शासनादेश परिवर्तित हुआ तब पट्टा निरस्त करके भूमि मरघट के रूप में अंकित कर दी गई। पट्टा किए जाने में किसी अधिकारी का दोष नहीं पाया गया।

निबन्धन विभाग में लिपिकों की उप निबंधकों के पदों पर प्रोन्नति तथा लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

26–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धन विभाग में लिपिकों से उप-निबन्धकों के पदों पर प्रोन्नति का क्या प्रतिशत आरक्षित है तथा इन प्रोन्नति पदों पर अंतिम चयन कब हुआ था था और भविष्य में चयन कब होगा ?

श्री ब्रह्मदत्त–

लिपिकीय संवर्ग के पदों से उप-निबन्धक के पदों पर प्रोन्नति के लिये 25 %. कोटा निर्धारित है। इन प्रोन्नति के पदों पर अन्तिम चयन वर्ष 1961 में हुआ था। अगला चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।

27–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उप-निबन्धक पदों के लिये संदर्भ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां। यह संदर्भ लोक सेवा आयोग को सर्वप्रथम दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 को भेजा गया था परन्तु इसमें प्रेषित विवरण को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संशोधित करने की आवश्यकता हुई जिसे अन्तिम रूप से संशोधित कर पुनः दिनांक 17-7-82 को भेज दिया गया है।

28–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

29–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश को बाढ़ राहत हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता

30–श्री भूधर नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश को बाढ़ राहत के लिये वर्ष 1982-83 में केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मिली और उनमें से कितना धन उपयोग में आया तथा कितना केन्द्र सरकार को (दिनांक 31-3-83 तक का ब्यौरा) वापस कर दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

उत्तर प्रदेश को बाढ़ राहत के लिये वर्ष 1982-83 में भारत सरकार से सभी विभागों के लिये कुल रु. 66.82 करोड़ की केन्द्रीय सहायता मिली तथा दिनांक 31-3-83 तक लगभग सम्पूर्ण केन्द्रीय सहायता का उपयोग कर लिया गया है। अत: केन्द्र सरकार को कोई धनराशि वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

31–श्री सरदार सिंह–

(3रे सोमवार में अतारान्कित प्रश्न संख्या-154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बांदा कलक्ट्रेट में चपरासियों की नियुक्ति की सूची तथा आरक्षण

32–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा कलेक्ट्रेट में सितम्बर, 1982 में चपरासियों की नियुक्ति हेतु कोई सूची बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या उसमें आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उस बनायी गयी सूची को जातिवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। बांदा कलेक्ट्रेट में सितम्बर, 1982 में तहसील बांदा में चपरासी पद के लिये अभ्यर्थियों की दो सूचियां चतुर्थ श्रेणी नियमावली 1979 के अन्तर्गत बनायी गयी हैं, एक नजारत अनुभाग के लिए तथा दूसरी संग्रह अनुभाग के लिये। सूचियों को बनाते समय आरक्षण नीति का पालन किया गया है। सूचियां जातिवार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 361 पर।)

गोपालपुर फार्म पर नीलाम की तिथि को बकाया की धनराशि तथा विधि एवं नियमों के अनुसार वसूली के आदेश

33–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 83 के 1ले शुक्रवार के अता. प्र. सं. 2 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गोपालपुर फार्म के ऊपर कितने रुपये का बकाया सन् 79 से लेकर 81 तक था और उसके पूर्व का कितना था ? नीलम की तिथि तक कितना था ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गोपालपुर फार्म के ऊपर वर्ष 1979 के पूर्व रुपया 1,60,128.04 की धनराशि बकाया थी । वर्ष 1979 से 1981 के बीच रु. 31,917-02 की धनराशि बकाया में और हो गयी । नीलाम की तिथि को बकाया की धनराशि रु. 1,92,045-06 थी ।

34–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के अता. प्र. सं. 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, वाराणसी मंडल के आदेश से नीलामी निरस्त कर दी गयी तो फार्म पर बकाया की वसूली करने के आदेश कब दिये गये ? क्या सरकार आयुक्त, वाराणसी के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

आयुक्त, वाराणसी मण्डल ने दिनांक 6 मई, 1982 के आदेश द्वारा गोपालपुर फार्म के सम्बन्ध में नीलाम की कार्यवाही निरस्त करते हुए सरकारी देयों की वसूली विधि एवं नियमों के अनुसार करने के आदेश दिये थे । इस आदेश के विरुद्ध माननीय अध्यक्ष राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 29-6-82 द्वारा नये सिरे से नीलामी की कार्यवाही अग्रिम आदेश तक स्थगित हैं । आयुक्त वाराणसी मण्डल के दिनांक 6 मई, 1982 के निर्णय की प्रति मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

गांव कठिरांव, जिला वाराणसी में मुसहर आबादी के लिए भूमि आरक्षित करने की मांग

35–श्री ऊदल–

प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्र के लिये निर्धारित अता. प्र. सं. 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कठियांव पं० पन्द्रह तह० व जिला वाराणसी की आराजी नं. 4202 में बीस नहीं 36 घर मुसहर आबादी हैं जो पुरानी आबादी 98 डि. है और आबादी प्रसार हेतु गाटा सं. 4202 में 1-74 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी बताया गया है तो क्या यह सत्य हैं कि उक्त 1.74 एकड़ को चकबन्दी क्रिया में मुसहरों के लिये आबादी आरक्षित नहीं लिखा गया हैं, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और जमीन मुसहर आबादी के लिये नाम दर्ज कर आरक्षित करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव नदोय, जिला वाराणसी की सड़क व प्राइमरी स्कूल की भूमि का दिया गया कथित पट्टा

36–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि गांव नदोय, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी की सड़क व प्राइमरी स्कूल को भूदान समिति ने किसी को पट्टा कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि मा० राजस्व मंत्री को दिनांक 30

जनवरी, 82 को एक प्रार्थना पत्र के साथ 12 विधायकों का पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त जमीन को छोड़वाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गांव नदोय, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी की सड़क व प्राइमरी स्कूल की कोई भूमि भूदान समिति द्वारा पट्टे पर नहीं उठाई गयी ।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन श्रेणी 1 व 2 में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को प्रोन्नति तथा स्थायीकरण की शर्तों में शिथिलता प्रदान किये जाने पर विचार

37–श्री ऊदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन सृजित श्रेणी प्रथम के पदों में से जो एक पद उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये आरक्षित था वह सामान्य से क्यों भरा गया जबकि श्रेणी 2 में अनुसूचित जाति का ज्येष्ठतम् अधिकारी विगत 9 वर्षों से कार्यरत था ? क्या अनुसूचित जाति के लिए श्रेणी 1 में होने वाली रिक्तियों में नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां । उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी का एक एक पद आरक्षित था। श्री राम नेवाज सरोज स्थाई सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी जो अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी थे, की उक्त पद पर नियुक्ति की गयी थी, किन्तु श्री सरोज द्वारा पद का कार्य भार ग्रहण न करने तथा विभागीय सेवा नियमावली में विहित शर्तों के अनुकूल अनुसूचित जाति का अन्य पात्र अभ्यर्थी विभाग में उपलब्ध न होने के कारण जनहित में सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति उक्त पद पर अस्थायी रूप से की गयी है । उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाला विभाग में विगत 9 वर्षों से अनुसूचित जाति का कोई श्रेणी 2 का जेष्ठतम् अधिकारी कार्यरत नहीं हैं । श्रेणी 1 में होने वाली रिक्तियों में नियुक्ति की व्यवस्था विचाराधीन है ।

38–श्री उदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन समय-समय पर ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों में से जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के पद पर की गई प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा क्यों नहीं किया जा रहा हैं, जबकि पर्याप्त संख्या में उपर्युक्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षक वर्ष 1976 से कार्यरत है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

समय-समय पर की गयी प्रोन्नतियों में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के संवर्ग में पात्र अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु यथेष्ठ संख्या में उपलब्ध नहीं पाए गये क्योंकि प्रश्नगत वर्ष 1976 से कार्यरत अनुसूचित जाति के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक अभी तक स्थायी नहीं हो पाये हैं। जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी पाए गए उनकी प्रोन्नति कर दी गई है ।

39–श्री ऊदल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विभागीय प्रोन्नति में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए सेवा नियमों में प्राविधिक स्थाईकरण की शर्तो के संबंध में उ० प्र० पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल नं० 3, लखनऊ द्वारा श्री राम नक्षत्र एवं अदर्स बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश तथा अन्य के क्लेम नं० 273 एफ 3/81 में दिनाँक 17-10-81 को लिए गए निर्णय के अनुसार शिथिलता प्रदान क्यों नहीं की जा रही है जबकि ऐसा न करने से आरक्षण का कोटा अपूर्ण रह रहा है तथा अनुसूचित जाति के उम्मोदवार पदोन्नति से वंचित रह रहे हैं?

श्री ब्रह्मदत्त–

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन श्रेणी 1 व 11 के पदों पर सेवा नियमों के अनुसार ही अधिकारियों की प्रोन्नति की जाती है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल नं० 3, लखनऊ द्वारा श्री राम नक्षत्र एवं अदर्स बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश तथा अन्य के क्लेम नम्बर 273 एफ० 3/81 में दिनाँक 17-10-83 को लिये गये निर्णय के अनुसार विभागीय प्रोन्नति में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सेवा नियमों में प्राविधिक स्थाईकरण की शर्तों की शिथिलता प्रदान किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विभाग के एक अधिकारी, जो अनुसूचित जाति के हैं, का एक प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें उपरोक्त मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करके पदोन्नति श्रेणी 1 के पद पर करने का अनुरोध किया गया है। सम्बन्धित अधिकारी का उक्त प्रत्यावेदन अभी शासन के विचाराधीन है।

गांव जोगियापुर, जिला वाराणसी में आवंटित भूमि में अनियमितता सम्बन्धी पत्र

40–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि मु० जगरांनी, मौजा अर्जुन गांव, जोगियापुर परगना कसवार राजा तहसील व जिला वाराणसी ने आवंटित भूमि नं० 31/1, 55/1, 20/1, 2/1, 2/4, 81/11, 148, 127/1 81/1, 81/10, 86/2 गांव जोगियापुर के बारे में मुख्य मंत्री को दिनांक 6-12-83 व माननीय राजस्व मंत्री को दिनांक 7-12 82 तथा चकबन्दी आयुक्त को दिनांक 7-12-82 व दिनांक 20-5-82 को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि आयुक्त, चकबन्दी, उ० प्र० ने बन्दोबस्त अधिकारी, वाराणसी का प्रार्थना पत्र उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया है? क्या सरकार वाराणसी के चकबन्दी अधिकारियों की जगह दूसरे उच्चाधिकारियों से जांच कराकर इन भूमिहीनों की रक्षा करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। पत्र दिनांक 7-12-82 प्राप्त हुआ। मु० जगरानी के प्रार्थना पत्र के अरोपों की जांच मुख्यालय पर नियुक्त संयुक्त संचालक चकवन्दी द्वारा करायी गयी।

आवंटित भूमि के संबंध में आवंटियों एवं श्री आर० एस० पान्डे के बीच स्वत्व से संबंधित विवाद है जो उप संचालक चकवन्दी के न्यायालय में विचाराधीन है। इसी कारण पट्टेदारों को चक नहीं दिया जा सका है और सक्षम अधिकारी द्वारा पट्टेदारों द्वारा दायर की गयी धारा 20 की चक आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं किया जा सका है।

ग्राम सरबतखानी व भैरवपुर, जिला वाराणसी के बीच सरहदी विवाद का निस्तारण एवं सीमांकन

41—श्री ऊदल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले शुक्र० के अता० प्र० सं० 48 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सरबतखानी व भैरवपुर, तह० ज्ञानपुर, वाराणसी का 1320 फ० का बन्दोबस्ती नक्शा अपने पुत्र के साथ दिनांक 13-4-82 को प्रश्नकर्त्ता ने राजस्व मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। ग्राम सरबतखानी व भैरवपुर तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के बीच उठे सरहदी विवाद का निस्तारण इन ग्रामों के पिछले बन्दोबस्ती नक्शा 1320 फ० के आधार पर दोनों ग्रामों के प्रधानों तथा भूमि प्रवन्धक समिति के सदस्यों एवं शोभनाथ पुत्र देवनन्दन की उपस्थिति में दिनांक 18-3-82 तथा 19-3-82 को चकबन्दी स्टाफ द्वारा कर दिया गया तथा दोनों ग्रामों की सरहद अलग अलग करके पत्थर गड़वा दिया गया था।

42—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सरवत खानी, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी की आराजी नं० 1639 का बन्दोवस्त 1320 फ० में रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सरबत खानी गांव की चकबन्दी में उक्त आ० नं० 1639 का रकबा कितना कायम किया गया है ? क्या सरकार इस सरहद को ठीक कराने हेतु जिलाधीश, वाराणसी को पैमाइश करने हेतु आदेश देगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम सरबतखानी परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर जनपद वाराणसी के पिछले बन्दोबन्त 1320 फ० में गाटा सं० 1639 का क्षेत्रफल 8 बीघा 17 विस्वा 17 धूर अंकित है। चकबंदी के दौरान उक्त गाटे का क्षेत्रफल 16 बीघा 15 विस्वांसी कायम किया गया था। सीमांकन विवाद निस्तारण के पश्चात् उक्त गाटे का रकबा संदर्भ संख्या 183 तारीख फैसला 23-12-82 में उप संचालक चकबन्दी वाराणसी द्वारा 8 बीघा 17 विस्वा 17 धूर कायम किया गया है। इसका सीमांकन जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश पर तहसील स्टाफ द्वारा दिनांक 28-4-83 को करा दिया गया है।

ग्राम करवदिया, जिला वाराणसी में चक निर्माण की कार्यवाही

43–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव करवदिया परगना के रामगौर तहसील चकिया, जिला वाराणसी की चकबन्दी करके धारा 23 का इंतखाव जुलाई, 1972 में तैयार करके (अभिलेख) किसानों को दे दिया गया था और चक भी पैमाइश करके किसानों को कब्जा दिया गया था ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम करवदिया परगना के रामगरौर तहसील चकिया जिला वाराणसी के चक निर्माण की कार्यवाही जनवरी,1972 के प्रथम सप्ताह में समाप्त की गयी थी और इस गाँव में धारा 20 का प्रकाशन दिनांक 22-1-72 में किया गया है। आकार पत्र 23 का उद्धहरण कृषकों के बीच 22 जनवरी, 1972 से पूर्व वितरित किया गया था। चकबन्दी अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दिनाँक 1-8-72 को प्रारम्भिक योजना पुष्टीकृत हुई तथा कृषकों को अपने-अपने चकों पर दिनांक 2-8-72 को पैमाइश करके कब्जा दिला दिया गया है।

गांव करवदिया जिला, वाराणसी में सही व फर्जी भूचित्रों संबधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

44–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव करवदिया परगना के रामगरौर तहसील चकिया, वाराणसी के धारा 23 के अभिलेख व धारा 23 के भूचित्र को सन् 72 के बाद ही बदल दिया गया और पुराना अभिलेख व भूचित्र निकाल कर नया भूचित्र धारा 23 का और नया अभिलेख तैयार कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या प्रश्नकर्ता ने दिनांक 17-2-83 को राजस्व मंत्री को सही व फर्जी भूचित्रों के साथ एक पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम करवदिया परगना के राम गरौर तहसील चकिया जिला वाराणसी के धारा 23 के अभिलेख कभी भी नहीं बदले गये।

पुष्टीकृत भूचित्र वर्ष 1975 में गायब हुआ था जिसे आकार पत्र 23 के आधार पर तैयार करा दिया गया तथा उसी के आधार पर आगामी चकबन्दी क्रियायें पूर्ण की गयी और ग्राम में धारा 52 (1) की विज्ञाप्ति दिनाँक 27-11-82 को हो चुकी है। गायबगुदा भूचित्र दिनांक 13-4-83 को दशरत सिंह प्रधान से दिनांक 13-4-83 को मिल गया है। दोनों भूचित्रों में विशेष अन्तर नहीं है।

गाँव करवदिया परगना के रामगरौर तहसील चकिया जिला वाराणसी के ग्राम प्रधान आदि का राजस्व मंत्री को सम्बोधित शिकायती पत्र दिनांक 16-2-33 प्राप्त हुआ था। इसकी जाँच श्री जे० के० सिंघल, संयुक्त संचालक चकबंदी, मुख्यालय द्वारा की गयी। उन की जाँच आख्या दिनांक 20-5-33 में स्पष्ट विन्दुओं के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई कुछ विन्दुओं पर आख्या स्पष्ट नहीं पाई गई जिसकी सूचना

बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी वाराणसी (पूर्वी) से माँगी गई हैं। जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

गांव हिम्मतपुर बगुचिया चक न० 91 से श्री बिसमिल्ला व उसके लड़कों का नाम दर्ज न होना, चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की फोटो स्टेट कापी, धारा 52 के प्रकाशन के पूर्व अमलदरामद न करने वाले दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही

45—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र के दूसरे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 41 के उत्तर के सदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि चकबन्दी अधिकारी, ज्ञानपुर श्री के० पी० सिंह के निर्णय गाँव हिम्मतपुर बगुचिया परगना भदोही तहसील ज्ञानपुर वाराणसी के चक नं० 91 रकबा 3-18-15 से बुधिराम का नाम बैनामे के आधार पर काट कर बिसमिल्ला व उसके लडकों का नाम 29-12-69 के फैसलें के बाद चकबन्दी विभाग ने बिसमिल्ला वगैरह का नाम क्यों नहीं चढ़ाया ? क्या उसके बाद धारा 52 का प्रकाशन गाँव हिम्मतपुर बगुचिया का हो गया उसमें भी परिवर्तन चकबन्दी विभाग ने क्यों नहीं किया ? क्या यह सही है कि फाइल सं० 324/69 की अपील एस०ओ०सी० ज्ञानपुर व ए०डी०डी०सी०के यहाँ बिसमिल्ला वगैरह ने दाखिल खारिज करने को किया था इसकी जाँच की गयी कि नहीं। यदि नहीं की गयी तो क्यों ? क्या सरकार सी० आई० डी० से सभी प्रकार की जाँच करायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री के० पी० सिंह चकबन्दी अधिकारी ज्ञानपुर के फैसला 29-12-69 ग्राम हिम्मत पुर बगुचिया जिसके द्वारा चक संख्या 91 रकवा 3 बीघा, 18 बिस्वा, 15 धूर से बुद्धिराम का नाम खारिज करके बिसमिल्ला व उसके लडकों का नाम दर्ज होना था का अमलदरामद चकबन्दी के अभिलेखों में कर्मचारियों की असावधानी के कारण नहीं हो सका। इसके लिये दोषी कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है। ग्राम हिम्मतपुर बगुचिया का धारा 52 के अर्न्तगत प्रख्यापन हेतु संस्तुति निदेशालय के पत्र संख्या 2238/जी०-244/63 दिनाँक 2-5-77 द्वारा राजकीय प्रेस को भेजी गयी। धारा 52 की प्रस्तावित प्रख्यापन के समय भी यह मामला प्रकाश में नहीं आया। इसलिए इसका अमलदरामद नहीं हुआ। चकबन्दी अधिकारी के बाद संख्या 324/69 तारीख फैसला 29-12-69 की कथित अपील सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी के यहाँ थी जिसे दिनाँक 26—11—70 को खारिज कर दिया गया। परगनाधिकारी ज्ञानपुर ने वाद संख्या 288/82 धारा 33/39 भू राजस्व अधिनियम में दिये गये निर्णय दिनाँक 28—1—83 में बिसमिल्ला द्वारा अपील दाखिल किया गया नहीं माना। परगनाधिकारी के 28—1—83 के निर्णय के विरुद्ध आयुक्त वाराणसी मण्डल के न्यायालय में निगरानी विचाराधीन है। ज्ञानपुर में ए०डी०डी०सी०का न्यायालय स्थापित नहीं था। डी०डी०सी० के न्यायालय में एस०ओ०सी० ज्ञानपुर के आदेश के विरुद्ध बिसमिल्ला वगैरह ने कोई निगरानी दाखिल खारिज के लिये नहीं किया था। सी०आई०डी० जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

46–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे शुक्र० के अता० प्र० सं० 35 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रावली संख्या 324/69 गांव हिम्मतपुर बगुचिया परगना भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी की पत्रावली में कथित चकबन्दी अधिकारी का आदेश 29-12-69 पत्रावली में उपलब्ध आदेश से भिन्न है? यदि हां, तो परगना अधिकारी, ज्ञानपुर, वाराणसी से किस सत्यता की जांच करायी गयी ? क्या परगनाधीश के निर्णय दिनांक 29-1-83 की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

चकबंदी अधिकारी ज्ञानपुर जिला वाराणसी द्वारा मु० न० 324/69 में दिये गये आदेश दिनांक 29-12-69 पत्रावली में उपलब्ध आदेश से भिन्न है या नहीं इसका परीक्षण परगना अधिकारी ज्ञानपुर ने मु० नं० 228/82 अंतर्गत धारा 39/39 एल० आर० ऐक्ट में की और अपने निर्णय दिनांक 28-1-83 में पत्रावली में उपलब्ध आदेश दिनांक 29-12-69 जिसके द्वारा बुद्धिराम वगैरा का नाम खारिज होकर बिसमिल्ला वगैरा का नाम दर्ज हुआ है, को वास्तविक आदेश माना है। परगनाधिकारी के उक्त आदेश की प्रति †संलग्न है।

47–श्री ऊदल–

अता० प्र० सं० 35 दिनांक 25-2-83 के उत्तर के सदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 25 फरवरी, 82 को मा. राजस्व मंत्री को 324/69 की पत्रावली का बदला आदेश तथा पहले सी. ओ. का फैसला एवं स. ओ. सी. एवं ए. डी. डी. सी. के फैसले की फोटो स्टेट कापी पत्र के साथ दिया था ? यदि हां, तो उसका मिलान परगनाधिकारी ज्ञानपुर ने किया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

माननीय सदस्य का 26 फरवरी (25 फरवरी नहीं) 1982 का पत्र प्राप्त हुआ परन्तु उक्त पत्र के साथ किसी फैसले की फोटोस्टैट कापियां नहीं प्राप्त हुई थी। परगना अधिकारी ज्ञानपुर ने वाद संख्या 228/82 धारा 33/39 फैसला दिनांक 28-1-83 में लाल-बहादुर आदि द्वारा प्रस्तुत चकबन्दी अधिकारी के आदेश की फोटोस्टैट कापी का उल्लेख किया है इससे स्पष्ट है कि परगनाधिकारी ने चकबन्दी अधिकारी के आदेश की फोटोस्टैट कापी का मिलान किया था । परगना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध निगरानी आयुक्त वाराणसी मण्डल के न्यायालय में विचाराधीन है।

48–श्री ऊदल–

विधान सभा के 1983 के 2रे शुक्र. के अता. प्र. सं. 41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हिम्मतपुर बगुचिया प. भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी में चक नं. 91, 3.18-15 से जिसका फैसला 29-12-69 को सी. ओ. ज्ञानपुर श्री के. पी. सिंह ने किया था और 10 वर्ष बाद उसका दाखिल खारिज बिसमिल्ला वगैरह के नाम धारा 52 होने पर कैसे चढ़ाया गया जबकि सरकार का कहना है कि पत्रावली संख्या 324/69 में फैसला था तो उस वक्त न नाम चढ़ाने का कारण क्या है?

(† छापी नहीं गयी)

श्री बैजनाथ कुरील–

यह बात सही है कि गांव हिम्मतपुर बगुचिया प. भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी के चक संख्या 91 रकबा 3-18-15 के सम्बन्ध में श्री के. पी. सिंह चकबन्दी अधिकारी ने 29-12-69 को फैसला वाद संख्या 324/69 में किया था जिसका अमलदरामद धारा 52 की विज्ञप्ति जारी होने के बाद वर्ष 1978 में किया गया । धारा 52 के पूर्व अलदरामद न करने के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । धारा 52 की विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व पारित आदेशों के यदि अमलदरामद होने से रह जाते हैं तो ऐसे आदेशों के अमलदरामद धारा 52 की विज्ञप्ति के बाद भी चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (2) के साथ पठित नियम 109 अ के अनुसार किये जाते हैं ।

वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी में प्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति तथा वेतन

49–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी तहसील जिला वाराणसी में प्रशिक्षित लेखपालों की रेगुलर नियुक्ति अप्रैल, 1982 से की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि नवम्बर, 82 के कई लेखपालों को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में लेखपालों ने जिलाधीश वाराणसी को सन् 82 में तथा फरवरी, 83 तक कई प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां ।

नवम्बर 1982 से कई प्रशिक्षित लेखपालों को वेतन नहीं दिया जा रहा हैं क्योंकि यह सेवा में नहीं हैं । इन प्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति कई अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवा समाप्ति के फलस्वरूप की गई थी और सेवा से निकाले गये अप्रशिक्षित लेखपालों द्वारा उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया जिसके कारण निकाले गये अप्रशिक्षित लेखपालों को पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया और इनके स्थान पर नियुक्त किये प्रशिक्षित लेखपालों को सेवा से पृथक कर दिया गया ।

इस सम्बन्ध में लेखपालों द्वारा दिनांक 6-1-83, 22-3-83 तथा 13-4-83 को जिलाधिकारी वाराणसी को प्रार्थनापत्र दिये गये थे परन्तु उनकी सेवायें समाप्त कर दिये जाने के कारण उनके प्रार्थनापत्र निराधार पाये गये ।

ग्राम घोड़वल, जिला फैजाबाद में भूखण्ड संख्या 875 पर अवैध रूप से मन्दिर का निर्माण के मुकदमें पर कार्यवाही

50–श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री दामोदर शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री वैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री तपेश्वर राम, डा. बृज किशोर मिश्रा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें शुक्र. के अता. प्र. सं. 26 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि भूखंड सं. 875 पर हनुमान जी का मन्दिर बना हुआ है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार उक्त भूखंड को मन्दिर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम घोड़वल तहसील वीकापुर जिला फैजावाद के भूखंड संख्या 875 क्षेत्रफल 1-4-0 पर हनुमान जी का मन्दिर नहीं बना है वल्कि इस भूखंड के 0-5-10 क्षेत्रफल पर श्री राम जग मिश्र पुत्र श्री तुलसी राम मिश्र निवासी मेवापुर मु. देवगांव ने अवैध रूप से हनुमान जी की मूर्ति रखकर मन्दिर के लिए दीवाल वना लिया है तथा पूजा पाठ करने के लिए एक छप्पर रखा है। ऐसी दशा में अवैध कब्जा के आधार पर यू. पी. जमींदारी एवालिशन एण्ड लैण्ड रिफार्म एक्ट-1950 की धारा 122 वी (1) के अन्तर्गत उक्त भूखंड को मन्दिर के नाम दर्ज किये जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

51–श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री दामोदर शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री वैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री तपेश्वर राम, डा. बृज किशोर मिश्रा।

उक्त संदर्भ में क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि वह व्यक्ति जिस पर मुकदमा कायम किया गया है, न तो उक्त जमीन को जोतता बोता है और न ही कोई व्यक्तिगत फायदा ही लेता है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार उक्त व्यक्ति पर चलाये जा रहे मुकदमें को वापस लेने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

उक्त व्यक्ति प्रश्नगत भूमि को जोतता बोता तो नहीं है परन्तु उक्त भूखण्ड पर आवास व मन्दिर का निर्माण अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कर रहा है। इस कारण उनके विरूद्ध धारा 122 वी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। ऐसी दशा में मुकदमा वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

वड़हलगंज में गन्ना समिति खोलने का निर्णय

52–श्री केदारनाथ सिंह–

प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्रवार को उत्तरित ता. प्र. स. 16 के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि क्या वड़हलगंज में गन्ना समिति खोलने का निर्णय ले लिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त संदर्भित समिति का कार्यालय कहाँ खोला जायेंगे तथा उसके सम्पूर्ण क्षेत्र किन-किन जनपदों के कौन-कौन विकास खण्ड लिये गये हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी नहीं।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है।

बांसगांव तहसील के अन्य विकास खंडों को गन्ना समिति में लिए जाने की मांग

53–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बाँसगांव तहसील के अन्य छूटे हुये ब्लाक जो गोरखपुर चीनी मिलों के और दूसरी चीनी मिलों के बीच में स्थिति हैं को किसी गन्ना समिति में न लिए जाने का क्या औचित्य है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

बाँसगांव तहसील के आठ विकास खंडों में से तीन विकास खण्ड बड़हलगंज, गगहा तथा गोला को दि किसान सहकारी चीनी मिल घोसी आजमगढ़ के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। शेष पांच विकास खण्डों में गन्ने के क्षेत्रफल तथा चीनी मिलों को उक्त गन्ने के उपलब्ध कराये जाने के साधन, सम्बन्धी स्थिति का परीक्षण करके ही निर्णय लेना सम्भव हो सकेगा।

तहसील बांसगांव में गन्ना समिति की स्थापना

54–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या गोरखपुर के चीनी मिलों तथा सहकारी चीनी मिल, घोसी के बीच पड़ने वाली एकमात्र तहसील बाँसगाँव में गन्ना क्षेत्र बढ़ाने के अभिप्राय से पूरे तहसील को गन्ना समिति न लेकर उक्त तहसील में अलग से गन्ना समिति की स्थापना करना उचित नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

गन्ना समितियों की स्थापना तहसील के आधार पर न करके गन्ने के क्षेत्रफल, गन्ना उत्पादन, चीनी मिलों को उक्त गन्ने की पूर्ति की सुविधा, आदि विन्दुओं को ध्यान में रख कर दिया जाता है। उक्त के आधार पर तहसील बांसगांव में अलग से गन्ना समिति की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

जनपद फैजाबाद, ग्राम वड्डूपुर निवासी श्री रामलखन के मकान में अग्निकाण्ड तथा अहेतुक सहायता

55–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में तहसील टांडा के अन्तर्गत ग्राम निवासी श्री राम लखन के मकान में अग्निकाण्ड से दिनाँक 23-9-82 को हजारों रुपये की सम्पत्ति जल कर नष्ट हुई, जिसके सम्बन्ध में श्री राम लखन द्वारा दि० 30-9-82 को जांचोपरान्त उचित कार्यवाही हेतु तहसीलदार टांडा को लिखित आवेदन-पत्र दिया गया ? तथा उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच सम्बन्धित सर्किल लेखपाल द्वारा की गयी ? तथा तहसीलदार टांडा द्वारा दिनांक 1-10-82 को चालान नं० 558 द्वारा रिपोर्ट अतिरिक्त जिलाधिकारी फैजाबाद को दी गयी ? तथा पुन: 7-1-83 को चालान नं० 708 द्वारा तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त जिलाधिकारी को भेजी गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ? और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद फैजाबाद की तहसील टांडा के ग्राम वड्डूपुर के निवासी श्री राम लखन के मकान में दिनाँक 23-9-82 को आग लगी थी और उन्होंने तहसीलदार, टांडा को इस संबंध में आवेदन पत्र दिया था तथा संबंधित लेखपाल द्वारा भी इस अग्निकांड की सूचना तहसील में दी गई थी। तहसीलदार टांडा ने जांचोपरान्त दिनाँक 1-10-82 को अपर जिलाधिकारी फैजाबाद को रिपोर्ट भेजी जिसमें 200 रु० अहेतुक सहायता दिये जाने की संस्तुति

[श्री बैजनाथ कुरील]

की थी और तत्पश्चात दिनाँक 7-1-83 को तहसीलदार द्वारा अनुस्मरण भी कराया गया था । परगनाधिकारी को जो 200/ रु० तक ही अहेतुक सहायता देने के लिए सक्षम है, इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसील टांडा द्वारा श्री राम लखन को 200 रु० की अहेतुक सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

श्रीमती प्रभूदेई, ग्राम निवासी तरौली, फैजाबाद के नाम ग्राम के अभिलेखों में अमलदरामदगी

56–श्री गोपी नाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्रवार अता० प्र० सं० 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया वतायेंगे कि प्रश्नगत भूमि श्रीमती प्रभूदेई, ग्राम निवसी तरौली, मुबारकपुर, जहांगीरगंज, टांडा, फैजाबाद के नाम बदस्तूर कायम रहने का आदेश पारित किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अमल-दरामद कर दिया गया ? यदि हां, तो अमल-दरामद किये जाने की तिथि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ । अमलदरामद दिनाँक 15-12-82 को संबंधित ग्राम के अभिलेखों में किया जा चुका है ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में बाढ़ तथा जलभराव से क्षति, भू-राजस्व में छूट

57–श्री गोपीनाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्रवार के अता० प्रं० सं० 18 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित मामले में ग्राम तरौली मुबारक पुर भाभा वर्गों निजामपुर, टांडा, फैजाबाद की मालगुजारी छूट प्रस्ताव में कितने किसान सम्मिलित हैं ? और क्या सम्बन्धित किसानों को लगान में छूट दिए जाने की सूचना लिखित रूप से दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद फैजाबाद की तहसील टांडा के अन्तर्गत ग्राम तरौली मुबारकपुर में भू-राजस्व दाता के 84 खातेदार हैं । उक्त ग्राम में बाढ़, तथा जलभराव से 5० प्रतिशत से अधिक क्षति होने के कारण भू-राजस्व में मु० 286-95 रु० की छूट देने हेतु अंतिम प्रस्ताव राजस्व परिषद के माध्यम से शासन को भेजा गया है छूट प्रस्ताव अभी तक राजस्व परिषद की संस्तुति के साथ शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

ग्राम माझां वर्गी निजामपुर में कुल 18 किसान खातेदार हैं जो सवा तीन एकड़ से कम भूमि होने तथा कृषि आवंटन द्वारा पट्टे पर भूमि प्राप्त करने के कारण लगान से मुक्त हैं । अत: इस ग्राम में लगान में छूट दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

ग्राम तरौली मुबारकपुर में छूट के उक्त प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृत के पश्चात ही प्रभावित किसानों को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा ।

ग्राम मारीडीहा, जगन्नाथपुर जिला फैजाबाद में बाढ़ के दौरान कृषकों को छूट का प्रस्ताव

58–श्री गोपीनाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्रवार के अतां० प्र० सं० 21 के उत्तर के सदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मारीडीहा, जगन्नाथपुर टांडा, फैजाबाद के किसानों को प्रश्नगत मामले में नियमानुसार छूट प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो तैयार प्रस्ताव में सरकार कौन सी छूट दिए जाने पर विचार कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। तैयार किये गये प्रश्नगत छूट प्रस्ताव में खरीफ 1390 फसली में प्रभावित किसानों को भू-राजस्व में छूट दिये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व परिषद के माध्यम से शासन को दी गई है। राजस्व परिषद से संस्तुति प्राप्त होने पर छूट प्रस्ताव पर शासन विचार करेगा।

ग्राम मांझा डुहिया में बाढ़/जलभराव से प्रभावित कृषकों को छूट दिये जाने का प्रस्ताव

59–श्री बैजनाथ कुरील–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्रवार के अतां० प्र० सं० 62 के उत्तर के सदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मांझा ग्राम डुहिया प० व तह० टांडा, फैजाबाद के बाढ़ से प्रभावित किसानों को छूट दिए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है ? तैयार प्रस्ताव में सम्बन्धित किसानों को सरकार कौन सी छूट देने पर विचार कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां, जिला फैजाबाद की तहसील टांडा के ग्राम माझां डुहिया के बाढ़ जल-भराव से प्रभावित किसानों को भू-राजस्व में छूट देने का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा तैयार किया गया है राजस्व परिषद की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा भू-राजस्व में नियमानुसार छूट प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किया जायेगा।

वित्त विभाग, सचिवालय में सेवा निवृत होने वाले अधिकारियों की सेवा अवधि का कथित विस्तार

60–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्त विभाग, उ० प्र० सचिवालय में कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वर्ष 1979-80 में सेवा निवृत्त होने वाले थे और उनके कार्य-काल की अवधि बढ़ा दी गयी है ? प्रश्नगत अधिकारियों के कार्यकाल की अवधि बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

श्री बह्मदत्त–

वित्त विभाग के किसी भी अधिकारी को वर्ष 1979-80 में सेवा निवृति की तिथि के पश्चात् सेवा विस्तरण नहीं दिया गया।

ग्राम चन्दन महमूदपुर, सीतापुर के मकानों को अग्निकांड से क्षति तथा अहेतुक सहायता

61–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में थाना बिसवां के अन्तर्गत माह फरवरी, 1983 में अग्निकाडों में ग्राम चन्दन महमूदपुर में 35 मकानों के जलने तथा 93 हजार रुपये की क्षति तथा ग्राम पलहरी थाना रेउसा के अन्तर्गत 50 मकान जलने तथा 1 लाख 10 हजार रुपए की क्षति हुई है ? यदि हां, तो कुल कितने परिवार प्रभावित हुए ? अग्निकाण्डों से प्रभावित परिवारों को सरकार ने अब तक कुल कितनी धनराशि सहायता के रूप में वितरित की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां । माह फरवरी में जनपद सीतापुर में थाना बिसवां के अन्तर्गत ग्राम चन्दन महमूदपुर के 34 परिवारों के 34 मकानों को अग्निकांड से मु० 69,220 रु० की अनुमानित क्षति हुई थी, इस में से 20 पात्र व्यक्तियों को रु० 50/- की प्रति परिवार की दर से कुल रु० 1000/ अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया था । ग्राम पल्हरी के 55 परिवारों के 55 मकानों को अग्निकांड से मु० 2, 60, 480 की अनुमानित क्षति हुई थी । 20 पात्र व्यक्तियों को रु० 200/- प्रति परिवार की दर से कुल रु० 4000/ अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया था । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

सचिवालय, वित्त विभाग के कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम दिये जाने का आधार

62–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सचिवालय के वित्त विभाग के कितने कर्मचारियों ने वर्ष 1980 से दिसम्बर, 1982 तक भवन निर्माण अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र दिया और कितने कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया है ? इसका क्या आधार है ? जिन कर्मचारियों को भवन अग्रिम नहीं दिया गया है, क्या मन्त्री जी उनको भवन अग्रिम देने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग के 63 कर्मचारियों के भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत अग्रिम स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1982 की अवधि में प्राप्त हुये, जिनमें से 30 कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

जिन कर्मचारियों के मामलों में औपचारिकतायें पूरी हो गयी थी एवं जो अग्रिम के लिये पात्र थे अथवा जिनके मामलों में विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित प्राथमिकताओं से शिथिलीकरण प्रदान किये जाने का औचित्य था, उन्हें अग्रिम स्वीकृत किये गये हैं ।

अन्य कर्मचारियों के मामलों में औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में अथवा किन्हीं, प्रकरण विशेष में उनकी विशिष्ट परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर निर्धारित

प्राथमिकताओं में शिथिलीकरण का पर्याप्त औचित्य पाये जाने पर अग्रिम स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद मथुरा में सूखे एवं बाढ़ पीड़ित किसानों को सरकारी देयों की वसूली में छूट

63–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी मथुरा जनपद में सूखे एवं बाढ़ पीड़ित किसानों पर सरकारी देयों की वसूली में प्रशासन उत्पीड़क कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

वर्ष 1982-83 में मथुरा जनपद में बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं रहा । केवल भारी वर्षा से 243 ग्रामों में जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । इसी प्रकार कुछ समय अनावृष्टि से 423 ग्रामों में सूखा का प्रभाव रहा । शासकीय आदेशानुसार प्रभावित ग्रामों में समस्त कृषि देयों की वसूली मार्च, 1983 तक स्थापित रखी गई थी और सरकारी देयों की वसूली में कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की गई । 31-3-83 के पश्चात सरकारी देयों की वसूली नियमानुसार की जा रही है ।

कार्यालय उप निबंधक, कन्नौज में चपरासी श्री जयराम के वेतन से गबन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

64–66–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

प्रथम सत्र 83 के (पांचवें शुक्रवार) के अतां० प्र० सं० 112 के उत्तर के सदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जयराम, चपरासी, कार्यालय उप निबन्धन, कन्नौज के दि० 1-3-80 से 15-5-80 की अवधि में कार्य करने अथवा न करने के बारे में तत्कालीन जिला निबन्धक, फर्रुखाबाद ने उप निबन्धक, कन्नौज से जो जानकारी मांगी थी, उस पर उप निबन्धक कन्नौज ने क्या जवाब दिया ? क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किन नियमों के अन्तर्गत श्री जयराम, चपरासी की उक्त अवधि में जहां रजिस्टर हाजिरी में 'सीज' लिखा है और 'लाल स्याही से लाइन खिची गयी है' को प्रश्न सं० 112 के जवाब को दिखा करके सदन को गुमराह किया है ? इस प्रकार रजिस्टर हाजिरी को सदन में प्रस्तुत करके सही तस्वीर पेश होने पर वेतन के गबन करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सरकार कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक कार्यालय, कन्नौज फर्रुखाबाद के कार्यालय में कार्यरत पानी पिलाने वाले (श्री कृष्ण) जो 1958 से वहां कार्य कर रहा है, से चपरासी के सभी कार्य जैसे ट्रेजरी से पैसे लाना, पैसे जमा कराना आदि कार्य उप निबन्धक द्वारा लिए जाते रहे हैं परन्तु जब भी वहां पर चपरासी की रिक्त जगहें भरी गयीं उसको न लेकर नए लोगों को भर्ती कर लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रहमदत्त–

वाँछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तान पुर में तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी एवं उपसंचालक चकबन्दी न्यायालय के मिसिल बन्द रजिस्टर उपलब्ध न होना

67–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के अतां० प्र० सं० 113 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर तह० मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप सहायक चकबन्दी न्यायालय के मिसिल बन्द रस्जिटर उपलब्ध न होने का क्या कारण है तथा उपलब्ध कराने का क्या प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में तत्कालीन बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी न्यायालय के मिसिल-बन्द रजिस्टर को राजस्व अभिलेखागार में दाखिल होना नहीं पाया जाता । दाखिल न होने का कारण बताना संभव नहीं है क्योंकि पुरानी चकबन्दी समाप्त हुये 26 वर्ष व्यतीत हो गये हैं । जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी एवं जिला उप संचालक चकबंदी के अहलमद सेवा निवृत हो चुके हैं । पुरानी चकबन्दी में कार्यरत कुछ कर्मचारियों से पूछताँछ की गयी जिनको इस संबन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

जिला फर्रूखाबाद के कतिपय ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने की संस्तुति

68–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की तहसील सदर के ग्राम डबरी, सलेम पुर बिरसिंहपुर कोला सोता एवं रामपुर जोगराजपुर में चक-बन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने की संस्तुति एस०ओ०सी०फतेहगढ़ में सितम्बर, अक्तूबर 1981 में शासन को भेज दी थी ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है तथा कब तक इन ग्रामों में चकबन्दी प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ । जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1981-82 व 1982 - 83 में कोई चकबंदी प्रसार कार्यक्रम नहीं था इसीलिये उक्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । वर्ष 1933-84 में जनपद फर्रुखाबाद में चकबन्दी प्रसार कार्यक्रम तैयार किया गया । जिला अधिकारी के उक्त प्रस्ताव के अनुसार चकबन्दी प्रक्रियायें प्रारम्भ कराने हेतु जो चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 18 अगस्त, 1983 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा चुकी है ।

ग्राम खम्हरिया, जिला गोंडा में हरिजनों के नाम आवंटित भूमि तथा शेष भूमि पर श्री राजकरन का अवैध कब्जा

69–श्री बाबूराम–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्रवार के अतां. प्र. सं. 107 एवं 108 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार भूमि आवंटित हरिजनों के नाम बताएगी तथा क्या उन्हें कब्जा दिलाया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण है और इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

श्री वैजनाथ कुरील–

संदर्भिति अता. प्र. सं. 107 एवं 108 से अंकित भूखण्ड संख्या 446 से सर्वश्री पाटन, करिया, जगप्रसाद तथा ग्वाले को भूमि आवंटित की गई थी और 11-12 82 को कब्जा दिला दिया गया । अत: प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

70–श्री बाबूराम–

उक्त सन्दर्भ में क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या आवंटित भूमि के बाद की बची हुई भूमि 0-9 डिसमिल पर श्री राजकरन पुत्र श्री बलदेव निवासी खम्हरिया हरवंश तहसील सदर, जिला गोण्डा की ट्यूबवेल लगी हुई है तथा अवैध कमरा भी बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध कब्जे को हटवायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वैजनाथ कुरील–

उक्त संदर्भित भूखण्ड से आवंटन के बाद केवल 0-2 एकड़ भूमि ही बची थी जिस पर श्री राजकरन का ट्यूबवेल या कमरा नहीं बना है । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों में बाढ़ का प्रकोप तथा अहेतुक सहायता

71–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82 में आजमगढ़ के घोसी तहसील के ग्राम सूरजपुर रसूलपुर इनामुद्दीनपुर, गौरीडीह बेलाकी सोनवर्षा रामपुर कमना में बाढ़ का प्रकोप जोरों पर था ? यदि हां, तो उक्त गांवों की अहेतुक सहायता देने के लिए परगनाधिकारी, घोसी को प्रश्नकर्ता से कोई सुझाव मिले थे ? उक्त बाढ़ पीड़ितों को क्या-क्या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

वर्ष 1982 में आजमगढ़ जनपद की तहसील घोसी के ग्राम रामपुर कमना को छोड़ कर शेष सभी प्रश्नगत ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए थे प्रभावित ग्रामों में अहेतुक सहायता के वितरण के संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता विधायक का कोई सुझाव परगनाधिकारी घोसी को नहीं प्राप्त हुआ था । बाढ़ के समय बचाव राहत कार्य हेतु आवश्यकतानुसार नावें लगा दी गयी थी तथा बाढ़ प्रभावित ग्रामों में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को 10 किलो-ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह की दर से गेहूं वितरित किया गया ।

श्री अब्दुल शकूर खाँ, निवासी ग्राम दौलतपुर निसूरा, जिला सुल्तानपुर की निष्क्रांत घोषित सम्पति का इन्द्रराज न होना

72–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पांचवें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 20, 22, 23 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब्दुल शकूर खां की भू-समन्वित किस तारीख को निष्क्रांति सम्पत्ति घोषित की गयी है तथा सम्बन्धित खाता खतौनी एवं खसरे में इसका इन्दराज न किये जाने का क्या कारण है ? उपरोक्त निष्क्रांति सम्पत्ति होने के बाद से किसके कब्जे में है और इसका आधार क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

श्री अब्दुल शकूर खां पुत्र श्री अब्दुल गफूर खां, निवासी ग्राम दौलतपुर निसूरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुलतानपुर सन् 1955 के पूर्व पाकिस्तान चले गये थे, जिसके फलस्वरूप उनकी भू-सम्पत्ति को निष्क्रांत सम्पत्ति में घोषित किये जाने की कार्यवाही दिनांक 10-6-1955 को पूरी हुई थी। केन्द्र सरकार के पूर्ति एवं पुनर्वासन मंत्रालय से प्राप्त संलग्नक 'ए' के रजिस्टर में श्री अब्दुल शकूर खां पुत्र श्री अब्दुल गफूर खां की भू-सम्पत्ति अर्जित निष्क्रांत सम्पत्ति अंकित की गयी है परन्तु इसके निस्तारण का उल्लेख उक्त जमाबंदी में नहीं है और जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित खाता खातौनी तथा खसरे में इसका इन्द्राज न किया जा सका। केन्द्रीय सरकार के अभिलेखों के अनुसार इस भू-सम्पत्ति पर सर्वश्री नूर मोहम्मद व इब्राहिम पुत्रगण श्री अब्दुल गफफार निवासी दौलतपुर का नाम वतौर अध्यासी अंकित है खाता खतौनी एवं खसरे में इन्द्राज कराया जाना सुनिश्चित किये जाने का दायित्व केन्द्र सरकार के अधिकारियों का था और इस लिए इसके खाता खतौनी आदि में इन्द्राज न हो सकने के कारणों की जानकारी इस राज्य सरकार को नहीं है।

वाद संख्या 6895, अब्दुल वाहिद खां बनाम दोस्त मोहम्मद का चकबन्दी अधिकारी - 6 जगदीशपुर के न्यायालय में विचाराधीन वाद

73–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि वाद संख्या 6395 चकबन्दी अधिकारी, 6 जगदीशपुर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें दो नोटिसें पाक राष्ट्रीय श्री अब्दुल शकूर खां के नाम जारी की गयी थी तथा न्यायालय के चपरासी श्री श्याम बहादुर सिंह द्वारा उसकी तामील की गयी है जिसके लिए उपरोक्त चपरासी को निलम्बित करके उसके विरुद्ध विभागीय जांच हो रही है ? नोटिस के तामील कुनिन्दा श्री श्याम बहादुर सिंह चपरासी को निलम्बित किया गया है परन्तु जिस व्यक्ति ने अब्दुल गफूर खां बनकर नोटिस प्राप्त किया है तथा अपने हस्ताक्षर बनाये हैं और गवाहान जिन्होंने इसकी गवाही बनाई है उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

वाद संख्या 6895 धारा 9क (2) (न कि वाद सं. 6395) अब्दुल वाहिद खां बनाम दोस्त मोहम्मद, चकबन्दी अधिकारी–6 जगदीशपुर के न्यायालय में विचाराधीन है

जिसमें दो नोटिसें श्री अब्दुल वाहिद खां तथा अब्दुल शकूर खां के नाम जारी की गयी थीं। श्री श्याम बहादुर सिंह चपरासी द्वारा पाक नागरिक श्री अब्दुल शकूर खां के नाम नोटिस की तामील गलत व्यक्ति को करा दी गई थी, जिसके फलस्वरूप वह दोषी पाया गया और उसे निलम्बित करके उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त नोटिस में श्री अब्दुल शकूर खां बनकर उसका लड़का श्री नसीर अहमद ने निशानी अँगूठा लगाया और उसकी गवाही श्री अब्दुल अजीज ने किया था, फलतः उनके विरुद्ध चकबन्दी अधिकारी द्वारा कारण बताओ (शो काज) नोटिस दी गई और इसमें सम्बन्धित चकबन्दी न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम मंगरौरा, जिला सुल्तानपुर में खाता खतौनी संख्या 51 में श्रीमती अहमदी बेगम की घोषित शत्रु साम्पत्ति तथा सहखातेदारों में बंटवारे की जाँच

74–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मंगरौरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में खाता खतौनी संख्या 51 वर्ष 1385 तथा 1387 फसली में श्रीमती अहमदी बेगम पुत्री श्री मोहम्मद अली खां का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ अंकित था और श्रीमती अहमदी बेगम के पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप उपरोक्त खाते में उनका भाग शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया गया परन्तु चकबन्दी के दौरान श्री मोहम्मद नईम खां ग्राम प्रधान, चेयरमैन चकबन्दी भूमि प्रबन्धक समिति ने उपरोक्त खाते की शत्रु सम्पत्ति को अन्य सदस्यों को मिलाकर और तथ्यों को छुपाकर चकबन्दी अधिकारीगण को धोखा देकर श्रीमती अहमदी बेगम का नाम गलत तरीके से खारिज कराकर प्रधान ने अपने तथा अपने दोनों पुत्रों व चर्चा एवं चचाजाद भाइयों के नाम करवा लिया है? यदि हां, तो क्या प्रधान एवं सम्बन्धित सदस्यों को वर्तमान पद से हटाने की कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम मंगरौरा, परगना-जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना जिला-सुल्तानपुर के खाता-खतौनी संख्या 51 वर्ष 1385 से 1387 फसली में श्रीमती अहमदी बेगम पुत्री श्री मोहम्मदी अली खां का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर अंकित था और श्रीमती अहमदी बेगम के पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप उनकी सम्पत्ति नियमानुसार स्वतः शत्रु सम्पत्ति हो गई। चकबन्दी के दौरान भूमि प्रबन्धक समिति के प्रधान एवं सदस्यों के बयान के आधार पर जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी ने समझौते के आधार पर श्रीमती अहमदी बेगम का नाम खारिज करके खाते में अंकित सह-खातेदारों के नाम उसके अंश का बंटवारा कर दिया। परन्तु जिलाधिकारी ने उक्त आदेश को चकबन्दी अधिनियम की धारा-48 के अन्तर्गत निरस्त करके चकबन्दी अधिकारी को गुणादोष के आधार पर प्रसंगत मामले के निस्तारण हेतु निर्देश दे दिया है और सम्बन्धित चकबन्दी न्यायालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

[श्री बैजनाथ कुरील]

जहां तक श्रीमती अहमदी बेगम का से खारिज कराकर उसके अंश का बंटवारा सहखातेदारों में कराये जाने के लिए उत्तरदायी प्रधान एवं सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है, वन्दोबस्त अधिकारी चकवन्दी मुसाफिरखाना तथा परगनाधिकारी मुसाफिरखाना द्वारा इस मामलें में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं ।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर के तत्कालीन बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबंदी के न्यायालयों के मिसिल बन्द रजिस्टर उपलब्ध न होने का कारण

75–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 113 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना जिला सुलतानपुर को मुहाफिजखाना माल, सुल्तानपुर से तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं उप संचालक, चकबन्दी न्यायालय के मिसिल बन्द रजिस्टर उपलब्ध न होने का क्या कारण है ? यह महत्वपूर्ण अभिलेख किस अधिकारी के अधिकार में था, किन परिस्थिति में यह गायब हुआ है ? क्या इसकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ? यदि जांच नहीं कराई गयी, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुलतानपुर के तत्कालीन बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी के न्यायालयों के मिसिलबन्द रजिस्टर राजस्व अभिलेखागार में दाखिल होना नहीं पाया जाता । दाखिल न होने का कारण बताना संभव नहीं है, क्योंकि पुरानी चकबन्दी समाप्त हुए लगभग 26 वर्ष व्यतीत हो गये हैं । तत्कालीन बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी एवं जिला उप संचालक चकबन्दी के अहलमद सेवानिवृत्त हो चुके है । पुरानी चकबन्दी में कार्यरत कुछ कर्मचारियों से पूछतांछ की गई जिनको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

अपर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के न्यायालय में ग्राम रसूलपुर के भूखण्ड संख्या 320 के अनियमित पट्टे के संबध में विचाराधीन मामला

76–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सन् 1983 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मामला अपर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के न्यायालय में किस दिनांक से विचाराधीन है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मामला दिनांक 10-2-83 से अपर जिलाधिकारी सुलतानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम सभा रसूलपुर जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत मंन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान को खाता खतौनी एवं खसरे में इन्द्राज कराने हेतु आदेश

77–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 110-111 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मन्दिर गाटा संख्या 1690 1854, 2200, 1102, मस्जिद गाटा संख्या 763, 1664, 182, 51, 1155, 1116 तथा कब्रिस्तान गाटा संख्या 237, 238, 239, 493, 1154 व 1038 में स्थित है, क्या उनको तहसील के सम्बन्धित खाता खतौनी एवं खसरे में इन्द्राज है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इसका इन्द्राज कराने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गाटा संख्या 1690, 1854, 2200 जो खतौनी आधार वर्ष में विभिन्न खातेदारों के नाम अंकित है के कुछ भाग में आवादी है और उसी भाग में मन्दिर बने हैं किन्तु इस भूमि में आवादी अथवा मन्दिर का इन्द्राज खसरा एवं खतौनी में नहीं है। चकबन्दी पड़-ताल के समय स्थल की स्थिति के अनुसार विवाद बनाकर धारा-9 के अन्तर्गत प्रविष्टि सम्भव है तथा गाटा संख्या 1102, जो खतौनी में आवादी व वर्ग 6(2) सम्पत्ति ग्राम सभा अंकित है, में भी मन्दिर वना है जिसका इन्द्राज खसरा और खतौनी में नहीं है और न भूलेख नियमावली के पैरा 124 के अन्तर्गत अलग से किया जाना संभव है।

गाटा संख्या 763, 182, 51, 1116 खतौनी के वर्ग 6(2) में आवादी सम्पत्ति ग्राम समाज इ अंकित है जिसमें मस्जिद वनी है जिनका इन्द्राज खसरा व खतौनी में नहीं है और भूलेख नियमावली के पैरा 124 के अन्तर्गत इनका इन्द्राज किया जाना संभव नहीं है। गाटा संख्या 1664,1155 खतौनी आधार में विभिन्न खातेदारों के नाम अंकित है जिनका कुछ भाग आवादी के रूप में है और उसी भाग में मस्जिद बनी है किन्तु मस्जिद का इन्द्राज खसरा व खतौनी में नहीं है। चकबन्दी पडताल के समय स्थल की स्थिति के अनुसार विवाद बनाकर धारा-9 के अन्तर्गत प्रविष्ट संभव है।

गाटा संख्या 238,239,493, कब्रिस्तान के खाते में खसरा व खतौनी में अंकित है। गाटा संख्या 237, 1039, 1154 बंजर श्रेणी 5 सम्पत्ति ग्राम समाज अंकित है किन्तु मौके पर कब्रिस्तान है।

चकबन्दी पड़ताल के समय स्थल की स्थिति के अनुसार विवाद बनाकर धारा-9 के अन्तर्गत प्रविष्ट संभव है।

वर्तमान समय में पड़ताल कार्य प्रगति पर है उक्त सन्दर्भ में दिसम्बर, 1983 तक आदेश हो जाने की सम्भावना है।

पाक-राष्ट्रिक, श्री अब्दुल शकूर खां की घोषित निष्क्रांत सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही

78–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल शकूर खां पुत्र अब्दुल गफूर खां, निवासी ग्राम दौलतपुर निसूरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिर खाना,

[श्री राम आसरे वर्मा]

जिला सुलतानपुर जो पाक राष्ट्रीय हैं और उसकी भू-सम्पत्ति ग्राम दौलतपुर निसूरा निष्क्रांति सम्पत्ति घोषित हो चुकी है परन्तु उसकी भू-सम्पत्ति ग्राम रसूलपुर तथा निसूरा में भी है, क्या इन दोनों ग्रामों की भू-सम्पत्ति निष्क्रांति सम्पत्ति घोषित की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम निसूरा व रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुलतानपुर में स्थित भूमि में पाक- राष्ट्रिक श्री अब्दुल शकूर खां के भागों को यू. पी. अध्यादेश संख्या-1 वर्ष 1949 के अन्तर्गत निष्क्रांत सम्पत्ति मानकर उन अंशों का निस्तारण आदि की कार्यवाही इस राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा की जा रही है ।

सेक्योर्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी पर मारा गया छापा, मुकदमे के दौरान कुल व्यय

79–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

प्रथम सत्र 1983 के 6ठे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सेक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी छापे के विरूद्व न्यायालय में गयीं जहाँ से कम्पनी के पक्ष में निर्णय हुआ ? यदि हाँ, तो बगैर व्यापक जाँच पड़ताल किये बिना क्यों छापा मारा गया ? समस्त छापे व मुकदमा के दौरान कुल कितनी धनराशि विभाग को व्यय करनी पड़ी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हाँ ।

कम्पनी पर छापा मारे जाने के पूर्व सम्यक रुप से यह परीक्षण करा लिया गया था कि संबधित कम्पनी द्वारा संचालित योजना प्राइज चिट्स एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट 1978 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निषद्ध कार्यो की परिधि में आती है। छापा मारे जाने में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में दायर रिट याचिका के प्रतिवाद के संबंध में वित्त विभाग के अधीन रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटीज को कुल रु० 124.70 पैसे व्यय करना पडा है। रिट याचिका पर सरकारी अधिवक्ता की फीस का व्यय न्याय विभाग द्वारा वहन किया जाता है ।

80–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या मन्त्री जी उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने नियमों का भलीभांति विश्लेषण किये बिना अवैज्ञानिक छापा मारा जिसके कारण सरकार को काफी धन व समय की हानि उठानी पड़ी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात ही छापा मारा गया था कि प्रश्नान्तर्गत कम्पनी की योजना प्राइज चिट्स एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट 1978 की परिधि में आती है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं

उठता है । अबैध कार्य को रोकने के लिए जो उपयुक्त धन व समय लगाया गया वह सार्वजनिक हित में लगाया गया ।

प्रदेश राज्य चीनी निगम में नियुक्तियों, घाटा तथा सहायक कम्पनियों हेतु खरीदी गयी मशीनें तथा लाभ का विवरण

81–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल निगम में पिछले 3 वर्षो से कितने कर्मचारियों की नियुक्त की गयी तथा जिन पदों पर उन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है । उनकी योग्यता क्या है ? क्या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में पछले तीन वर्षो में कुल 111 व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयी । इन से संबंधित विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 369 पर)

82–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल निगम को प्रतिवर्ष कितना घाटा हो रहा है और अब तक कुल कितना घाटा हो चुका है ? अब तक कुल घाटे की प्रतिपूर्ति कहाँ से की गयी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड को वर्ष 1970-71 से वर्ष 1981-82 तक रु. 4 087.36 लाख का घाटा हुआ जिसका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	हानि	[लाख रु. में] संचित हानि
1970-71	6.50	6.50
1971-72	22.04	28.54
1972-73	52.64	81.18
1973-74	177.75	258.93
1974-75	304.93	563.86
1975-76	268.96	832.82
1976-77	359.88	1192.70
1977-78	566.78	1759.48
1978-79	620.63	2380.11
1979-80	257.87	2637.98
1980-81	608-23	3246.21
1981-82	841.15	4087.36
योग :	4087.36	17075.67

निगम का वित्तीय वर्ष 1982-83 30 सितम्बर, 1983 को समाप्त होगा। इस वर्ष से सम्बन्धित लाभ हानि के आंकड़े वर्ष की समाप्ति के बाद ही स्पष्ट होंगे।

जहाँ तक घाटे की पूर्ति का प्रश्न है शासन ही समय-समय पर ऋण अंश पूंजी एवं अन्य रूपों में सहायता प्रदान करता रहता है जिससे निगम की नकद धनराशि की क्षति पूर्ति होती रहती है।

83—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक राज्य चीनी मिल निगम द्वारा अपनी विभिन्न चीनी मिलों के लिये कितने रुपये की मशीनरी खरीदी गयी तथा उन मशीनों के फलस्वरूप चीनी मिलों को कुल कितना लाभ हुआ है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

राज्य चीनी निगम के लिये 931.38 लाख रु० की तथा उसकी सहायक कम्पनियों के लिये 219.39 लाख रुपये कुल 1150.77 लाख रुपये की मशीनें खरीदी गयीं। निगम के अधीन चीनी मिलों में से अधिकांश बहुत पुरानी हैं और उनकी पेराई क्षमता बहुत कम हैं। उन मिलों की मशीनें जीर्णशीर्ण दशा में थीं जिनमें से कुछ का रिप्लेसमेंट मिल की मूल पेराई क्षमता बनाये रखने के लिये आवश्यक था। कुछ धनराशि मिलों के विस्तारीकरण पर व्यय हुई। इस पूंजी विनियोजन से कुछ मिलों की उत्पादकता बढ़ी है किन्तु इससे कितना अतिरिक्त लाभ हुआ अथवा अमुक मशीन लगने से कुल हानि में कितनी कमी हुई इसका आंकलन नहीं किया जा सकता। यह अवश्य है कि मशीनों पर यदि पूंजीगत व्यय न किया जाता तो चीनी मिलें नहीं चल सकती थीं।

सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा मेसर्स आनन्द टैक्स एण्ड वेसेल्स को प्लान्ट एवं मशीनरी आपूर्ति किये जाने के आदेश

84—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा मुनीता इन्जीनियरिंग वर्क्स बम्बई जो अब आनन्द टेक्सटाइल के नाम से कार्य कर रही है को वर्ष 1982-83 में कितने रुपये का मशीनरी बनवाने एवं पूर्ति करने के आदेश दिये ? क्या इस फर्म ने निर्धारित तिथि तक अपने टेंडर जमा किया था ? यदि नहीं तो किसके आदेश द्वारा उनका टेंडर जमा किया गया ? क्या यह फर्म बिल्कुल नई है अथवा इससे पहले भी माल पूर्ति का अनुभव था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मेसर्स मुनीता इन्जीनियरिंग एण्ड फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई तथा मेसर्स आनन्द टैक्स एण्ड वेसल्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई दोनों अलग-अलग कम्पनी हैं। आनन्द टेक्सटाइल्स के नाम की फर्म का ज्ञान शासन को नहीं है। वर्ष 1982-83 में मेसर्स आनन्द टैक्स एवं वेसेल्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई को मशीनों की आपूर्ति आदि के कोई आदेश नहीं दिये गये थे। इस फर्म में निर्धारित तिथि के पूर्व टेंडर देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

इस फर्म द्वारा इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में किसी नई चीनी मिल को प्लान्ट एवं मशीनरी की आपूर्ति नहीं की गई है । तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है । मेसर्स आनन्द टैंक्स एण्ड वेसेल्स प्राइवेट लि० बम्बई ने दिनांक 4 तथा 11 सितम्बर, 1982 के पत्रों में टेण्डर देने के लिये अनुमति देने की प्रार्थना की थी । राज्य परामर्शदात्री समिति ने इसी प्रकार के दो अन्य फर्मों के प्रार्थना पत्र के साथ इस फर्म के प्रार्थना पर विचार करने हेतु एक तकनीकी उप समिति का गठन किया और इन फर्मो की उपयुक्तता आँकने के निर्देश दिये । इस तकनीकी उप समिति ने मेसर्स आनन्द टैंक्स एण्ड वेसेल्स को प्लाण्ट एवं मशीनरी आपूर्ति हेतु टेण्डर देने के लिये अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की । राज्य परामर्शदात्री समिति ने उक्त फर्म को दिनाँक 2-11-82 को टेण्डर दिये जाने की अनुमति प्रदान की । अन्य टेण्डरों के साथ मेसर्स आनन्द टैंक्स एण्ड वेसेल्स प्राइवेट लि०, बम्बई के टेण्डर पर भी राज्य परामर्शदात्री समिति ने दिनांक 3-11-82 को विचार किया तथा निगोसिएशन्स के पश्चात तीन फर्मो को चार प्लाण्ट एवं मशीनरी आपूर्ति के आदेश दिये जाने हेतु चुना, जिसमें मेसर्स आनन्द टैंक्स एण्ड वेसेल्स को भी एक मिल की प्लाण्ट एवं मशीनरी आपूर्ति के आदेश दिये जाने के लिये चुना गया ।

राज्य चीनी निगम द्वारा अखबारों में विज्ञापन देकर फर्मों का रजिस्ट्रेशन

85–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य चीनी मिल निगम में कुछ चुनी हुई फर्म द्वारा खरीद फरोख्त की जा रही है तथा अन्य फर्मों द्वारा माल पूर्ति करने की छूट नहीं है ? क्या निगम ने नोटिफिकेशन द्वारा प्रदेश एवं देश की विभिन्न फर्मों को रजिस्ट्रेशन करने एवं माल पूर्ति करने का अवसर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य चीनी मिल निगम ने अब तक माल पूर्ति करने के लिए कितनी फर्मों का रजिस्ट्रेशन किया है तथा रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या रही है ? क्या इन फर्मों के रजिस्ट्रेशन के पूर्व सभी फर्मों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अखबारों में विज्ञापन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

राज्य चीनी निगम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची बनाई गई है जिसमें निर्माताओं उनके अधिकृत विक्रेताओं, केन्द्रीय एवं राज्य प्रतिष्ठानों और लघु उद्योग इकाइयों को पंजीकृत किया गया है । इन्हीं इकाइयों से माल की आपूर्ति कराई जाती है । पंजीकृत इकाइयों में आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता । भिन्न-भिन्न वस्तुओं की आपूर्ति के लिए इस समय 650 पार्टियां पंजीकृत हैं यह संख्या समय-समय पर बदलती रहती है । आपूर्तिकर्ताओं का चयन उनके प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निगम की क्रय समिति जिसके अध्यक्ष निगम के प्रबन्ध निदेशक हैं, के द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल करने के पश्चात किया जाता है । फर्मो के रजिस्ट्रेशन के पूर्व उनके प्रार्थना पत्र अखबारों में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किए गए हैं ।

प्रदेश राज्य चीनी निगम में मुख्य इजीनियीरंग सलाहकार का रिक्त पद तथा श्री एस० पी० मिश्रा मुख्य तकनीकी सलाहकार द्वारा मशीनों की खरीद पर व्यय

86–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल निगम में मुख्य इंजीनियरिंग सलाहकार का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ? उक्त पद का कार्य कौन और कब से देख रहा है ? क्या वह इस पद की निर्धारित योग्यता रखते हैं ? यदि नहीं, तो इस भारी पद पर इनको क्यों रखा गया है तथा रिक्त पद की पूर्ति योग्य व्यक्ति द्वारा क्यों नहीं की जा रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में मुख्य इंजीनियरिंग सलाहकार का पद 14-10-77 से रिक्त है । उसी दिनांक से उक्त पद का कार्य श्री एस. पी. मिश्रा, मुख्य तकनीकी सलाहकार देख रहे हैं । वे पद की निर्धारित योग्यता नहीं रखते । पद को भरने के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य व्यक्ति की बहुत खोज की गई और अब भी की जा रही है किन्तु उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण श्री मिश्र से उक्त पद का कार्य लिया जा रहा है । श्री मिश्र चार्टर्ड इंजीनियर हैं तथा इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियरिंग इंडिया की फैलोशिप भी किए हुए हैं । उन्हें इंजीनियरिंग कार्य का पर्याप्त अनुभव भी है इसलिए उनको उक्त पद का कार्य दिया गया है जो वे एक योग्यता प्राप्त चीफ इंजीनियर के सहयोग से देख रहे हैं ।

87–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि निगम के मुख्य तकनीकी सलाहकार जो शूगर टेक्नालाजिस्ट भी हैं और मेकेनिकल इंजीनियर नहीं है, से मुख्य इंजीनियरिंग सलाहकार का कार्य क्यों लिया जा रहा है ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब से मुख्य इंजीनियरिंग सलाहकार के पद का कार्य निर्धारित योग्यता न रखने वाले व्यक्ति देख रहे हैं तब से अब तक राज्य चीनी मिल निगम ने विभिन्न इकाइयों की मशीनों की खरीद-फरोख्त में कितना खर्चा किया है तथा इतना भारी खर्चा करने से निगम को क्या लाभ हुआ है ? कृपया इकाई वाइज ब्योरा देने का कष्ट करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के मुख्य तकनीकी सलाहकार के पद का कार्य जिन परिस्थितियों में एक शुगर टेकनालाजिस्ट से लिया जा रहा है उसका विवरण पूर्व प्रश्न संख्या 86 के उत्तर में दिया जा चुका है । उक्त अधिकारी की सलाह से निगम की इकाइयों के लिए 671.54 लाख रुपये मशीनों पर व्यय हुआ । निगम के अधीन चीनी मिलों में से अधिकांश इकाइयां बहुत पुरानी हैं जिनकी मशीनों की स्थिति अत्यन्त जर्जर है कुछ चीनी मिलों में नई मशीनों के लगने से उत्पादकता बढ़ी है किन्तु इससे कितना अतिरिक्त लाभ हुआ अथवा अमुक मशीन के लगने से कुल हानि में कितनी कमी हुई है इसका

आंकलन नहीं किया जा सकता । यह अवश्य है कि मशीनों पर यदि पूंजीगत व्यय न किया जाता तो चीनी मिल नहीं चल सकती थी ।

निगम की इकाइयों में मशीनों की खरीद पर किये गये व्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "घ" अगो पृष्ठ 375 पर)

डा० सी० बी० सिंह, मुख्य गन्ना विकास सलाहकार के कार्यकाल में की गयी नियुक्तियां तथा निर्धारित योग्यताएं

88–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ. प्र. राज्य चीनी मिल निगम में जब से डा. सी. वी. सिंह, मुख्य गन्ना विकास सलाहकार के पद पर नियुक्ति हुए हैं तब से उनके खण्ड मुख्यालय एवं विभिन्न चीनी मिल इकाइयों पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है ? जिन पदों पर नियुक्तियां की गयीं उनकी निर्धारित योग्यताएं एवं प्रक्रिया क्या थी ? क्या निर्धारित योग्यता एवं प्रक्रिया नियुक्ति के समय अपनाई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

उ. प्र. राज्य चीनी निगम में मुख्य गन्ना विकास सलाहकार के पद पर जब से डा० सी. बी. सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया है तब से निगम के मुख्यालय पर 3 तथा विभिन्न चीनी मिलों में 348 व्यक्तियों की नियुक्तियां गन्ना खण्ड में की गई ।

मुख्यालय पर की गई 3 नियुक्तियों में से एक नियुक्ति सलाहकार (गन्ना मूल्य एवं लेखा) के पद पर गन्ना आयुक्त कार्यालय के सेवा निवृत्त सहायक लेखाधिकारी की एक वर्ष के लिए की गई थी । दूसरी नियुक्ति वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर, एम० एस० सी० योग्यता वाले व्यक्ति की जिसे गन्ना कार्य का पूर्व अनुभव भी था, की गई । तीसरी नियुक्ति गन्ना आयुक्त कार्यालय में शक्कर विशेष निधि से संबंधित कार्य का अनुभव रखने वाले स्नातक व्यक्ति की कनिष्ठ सहायक के पद पर की गई ।

विभिन्न चीनी मिलों में 348 कर्मचारियों की जिन पदों पर नियुक्तियां की गई वे पद वेज बोर्ड के अन्तर्गत हैं और उन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रबन्धक हैं, जिन्होंने अपने विवेकानुसार नियुक्तियां की ।

लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई में नियुक्ति के सम्बन्ध में व्यक्तियों द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस किये जाने की कार्यवाही

89–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई के अधिग्रहण के पूर्व वर्ष 1981 में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में पांच-पांच हजार रुपए की प्रतिभू (जमानत) जमा करने वाले व्यक्तियों में से चालू सत्र में कितने लोगों को सेवा में लिया गया है ? जिनको सेवा में नहीं लिया गया है, क्या उनकी जमानत वापस करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

इस मिल पर रिसीवर की नियुक्ति के पूर्व वर्ष 1981 में 42 व्यक्तियों द्वारा 5000/- रुपया प्रति व्यक्ति मिल के खाते में जमा किया गया था लेकिन यह धनराशि किस प्रयोजन हेतु जमा की गयी यह मिल के अभिलेखों से ज्ञात नहीं होता ! इनमें से 9 व्यक्तियों को सत्र 1982–83 में आवश्यकतानुसार अस्थायी रूप से मिल की सेवा में लगाया गया था तथा आवश्यकता न रहने पर उनको सेवा से पृथक कर दिया गया। उक्त धन-राशि को मिल मालिकों द्वारा किसी अलग खाते में जमा न करके व्यय कर दिया गया है। इस धनराशि की वापसी हेतु जांचोपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के रिक्त पद तथा चयन

90–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पदों पर चयन क्रमश: 1966 एवं 1967 के बाद नहीं किया गया है जबकि लगभग तीन सौ (300) तहसीलदारों के पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और चयन कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

तहसीलदारों के संबंध में यह कथन सही नहीं है कि वर्ष 1966 के बाद चयन नहीं किया गया है । व 1966 के पश्चात् 1979–80 में 275 अस्थाई/ स्थानापन्न रिक्तियों हेतु नियमित चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया गया था क्योंकि उस समय प्रभावी उत्तर प्रदेश सपरामर्श लोक सेवा आयोग चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1970 के नियम 7–क तथा 7–ख के अनुसार स्थायी रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं थीं । वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, दिनांक 10-4-81 द्वारा उक्त नियम 7–क तथा 7–ख अवैध घोषित कर दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में 79–80 में हुआ उपरोक्त चयन अवैध एवं निष्प्रभावी मान लिये जाने तथा उपलब्ध स्थायी एवं अस्थायी/स्थानापन्न रिक्त पदों हेतु नियमित चयन नये सिरे से कराये जाने के आदेश राजस्व परिषद को दिनाक 18-7-81 को भेजे गये । तदनु-सार परिषद द्वारा चयन कराये जाने की कार्यवाही 1981 में ही आरम्भ कर दी गयी थी जो उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 7-12-81 के अनुपालन में 11-8-82 तक स्थगित रही ।

उपरोक्त स्थिति में अब अगला नियमित चयन सम्पन्न कराने हेतु राजस्व परिषद के पत्र, दिनांक 7-4-83 द्वारा औपचारिक अधियाचन लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराया जा चुका है । अभी तक आयोग द्वारा चयन समिति की बैठक हेतु तिथियां निर्धारित करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है । इसलिये अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि उक्त चयन कब तक पूरा हो जयेागा ।

(ख) नायब तहसीलदारों के सम्बन्ध में यह कथन सत्य है कि वर्ष 1967 के के पश्चात प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों के लिये नियमित चयन सम्पन्न नहीं कराया गया है । इसका मूल कारण यह कि उत्तर प्रदेश सपरामर्श लोक सेवा आयोग चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 970 के उक्त नियम 7–क तथा 7–ख प्रभावी होने के कारण स्थायी पदों की

रिक्तियां उपलब्ध नहीं थी। अस्थायी/स्थानापन्न रिक्तियों के लिए यह उचित समझा गया कि पहले तहसीलदार पद की अस्थायी/स्थानापन्न रिक्तियों के लिए नियमित चयन सम्पन्न कराया जाय और तत्पश्चात् नायब तहसीलदार पद की अस्थायी/स्थानापन्न रिक्तियों के लिए। तहसीलदार पद की अस्थायी/स्थानापन्न रिक्तियों के लिए नियमित चयन 1979-80 में हुआ था, किन्तु यह चयन उपरोक्तानुसार अवैध एवं निष्प्रभावी मान लिया गया और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी का दौर आरम्भ हुआ जो अभी भी जारी है।

नायब तहसीलदारों के स्थायी तथा अस्थायी/स्थानापन्न रिक्तियों के लिए नियमित चयन सम्पन्न कराये जाने हेतु राजस्व परिषद द्वारा एक अलग कोष्ठ (सेल) गठित करके युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद आवश्यक औपचारिक अधियाचन लोक सेवा आयोग को यथा सम्भव शीघ्र भेज दिया जायगा।

91–श्री राम आसरे वर्मा–

(5वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम घटौली, जिला फैजाबाद में अवैध रूप से हरिजन आबादी पर कब्जेदार श्री जगजीवन तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही

92–श्री यमुना प्रसाद–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अवैध रूप से हरिजन आबादी पर कब्जेदार श्री जगजीवन तिवारी पुत्र श्री दातादीन तिवारी के कब्जे को हटाने हेतु शासन द्वारा धारा 122-बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कौन सी प्रभावी कार्यवाही की गयी और दोषी कब्जेदार को बेदखल करके सजा दी गयी तथा हरिजनों को उक्त आबादी पर कब्जा दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

श्री बैजनाथ कुरील–

इस संदर्भ में श्री जगजीवन तिवारी के विरुद्ध धारा 122 बी में दायर किए गए वाद में उन्हें बेदखल करने तथा क्षतिपूर्ति व निष्पादन शुल्क आरोपित करने का फैसला हुआ, लेकिन इसी भूमि के सम्बन्ध में श्री तिवारी ने हरिजन आबंटियों के विरुद्ध अदालत दीवानी में दावा दायर किया था जिसका निर्णय श्री तिवारी के पक्ष में हुआ। उस निर्णय के विरुद्ध आबंटियों द्वारा अपर जिला जज के न्यायालय में अपील दायर किया गया जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ हैं। जिला प्रशासन इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

बिक्री-कर विभाग में सांख्यिकी कर्मचारियों की बिक्री-कर अधिकारी श्रेणी-2 के पदों पर पदोन्नति

93–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि बिक्री-कर विभाग में सांख्यकी कर्मचारियों की प्रोन्नति बिक्री-कर अधिकारी श्रेणी-2 के पदों पर की जा रही हैं ? यदि हां, तो प्रोन्नति किस आधार पर दी जा रही है ? क्या बिक्री-कर विभाग में सांख्यकी कर्मचारियों के लिए बिक्री-

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

कर विभाग में लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1973 में यह प्राविधान है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हाँ ।

बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 की सेवा नियमावली फरवरी 1983 में प्रसारित हो चुकी है । उसमें पदोन्नत द्वारा 25 प्रतिशत पद भरे जाने हैं । इनमें 19 प्रतिशत पद लिपिक वर्गीय संवर्ग से तथा 6 प्रतिशत पद आशुलिपिक एवं संख्या संवर्ग के लिए है । पदोन्नति द्वारा भर्ती ज्येष्ठता के आधार पर समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श, चयन्नोति प्रक्रिया नियमावली 1970 के अनुरूप की जायेगी ।

बिक्रीकर विभाग में लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1973, बिक्रीकर अधिकारी-श्रेणी-2 के पदों पर पदोन्नति हेतु लागू नहीं होती है ।

प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के अधीनस्थ चीनी मिलों में जनरल मैनेजर के पदों पर डेपुटेशन पर कार्यरत राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी

94–श्री भीखा लाल–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी फेडरेशन की इकाइयों के मैनेजर के पदों पर कितने राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी डेप्यूटेशन पर कार्य कर रहे हैं और कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ? क्या इनमें से किसी अधिकारी ने 5 वर्ष से अधिक समय डेप्यूटेशन सेवा में बिताया है ? यदि हां, तो वह कौन अधिकारी हैं और उसे इतने लम्बे समय के लिए डेप्यूटेशन सेवा में रखने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के अधीनस्थ चीनी मिली में जनरल मैनेजर के पदों पर इस समय राज्य सरकार के 16 राजपत्रित अधिकारी डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं । इनमें मे दो अधिकारी पांच वर्ष से अधिक, एक अधिकारी तीन वर्ष से अधिक, चार अधिकारी एक वर्ष से अधिक तथा 9 अधिकारी एक वर्ष से कम की अवधि से प्रति-नियुक्ति पर हैं । श्री आर० एम० सिंह तथा श्री आर० पी० पाण्डे की प्रतिनियुक्ति की अवधि जुलाई, 1983 में 5 वर्ष पूरी हो गयी है । इनको इनके पैतृक विभाग में प्रत्याव-र्तित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल के कार्यालय से प्रशिक्षित लेखपालों की सूची एवं नियुक्ति

95–श्री भीखा लाल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 82 को आयुक्त इलाहा-बाद मण्डल, इलाहाबाद के कार्यालय से 47 प्रशिक्षित लेखपालों की सूची नियुक्ति हेतु जिला-धिकारी, कानपुर (देहात) को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सभी 47 लेखपालों की नियुक्ति कर दी गयी और सबको नियुक्ति की तिथि से वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां ।

सूची में उल्लिखित 47 प्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति परगनाधिकारी नियुक्ति / प्राधिकारी द्वारा कर दी गयी है । 45 लेखपालों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है और नियमानुसार इनको कार्यभार ग्रहण करने तिथि से वेतन दिया जा रहा है। शेष 2 लेखपालों द्वारा ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं दी गयी है । अतः नियमानुसार इनको कोई वेतन देय नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल, निवासी ग्राम बेहटा, जिला फर्रुखाबाद द्वारा चक-बन्दी में की गयी अनियमितताओं के संबंध में दिया गया पत्र

96–श्री भीखा लाल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रघुवर दयाल पुत्र ठकुरी निवासी ग्राम बेहटा परगना भोजपुर, तह० सदर, जिला फर्रुखाबाद का, चकबन्दी में की गयी अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दि० 6-7-82 श्री भीखालाल, विधायक जनपद उन्नाव के पत्र दिनांक 7- 7- 82 के साथ राजस्व मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और उस प्रार्थना पत्र पर शासन द्वारा क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ । मुख्य शिकायतें नाप संबधी त्रुटियों अभिलेखों में जालसाजी तथा खातों में अधिक रकबा बढ़ाने की है । बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी फर्रुखाबाद के माध्यम से जांच कराई जा चुकी है । उनकी आख्या सरसरी होने के कारण सहायक संचालक चकबंदी, फर्रुखाबाद को यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपों की भलीभांति जांच करके नियमानुसार सही पैमाइश की व्यवस्था करें । पैमाइश शीघ्र सम्पन्न होने की संभावना है ।

ग्राम बेहटा, जिला फर्रुखाबाद में चकों की पैमाइश कराने हेतु सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा की गयी रिपोर्ट

97–श्री भीखा लाल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि बेहटा तहसील सदर, परगना भोजपुर, जिला फर्रुखाबाद के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री अन्सार अहमद ने दि० 29-6-79 को एस०ओ०सी० को इस आशय की रिपोर्ट दी कि उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया में काफी अशुद्धियां हैं जिनको सही करने की आवश्यकता है ? यदि हां तो उनको शुद्ध किए बगैर धारा 52 का प्रकाशन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं । ग्राम बेहटा तहसील सदर परगना भोजपुर जिला फर्रुखाबाद के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी श्री अंसार अहमद ने दिनाँक 29-6-79 को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को इस आशय की एक रिपोर्ट दी थी कि उक्त ग्राम में कुछ चकों की पैमाइश

[श्री बैजनाथ कुरील]

कराने के लिए पुलिस सहायता प्रदान कर दी जाय क्योंकि प्रभावित चकदार आबंटित भूमि से अधिक जोत रहे क्षेत्रफल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तथा कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। चकबंदी प्रक्रिया में कोई अशुद्धि नहीं थी। उक्त ग्राम का जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 52(1) के अंतर्गत प्रख्यापित अभी नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दुखी आदि हरिजन निवासी ग्राम गौरी जगदीश, देवरिया को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के आदेश

98–श्री भीखा लाल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुखी पुत्र धनराज आदि हरिजन निवासी ग्राम गौरी जगदीश, परगना सिवुवा जीवना, जिला देवरिया का प्रार्थना-पत्र जिसमें यह शिकायत की गयी है कि उनको आवंटित भूमि पर थानाध्यक्ष, बिशुनपुरा ने कोई फसल काटने नहीं दी जो नष्ट हो गयी, प्रश्नकर्ता के पत्र दि० 1-9-82 के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी और आवंटियों को कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ। इसके सम्बन्ध में जाँच की गई। जाँच से यह पाया गया कि थानाध्यक्ष बिशुनपुरा द्वारा आवंटित भूमि पर दुखी पुत्र धनराज आदि हरिजन ग्राम गौरी जगदीश को फसल काटने से नहीं रोका गया। दुखी आदि हरिजन के पट्टे जिलाधिकारी द्वारा श्री रमाशंकर आदि के प्रार्थना पत्र पर निरस्त कर दिये गये थे तथा न्यायालय के माध्यम से श्री रमाशंकर आदि ने कब्जा प्राप्त किया। आयुक्त गोरखपुर मंडल के द्वारा जिलाधिकारी का आदेश निरस्त होने पर दुखी आदि हरिजन को पुनः कब्जा दिला दिया गया।

99–श्री भीखा लाल–

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

ग्राम वाजिद पुर उर्फ राजेपुर, जनपद उन्नाव में हरिजन आबादी के लिये आरक्षित भूमि का आवंटन एवं कब्जा

100–श्री भीखा लाल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के प्रथम शुक्रवार के ता० प्र० सं० 19 के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वाजिदपुर उर्फ राजेपुर की हरिजन आबादी के लिए आरक्षित 7-11 एकड़ भूमि को 22 हरिजन परिवारों को प्लाट बनाकर आवंटित करने के उपरान्त उस पर उनको कब्जा नहीं दिया गया है बल्कि अब उनको अन्यत्र लोन नदी के किनारे सैलाबी जमीन दी जा रही है ? यदि हां, ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

यह कहना सही नहीं कि ग्राम वाजिदपुर उर्फ राजेपुर में हरिजन आबादी के लिए आरक्षित 7-11 एकड़ भूमि में से 22 हरिजन परिवारों को भूमि आवंटित करने के बाद कब्जा नहीं दिया गया। स्थिति यह है कि उन्हें उन्हीं प्लाटों का कब्जा दिया जा रहा है जो

उन्हें आवंटित किया गया था, किन्तु उनमें से कोई भी व्यक्ति कब्जा लेने को तैयार नहीं है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत रायसी रोड व दरगाह रोड के निर्माण में अनियमितता तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही

101–श्री मोहन सिंह–

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लक्सर जोन, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत रायसी रोड, दरगाहपूर रोड पर सन् 1971 में 6" (छः इन्च) सोलिंग पत्थर व 9" (नौ इन्च) रोड़ी पत्थर की कुटाई हुई थी, इसके पश्चात 3" (तीन इन्च) रोड़ी पत्थर सप्लाई कराकर उसकी कुटाई कराकर दोनों सड़कों पर प्रिमिक्सिंग का कार्य कराया गया था ? अब इन सड़कों में 3" (तीन इन्च) व 6" (छः इन्च) सोलिंग पत्थर व रोड़ी पत्थर बताया जाता है, ऐसा क्यों है ? कौन-कौन अधिकारी इनके दोषी हैं और क्या विभाग दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यह भी बताया जाय कि इस प्रकार गन्ना विभाग को कितने रुपयों की हानि हो गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

महेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला, देवरिया के भूतपूर्व रिसीवर के विरूद्ध शिकायत

102–श्री पंचानन राय–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महेश्वरी खेतान शूगर मिल, रामकोला, देवरिया भू०पू० रिसीवर के विरुद्ध प्रेषित श्री राम सुन्दर पाण्डेय, तत्कालीन विधायक के शिकायती-पत्र दि० 14 जनवरी, 77 पर जांच के उपरान्त जिला अधिकारी, देवरिया द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्री राम सुन्दर पाण्डेय तत्कालीन विधायक के शिकायती पत्र दिनांक 14 जनवरी, 1977 पर जांच अधिकारी देवरिया से कराई गयी । जांच आख्या से विदित हुआ कि श्री राम लखन पुत्र श्री झपसीभर एवं मुन्सफ अली पुत्र श्री नजर अली मियां को वारिसों के नाते ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र पर रिसीवर ने नियुक्ति कर लिया । बाद में यह ज्ञात होने पर कि वे वारिस नहीं है उन्हें सेवा से हटा दिया गया । मिल के जीप पर अधिक व्यय सम्बन्धी शिकायत पर परिवहन विभाग के तकनीकी अधिकारी से जांच कराये जाने के निर्देश भेज दिये गये हैं । अन्य शिकायतें निराधार पायी गयी ।

उ० प्र० के जिला गजेटियर विभाग में अंग्रेजी में जिला गजेटियर्स लिखने का कार्य तथा जिला गजेटियर्स के पूरक अंक का प्रकाशन

103–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्वमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ. प्र. के जिला गजेटियर विभाग में अंग्रेजी में जिला गजेटियर लिखने का काम मुख्यालय पर ही किया जाता है ? क्या भारत सरकार ने कोई ऐसे निर्देश दिए हैं कि जिला गजेटियर का हर दस वर्ष बाद पूरक अंक निकाला

[श्री पंचानन राय]
जाय ? यदि हाँ, तो क्या सभी जिला गजेटियर्स के लिए पूरक अंक तैयार किए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

अंग्रेजी में जिला गजेटियर लिखने का कार्य विभाग के मुख्यालय पर किया जाता है। प्रकाशित जिला गजेटियर्स के दस वर्ष बाद पूरक अंक तैयार किये जाने की भारत सरकार की योजना थी। इसके लिये भारत सरकार का अनुदान भी देय था तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार से यह निर्देश प्राप्त हुए कि जो जिला गजेटियर 1966 के बाद प्रकाशित हुए हैं, उनके पूरक अंक तैयार करने हेतु भारत सरकार का अनुदान देय न होगा। वर्ष 1966 तक केवल 8 ही जिला गजेटियर प्रकाशित हुए थे, अतः इन्हीं के पूरक अंकों की तैयारी का कार्य लिया गया। शेष जिला गजेटियरों के पूरक अंकों की तैयारी का कार्य भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान समाप्त होने के कारण नहीं लिया गया।

उ० प्र० के गजेटियर्स विभाग में कर्मचारियों का स्थायीकरण

104–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० गजेटियर विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे है जो पांच वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? पांच वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जिला गजेटियर विभाग में 16 (सोलह) कर्मचारी ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक से कार्यरत है तथा अस्थायी हैं। इनमें से 13 कर्मचारी अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे है, जिनकी निरन्तरता 31-12-83 तक है। एक अस्थायी कर्मचारी उस पद के स्थायी पदधारक के सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण रिक्ति में कार्य कर रहे हैं। शेष दो कर्मचारो स्थायी पदों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

विभाग में कार्य समाप्त प्राय है, अतः उपर्युक्त कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है।

जनपद सहारनपुर के गन्ना विभाग को सुधारने हेतु कृत कार्यवाही

105–श्री कुबेर भण्डारी–

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर देवबन्द पत्रकार परिषद के महामन्त्री अशोक कुमार गुप्ता ने जनपद सहारनपुर के गन्ना विभाग की स्थिति को सुधारने के लिए 4-8-78 से 14-7-81 तक महामहिम राज्यपाल, उ० प्र० के अतिरिक्त शासन और विभाग के समस्त अधिकारियों को कितने पत्र भेजे और अब तक उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

दिनांक 4-8-78 से 14-7-81 तक गन्ना विभाग के सम्बन्ध में जनपद सहारनपुर देवबन्द पत्रकार परिषद के महामन्त्री श्री अशोक कुमार गुप्ता के 5 पत्र विभाग को प्राप्त हुये

थे जिन पर जांच करने के उपरान्त तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को चेतावनी देते हुए सेन्सर किया गया। अवर अभियन्ता को उनके पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) को वापस भेज दिया गया तथा आरोप पत्र तैयार कर विभागीय कार्यवाई हेतु उनके मूल विभाग को भेजा गया। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को सतर्कता बरतने हेतु चेतावनी दी गयी।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम मोतीपुर के प्रधान श्री शान्ता प्रसाद यादव का ग्राम समाज की भूमि के दुरुपयोग संबंधी शिकायती-पत्र

106–श्री मारकण्डेय चन्द्र–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तह० सगड़ी, जिला आजमगढ़ ग्राम सभा मोतीपुर के ग्राम प्रधान, श्री शान्ता प्रसाद यादव का कोई शिकायती-प्रार्थना-पत्र 17-2-83 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं ? इसकी जांच किसी अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ। मुख्य शिकायत यह है कि गांव सभा की भूमि नं० 188/-740,186/-300 व 30 .मि /-290 कड़ी गांव सभा सम्पत्ति है जिस पर भट्टा मैनेजर श्री चन्द्र बली वर्मा व छोटई यादव अनधिकृत रूप से मिट्टी निकाल कर ईंट पथवा रहे हैं। इसकी जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा कराकर आवश्यक कार्यवाही की गयी है।

गोरखपुर के सहायक बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी) के विरूद्ध शिकायती-पत्र

107–श्री मारकण्डेय चन्द्र–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्त्ता ने दि० 13-10-82 को एक शिकायती-पत्र गोरखपुर के सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के विरुद्ध उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। इसकी जाँच क्षेत्रीय उप संचालक चकबन्दी के माध्यम से करायी गयी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि फर्जी समझौते के आधार पर ग्राम धनराजपुर के खाता नं० 85 से मूरत व सूरत पुत्रगण सरजू के नाम खारिज करके सरजू, श्री कान्त व अवध के नाम दर्ज किये गये। जाँच से पाया कि समझौते के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। श्री हरिशचन्द्र सिंह, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा उक्त समझौते को सही मानते हुए अपील खारिज कर दी गयी। इस फैसले के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है। जो अभी विचाराधीन है। यह मामला न्यायिक है। अतः शिकायती पत्र के सम्बन्ध में अभी नियमानुसार कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

108–श्री रियासत हुसैन–

(स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

आयुक्त सहायता तथा पुनर्वास संगठन, उत्तर प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों के कर्मचारियों का स्थायी पदों पर स्थायीकरण

109–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहायता एव पुनर्वास मन्त्री वताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, सहायता तथा पुनर्वास संगठन, उ० प्र० के विभिन्न जिलों में कार्यालयों में वर्ष 1977 में स्थायी घोषित 12 पद तथा वर्ष 1981 में स्थायी 34 घोषित पद (कुल 46 स्थायी पदों) पर अब तक कर्मचारियों को स्थायी पदों के उपलब्ध रहते हुए भी स्थायी क्यों नहीं किया गया तथा उन पदों पर कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

भारत सरकार इस बात पर बल दे रही है कि चूंकि पुनर्वासन सम्बन्धी कार्य में कमी हो गई है इसलिए पदों में कमी हो गई है इसलिए पदों में कमी की जाये। कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है। पदों में कमी करने या समाप्त करने के कारण उपलब्ध स्थायी पदों पर कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है। भविष्य में और पदों के भी कम किये जाने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र व्यवहार जारी है।

श्री नियाज, निवासी सहतेमऊ मौजा रानीपुर जिला फैजाबाद द्वारा ग्राम समाज की अनधिकृत कब्जा की गयी भूमि का हरिजनों में आवंटन

110–श्री कुबेर भण्डारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 4थे शुक्रवार के अता० प्र० सं० के 40 उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि क्या सम्बन्धित जमीन को भूमिहीन हरिजनों में आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्व का क्या कारण है और इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं। सम्बन्धित भूमि पर अवैध कब्जे की बेदखली हेतु श्री नियाज के विरुद्ध धारा-122 बी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का वाद कायम हुआ था, जिसमें तहसीलदार बीकापुर/सहायक कलेक्टर ने दिनांक 2-8-82 को उसके बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। परन्तु उक्त आदेश के विरुद्ध श्री नियाज ने अपर जिलाधिकारी फैजाबाद के न्यायालय में रिवीजन दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इस कारण आवन्टन की कार्यवाही अभी सम्भव नहीं है। इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

श्री विनोद कुमार, सम्पादक 'वीरव्रत', सहारनपुर का गन्ना आयुक्त को प्रेषित शिकायती पत्र

111–श्री कुबेर भण्डारी–

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि आयुक्त एवं सचिव, चीनी उद्योग, उ०प्र० शासन के अर्ध शा० पत्र सं० 2082, दि० 9 मई, 77 के अनुसार विनोद कुमार, सम्पादक 'वीरव्रत' कायस्थान सहारनपुर के दि० 19-4-77 के प्रार्थना-पत्र की जांच करायी गयी ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

प्रश्न में सन्दर्भित अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 9-5-1977 आयुक्त एवं सचिव चीनी उद्योग कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। श्री विनोद कुमार सम्पादक "वीरव्रत" सहारनपुर का दिनांक 19-4-77 का एक शिकायती पत्र गन्ना आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इस पत्र में ऐसा कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया था जिसमें जाँच कराना सम्भव हो सके। इसी विषय पर अन्य विवरण सहित शिकायतें मिलने पर जाँच करायी गयी एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गयी।

देवारा क्षेत्र के गांवों के सर्वेक्षण कार्य हेतु जनपद आजमगढ़ में रिकार्ड आपरेशन के कार्यालय की स्थापना

112–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 10 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवारा के गांव का रिकार्ड आपरेशन का कार्यालय बलिया में होने से किसानों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर उसका एक कार्यालय आजमगढ़ में खोला जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

देवारा क्षेत्र के गांवों में हो सर्वेक्षण कार्य के लिए सर्वे नायब तहसीलदार का कार्यालय निकट के दोहरी घाट जनपद आजमगढ़ में स्थापित कर दिया गया है।

चकबन्दी अधिकारी, आजमगढ़ के ऊपर पत्रावलियों के गायब करने का आरोप एवं उसकी जांच

113–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 12 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत पत्रावलियों की खोज किस तिथि से प्रारम्भ की गयी तथा वह किसके द्वारा की जा रही है ? जाँच तथा दायित्व निर्धारण की कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ? तथा यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

प्रश्नगत पत्रावलियों की खोने के बारे में जाँच 1-6-1976 से प्रारम्भ हुई। इसकी जाँच श्री गिरजाशंकर मिश्र, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा करायी गयी। पत्रावलियों का कुछ पता नहीं चला जांच के अन्तर्गत दोषी पाये गये कर्मचारियों को निलंबित कर आरोप पत्र जारी कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है। कार्यवाही शीघ्र समाप्त हो जायेगी। खोयी हुई पत्रावलियों के पुर्ननिर्माण की कार्यवाही हो रही है।

ग्राम छिदरापार तथा सिकसौली, तहसील नौगढ़, जनपद वस्ती में चकबन्दी में की गयी अनियमितताओं की जाँच

114–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्रवार के ता० प्र० सं० 6 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोवस्त अधिकारी, चकबन्दी

द्वारा जांच में क्या कमियां पायी गयीं जाच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी, बस्ती द्वारा की गयी जांच से गांव में हुई चकबन्दी प्रक्रियाओं में कोई कमियां नहीं पायी गयी ।

किन्तु जाँच आख्या से यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ चकदारों को मूल जोत की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक या कम रकबा प्रदिष्ट किया गया है जिसकी अनुमति कब्जा परिवर्तन के पश्चात प्राप्त की है जो पूर्व में प्राप्त कर लेनी चाहिये थी । इसके अतिरिक्त शिकायती पत्र में कुछ आरोप संयुक्त संचालक चकबन्दी, बस्ती के भी विरुद्ध थे जिसके फलस्वरूप बन्दोबस्त अधिकारी की जाँच अपूर्ण समझी गयी है । संयुक्त संचालक के विरुद्ध शिकायतों की जाँच अपर निदेशक चकबन्दी, मुख्यालय द्वारा की जा रही है जो अभी पूरी नहीं हुई है ।

आजमगढ़ जनपद के राजस्व अभिलेखागार में नियमित पदों की रिक्तियाँ तथा आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थायीकरण

115–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 126 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में राजस्व अभिलेखागार में कोई नियमित पद रिक्त हैं ? यदि हाँ, तो कब से ? यहाँ कुल कितने नियमित कर्मचारी हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ? प्रश्न-कर्ता के पत्र दिनांक 22-1-82 पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

आजमगढ़ जनपद के राजस्व अभिलेखागार में कोई नियमित पद रिक्त नहीं हैं । यहां कुल 27 नियमित कर्मचारी हैं, जिनमें 2 हरिजन हैं । प्रश्नकर्ता के पत्र पर लिये गये निर्णय के फलस्वरूप आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में तृतीय श्रेणी के 22 कर्मचारियों को स्थायी किया गया है, जिनमें 11 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं ।

जनपद आजमगढ़ के ग्रामों में रिकार्ड आपरेशन का कार्य

116–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के अता० प्र० सं० 56 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत 39 ग्रामों के रिकार्ड आपरेशन का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायगा ? जिला अधिकारी, आजमगढ़ को पुनरीक्षित प्रस्ताव पुनः भेजने का प्रस्ताव कब भेजा गया है ? सरकार द्वारा रिकार्ड आपरेशन शीघ्र पूरा किए जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मुहम्मदपुर, जनपद आजमगढ़ में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-५२ के अन्तर्गत विज्ञाप्ति प्रकाशन

117–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के अता० प्र० सं० 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस मुहम्मदपुर गांव की धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है ? उसकी चकबन्दी कब प्रारम्भ हुई थी और धारा 52 का प्रकाशन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम मुहम्मदपुर में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (2) की विज्ञप्ति का प्रकाशन राजकीय गजट में दिनांक 21-8-1971 में हुआ था तथा कटक में प्रकाशन दिनांक 2-12-1971 को हुआ था तब से चकबन्दी प्रारम्भ हुई । वित्तीय वर्ष 1983-84 में प्रश्न गत ग्राम की जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने की संभावना है ।

"दैवी आपदाओं के कारण सहायता" के अन्तर्गत लखनऊ जनपद को आवंटित धनराशि और उसका व्यय

118–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दैवी आपदा 289 के अन्तर्गत अहेतुक सहायता गृह अनुदान तथा विशेष सहायता में 31-1-83 को लखनऊ जनपद में अलग अलग कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी तथा इसमें कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि कुल आवंटित धनराशि 25 का प्रतिशत भी व्यय नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

वित्तीय वर्ष 1982-83 में लेखा शीर्षक "289–दैवी आपदाओं के कारण सहायता" के अन्तर्गत लखनऊ जनपद को 31-1-83 तक अहेतुक सहायता के मद में रु० 16,50,000 गृह अनुदान के मद में रु० 11,50,000/ (इसके अतिरिक्त मार्च, 83 में रु० 3,00,000 तथा विषेश सहायता के मद में रु० 2,20,000 की धनराशि आवंटित की गयी थी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 1982-83 में अहेतुक सहायता के मद में रु० 9,13,386.51 गृह-अनुदान के मद में रु० 12,01,300 तथा विशेष सहायता के मद में रु० 2,02,878.75 की धनराशि व्यय की गयी। इस प्रकार उपरोक्त कुल आवंटित धनराशि का 72.5 प्रतिशत व्यय हुआ।

श्री धनन्जय सिंह की सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ में नियुक्ति की मांग

119–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 6ठे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री धन्जय सिंह को उनकी योग्यता के अनुसार सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ में नियुक्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो किस पद पर और कब ? यदि नहीं, तो कब तक नियुक्त कर लिया जायेगा ?

कुँवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्री धनन्जय सिंह की योग्यता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण उनकी नियुक्ति अभी नहीं की जा सकी है जैसे ही उनके योग्य कोई पद रिक्त होता है उन्हें नियुक्ति प्रदान की जायेगी ।

जनपद हरदोई के रजिस्ट्रेशन विभाग में लिपिक के पद पर अन्य जनपदों के व्यक्तियों की नियुक्ति का औचित्य

120–श्री हरी शंकर तिवारी–

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में अतिरिक्त जिला अधिकारी (वित्त राजस्व) ने गत तीन वर्षों में रजिस्ट्रेशन विभाग में लिपिक पद पर कितनी नियुक्तियां की है ? इनके नाम पते क्या हैं ? क्या यह लोग जिला हरदोई के निवासी नहीं हैं ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गयी ?

श्री ब्रहमदत्त–

अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पदेन जिला निबंधक हरदोई द्वारा गत तीन वर्षों में पांच लिपिकों की नियुक्तियां की गई जिनसे तीन लिपिक जिला हरदोई के है तथा 2 अन्य जनपदों के हैं इनके नाम व पते निम्नप्रकार है :--

1 - श्री ओम प्रकाश लाल मूल निवासी ग्राम बिहठा, पोस्ट लोटन, जिला बस्ती हाल पता सुभाष नगर शहर हरदोई ।

2 - श्री बाबूराम ग्राम पीलवान खोड़ा, पोस्ट थमरवा, जिला - हरदोई ।

3 - श्री अरूण कुमार वर्मा, मकान नं० - 80, सदर बाजार, हरदोई ।

4 - श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक, रेलवे गंज, हरदोई ।

5 - श्री गणेश पाण्डेय ग्राम सिकन्दरपुर पोस्ट-विन्दमढ़िया व्यासगिरि जिला, आजमगढ़, हालपता बैंटगंज, हरदोई ।

इनके नाम जनपद हरदोई सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने के कारण इनकी नियुक्तियां की गई जो नियमानुसार है ।

जनपद हरदोई में हरपालपुर-अरबल मार्ग हेतु अर्जित भूमि के भू-राजस्व की वसूली

121–श्री हरी शंकर तिवारी–

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि हरपालपुर - अरबल मार्ग, जिला हरदोई पर भूमि अर्जन के बाद सड़क बन गई परन्तु राजस्व अभिलेखों में काश्तारों के नाम दर्ज हैं और उनसे लगान लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या लगान वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

हरपालपुर अरबल मार्ग भूमि अर्जन के बाद सड़क बन गयी है । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नयी कचहरी कलेक्ट्रेट, लखनऊ से तहसील बिलग्राम को परवाना अमलदरामद प्राप्त न होने के कारण वादास्पद भूमि अभी काश्तकारों के नाम दर्ज है तथा काश-

तकारों से भू-राजस्व वसूल किया जा रहा है। परवाना अमलदरामद प्राप्त होने पर उसका अमलदरामद कर दिया जायेगा तथा भूमि अर्जन के आदेश के दिनांक से भू-राजस्व की मुजराई कर दी जायेगी।

जनपद सहारनपुर में गन्ना विभाग में निर्माण कार्यो में हुयी अनियमितताओं की जांच

122–श्री कुवेर भण्डारी–

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर में गन्ना विभाग में निर्माण कार्यों में बर्ती गयी अनियमिमताओं की जांच हेतु कोई समिति का गठन हुआ और जिसकी सूचना गन्ना आयुक्त लखनऊ के पत्रांक 1396/8-32 -5ए, दिनांक 6 जुलाई 77 को रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा भेजी गयी तथा 14 जुलाई, 1977 को जनपद सहारनपुर के लक्सर नाम स्थान पर पहुंचने की सूचना भेजी और यह निर्देश भी दिया कि दि० 14-7-77 को गन्ना विकास परिषद लक्सर के कार्यालय में उपस्थित रहें ? यदि हां, तो उक्त समिति ने जांच की ? वह जांच रिपोर्ट क्या है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

गन्ना आयुक्त के आदेश संख्या–864–66/8–32–5 ए, दिनाँक 1-6-77 द्वारा एक समिति गठित की गयी थी, जिसके सदस्य संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय), सम्परीक्षा अधिकारी मुख्यालय तथा अधिशासी अभियंता (प्रभारी) थे, तथा जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि समिति के अधिकारी सहारनपुर जाकर समस्त ठेकेदार, मंत्री, परिषद एवं सम्पादक 'वीरव्रत' को बुलाकर मीटिंग कर लें और पुराने मामलों को यथाशीघ्र नियमानुसार निस्तारित करें।

तदनुसार प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 6-7-77 द्वारा अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) ने सम्पादक 'वीरव्रत' सहारनपुर को दिनांक 4-7-77 को गन्ना विकास परिषद, लक्सर सहारनपुर के कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया। गन्ना आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 1-6-77 में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश नहीं थे। अत: जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

123–श्री राम चरण सिंह–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

124–श्री राम चरण सिंह–

(5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम मदपुर, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-५२ के अन्तर्गत विज्ञप्ति का प्रकाशन

125–श्री राम चरण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद की चुनार तहसील में ग्राम मदपुर की चकबंदी लगभग 20 वर्ष पूर्व हो गयी किन्तु धारा 52 का प्रकाशन आज तक नहीं हुआ ? इसका क्या कारण है ? धारा 52 का प्रकाशन कब तक हो जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मिर्जापुर जनपद की चुनार तहसील में ग्राम–मदपुर का जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 (2) में प्रकाशन दिनांक 4-5-61 को धारा 23 के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 31-3-65 को हो गया था। इस ग्राम में कब्जा परिवर्तन की पैमाइस के दौरान कुल 28 काश्तकारों की पुष्टिकृत क्षेत्रफल में कमी या बेशी की त्रुटियां प्रकाश में आयी जिनको निस्तारित कराकर ग्राम के अभिलेख तैयार कराये जा रहे हैं। अभिलेखों की दुरुस्ती तथा चकबंदी से उत्पन्न जो० च० अ० की धारा 52 (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति कराने की कार्यवाही संभव हो सकेगी।

जनपद मिर्जापुर में सिनेमा गृहों की संख्या एवं उनसे प्राप्त मनोरंजन कर

126–श्री राम चरण सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में कितने सिनेमा गृह है तथा वर्ष 1981–82 में व वर्ष 1982-83 में मनोरंजन कर के रूप में कितनी धनराशि सरकार को प्राप्त हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जनपद मिर्जापुर में 13 सिनेमागृह हैं तथा इनसे वर्ष 81–82 व वर्ष 82–83 में क्रमश: रु० 60,55,218.34 पै० एवं रु० 73,24,307.33 पै० की धनराशि सरकार को मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त हुई।

ग्राम मऊ कुतुबपुर, जनपद आजमगढ़ की हरिजन बस्ती में स्थित चकरोड पर अवैध कब्जा

127–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थिति ग्राम मऊ कुतुबपुर के हरिजन बस्ती में जाने वाले चक रोड पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि० 6-4-83 जिलाधिकारी आजमगढ़ का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। प्रश्नगत चकरोड की पैमाइश कराकर अनाधिकृत रूप से किए गये कब्जे को हटवा दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम हरैया की चकबन्दी से संबंधित अभिलेखों के गायब होने संबंधी शिकायती पत्र पर कार्यवाही

128–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के हरैया गाँव के चकबन्दी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण अभिलेखों के गायब होने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-4-83 जिला अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां ।

जांच से ग्राम हरैया के जोत चकबन्दी आकार पत्र-2 की एक जिल्द व जोत चकबन्दी आकार पत्र-23 भाग-1 की दो जिल्द बस्ते से गायब पाई गई । उक्त सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है । अभिलेखों के गायब होने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं । उक्त अभिलेखों के पुननिर्माण की कार्यवाही भी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा प्रारम्भ करा दी गई है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम भरौली की चकबन्दी से सम्बन्धित अभिलेखों में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतें एवं उनकी जांच

129–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में स्थिति ग्राम भरौली के चकबन्दी से सम्बन्धित अभिलेखों में गम्भीर अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें 1 जनवरी, 83 से 31 मार्च, 83 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो शिकायतें क्या हैं ? उनकी जॉच किससे करायी गई है तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं ? तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ । शिकायती पत्रों में निम्न लिखित 16 त्रुटियों का उल्लेख है :–

1- नई गाटा संख्या 771 में पुरानी गाटा संख्या 1430 का कोई रकबा प्रदर्शित नहीं है किन्तु 771 को 1430 की पूर्वी मेड़ तक बढ़ा दिया गया है । ऐसा होने से हरिजन आबादी तथा हड़वार हेतु सुरक्षित भूमि का सम्बन्ध एक दूसरे से टूट जाता है ।

2- यह कि नई संख्या 709 का रकवा अंतिम भूचित्र में -60 कड़ी कम तथा 712 का रकबा -060 कड़ी कम तथा 712 का रकबा -060 कड़ी अधिक बनाया गया है । यह कि गाटा 709 की चौड़ान मौका पर 10 लट्ठा कायम किया गया है, किन्तु अन्तिम भूचित्र में 7 लट्ठा कायम किया गया है ।

3- गाटा संख्या 675 का रकबा अंतिम भूचित्र में 0-090 कड़ी अधिक तथा गाटा संख्या 675/880 कर रकबा 0-090 कड़ी कम बनाया गया है ।

4- यह कि नई गाटा संख्या 698, 691 तथा 438 के दर्ज रकबा के विपरीत कम बनाया गया है ।

5- पुरानी संख्या 1364 तथा 1340 मेड़े बन्दोबस्ती भूचित्र तथा सर्वे शीट में एक सिवान में है, किन्तु अन्तिम भूचित्र में 1340 के दक्षिण खिसका दी गई है । गाटा 1340 खोर का नम्बर है किन्तु अन्तिम भूचित्र में इसमें आवादी का चिन्ह बना दिया गया है ।

6- यह कि नई संख्या 669 का क्षेत्रफल–100 कड़ी कम तथा 684 का रकबा-100 कड़ी अधिक अन्तिम भूचित्र में बनाया गया है ।

[श्री बैजनाथ कुरील]

7- यह कि साबिक गाटा संख्या 1403/0-079, हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित किया गया था, इसमें मौके पर मकान बने है, तथा उक्त रकबा को धारा 42 में डबल कायम करके खारिज कर दिया गया है ।

8- नई संख्या 662 को पुरानी संख्या 1041 व 1096 (चक बाहर भूमि) से बना है-सर्वेशीट अथवा बन्दोबस्त भू-चित्र का लिहाज करते हुए नहीं बनाया गया है ।

9- नई संख्या-669 के चारों ओर नाली तथा चकरोड बना दिया गया है, तथा गाटा संख्या 650 व 654 को चक मार्ग तथा चकनाली नहीं दिया गया है ।

10- नई संख्या 283 के उत्तरी पूर्वी सिरे पर हरिजन का पक्का कुआं है। उस कुएं के पूर्व दक्षिण में हरिजन का पुराना मकान, नाद तथा मंड़ई है । अन्तिम भू-चित्र में हरिजन का मकान नई संख्या 284 में प्रदिष्टि के विपरीत बना दिया गया है ।

11- साविक गाटा संख्या 1035 बंजर खाता की भूमि है, इसे फर्जी अमलदरामद के आधार पर गोपी पुत्र शिवमंगल के खाता में दर्ज कर दिया गया है ।

12- गाटा संख्या 814 व 708 के बीच स्थिति चक मार्ग मौके पर सीधा है किन्तु अन्तिम भू चित्र में सीधा नहीं बनाया गया है ।

13- पुरानी संख्या 654, 657, 1365, 1368 पर बनी नलकूप की पक्की नाली जो ग्राम कपारगढ़ की सीमा से मिलती है, ग्राम कपारगढ़ के उत्तरी पूर्वी कोने पर स्थित पत्थर से 97 लट्ठा के बजाय 96 लट्ठा पर कायम किया गया है ।

4- नई गाटा संख्या 843 का रकबा अन्तिम भूचित्र में कम बनाया गया है, तथा वही गाटा 840 का रकबा अधिक बना दिया गया है ।

5- अन्तिम भूचित्र में नई गाटा संख्या 447 का रकबा कम तथा पड़ोस के गाटे 443, 444 तथा 448 के रकबा अधिक बना दिये गये हैं ।

6- अन्तिम भूचित्र में गाटा संख्या 674 का रकबा –060 कड़ी कम तथा 675 का सवा 0-070अधिक बना दिया गया है ।

उपरोक्त की जांच कराई गई है । जांच के आधार पर पाया गया कि त्रुटि संख्या 1 का आरोप सही हैं । त्रुटि संख्या 2, 3, 4, 5, 6 अंशतः सही है । त्रुटि संख्या 7 व 8 से संबंधित अधिलेख की तैयारी चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही की गयी हैं । त्रुटि संख्या 9 व 12 से संबंधित भूचित्र की तैयारी अभिलेख के आधार पर ही की गई है । सक्षम न्यायालय द्वारा ही समाधान सम्भव है । त्रुटि संख्या 10 से सम्बन्धित भूचित्र की तैयारी तरमीमी भूचित्र के आधार पर ही किया गया है। त्रुटि संख्या 11 विचाराधीन पत्रावली से सम्बन्धित हैं तथा त्रुटि संख्या 13, 14, 15 तथा 16 में कथित आरोप निराधार है । उपरोक्त त्रुटियों से सम्बन्धित पृथक-पृथक पत्रावलियां तैयार की गयी हैं, तथा चकवन्दी अधिकारी स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन हैं ।

जनपद बाराबंकी, तहसील रामसनेही घाट के श्री सुरेश चन्द्र तथा श्री राम सिंहासन लेखपालों का निलम्बन एवं उनके विरुद्ध आरोप

130–श्री राम सागर–

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि गृह अनुदान वितरण की अनियमितता के लिए तहसील रामसनेही घाट जिला बाराबंकी के श्री सुरेश चन्द्र व राम सिंहासन

लेखपालों को दिनांक 5-7-82 को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां ।

निलंबित दोनों लेखपालों के विरुद्ध अलग-अलग निम्न लिखित आरोप हैं :–

श्री सुरेश चन्द्र के विरुद्ध आरोप

(1) श्री आर. सी. नागर, तात्कालिक परगनाधिकारी, रामसनेही घाट से दूरभिसंधि करके ग्राम हसौर में बाउचर न०-2 दिनांक 17-9-71 को दो व्यक्तियों सर्वश्री मनुआ व केशर चन्द्र तथा बाउचर नं० 3 दिनांक 17-9-71 को दो व्यक्तियों को सर्वश्री नन्द किशोर व राम हेतु के नाम से फर्जी अंगूठे लगा कर उनको 50 रु० 200 रु० भुगतान करना दिखाया जबकि उन लोगों को न तो कोई धन दिया गया और न ही उनके अंगूठे लिये गये थे ।

(2) ग्राम संसौर के 70 व्यक्तियों को और कोटौली के 10 व्यक्तियों को 100-100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से बाउचर सं० 37-38 दिनांक 21-11-1971 व 27-11-1971 तथा बाउचर नं०-21 दिनाँक 27-11-1971 द्वारा तात्कालिक परगनाधिकारी श्री आर. सी. नागर द्वारा वितरित करना दिखाया गया परन्तु उन्हें केवल 50-50 रु० वितरित किया गया। इस प्रकार 4000/- का दुर्विनियोजन किया गया ।

(3) बाउचर सं०-21 तथा बाउचर संख्या-36-37 दिनाँक 27-11-71 द्वारा जिन व्यक्तियों को धनराशि अनुदान वितरित कराया उनसे 10-10 रु० या 50/- कुल 200 रु० अवैध ढंग से प्राप्त किया ।

श्री राम सिंहासन के विरुद्ध आरोप

(1) श्री आर० सी० नागर, तत्कालिक परगनाधिकारी से दुरभिसंधि करके ग्राम सिकरी जीवल में बाउचर नं०-3 दिनाँक 19-3-71 में पाँच व्यक्तियों सर्वश्री अर्जुन, भवानी शंकर, मनोहर, चन्द्रशेखर, विशनदत्त के फर्जी अंगूठें लगाकर उन्हें 50-50 रु० का भुगतान दिखाया जबकि उन्हें वास्तव में कोई धन नहीं दिया गया और न ही उनके अंगूठे लिये गये इस प्रकार पद का दुरुपयोग एवं जालसाजी करके ढाई सौ, दो सौ रु० का दुर्विनियोग किया ।

(2) बाउचर नं०- 34 दिनाँक 27-11-71 ग्राम सेमरी में 26 व्यक्तियों को गृह निर्माण अनुदान में 100/- 100/- वितरित किये गये हैं सर्वश्री परसाद, भीख, मेगरू, सुपई, भगवान, बुद्धू, श्रीमती शान्ता, फूलमती, फैसला, भगवाना, दत्ता, घूरू, सर्वश्री बुद्धू श्रीमती शान्ता भगवाना, फरूला, फूलमती को 50-50 रु० पाना बताया तथा 10 व्यक्तियों सर्वश्री भगवान मोगरे, परसाद, दुखी, बुद्धू, श्रीमती शान्ता, भगवाना, फैसला, फूलमती से 10/- 10/- तथा भीखा से 15/- मेहनत का कहकर लिया । उक्त बाउचर पर संबंधित लेखपाल ने अपना हस्ताक्षर होने से इन्कार किया परन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ ने उन्हीं के हस्ताक्षर बताये ।

श्री विश्राम हरिजन, ग्राम तारागंज, थाना हैदरगंज जिला बाराबंकी का भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधी प्रार्थना पत्र एवं उस पर कार्यवाही

131–श्री राम सागर–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्राम हरिजन ग्राम तारागंज मजरे रोठी थाना हैदरगंज जिला बाराबंकी ने अपने भूमि नं० 24 व 31 के कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बाराबंकी को दिनाक 1-1-83 को कोई प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो हरिजन को कब्जा दिलाने से सम्बन्धित जिला प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वैजनाथ कुरील–

श्री विश्राम हरिजन द्वारा दिनाँक 1-1-83 को भेजा गया प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। श्री विश्राम से दिनाँक 15-6-83 को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि उनका मामला भू-राजस्व अधिनियम की धारा 41 के विश्राम बनाम देवनरायन आदि वाद के अन्तर्गत हदबरारी करने से संबंधित है। सुपरवाइजर कानूनगों ने आवश्यक जाँच व पैमायश के बाद श्री विश्राम को कथित भूमि पर कब्जा दिला दिया है।

श्री आर० जी० जौहरी सेवा निवृत उपायुक्त, विक्री कर की ग्रेच्युटी का भुगतान तथा इनके विरुद्ध पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना, अलीगढ़ की रिपोर्ट पर कार्यवाही

132–श्री राम लाल तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि श्री आर० जी० जौहरी, उपायुक्त, बिक्रीकर तारीख 30-11-82 की सेवा निवृत्त हो गये हैं ? क्या इनको ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी हाँ।

अभी नहीं।

श्री जौहरी आवंटित विभागीय जीप से हुई एक दुर्घटना के सम्बन्ध में निर्णय होने तक भुगतान रोका गया था। इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र की जाएगी।

133–श्री रामलाल तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध श्री वी. एस. गौतम, डिप्टी एस. पी. एल. आई. यू., अलीगढ़ ने जिलाधीश, अलीगढ़ के माध्यम से अपनी जाँच रिपोर्ट दिनाँक 22-9-82 भेजी थी और जाँच में इनको दोषी पाया था और मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त–

दिनाँक 22-9-82 की ऐसी कोई रिपोंट प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना अलीगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 7-10-82 में श्री जौहरी का आचरण संदिग्ध बताया गया था किन्तु मुकदमा चलाने की सिफारिश नहीं की गई थी।

इस मामले की विस्तृत जाँच पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान आगरा द्वारा की जा रही है।

उपाक्युत बिक्रीकर कानपुर द्वारा हरदोई के एक करदाता को किस्तों में दी गयी अनियमित छूट तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही

134–श्री राम लाल तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि वर्तमान उपायुक्त (शा), बिक्रीकर कानपुर तैनाती से पूर्व लखनऊ में इसी पद पर तैनात थे और उन्होंने हरदोई के एक करदाता को 12 माहवारी किस्तों से अधिक की सुविधा दी थी जबकि उनको अधिकतम 12 माहवारी किस्तों के आदेश पारित करने का अधिकार था ? यदि हाँ, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपायुक्त ने किस्तों के आदेश को स्वयं निरस्त कर दिया ? क्या ऐसा करना इनके अधिकार क्षेत्र में था और आदेश की प्रतिलिपि मिलने पर आयुक्त, बिक्री कर ने उपायुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी हाँ।

जी हाँ। त्रुटि का ज्ञान होने पर उपायुक्त द्वारा अपने आदेशों को संशोधित किया गया।

अधिकार क्षेत्र में ऐसा करने हेतु निषेध नहीं है।

अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी क्यों कि अधिकारी द्वारा अपने त्रुटिपूर्ण आदेश को संशोधित कर दिया गया था।

प्रतापपुरा, आगरा की फर्म श्री गोपाल मोटर्स पर बकाया विक्रीकर की वसूली

135–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र (1983) के प्रथम शुक्रवार को निर्धारित अता. प्र. सं. 6 के संदर्भ में क्या वित्त मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष की 76-77 व 77-78 में स्वीकृत कर जो ग्राहकों से वसूल किया था रूप पत्रों के साथ नहीं जमा किया गया ? यदि हाँ तो, अस्थायी कर निर्धारण क्यों नहीं किया गया ? क्या राजस्व के हित के लिए संबंधित अधिकारी ने तारीख 26-2-81 तक कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तब उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त–

76–77 तथा 77-78 के लिए ग्राहकों से वसूल किया गया स्वीकृत कर व्यापारी ने नक्शों के साथ जमा कर दिया था। अत: ग्राहकों से वसूल किए गए स्वीकृत कर के संदर्भ में शेष प्रश्न नहीं उठते।

गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, फर्रुखाबाद पर विक्री कर का निर्धारण एवं उसकी वसूली

136–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्रवार को निर्धारित अता. प्र. सं. 145 के संदर्भ में मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कर अधिक लगाने का क्या औचित्य था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 71-72 व 72-73 के कर आदेश कब पारित हुये ? क्या कार्य बन्द हो जाने के पश्चात आदेश पारित किये गये ? तथा राजस्व के हित में अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उपनिबन्धन महानिरीक्षक, श्री गोविन्द प्रसाद की गृह जनपद इलाहाबाद में नियुक्ति का औचित्य तथा उनके स्थानांतरण की मांग

137–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उप निबन्धन महानिरीक्षक संवर्ग के अधिकारी को अपने ही गृह जनपद में नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उप निबन्धन महा निरीक्षक, इलाहाबाद मण्डल (श्री गोविन्द प्रसाद), जो अपने ही जनपद में नियुक्त हैं, को अन्य किसी मंडल में स्थानान्तरित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त–

शासन की सामान्य नीति के अनुसार श्रेणी 'क' व 'ख' के अधिकारियों को गृह जनपद को छोड़ कर किसी जनपद में रखा जा सकता है और यही प्राविधान उप निबंधन महानिरीक्षक संवर्ग के अधिकारी के संबंध में भी, जो श्रेणी 'क' के अधिकारी हैं, लागू है, उपमहानिरीक्षक संवर्ग में वरिष्ठतम अधिकारी होने के कारण निबंधन महानिरीक्षक के मुख्यालय पर कार्य हेतु उनकी सहज उपलब्धता को ध्यान में रखकर श्री गोविन्द प्रसाद को इलाहाबाद मंडल के मुख्यालय पर तैनात किया गया । शासनादेश सं. 16/3/1980 कार्मिक 2 दिनाँक 12-4-83 में निर्धारित स्थानान्तरण संबंधी निर्देशों के अनुसार उन्हें इलाहाबाद जनपद से स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये जा रहे हैं ।

गन्ना आयुक्त कार्यालय द्वारा गन्ना विकास परिषदों को प्रेषित आडिट आपत्तियों को दूर करने सम्बन्धी पत्र

138–कुवेर भण्डारी–

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त कार्यालय लखनऊ से कोई पत्र कार्यालय के पत्रांक 825/79 के द्वारा प्रदेश के समस्त गन्ना विकास परिषदों को आडीटर्स द्वारा दर्शाई गई कमियों को दूर करने हेतु भेजा गया है ? यदि हाँ, तो वह

पत्र क्या है ? अब तक उस पत्र के ऊपर प्रदेश की गन्ना परिषदों ने अमल किया ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

छंटनी शुदा कृषि अमीनों एवं चपरासियों को राजस्व विभाग में नियमित तथा सामयिक पदों पर नियुक्ति में वरीयता दिये जाने संबंधी शासन का निर्देश तथा जनपद देवरिया में उसका अनुपालन

139–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व विभाग-6 के अर्ध शासकीय पत्र सं. 135/26/79 (+77) दिनांक 7-7-80 के क्रम में छटनी शुदा कृषि अमीन एवं चपरासियों को राजस्व विभाग के नियमित (पूर्ण वर्ष कालिक) तथा सामयिक पदों पर हुई 1975 के बाद की नियुक्तियों में शासनादेशों के अनुरूप इनकी पिछली सेवाओं के अनुसार वरीयता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन्हें देवरिया जिला प्रशासन द्वारा सामयिक कर्मचारियों मे वरिष्ठाधिकार मे वंचित क्यों किया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

प्रश्न में उल्लिखित शासन के अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 7-7-80 में छटनीशुदा कृषि अमीनों को बाहरी व्यक्तियों की तुलना में संग्रह योजना में केवल सामयिक पदों पर भर्ती में प्राथमिकता दी गई है। उक्त पत्र में चपरासियों को राजस्व विभाग में नियुक्तियों में कोई वरीयता देने का उल्लेख नहीं है ।

सामयिक अमीनों की आपसी वरिष्ठता का प्रश्न नहीं होता। अतएव देवरिया जिला प्रशासन द्वारा कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों को वरिष्ठता प्रदान करने का प्रश्न नहीं है ।

140–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आद्या शंकर उप सचिव उ. प्र. शासन, लखनऊ ने अपने पत्र सं. 5671/19175 तददिनांक 20 अक्तूबर, 75 के अनुसार सचिव राजस्व परिषद उ. प्र. लखनऊ को आदेश दिया था कि जनपदों में रिक्तियों की भर्ती छटनी शुदा कर्मचारियों में से की जायेगी ? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन जनपद देवरिया में किया गया ? यदि नहीं, तो छटनी शुदा कर्मचारियों को तत्काल भर्ती करने का आदेश दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

141–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, राजस्व परिषद ने अपने पत्रांक 17840/95/2-96 वी/76 दिनांक 21 जुलाई, 1977 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दिया था कि कृषि विभाग के छटनी शुदा अमीनों को वरीयता क्रम में स्थायी अमीन के पद पर नियुक्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या इसका पालन देवरिया जनपद में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

परिषद के पत्र संख्या 17840-95/2-96 बी/76, दिनाँक 21-7-77 में शासना देश संख्या 51/14/73 (324) टी. सी. दिनांक 30-4-77 के आदेशानुसार कार्यवाही करने तथा किसी अनर्ह भूतपूर्व कृषि अमीन को सेवा में नियुक्त न करने के लिये समस्त जिलाअधिकारियों से कहा गया था । शासनादेश दिनांक 30-4-77 में कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों को यदि वे अन्यथा अर्ह हों और कृषि विभाग में उनका कार्य संतोषजनक रहा हो, भविष्य में राजस्व विभाग में संग्रह अमीन के पदों पर भर्ती में केवल वरीयता देने के निर्देश दिये गये थे । बाद में समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 135/26/79 (477)-राजस्व-6 दिनांक 7 जुलाई, 1980 में यह निदेश प्रसारित किये गये कि उक्त शासनादेश दिनांक 30-4-77 का तात्पर्य यह नहीं था कि संग्रह अमीन के पदों पर भर्ती के लिये सेवा नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया से कृषि अमीनों छूट प्राप्त होगी और संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली के उपबन्धों के विपरीत कृषि अमीनों की नियमित पदों पर नियुक्ति तथा स्थाईकरण की कार्यवाही अनियमित एवं अवैध्र मानी जायेगी ।

जनपद देवरिया में उपरोक्त शासनादेश का पालन किया गया और किसी अनर्ह भूतपूर्व कृषि अमीन को नियुक्त नहीं किया गया ।

जिला आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल में कार्यरत मजदूरों की श्रेणियां तथा उनकी मजदूरी की दर

142–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल में कितने मजदूर किन-किन श्रेणियों में कार्यरत है तथा मजदूरों को प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी जाती है ? क्या शुगर फैक्ट्री को स्टैंडिग आर्डर में डेली मजदूर रखने का प्राविधान है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जिला आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल में कुल 692 कर्मचारी कार्यरत हैं । इन कर्मचारियों में से 278 कर्मचारी नियमित पदों पर तथा 416 कर्मचारी सामयिक पदों पर नियुक्त हैं । इन कर्मचारियों को द्वितीय शुगर वेज बोर्ड निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है । शुगर फैक्ट्री के स्टैंडिग आर्डर के अनुसार डेली मजदूर रखने का प्राविधान है ।

श्री जगदीश चन्द्र पाण्डेय को भटनी चीनी मिल में हेड पैन मैन के पद पर नियुक्त करने सम्बन्धी पत्र

143–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि० जुलाई, 82 से 31 दिसम्बर, 82 के बीच प्रबन्ध निदेशक दि यू० पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन, लखनऊ जिसमें जगदीश चन्द्र पांडेय को भटनी शुगर मिल में हेडपेन मैन के पद पर नियुक्त करने के लिए प्रार्थना की गयी, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इसकी जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा बिन्दुवार जांच आख्या क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्री जगदीश चन्द पांडेय को भटनी चीनी मिल में हेडपेन मैन के पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जुलाई से दिसम्बर, 1982 के बीच प्राप्त नहीं हुआ । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिल मुंडेरवा, जिला बस्ती के साधिकार नियंत्रक के विरुद्ध शिकायत एवं उनका स्थानांतरण

144–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि० 8-10-82 जिसमें चीनी मिल मुडरेवा, वस्ती, जनपद वस्ती में श्री कुरील साधिकार नियंत्रक (ए. डी. एम.) द्वारा वर्ती जा रही अनियमितताओं एव भ्रष्टाचार किये जाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी तथा विन्दुवार आख्या क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 8-10-82 शासन में प्राप्त नहीं हुआ । अतः उस पर किसी कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं है । मुन्डेरवाँ चीनी मिल बस्ती के तत्कालीन रिसीवर के विरुद्ध, अन्य श्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनके स्थानांतरण की मांग की गई थी । उक्त रिसीवर का मुन्डेरवाँ चीनी मिल से स्थानन्तरण किया जा चुका है ।

टिहरी गढ़वाल जनपद की देव प्रयाग तहसील में ओला वृष्टि

145–श्री विद्यासागर नौटियाल–

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तारीख 19 तथा 26 मार्च, 83 को तथा 13 व 14 अप्रैल, 83 को टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग तहसील के कितने तथा किस किस गाँवों में ओलावृष्टि हुई ? इन तिथियों पर होने वाली ओलावृष्टि से फसल की कितनी क्षति हुई । सरकार की ओर से क्षतिग्रस्त गाँवों के निवासियों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

टिहरी गढ़वाल जनपद की तहसील देव प्रयाग में दिनाँक 19-3-83 को 27, 26-3-83 को 3 तथा 13-4-83 को 5 ग्रामों में ओला वृष्टि हुई थी जिनके नाम संलग्न तालिका में अंकित हैं दिनाँक 14-4-83 को किसी भी ग्राम में ओला वृष्टि नहीं हुई ।

उक्त तिथियों को हुई ओला वृष्टि से रबी की फसलों को 10 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक क्षति पहुंची । प्रभावित व्यक्तियों के नियमानुसार अहेतुक सहायता तथा सामान्य आपदा तकावी के वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 377 पर)

ग्राम सभा गोधना, जिला वाराणसो के हरिजनों में आवासोय तथा कृषि भूमि का गलत आवंटन

146–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सरकार को जानकारी हैं कि ग्राम सभा गोधना बि. खंड डीथ, तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी के हरिजनों को आवास एवं जोत का आवंटन हलका लेखपाल एवं ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित एवं नाजायज तरीके से अपात्र लोगों को किया गया है ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 27-1-83 को राजस्व मंत्री द्वारा सही आवंटन हेतु आदेश पारित किया गया था ? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गांव सभा गोधना में मात्र आवास स्थल का आवन्टन 34 व्यक्तियों को हुआ है । यह सभी लोग अनुसूचित जाति [चमार] के हैं । प्रत्येक व्यक्ति को एक बिसवा के हिसाब से आवन्टन हुआ है, जिसकी स्वीकृति परगनाधिकारी ज्ञानपुर द्वारा दिनाँक 12-12-82 को दी गयी है। यह सभी आवन्टन समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करके प्रथम दृष्टया पात्र व्यक्तियों को किये गये हैं । इस ग्राम में अभी तक कृषि भूमि का आवन्टन नहीं हुआ हैं । गाँव सभा गोधना के निवासियों का पत्र दिनाँक 27-1-83 प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया । इस पर नायब तहसीलदार द्वारा जाँच कराकर जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराई जा रही है ।

147–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

[5 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के ग्राम विशुनपुर मटियरा के भूतपूर्व प्रधान द्वारा अपने परिवार में सार्वजनिक भूमि को आवंटित कर लेने के विरुद्ध शिकायत

148–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ग्राम बिशुनपुर मटियरा के भ.पू. प्रधान द्वारा अपने पुत्रों, पौत्रों, भाइयों में सार्वजनिक आबादी की भूमि के बाँटने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र दिनाँक 21-1-83 प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपने अपने पत्राँक जाँच 373/रा. म./83 विधान भवन, लखनऊ दिनाँक 2-2-83 द्वारा किया हैं ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम मुंडेरा कला के कुछ निवासियों को खलिहान हेतु भूमि दिये विषयक पत्र पर कार्यवाही

149–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराज गंज के ग्राम मुंडेराकला के कुछ निवासियों को खलिहान हेतु भूमि दिये जाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का माह अगस्त, 80 से नवम्बर 81 तक कितने पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? क्या यह सत्य है कि श्री कृष्ण बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव ने अपने अर्ध शासकीय पत्र सं० एम० 536/1-6-81-रा० 8 राजस्व अनुभाग,— 8 लखनऊ दिनांक 4 नवम्बर, 81 द्वारा प्रश्नकर्त्ता के पत्र प्राप्त की स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराज गंज के ग्राम मुंडेराकला के कुछ निवासियों को खलिहान हेतु भूमि दिये जाने के संदर्भ में माह अगस्त, 1980 से नवम्बर 1981 तक की अवधि तक केवल एक पत्र शासन में प्राप्त हुआ है ।

जी हाँ । श्री पुरुषोत्तममख ग्राम मुंडेराकला तहसील महाराज गंज जनपद गोरखपुर के चकबन्दी में खलिहान हेतु भूमि की मांग विषयक प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गई श्रीमती हौसिला देवी पुत्री बद्री प्रसाद चक ग्रहीता संख्या 536 की अपील में उक्त शिकायत कर्ता एवं ग्राम प्रधान को नोटिस जारी की गयी । अपील के निर्णय में गाटा संख्या 784/-15 चक संख्या 536 में प्रदिष्ट कर दिया गया जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता ने निगरानी दायर की जो निरस्त कर दी गई । इस न्यायिक मामले में अन्य कोई कार्यवाही संभव नहीं है ।

झांसी तहसील के लेखपाल श्री मिथिलेश कुमार की भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा समाप्ति तथा उसकी पुनर्नियुक्ति

150–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप में तत्कालीन मंडल आयुक्त श्री अरविन्द वर्मा के 20 जनवरी, 80 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिये जाने के बाद भी झांसी तहसील के लेखपाल श्री मिथिलेश कुमार को पुन: मऊरानीपुर तहसील में लेखपाल के पद पर ही नियुक्त कर दिया गया था ? यदि हाँ, तो पुन: नियुक्ति किन आधारों पर की गयी थी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ ।

मण्डल आयुक्त झाँसी के आदेश दिनांक 20 जनवरी, 80 के द्वारा श्री मिथिलेश कुमार भूतपूर्व लेखपाल, तहसील झाँसी को सेवा बर्खास्त (डिसमिस) नहीं किया गया था

बल्कि उक्त आदेश के द्वारा परगनाधिकारी, झाँसी/नियुक्त प्राधिकारी के सेवा से पृथक किये जाने सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध श्री मिथिलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्योवदन को निरस्त किया गया था ।

2. नव नियुक्ति हेतु श्री मिथिलेश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं उसमें सेवा से पृथक किये जाने विषयक तथ्य का उल्लेख न होने तथा कार्यालय प्रालेख में भी उल्लेख न होने के फलस्वरूप नव नियुक्ति की गयी थी परन्तु ज्यों ही तथ्य प्रकाश में आये उन्हें सेवा से हटा दिया गया और कार्यालय से संबंधित कर्मचारी को भी चेतावनी दी गई ।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम ठ्यूरी के चल्थी लोक में कुटीर उद्योग हेतु स्वीकृत प्लाट

151–श्री मोहन सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम ठ्यूरी के चल्थी लोक में उ० प्र० शासन की भूमि कुटीर उद्योग हेतु 6–1–81 को स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो क्या उसमें उद्योग लगा? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्वीकृत प्लाट के बदले दूसरा प्लाट दिया गया है ? यदि हां, तो पट्टा किस तारीख को दिया गया ।

श्री बैजनाथ कुरील–

–जी हाँ । स्वीकृत भूमि पहले से ही डी० जी० बी० आर० के कब्जे में है, अतः उक्त विभाग ने इस स्वीकृति के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया । फलस्वरूप जिला अधिकारी ने दिनांक 24–2–83 को किसी अन्य भूमि के स्वीकृति का आदेश दिया । अन्यत्र भूमि की व्यवस्था कर के दिनाँक 11–7–83 को श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा को एस० डी० एम० लोहा घाट के कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए । नए प्रस्ताव के अनुसार भूमि स्वीकृति के उपरान्त ही भूमि का पट्टा वर्मा को दिया जा सकेगा।

खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत के माध्यम से काष्ठ कला कुटीर उद्योग हेतु ऋण लेकर मशीनों का क्रय

152–श्री मोहन सिंह

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या काष्टकला कुटीर उद्योग की मशीनें स्थानीय विकास से ऋण लेकर 12–7–82 को खरीद की सूचना खंड विकास अधिकारी, चम्पावत के माध्यम से दी गई है ? यदि हां, तो भूमि के अभाव में मशीनों के न लगने के कारण तब से अब तक उस ऋण के ब्याज का भुगतान उन अधिकारियों से कराया जायगा जिनके कारण भूमि उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ ?

श्री बैजनाथ कुरील–

–जी हां । श्री वर्मा की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी कि वे भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण लेते । अतः विकास ऋण की किस्त एवं ब्याज की धनराशि को समय से जमा न करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं का है किसी अधिकारी से किसी प्रकार की वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

153–श्री राजकुमार राय–

–[पुनर्विचार पर निरस्त]

154–श्री राजकुमार राय–

–[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम गोनधता, जनपद गोरखपुर के लेखपाल विरुद्ध श्री राम नरेश चौहान का शिकायती पत्र एवं उस पर कार्यवाही

155–श्री राजकुमार राय–

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम गोनधता परगना चिल्कूपार तहसील बांसगांस घोटालों से संबंधित श्री रामनरेश चौहान कांग्रेस कार्यकर्ता का पत्र प्रश्नकर्त्ता के संस्तुति दिनांक 2–3–83 के साथ उन्हें मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां, श्री रामनरेश चौहान का कथित पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायत की गई थी कि ग्राम गोनघट तप्पा के क्षतिग्रस्त मकानों के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को 400/– रु० सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें से हल्का लेखपाल ने 20 प्रतिशत रुपया उनसे जबरदस्ती वसूल कर लिया। यह भी शिकायत की गई थी कि अनुदान पंजिका पर बांटते समय धनराशि अंकित नहीं की गई थी ।

शासन द्वारा उक्त शिकायती पत्र जिलाधिकारी गोरखपुर को जाँच उपरान्त नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु भेज दिया गया था । जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार जाँचोपरान्त कथित आरोप निराधार पाये गये ।

आजमगढ़ जनपद के भूतपूर्व सरकारी वकील माल (श्री नरेन्द्र नाथ सिंह) के पारिश्रमिक का भुगतान

156–श्री राजकुमार राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 से 2रे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 150 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 106 मामले के अलावा अन्य मामलों के पारिश्रमिक का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? अब उसे कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

157–श्री राजकुमार राय–

– [आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

ग्राम जमुधावां, जिला आजमगढ़ के तालपोखरों की नीलामी की बकाया धनराशि की वसूली

158–श्री राजकुमार राय–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री राम राय, निवासी जमुधावां, तहसील चौकगाँज का पत्र प्रश्नकर्ता के संस्तुति के साथ दिनाँक 21-3-83 बाबत करने वसूल

14000/–, 42000/–, 19500/– रकम नीलाम प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो वसूली की कार्यवाही की गई ? वसूली में क्या दिक्कतें हैं और कब तक वसूली हो जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

श्री राम राय, निवासी जमुआंवा, तहसील लालगंज, जिला–आजमगढ़, का एक प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनाँक 21-3-83 के साथ माननीय राज्य मन्त्री जी राजस्व को प्राप्त हुआ था जो उनके द्वारा सीधे ही मूलरूप में जिलाधिकारी, आजमगढ़, को दिनाँक 22–3–1983 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। उस प्रार्थनापत्र में सर्वश्री सोमारू राम, मुरलीधर राय व लाल जी यादव के विरूद्ध ताल–पोखरों की नीलामी की बकाया धनराशि क्रमशः रु० 14,000/–, रुपया 42,000/– व रु० 19,500/– वसूल करके गाँव सभा फण्ड में डाले जाने की प्रार्थना की गई थी। उपरोक्त धनराशियों में से क्रमशः रुपया 7,000–, रु० 10,550/– व रु० 19,500/– की धनराशियाँ वसूल की जा चुकी हैं। शेष धनराशियों की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

श्री अमीर चन्द सिंह निवासी मधुवन, जिला आजमगढ़ पर विक्रीकर विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा अनियमित कर निर्धारण

159–श्री राजकुमार राय–

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री अमीर सिंह, निवासी मधुवन, जिला आजमगढ़ का पत्र प्रश्नकर्त्ता के संस्तुति के साथ विभिन्न मामलों में विक्रीकर के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से एसेसमेंट व निर्णय के सम्बन्ध में दिनांक 18–3–83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो प्रमुख बिन्दु क्या थे ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त–

श्री अमीर चन्द सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह स्थानीय निवासी मधुवन जिला आजमगढ़ के दिनांक रहित पत्र में वर्ष 1970–71, 71–72 तथा 72–73 के लिये उन पर गोरखपुर देवरिया तथा पडरौना के विभिन्न अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करने की शिकायत की गई थी तथा कर निर्धारण आदेशों को रद्द करने एवं मांग निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में परिक्षेत्र से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या से पाया गया कि कर निर्धारण आदेश विभिन्न मंडलों/खण्डों में प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा एक पक्षीय रूप से पारित किये गये थे। सभी कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई तथा अपील अधिकारी द्वारा अपीलें स्वीकार करते हुए वाद प्रतिप्रेक्षित किये गये। प्रतिप्रेक्षित किये जाने पर दो वादों में व्यापारी को करमुक्त घोषित कर दिया गया। अन्य प्रतिप्रेक्षित वादों के निस्तारण हेतु भी व्यापारी ने कोई सहयोग नहीं दिया। अतः संबंधित अधिकारियों द्वारा पुनः एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में आगे से जांच की जा रही है कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा एक ही व्यापारी पर भिन्न भिन्न कर निर्धारण आदेश किन परिस्थितियों में पारित किये गये और शिकायत प्राप्त होने पर भी उनका निराकरण क्यों नहीं किया जा सका।

कृषि कार्य हेतु प्रयोज्य ट्रैक्टर व ट्राली से विक्रीकर की समाप्ति

160–श्री राजकुमार राय–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि कार्य हेतु प्रयोज्य ट्रैक्टर व ट्राली से बिक्रीकर कब से समाप्त किया हुआ है तथा उसका कार्यान्वयन कब से हुआ ?

श्री ब्रह्मदत्त–

ट्रैक्टर व ट्राली पर बिक्रीकर कभी समाप्त नहीं किया गया और फलतः उसके कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० श्री क्षत्रपाल सिंह, संग्रह अमीन, तहसील व जिला लखनऊ की विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

161–श्री सन्त बख्श रावत–

दिनांक 4-3-83 के अता० प्र० सं० 109 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संदर्भित क्लेम को महालेखाकार ने बंध पत्र एवं विकल्प पत्र संबंधित जिलाधिकारी के कार्यालय लिपिक द्वारा समय से क्या शासन की परिषद् एवं आयुक्त के संज्ञापन में नहीं लाया गया और शासन से पुनः अनुमति नहीं प्राप्त की गई ? यदि हाँ, तो संबंधित कार्यालय लिपिक के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है ? अब जिलाधिकारी का प्रस्ताव महालेखाकार को किस तिथि को भेजा गया ?

श्री वैजनाथ कुरील–

यह सही है कि महालेखाकार द्वारा बन्ध पत्र एवं विकल्प पत्र को कालातीत घोषित करने के उपरान्त जिलाधिकारी के कार्यालय लिपिक द्वारा संयुक्त विकल्प एवं बन्ध पत्र में हुये विलम्ब से छूट प्रदान करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने संबंधी कार्यवाही समय से नहीं की गयी । संबंधित लिपिक के सेवा निवृत्ति हो जाने के कारण कोई दन्डात्मक कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है ।

जिलाधिकारी का विलम्ब से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया था और जिलाधिकारी को यह निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं कि वह पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के प्राविधानों के अनुसार स्वर्गीय अमीन की विधवा से उसके पति की दो महीने की परिलब्धियों के बराबर अनुतोषिक की धनराशि जमा कराकर एवं संयुक्त विकल्प पत्र एवं बन्ध पत्र की त्रुटियों को दूर करा कर शासन को भेजे जिससे शासन द्वारा इस मामले में हुये विलम्ब से छूट प्रदान की जा सके, ताकि विधवा को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा महालेखाकार को भेजा जा सके ।

जनपद मथुरा के राया तथा बल्देव ब्लाकों के ग्रामों में भूमिहीनों को भूमि का आवंटन तथा कब्जा

162–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ब्लाक राया व ब्लाक बल्देव में कितने ग्रामों में गत वर्षों में भूमिहीनों को पट्टे दिये गये थे ? क्या उनको उन पर कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक कब्जा दिला दिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद मथुरा के ब्लाक राया में भूमिहीनों को 65 ग्रामों में कृषि भूमि के पट्टे तथा 73 ग्रामों में आवासीय भूमि के पट्टे किए गए। 1505 व्यक्तियों को कृषि भूमि के पट्टे तथा 1665 आवन्टियों को आवासीय भूमि के पट्टे किए गए। उक्त आवन्टियों में से कृषि भूमि सम्बन्धित 135 आवन्टियों को भूमि यमुना नदी में कट जाने एवं न्यायालयों में वाद लम्बित होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया। आवासीय भूमि के आवन्टियों में से 151 आवन्टी को न्यायालय में वाद चलने तथा कुछ प्लाट आबादी से दूर होने के कब्जा नहीं ले सके। न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण के बाद ही कब्जा दिलाने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

163–164– श्री प्रदीप कुमार यादव–

[5वें मंगलवार में प्रश्न संख्या-79, 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोन्डा के अंतर्गत करनैलगंज तथा मनकापुर एवं जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत रूदौली में नई तहसीलों की स्थापना

165–श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री छेदी लाल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा के अन्तर्गत करनैलगंज और मनिकापुर तथा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत रुदौली में नयी तहसीलों के बनाये जाने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अन्तिम रूप से निर्णय कब तक ले लिया जायेगा।

श्री बैजनाथ कुरील–

प्रदेश में तहसीलों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद, की अध्यक्षता में तहसील पुनर्गठन समिति का गठन दिनाँक 18 मई, 1982 को किया गया था। समिति का प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हो गया है जिस पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जाएगा।

महाराज गंज, जनपद गोरखपुर के व्यापारियों के विरुद्ध बिक्रीकर की चोरी का आरोप एवं उसकी जांच

166–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील मुख्यालय महाराजगंज के किन-किन व्यापारियों या दुकानदारों के विरुद्ध अगस्त, 82 से फरवरी 14, 1983 तक बिक्रीकर की चोरी की शिकायतें स्थानीय अधिकारियों व शासन को प्रश्नकर्त्ता की ओर से प्रेषित की गई ? अब तक इस दिशा में जांच में क्या तथ्य पाये गये तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उपर्युक्त संदर्भ में जांच करने हेतु विशेष जांच शाखा से मांग की गई थी ? यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त–

प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र दिनाँक 27-10-82 बिक्रीकर अधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था जिसमें सर्वश्री श्याम वस्त्रालय के विरुद्ध शिकायत की गई थी । दूसरा शिकायती पत्र दिनाँक 18-1-1983 उपायुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था, जिसकी प्रति शासन में भी प्राप्त हुई थी । इस शिकायती पत्र में सर्वश्री श्याम वस्त्रालय झुगिया की दुकान के नाम से प्रसिद्ध दुकानों द्वारा बिक्रीकर की चोरी करने की शिकायत की गई है ।

सर्वश्री श्याम वस्त्रालय के यहां दिनाँक 26-1-1983 को बिक्रीकर अधिकारी, गोरखपुर द्वारा जाँच की गई, जिसमें एक लाख से अधिक का कर मुक्त कपड़े का स्टाक व लगभग 4 हजार का लिहाफ का स्टाक पाया गया था, जिसके आधार पर नियमानुसार अस्थाई कर निर्धारण की कार्यवाही कर दी गई हैं । दिनाँक 18-1-83 के शिकायती पत्र की जांच बिक्रीकर अधिकारी (वि०अनु०शा०) से करायी गई थी । शिकायती पत्र में श्याम वस्त्रालय के अतिरिक्त अन्य किसी व्यापारी का नाम नहीं दिया गया था । झुगिया के नाम से कोई दुकान नहीं है । परन्तु शिकायत में वर्णित स्थानों पर निम्न 6 फर्में पायी गयी हैं, जिनकी जांच की गई:–

1- सर्वश्री श्याम वस्त्रालय महाराजगंज, गोरखपुर-जांच विवरण ऊपर दिए जा चुके हैं ।

2- सर्वश्री दुर्गा वस्त्र भण्डार महाराजगंज- केवल कपड़े का व्यापार पाया गया, जिस पर बिक्रीकर नहीं है ।

3- सर्वश्री गोयनका-वस्त्रालय-दिनाँक 26-1-83 के सर्वेक्षण में एक लाख से अधिक कर मुक्त कपड़े आदि का स्टाक पाया गया है । लिहाफ का 4 हजार का स्टाक पाया गया है । जिसके आधार पर नियमानुसार, अस्थाई कर निर्धारण कार्यवाही कर ली गई है ।

4- सर्वश्री अग्रवाल जनरल स्टोर, महाराजगंज- व्यापारी के यहाँ जाँच की जा चुकी है जाँच में पाए गए तथ्यों के आधार पर जाँच रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी को 18-7-1983 को भेज दी गई है । अभी कर निर्धारण कार्यवाही अवशेष है ।

5- सर्वश्री सिंहानिया किराना स्टोर, महाराजगंज- कोई आयातित माल का व्यापार करना नहीं पाया गया । जाँच में पाए गए तथ्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी को 18-7-1983 को भेज दी गई है । अभी कर निर्धारण अवशेष है ।

6- सर्वश्री गोयनका किराना स्टोर महाराजगंज- व्यापारी के यहाँ जाँच के दौरान कुछ संदेहजनक अभिलेख अभिग्रहीत किए गए हैं जिनका परीक्षण बिक्रीकर अधिकारी (वि०अनु०शा०) द्वारा किया गया । जाँचोपरांत जांच रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी को 20-5-83 को भेज दी गई है । कर निर्धारण व अर्थदंड की कार्यवाही चल रही है ।

ग्राम तपसी पुरवा, मजरा धमौड़ा, जिला सीतापुर में समुचित चकरोड की व्यवस्था

167–श्री शंकर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे शुक्रवार के अता०प्र० संख्या 72 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त ग्राम में समुचित चकरोड की व्यवस्था

[श्री शंकर सिंह]

करने के सम्बन्ध में अब तक क्या जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उक्त ग्रामवासियों की असुविधा को दूर करने के लिए इसकी अविलम्ब व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गाँव की उत्तर दक्षिण की आवादी के गाटा संख्या- 1821/1 से निकलने के लिए पुराना आम रास्ता उपलब्ध है । यह ग्राम की आवादी से निकलने के लिए पर्याप्त है तथा गाँव के तीन तरफ से चकवन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चक मार्ग प्रदिष्ट किये गये हैं, जो आवादी से मिले हैं ।

ग्राम टटेहरा जिला वाराणसी में चकवन्दी विभाग द्वारा बंजर में स्थित कूप को आवादी में दर्ज करने के विरुद्ध जांच की मांग

168–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव टटेहरा, परगना कंसवार राजा तहसील व जिला वाराणसी में कूप नं० 93 फ०सन् 1309 में दर्ज है और चकवन्दी क्रिया के पूर्व भी दर्ज था तथा वहाँ 9 डि. बंजर भी था ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि चकवन्दी विभाग वाराणसी के कर्मचारियों/अधिकारियों ने उक्त कूप नं० 93 व 9 डि० बजर को खत्म करके आवादी चकवन्दी रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जवकि कूप आज भी मौजूद है ? क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी और कागजात ठीक कराकर दोषी लोगों को सजा देगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम टटेहरा, परगना कसवार राजा, तहसील व जिला वाराणसी के गाटा संख्या 93 क्षेत्रफल 0-09 एकड़ सन् 1309 फ० में नहीं वरन् 1319 फ० में बजर अंकित है ।

चकवंदी प्रक्रियायें प्रारम्भ होने से पूर्व आधार वर्ष की खतौनी 1381 से 1383 फ० में उक्त गाटा आवादी अंकित है जिसमें कूप भी अँकित है ।

उक्त गाटे पर आधार वर्ष के अनुसार ही यथावत् इन्द्राज अव भी विद्यमान है । अतः कागजात दुरुस्त कराने व विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम टटेहरा, जिला वाराणसी में स्थित चकरोडों पर अवैध कब्जा

169–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव टटेहरा परगना कंसवार राजा, तहसील व जिला वाराणसी के चक रोड नं० 115 व 75 तथा जी०एस० 78 व 79 पर कब्जा नाजायज कर लेने की वजह से दफा 122 बी का मुकदमा चलाया गया था ? यदि हाँ, तो चकरोड व जी०एस० को बेदखल करने का आदेश व जुर्माना किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त चकरोड तथा जी०एस० को अव तक न छोड़वाने का कारण क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को 31-5-62 व 4-6-82 को रजिस्ट्री द्वारा नागरिकों ने प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

इस ग्राम की भूमि नम्बर 115 की 4 डि०, नम्बर 75 की 5-1/2 डि०चक मार्ग तथा नम्बर 78 की 2-1/2 डि० नई परती भूमि के सम्बन्ध में धारा 122- वी का मुकदमा चलाया गया था। नम्बर 79 की 9 डि० आबादी के सम्बन्ध में कोई मुकदमा नहीं चला था। यह ग्राम सभा की भूमि नहीं है। नम्बर 75 की 2 डि०, 115 की 4 डि० तथा 78 मि० की 1-1/2 डि० भूमि से सम्बन्धित मुकदमें में बेदखली करने तथा रुपया 150/- जुर्माना करने के आदेश हुए, कब्जा छोड़वा दिया गया हैं तथा जुर्माना वसूल हो चुका है। कब्जा छोड़ने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति ने पुन: कब्जा कर लिया। उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा- 447 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। नम्बर 78 के 1 डि०क्षेत्र तथा नम्बर 75 के 3-1/2 डि० क्षेत्र से सम्बन्धित मुकदमों में अनाधिकृत कब्जा साबित नहीं हुआ। नागरिकों द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी को भेजे गये कथित पत्र दिनाँक 31-5-82 व 4-6-82 का जिला कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

वित्त लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर-प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में हरिजनों का आरक्षण कोटा

170–श्री ऊदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त लेखा परीक्षा सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ०प्र० के लखनऊ कार्यालय में हरिजनों एवं अनुसूचित जन जातियों का आरक्षण कोटा 18 व 2 प्रतिशत पूरा नहीं है, इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करके रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

माननीय सदस्य का लखनऊ कार्यालय से संभवतया आशय सबंधित विभागाध्यक्ष के लखनऊ स्थित मुख्यालय के कार्यालय से हैं। उत्तर उसी सन्दर्भ में प्रस्तुत है। सबंधित विभागाध्यक्ष के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय में कुछ पद ऐसे हैं जिनकी गणना समस्त प्रदेश के सम्वर्ग (कैडर) में सम्मिलित है और उनमें आरक्षण प्रदेश स्तर पर रखा जाता है तथा कुछ पद ऐसे हैं जिनकी गणना केवल मुख्यालय के कार्यालय स्तर पर ही की जाती है। कुछ पदों पर मुख्यालय के कार्यालय में जिले एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से स्थानांतरण होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यालय के कार्यालय के कुछ पदों पर आरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है।

2– यह सही है कि मुख्यालय के कार्यालय में कुछ पदों पर आरक्षण कोटा पूरा नहीं है। आरक्षण कोटा पूरा करने के लिये शासन द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अर्द्ध शा० पत्र सँख्या आडिट–1520 दस-83-101 (7)/82 दिनाँक 25 मार्च, 1983 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जिन पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण पूर्ण नहीं है उस क्षेत्र की नई रिक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के ही अभ्यर्थी नियुक्त किये जायें जिससे आरक्षण कोटा पूर्ण हो जाय। शासन की नीतियों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु शासन स्वयं जागरूक है। अत: विभाग में आरक्षण कोटा पूर्ण न होने के संबंध में जाँच कराकर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने को आवश्यकता नहीं है।

उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों में आरक्षण कोटा

171–श्री ऊदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विभाग में उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के पदों में कोटा के हिसाब से आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

प्रश्नान्तर्गत उल्लिखित पदों में आरक्षण कोटा के संबंध में स्थित निम्न प्रकार है:–

उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के चार पदों में से एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है । उक्त आरक्षित पद पर श्री राम नेवाज सरोज स्थाई सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी, जो अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी थे, की नियुक्ति की गई थी किन्तु श्री सरोज द्वारा पद का कार्यभार न ग्रहण करने तथा विभागीय सेवा नियमावली में विहित शर्तों के अनुकूल अनुसूचित जाति का अन्य पात्र अभ्यर्थी विभाग में उपलब्ध न होने के कारण जनहित में इस आरक्षित पद पर सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई है । उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाले अन्य अनुसूचित जाति का पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अन्तर्गत उपलब्ध क्षेत्रीय सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी के 16 पदों के विपरीत सम्प्रति अनुसूचित जाति के तीन सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी पदोन्नति से तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती से सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 1982 के माध्यम से अनुसूचित जाति के आरक्षित एक पद पर आयोग से अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम प्राप्त हो गया है जिसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश शासन द्वारा यथा समय जारी किये जायेंगे । इस प्रकार क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर आरक्षण का कोटा पूर्ण है ।

जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के पदों पर आरक्षण कोटा पूरा नहीं है क्योंकि समय समय पर की गई प्रोन्नतियों में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के संवर्ग में पात्र अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु यथेष्ठ संख्या में उपलब्ध नहीं पाये गये । जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी पात्र पाये गये उनकी पदोन्नति उक्त पद पर कर दी गई है ।

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जन जाति के अधिकारियों का स्थायीकरण न होने से आरक्षण कोटा पूरा न होना

172–श्री ऊदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आरक्षण संबंधी शासनादेश, 1515/1973 रा. एकी. लखनऊ दिनाँक 20 मार्च, 1974 में स्पष्ट व्यवस्था है कि 18 व 2 प्रतिशत

आरक्षण रहेगा ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के स्थायीकरण न होने की वजह से कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है ? क्या यह सही है कि वर्षों से कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी भी नहीं किया जा रहा है ? क्या रोस्टर के हिसाब से स्थायीकरण किया गया ? क्या यह भी सही है कि कोई भी रोस्टर रजिस्टर ही नहीं बनाया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हाँ ।

जी हाँ । यह सही है कि सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अन्तर्गत कतिपय श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारियों के स्थाईकरण न होने के कारण कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है ।

जी नहीं । यह सही नहीं है कि नियमित रूप से चयनित कोई भी कर्मचारी जो वर्षों से कार्य कर रहा हो, अनुपयुक्त न पाये जाने की दशा को छोड़कर, स्थाई न किया गया हो । यह सही है कि विभाग में तदर्थ रूप से कई वर्षों से कार्य करने वाले कुछ अधिकारियों का स्थाईकरण नहीं किया गया । ऐसे तदर्थ रूप से कार्य करने वाले अधिकारियों का नियमों के अनुसार स्थाईकरण सम्भव नहीं है । इनका स्थाईकरण नियमित चयन के उपरान्त ही किया जा सकता है । शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन की कार्यवाही की जा रही है । तदोपरान्त नियमित चयनित अभ्यर्थियों को स्थाईकरण के नियमों के अनुसार यथासमय स्थाई किया जायेगा । स्थाईकरण के लिए रोस्टर तैयार किये जाने के कोई आदेश या निर्देश नहीं है । अतः स्थाईकरण हेतु कोई रोस्टर रजिस्टर बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर-प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थायीकरण

173–श्री ऊदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लेखा परीक्षा विभाग के मुख्यालय लखनऊ में इस समय कितने हरिजन एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी एवं अधिकारी है, जिनको 5 वर्ष से ऊपर हो जाने पर भी स्थायी नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में इस समय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी नहीं है जो 5 वर्ष से ऊपर हो जाने पर भी स्थाई न किया गया हो ।

मुख्य लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश विभाग में नियुक्ति एवं स्थायीकरण के समय आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन

174–श्री ऊदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ. प्र. विभाग में प्रथम स्थायीकरण के विषय में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का ख्याल नहीं किया जाता है जबकि शासनादेश सं. 15/25/73– रा. एकी. लखनऊ दिनांक 10 मई, 76 के पैरा 3 (स्थायीकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना) में स्पष्ट निर्देश है कि पहली नियुक्ति के समय तथा स्थायीकरण के समय में इन जातियों का आरक्षण किया जाना अपेक्षित है? यदि हां, तो मुख्य लेखा परीक्षा विभाग में इसका पालन क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित करेगी ।

श्री ब्रह्मदत्त–

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें के यहां सीधी भर्ती से चुने गये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के संबंध में पहली नियुक्ति तथा स्थायी करने के समय शासनादेश के आदेशों का अनुपालन किया जाता है और शासन की नीति के अनुसार उनको स्थायी किया जाता है। जिस सम्वर्ग में कोटा पूरा नहीं है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। विभागाध्यक्ष को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

ग्राम गदन खेड़ा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में गलत इन्द्राज को निरस्त करने की कार्यवाही

175–श्री भीखालाल–

क्या राजस्व मंत्री प्रथम सत्र 83 के 63 शुक्रवार के लिए निर्धारित ता. प्र. सं. 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी, उन्नाव ने गलत इन्द्राज को निरस्त कराने के लिए धारा 218 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरेली रेंज में श्री डी० के० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में बनायी गयी सड़कों में निम्न स्तर की ईंटों का प्रयोग तथा उनकी जांच की मांग

176–श्री मोहन सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रेंज में (श्री डी. के. शर्मा) अधिशासी अभियन्ता के समय में हर सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के

स्पेसीफिकेशन के अनुसार ईटों के खरंजों तथा पट फर्शों में ईट प्रयोग नहीं हो रही है और निम्न स्तर की ईटों का प्रयोग किया जा रहा है तथा जितनी ईटें प्रति स्क्वायर मीटर सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्पेसीफिकेशन के अनुसार लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही है और कम ईट लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

बरेली रेंज में श्री डी. के. शर्मा, अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में जो सड़कें बनायी गयी, उनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्पेशीफिकेशन के अनुसार खडंजों तथा पटन्जें में ईटों का ही प्रयोग किया गया है तथा निम्न श्रेणी की ईटें एवं कम ईटें नहीं लगायी गयी है अत: प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

177– श्री मोहन सिंह–

क्या मंत्री जी अधीक्षण अभियन्ता से बरेली रेंज की हर जनपद की चार सड़कों का निरीक्षण कराकर उनकी जांच रिपोर्ट हर जनपद के संबंध में सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

कुँवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

विशिष्ट शिकायत के अभाव में इतनी व्यापक जांच का कोई औचित्य नहीं है।

178– श्री हरीशंकर तिवारी–

[4थे मंगलवार में अतारांकि प्रश्न संख्या–86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सभा चुनुकी, जिला देवरिया की सार्वजनिक चरागाह आदि भूमि के अवैध पट्टों का निरसन एवं अवैध कब्जों का हटाना

179– श्री रुद्रप्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चुनुकी, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया की सार्वजनिक प्रयोग की चरागाह जंगल झाड़ी की भूमि नं. 173, 174 175, 176 पर दिया गया अवैध पट्टा जिलाधिकारी, देवरिया के न्यायालय मु. नं. 141 दिनांक 17–9–81 द्वारा निरस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या उस पर से अवैध कब्जा हटाया गया है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ। सार्वजनिक प्रयोग की भूमि नं.– 173, 174, 175, व 176 से सम्बन्धित अवैध पट्टे जिला अधिकारी के न्यायालय से मुकदमा संख्या– 141 के निर्णय दिनाँक 30–9–81 द्वारा निरस्त किये गए। उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटा दिया गया है।

ग्राम मदरापाली, जनपद देवरिया में आगजनी से हुयी क्षति की शासन द्वारा क्षतिपूर्ति

180– श्री रुद्रप्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे शुक्र के अता. प्र. सं. 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा व पो. मदरापाली, भरतराय,

[श्री रुद्रप्रताप सिंह]

तहसील व जिला देवरिया में वर्ष 1982 में आगजनी से हुई क्षति पूर्ति अब तक क्यों नहीं की गयी तथा कब तक उसे किस मात्रा में दिलवा दी जावेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद देवरिया की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा व पोस्ट मदरापाली भरत राय में वर्ष 1982 में पहली अग्निकॉड की घटना 4-3-82 को तथा दूसरी घटना 27-5-82 को हुई थी। इस अग्निकॉड से प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार पात्रता के आधार पर अहेतुक सहायता दे दी गई है। अग्निकॉड के फलस्वरूप शासन द्वारा क्षतिपूर्ति किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

नायब तहसीलदार क्षेत्र बखरा, तहसील व जिला देवरिया द्वारा ग्रामों के जलाशयों को पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही

181–श्री रुद्रप्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार क्षेत्र बखरा तहसील व जिला देवरिया ने वर्ष 1983 के लिए व आगे के वर्षों हेतु कुल कितने ग्रामों के जलाशयों को मछली मारने हेतु पट्टे पर देने की कार्यवाही की गई ? क्या भपटट्टे पर देने के पूर्व संबंधित ग्राम सभाओं ने उसे पट्टे पर उठाने हेतु कोई प्रस्ताव किया था ? यदि नहीं, तो पट्टे बिना प्रस्ताव कैसे आवॉटित किये गये ?

श्री बैजनाथ कुरील–

नायब तहसीलदार क्षेत्र बखरा तहसील व जिला देवरिया ने वर्ष 1983 अथवा उसके आगे के वर्षों के लिये कुल 65 ग्रामों में जलाशयों को मछली मारने हेतु पट्टे पर देने की कार्यवाही की। इनमें 7 ग्राम सभाओं द्वारा जलाशयों को पट्टे पर उठाने हेतु प्रस्ताव किया गया था। शेष 58 ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्ताव नहीं किया गया था। अतः शासन की वर्तमान नीति के अनुसार इन ग्रामों के जलाशयों को भी पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही की गई।

सहकारी चीनी मिलों के लिये चयनित प्रधान प्रबन्धकों की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

182– श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे शुक्र के लिए निर्धारित अता. प्र. सं. 75 के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाँच प्रधान प्रबंधकों को चयन सूची के अतिरिक्त क्या कोई प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई थी ? यदि हाँ, तो उस सूची में कौन–कौन अधिकारी है, उनमें से किन-किन नियुक्ति प्रधान प्रबन्धक के पदों पर हो गई है तथा बाकी अधिकारियों की नियुक्ति प्रबन्धक के पद पर कब तक हो जायेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हाँ।

कथित 5 प्रधान प्रबन्धकों की चयन सूची के अतिरिक्त निम्न तीन व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची में इस शर्त के साथ रखा गया था। कि उन्हें उप प्रधान प्रबन्धक के पद पर

फिलहाल नियुक्ति कर दिया जाए, तथा उप प्रधान प्रवन्धक के पद पर उनकी कार्यक्षमता के ऑकलन के उपरान्त उन्हें प्रधान प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया जाए :–

1. श्री एस. सी. जौहरी
2. श्री बी. एन. श्रीवास्तव
3. श्री के. जी. वार्ष्णेव

उपर्युक्त के अनुसार श्री एस. सी. जौहरी को प्रधान प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया जा चुका है तथा शेष दो अधिकारियों की नियुक्ति विचाराधीन है ।

बरेली जनपद में बाढ़ सुरक्षा योजना

183–श्री जयदीप सिंह बरार–

प्रथम सत्र 83 के 5वे सक्र के अता. प्र. सं. 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बरेली जनपद में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कोई ऐसी प्रभावी योजना बनायेगी जिसमे इस प्रकार हर वर्ष होने वाली क्षति से बचा जा सके ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद बरेली में कोई स्थानीय समस्या प्रति वर्ष बाढ़ आने की नहीं गत वर्ष बाढ़ के कारण जो पुलियाँ व नाले आदि क्षति ग्रस्त हो गये थे, उनकी मरम्मत कराने की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा आरम्भ कर दी गई है । जनपद की इस वर्ष की बाढ़ सुरक्षा योजना बाढ़ आने की दशा में जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु तैयार की जा चुकी है।

184–श्री मोतीलाल देहलवी–

[5 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–122 के अन्तर्गत स्थातान्तरित]

185–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित).

श्री आर० बी० वर्मा तत्कालीन तहसीलदार जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायतें एवं उनकी जांच

186–श्री किरनपाल सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर. बी. वर्मा तहसीलदार जो इस समय जिला बुलन्दशहर में नियुक्त हैं, इससे पूर्व जिला मुरादाबाद में नियुक्ति के समय उनके खिलाफ हुई शिकायतों की जाँच राजस्व बोर्ड के माध्यम से हो रही है, क्या जाँच रिपोर्ट बोर्ड को प्राप्त हो गई है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

श्री आर. बी. वर्मा, तहसीलदार, जिला बुलन्दशहर, जब जनपद मुरादाबाद में तैनात थे तो उनके विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुयी थीं, जिनकी जाँच राजस्व परिषद द्वारा जिलाधिकारी, मुरादाबाद से करायी गयी । प्राप्त जाँच आख्याओं के अनुसार

[श्री बैजनाथ कुरील]

श्री वर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी। कुछ शिकायतों की जाँच आख्या अपेक्षित है।

ग्राम विचपरी, भगवन्त खेड़ा तथा मरहा जनपद उन्नाव में सई नदी की बाढ़ से मकानों की क्षति व गृह अनुदान का वितरण

187–श्री भीखा लाल–

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम विचपरी, भगवन्त केड़ा तथा मरहा, तहसील हसनगँज जिला उन्नाव में गत वर्ष की बाढ़ में सई नदी का पानी गाँवों में भर गया था और गाँव वालों को नावों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था तथा अधिकाँश मकान गिर गये थे ? यदि हाँ, तो उक्त तीनों गाँव में गृह अनुदान न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

वर्ष 1982 की बाढ़ में ग्राम विचपरी मजरा निन्देमऊ व मरहा मजरा हसनगँज तहसील हसनगँज जिला उन्नाव की आबादी में बाढ़ का पानी पहुंचा था, परन्तु भगवन्त खोड़ा उर्फ मिर्जापुर की आबादी में पानी नही पहुंचा था और न ही वहाँ के लोगों को आबादी के बाहर ही निकाला गया था।

उपरोक्त तीनों ग्रामों में कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुये थे, जिनकी सूचियाँ भी तैयार की गई थी।

ग्राम विचपरी मजरा निन्देमऊ तहसील हसनगँज में तीत ध्वस्त मकानों तथा 38 आँशिक रूप ध्वस्त मकानों के व्यक्तियों को मु. 8700/– रुपया गृह अनुदान राशि वितरित की गयी। जिलाधिकारी की सूचनानुसार ग्राम मरहा व भगवन्त खेड़ा तहसील हसनगँज में अनुदान धनराशि के अभाव के कारण उस समय इन ग्रामों में वितरण नहीं किया जा सका था, जिसके बारे में जिला प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा गया है।

शासकीय आदाता, पंजाब शुगर मिल घुघली, जिला गोरखपुर के विरूद्ध आरोपों की जाँच

188–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या चीनी उद्योग मन्त्री यह बतायेंगे कि शासकीय आदाता (श्री चतुर्वेदी) पंजाब शुगर मिल घुघली (गोरखपुर) के विरुद्ध आरोपों की जाच उ. प्र. रा. चीनी निगम के किसी अधिकारी ने कुछ दिन पूर्व किया है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हाँ, शासकीय आदाता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच राज्य चीनी निगम के एक अधिकारी द्वारा की गई थी। जाँच के फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि श्रमिक संघ शासकीय आदाता पर दबाव डालकर अपनी अनुचित माँगों के मनवाने का प्रयास कर

रहा है । उसी संदर्भ में प्रश्नकर्ता महोदय द्वारा दिनाँक 2-10-82 से भूख हड़ताल की गई, जो बाद में माँगों के संदर्भ में समझौते के फलस्वरूप 6-10-82 को समाप्त हो गई ।

जिला सीतापुर के क्षेत्र संधना के कलेक्शन अमीन श्री बाबूराम के विरूद्ध आरोप

189–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनाँक 3-3-83 को कलेक्शन अमीन श्री बाबूराम, क्षेत्र संधना आदि जिला सीतापुर द्वारा बिना रसीद धन वसूलने के बारे में कोई पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित मिला ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ ।

उल्लिखित प्रार्थना पत्र की जाँच कराये जाने पर उसमें लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये, अतएव अमीन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

ग्राम दौलतपुर निसूरा, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुलतानपुर में पाक राष्ट्रिक श्री अब्दुल शकूर खां की भूमि व मकान

190–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर निसूरा, परगना जगदीशपुर तहसील, मुसाफिरखाना, सुलतानपुर में श्री अब्दुल शकूर खाँ पुत्र अब्दुल गफूर खाँ पाक राष्ट्रिक है और उनका मकान एवं उनके कृषि भूखंड निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित हो चुकी है क्या यह सत्य है कि एक बाद श्री अब्दुल वहीद खाँ बनाम दोस्त मुहम्मद खाँ आदि न्यायालय चकबन्दी अधिकारी–6 जगदीशपुर पर विचाराधीन है जिसमें श्री अब्दुल शकूर खाँ उपरोक्त भी विपक्ष में है ? यदि हाँ, तो इसके लिए सरकार की ओर से कोई कौंसिल नहीं है ? इसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

पाक राष्ट्रिक श्री अब्दुल शकूर खाँ पुत्र श्री अब्दुल गफूर खाँ निवासी ग्राम दौलतपुर निसूरा, परगना जगदीशपुर, तहसील–मुसाफिरखाना, जिला–सुलतानपुर द्वारा ग्राम दौलतपुर निसूरा में छोड़े गए मकान व भूमि अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति में निहित है । वाद संख्या 6895 चकबन्दी अधिनियम की धारा–9क (2) अब्दुल वाहिद बनाम दोस्त मुहम्मद चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर के न्यायालय में लम्बित है । और इसमें श्री अब्दुल शकूर खाँ विपक्षी हैं । इस वाद की पैरवी हेतु राजकीय अभिवक्ता को निर्देशित किया जा चुका है ।

191–श्री आसरे वर्मा–

(3रे बुधवार में अतराँकित प्रश्न संख्या–91 के अन्तर्गत स्थानांतरित)

ग्राम रसूलपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

192–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना जिला सुलतानपुर के निवासी गुलाम मुहम्मद; बली मुहम्मद पुत्रगण दोस्त मुहम्मद तथा श्रीमती रशीदन बेवा दोस्त मुहम्मद तथा श्रीमती इमामन पत्नी अब्दुल हमीद भूमिहीन के श्रेणी में आते हैं ? यदि हाँ, तो भूमि आवंटन में प्रत्येक को कृषि योग्य भूमि कौन-कौन सी प्राप्त हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुलतानपुर के निवासी श्री वली मोहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद श्रीमती रशीदन बेवा दोस्त मोहम्मद तथा श्रीमती इमामन पत्नी अब्दुल हमीद भूमिहीनों की श्रेणी में नहीं आते हैं । केवल श्री गुलाम मोहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद भूमिहीनों की श्रेणी में आते थे जिसके फलस्वरूप उन्हें ग्राम रसूलपुर में गाटा संख्या-1150 मि. रकबा 0·19-18, 1311/1-10-0, 1313/1-7-19, 1455/1-2-11 कुल 5 बीघा 8 धुर आवंटित की गई ।

ग्राम मोहम्मदपुर सराय अली, सोरांव, जनपद इलाहाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण

193–श्री राधेश्याम पटेल–

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 14-2-82 को ग्राम मोहम्मदपुर सराय अली सोरांव जनपद इलाहाबाद में गांव समाज की जमीन पर नाजायज निर्माण किया जा रहा था जिसको गांव के लोगों ने गिरा दिया है ? यदि हाँ, तो अवैधानिक निर्माणकर्ता कौन है ? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं । शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

तहसील सोरांव, जानपद इलाहाबाद में गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित गाँव एवं उनको दी गयी सरकारी सहायता

194–श्री राधेश्याम पटेल–

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि विगत गंगा की बाढ़ से ग्राम रंगपुरा, चकियाघाट बहमलपुर उत्तमगिरि की चकिया जैतावरडीह, पूरेचन्दा, थरवई, गोड़वा, परगना व तहसील सोराँव, जनपद इलाहाबाद के घर एवं फसलें पूर्ण या आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे ? यदि हाँ, तो किस किस गाँव के कितने-कितने व्यक्तियों की कितनी क्षति हुई ? क्या यह सही है कि अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ, वर्ष 1982 में गँगा की बाढ़ से ग्राम रंगपुरा बहमलपुर (उत्तम) गिरि की चकिया, चकियाघाट, मजरा ग्राम बहमलपुर, जयतवारडीह, जगदीशपुर पूरेचन्दा थरवई

गोड़वा मजरा थरवई) परगना व तहसील सोराँव जनपद इलाहाबाद प्रभावित हुए थे। उक्त सभी ग्रामों में हुई क्षति तथा दी गयी राहत का विवरण संलग्न तालिका में दिया जा रहा है। गृह निर्माण अनुदान केवल उन्हीं गृह स्वामियों को दिया गया, जो इस सहायता के लिये पात्र थे। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी (च) आगे पृष्ठ 379 पर।)

कानूनगो प्रशिक्षण परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों का नायब तहसीलदार के पद पर चयन

195–श्री राधेश्याम पटेल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है नायब तहसीलदार सेवा नियमावली पैरा 18 (2) के अधीन सुपरवाइजर कानुनगो प्रशिक्षण परीक्षा के प्रथम तीन आने वाले अभ्यर्थियों में से एक का चयन नायब तहसीलदार पद पर दो वर्ष बाद हो जाना चाहिए था ? यदि हां, तो अभी तक सन 74 तक के अभ्यर्थियों का चयन क्यों नहीं हुआ ? चयन कब तक कर लिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां।

वर्ष 1973-74 से 1975-76 तक की कानूनगो प्रशिक्षण परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तथा उनके प्राप्तांकों का विवरण अगस्त, 1978 में प्राप्त हुआ। संबंधित जिलाधिकारियों से अभ्यर्थियों को चरित्र-पंजिकायें प्राप्त होने पर अक्टूबर, 80 में उन्हें लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को भेजा गया किन्तु आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में कतिपय अतिरिक्त सूचनायें मांगी गयीं, जिन्हें संबंधित जिलाधिकारियों से प्राप्त कर अक्टूबर, सन् 82 में आयोग को उपलब्ध करायी जा सकी। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु 3–5–83 निर्धारित की गयी थी। आयोग द्वारा किये गये चयन का परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया है कि आयोग से चयन का परिणाम प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ग्राम जमखुरी, तहसील सोरांव, जिला इलाहाबाद के प्रधान के विरूद्ध स्थानीय हरिजनों व भूमिहीनों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही

196–श्री राधेश्याम पटेल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमखुरी, परगना व तहसील सौरांव, जिला इलाहाबाद के प्रधान के कार्यकलापों के विरुद्ध स्थानीय हरिजनों एवं निर्बल भूमिहीन कृषकों द्वारा 25–11–82, 27–2–82, 3–12–82 तथा 9–6–82 को परगनाधिकारी सोरांव, अतिरिक्त जिलाधिकारी, ग्रामीण एवं जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्रार्थना पत्र दिये थे ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

प्रश्नगत चार आवेदन पत्रों में से केवल दिनाँक 27–2–82 एवं 9–6–32 के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनकी जाँच कराई गई। जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि कुल 47 पट्टों में से 42 पट्टे नियमानुकूल थे तथा 5 पट्टे अनियमित पाये गये। इनके सम्बन्ध में न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है।

197–श्रीमती गौरीदेवी–

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 202 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

198–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

–[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

ग्राम गगरेजपुर, तहसील संडोला, जिला हरदोई को सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा

199–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जिले की तहसील संडीला के ग्राम गगरेजपुर की सार्वजनिक भूमि का कितना–कितना भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए ग्राम में किन व्यक्तियों के पास है ? यदि हाँ, तो कितना-कितना भाग किस-किस व्यक्ति को किन-किन शर्तों पर दिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम गगरेजपुर में गांव सभा की भूमि के व्यक्तिगत उपयोग में लाये जाने का विस्तृत विवरण संलग्न है। समस्त अनधिकृत कब्जा की रिपोर्ट नियम 115 सी. के अन्तर्गत कर दी गई है।

(देखिए नत्थी (छ) आगे पृष्ठ 381 पर।)

श्री केशरीनन्दन मिश्र निवासी ग्राम बोझी, जिला प्रतापगढ़ की चकबन्दी विभाग में लेखपाल के पद से सेवा समाप्ति

200–श्री मोहन सिंह–

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशरी नन्दन मिश्र, निवासी ग्राम बोझी, पोस्ट ममुकर तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़, जो चकबन्दी विभाग से तहसील कुण्डा में 3 वर्ष से अधिक से लेखपाल का कार्य किये थे, उन्हें अकारण दिनांक 5–1–82 को क्यों हटा दिया गया और उनके अनेकों प्रार्थना पत्र देने के प्रश्चात भी उन्हें चकबन्दी विभाग या तहसील में अभी तक लेखपाल नहीं नियुक्त किया गया तथा इनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को तहसील व चकबन्दी विभाग में नियुक्त कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

1–श्री केशरी नन्दन मिश्र की नियुक्ति समय-समय पर अल्पकालिक अवकाश रिक्तियों में नियुक्ति अस्थायी रूप में की गई थी तथा स्थायी लेखपालों के अवकाश से वापस आने पर नियमानुसार उन्हें दिनांक 5–1–82 को सेवा में पृथक कर दिया गया।

2– श्री मिश्र को रेगुलर लेखपाल के पद पर नियुक्त किया जाना नियमानुसार संभव नहीं हैं ।

3– चकबन्दी विभाग में श्री मिश्र से कनिष्ठ किसी लेखपाल की नियुक्ति नहीं की गई है ।

सीतापुर नगर में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने की मांग

201–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर की जन गणना एक लाख से अधिक होने के बाद भी नगर में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी का नगर भत्ता न देने का क्या कारण है ? यह भत्ता कब से अनुमन्य हो जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त–

राजकीय कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आगरा, लखनऊ, मेरठ और बरेली नगरों में दिया जाता है । यह नगर उस वर्गीकरण में सम्मिलित हैं जिसे भारत सरकार ने जनगणना 1981 के आकड़ों के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ते की अनुमन्यता के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत किया है । सीतापुर इस वर्गीकरण में नहीं आता है, अतः सीतापुर में नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(१) मंत्रिपरिषद के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कार्यसूची में प्रश्नोत्तर के तुरन्त बाद न रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मसरुर जाफरी–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें । अब मैं नियम 301 लेता हूं । 301 की आज 22 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिसमें से मैंने 5 सूचनाएं स्वीकृत की हैं ।

श्री मसरुर जाफरी–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है । मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव जो आज की कार्यसूची में रखा गया है मद 72 पर रखा गया है जो कि नियमानुसार गलत है । आप थोड़ा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 का अवलोकन करें । इसके अनुसार इसको प्रश्नों के उत्तर के बाद रखा जाना चाहिए । शासन ने देखा कि अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है तो साजिश करके शासन ने इसको मद 72 पर रखवा दिया । मान्यवर, आप 275 के (1) (क) को देखें । इसमें लिखा है कि प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्नों के अनन्तर तथा दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मांगी जायेगी । तीसरी

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

[श्री मसरूर जाफरी]

बात मान्यवर, इसको नम्बर 3 पर रखा जाना चाहिए था लेकिन शासन ने जानबूझकर 72 नम्बर पर इसको रखवा दिया । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आज की कार्यसूची में अविश्वास का प्रस्ताव नम्बर 72 पर छपा है । मैं यह नहीं कहता कि उसको उक्त स्थान पर नहीं छपना चाहिए । लेकिन नियमावली के अनुच्छेद 275 को आप देखें । 275 (क) में प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्नों के अनन्तर तथा दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मांगी जायेगी। मान्यवर, इस प्राविधान के तहत अविश्वास के प्रस्ताव की अनुज्ञा के तहत प्रश्नों का समय समाप्त होते ही रखा जाना चाहिये लेकिन इसी नियमावली के अनुच्छेद 315 में सापेक्ष अग्रेता के बारे में पूरी सूची दी हुई है । उसमें यह मद 24 के बाद दिया हुआ है। इस सूची में जो भी मुद्दे लिखे गये हैं वह सारे के सारे कार्यवाही के अंग हैं । ऐसी स्थिति में 275 में जिस प्राविधान का जिक्र किया गया । प्रश्नों के अनन्तर तथा दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व दोनों नियमों में विरोधाभास है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

*संसदीय कार्यमंत्री–(श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, वैसे मैं इस बीच दखल न देता लेकिन माननीय सदस्य मसरुर जाफरी साहब ने एक बात कही कि शासन ने रखवा दिया । इस पर मुझे घोर आपत्ति है और यह आप पर आक्षेप है क्योंकि एजेण्डा और यह सारी चीजें आपके आदेश से तैयार होती है । उसमें शासन का किसी प्रकार का दखल नहीं है । 275 की जो बात कही गई उसमें यह है कि कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्यवाही का मतलब है असल कार्यवाही जो तमाम बिल आदि रखे जायेंगे उसके बाद शुरू होती है । 315 का वर्मा जी ने हवाला दिया उसमें यह 25 नम्बर पर रखा गया है । लेकिन अध्यक्ष को इस बात का अधिकार है कि वह किसी चीज को जिस तरह चाहें, लगा सकते हैं । यह प्रोमीजर दिया हुआ है । अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा तो किस नम्बर पर रखा जायेगा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें यह कहा जाय कि शासन ने ऐसा कर दिया ।

मैं समझता हूं इसे वापस लेना चाहिए । इसे निकाला जाना चाहिए जो गलत लगाया है जो आपने कहा है वह ठीक नहीं कहा है । मान्यवर, इसमें आपत्ति है·····।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं जो कहा गया है । वह नियमों के अन्तर्गत कहा गया है यह जो एजेण्डा तैयार किया गया है वह नियमानुकूल है आपने जो एतराज उठाया है मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद आगरा के थाना, अछनेरा ग्राम वहरावती में पड़ी डकैतियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इसमें हमने माननीय बदन सिंह, माननीय मरदार सिंह, माननीय मोहन सिंह, माननीय राजकुमार भार्गव की सूचनायें स्वीकार की गई हैं बाकी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

***श्री बदन सिंह–**

मान्यवर, जनपद आगरा में थाना अछनेरा के अन्तर्गत स्थिति ग्राम बहरावती में दिनांक 7/8 जुलाई, 1983 में हरिजन मोहल्ले में डकैती पड़ी । और फिर 10/11 जुलाई, 1983 में उनके मोहल्ले में फिर बदमाशों ने आकर फायर किया । हरिजनों की समस्त 17 परिवार बैहरावती ग्राम छोड़कर अरदाया ग्राम में भाग गये । इसके बाद दिनांक 10/11 अगस्त, 83 में पुन: पुलिस गार्ड की उपस्थिति में वहां डकैती पड़ी । पुलिस ने गोली तक नहीं चलाई और 1 कि.मी. दूर ग्राम सांथा को भी उसी डकैत गिरोह ने लूटकर कई नागरिकों को घायल किया । इससे भयभीत और असुरक्षा की भावना त्रस्त होकर अब पूरा बेहरावती ग्राम अपने ग्राम को छोड़कर भाग गया है । क्षेत्र में चोरी डकैतियों की इस आलम से हाहाकार मचा हुआ है और जिला प्रशासन इस अराजकता को रोकने में अक्षम होकर चुप बैठ गया है ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उचित मुआवजा देकर पुन: बहरावती ग्राम को वहीं बसाया जाय और उनको नि:शुल्क हथियार देकर असुरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए समस्त प्रभावी कार्यवाहियो की जाए और दोषी अक्षम पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए ।

जनपद चमोली में हुई बस दुर्घटना में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु तथा घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री कुवर सिंह नेगी–**

मान्यवर, दिनांक 30 अगस्त, 1983 को सुबह जनपद चमौली में स्थान हैलंग के निकट राजस्थान के तीर्थ यात्रियों को बदरीनाथ ले जा रही व एक सैनिक वाहन से टकराने के कारण दुर्घटना ग्रस्त हो गयी जिसमें बस के 21, तीर्थ यात्री घटनास्थल पर ही मर गये और 4, यात्रियों की मृत्यु जोशीमठ अस्पताल में हुई है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ में चिकित्सों के पद रिक्त है सारे जनपद चमौली में कोई शल्य चिकित्सक एवं हड्डियों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कुंवर सिंह नेगी]

चिकित्सक नहीं है दवाईयों एवं अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधायों की कमी के कारण इन घायल यात्रियों का उपयुक्त उपचार नहीं हो पा रहा है जिसमे उनके जीवन को भयंकर संकट पैदा हो गया है और वहां निराशा एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतएव मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि इन घायलों के जीवन रक्षार्थ तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री सरदार सिंह का नाम पुकारा गया।

मथुरा जनपद के कतिपय ग्रामों के मकानों के धंसने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री सरदार सिंह–**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सदन के संज्ञान में मथुरा जनपद की एक अतिलोक महत्व एवं अविलम्बनीय घटना की जानकारी देना चाहता हूं।

मथुरा शहर के मोहल्ला कुआगली, रतन चौक, सरवनपुरा, गजापायसा, महोली की पोर, चौबियापाड़ा आदि में मकान भारी संख्या में अचानक जमीन के अन्दर धस जाते हैं या फट जाते हैं। जिसके कारण मकान के अन्दर रहने वाला परिवार पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। यह क्रम गत 3–4 महीनों से चल रहा है और अब भी जारी है। यह सब नगर पालिका मथुरा की जीर्णशीर्ण सीवर व्यवस्था एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण है। केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की के विशेषज्ञों की एक टीम इस सम्बन्ध में उक्त बस्तियों का भ्रमण कर चुकी है, सैकड़ों व्यक्तियों की व महिलाओं की जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, अबतक जानें जा चुकी हैं। भारी आक्रोश आतंक व भय व्याप्त है। शासन मूक दर्शक की भांति नागरिकों की कोई मदद नहीं कर रहा है अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि उक्त बस्तियों के लोगों की जानमाल की सुरक्षा की व्यवस्था करें।

जिला देवरिया के बरहज कस्बे में घाघरा नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मोहन सिंह–**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के देवरिया जिले के बरहज कस्बे का घाघरा नदी में भीषण कटाव लगा हुआ है। इस कटाव से बरहज कस्बा घाघरा नदी की धारा में विलीन होने की स्थिति में हो गया है और अब तक कई दर्जन घर घाघरा नदी के पेटे में आ चुके हैं। बरहज कस्बे की भुजटोली के कई घर नदी में गिर गये हैं। अतः इस कटाव से बचाव के लिये अविलंब बोल्डरों की व्यवस्था करें इसका अनुरोध शासन से करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की अनुपूरक परीक्षाओं में घोर अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कुमार भार्गव–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। दिनाँक 29/30 अगस्त, 1983 को लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद की पूरक परीक्षाओं में घोर अव्यवस्था के कारण आज सैकड़ों छात्रों का एक वर्ष खराब हो गया, क्योंकि उन्हें केन्द्र की जानकारी न मिल सकी अत: परीक्षा से वंचित रह गये। अत्यन्त दुख की बात तो यह है कि शिक्षा विभाग जो नौजवानों का एक देश का भविष्य सुनिश्चित करता है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पूरे प्रदेश के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को फार्म बड़ी मुश्किल से एवं चोर–बाजारी के माध्यम से ही मिल सके।

उपरोक्त प्रकरण चद लोगों की साजिश एवं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के उदाहरण हैं जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य खराब हो गया। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उपरोक्त प्रकरणों की जाँच करा के दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करे साथ ही पूरक परीक्षा में वंचित परीक्षार्थियों को दुबारा परीक्षा देने का अवसर दें जिससे उनका एक वर्ष बच सके।

लोक आयुक्त की कथित रिपोर्ट पर दो मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है, जिसे मैं आपको पहले लिख कर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप औचित्य का प्रश्न लाना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसीलिए तो सूचना दी थी।

मान्यवर, मुझे जानकारी है कि लोक आयुक्त ने इस प्रदेश के मंत्रिमण्डल के दो सदस्यों के खिलाफ प्राग्दर्शन में आरोप सिद्ध पाए हैं। आरोप सिद्ध पाने के बाद उन्होंने सक्षम अधिकारी को, (उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 42 के अधीन सक्षम अधिकारी की व्याख्या दी है), सक्षम अधिकारी मुख्यमन्त्री जी हैं, पत्र लिख कर भेज दिया है। मन्त्रि मण्डल के दो सदस्यों के खिलाफ प्राग्दर्शन में आरोप सिद्ध पाये गये हैं।

नियुक्तियों में पैसा लेने, भाई भतीजावाद करने तथा अपराधियों को संरक्षण देने आदि के आरोप उसमें सिद्ध हुए हैं। जो जाँच की कार्यवाही की गयी है तो इस सम्बन्ध में

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मैं उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त उप लोक आयुक्त अधिनियम की धारा 12 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नियम 12 (1) में दिया गया है कि यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात जिसके सम्बन्ध में परिवाद किया गया है, जिसमें शिकायत सन्निहित है लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है अथवा उसे अनुचित कष्ट हुआ हैं, तो लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त लिखित प्रतिवेदन द्वारा सम्बद्ध लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय अथवा अनुचित कष्ट का उपचार या निवारण ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर करना होगा जिसे प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट किया जाय।

नियम 12 (2) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी जिसे उपधारा (1) के अधीन प्रतिवेदन भेजा जाय, प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर लोक आयुक्त या, यथास्थिति उप लोक आयुक्त को प्रतिवेदन का अनुपालन करने के लिये की गयी कार्यवाही की सूचना देगा अथवा दिलवायेगा।

मान्यवर, इन दोनों धाराओं में यह बात स्पष्ट है कि मुख्य मन्त्री जी को चाहिये था कि प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर-अन्दर वे दोनों मन्त्रियों के खिलाफ कार्यवाही करते व उससे लोक आयुक्त को अवगत कराते। मैं जानना चाहता हूं कि जून में पत्र मिला, सितम्बर हो रहा है, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। इससे धारणा हो रही है कि सरकार भ्रष्टाचार को जानबूझकर प्रश्रय दे रही है। जब दो मंत्रियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया है.....

उसके बाद भी कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो इसके बाद इनमें कोई नैतिक बल नहीं रह जाता है कि ये भ्रष्टाचार को तिरोहित कर सकें। इस तरह से अधिकारियों में भी भ्रष्टाचार की भावना बढ़ जाती है। मान्यवर, आप समाचार पत्रों की बात पर तो विश्वास नहीं करेंगे किन्तु एक संवादाता से इस मंत्रि-मण्डल के एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को सफाई देते हुए कहा था कि लोकायुक्त ने तो मेरा नाम नहीं दिया है। मंत्रिमण्डल के दो सदस्यों के खिलाफ लोकायुक्त ने गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। किन्तु आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से तथा सरकार की ओर से उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जिनके विरुद्ध लोकायुक्त ने आरोप लगाये थे। लोकायुक्त को इसकी सूचना क्यों नहीं भेजी गई। आखिर वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से लोकायुक्त को सूचना नहीं भेजी जा सकी। इस पर मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मोहन सिंह जी आप इस संबंध में संक्षेप में कहें।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं, जैसा कि माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, ने कहा है कि बातों पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, 1975 में जब इस माननीय सदन के सामने यह कानून की शक्ल में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा जी इसे विधेयक के रूप में

लाये थे, उस समय की प्रौसिडिंग्स आप मँगा कर देख लें, उसमें साफतौर से यह आश्वासन दिया गया था कि यह कानून बनने के बाद, लोकायुक्त नियुक्त होने के बाद, किसी भी मंत्री तथा विधायक के विरुद्ध यदि वह भ्रष्टाचार या किसी अनियमितता के बारे में कहेंगे, तो तत्काल ही सदन को उनकी संस्तुतियों से अवगत कराया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जिसका हवाला आप दे रहे हैं, उसके बारे में आपके पास क्या कोई निश्चित तिथि है और क्या वह प्रोसिडिंग आपके पास है ?

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, वह प्रोसिडिंग्स मेरे पास नहीं है, मैं तो उसके बारे में आपको बता रहा था कि उस समय ऐसा हुआ है । इस सदन की कार्यवाही तो सारी आपके संरक्षण में रहती है, और वह आपके पास होगी । मान्यवर, मैं कह रहा था कि लोकायुक्त ने दो मंत्रियों के खिलाफ तथा एक माननीय विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा गम्भीर अनियमितताओं की संस्तुति की है । और आज इस सरकार में लोग स्वयं एक-दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं या फिर स्वयं झगड़ा कर रहे हैं आपस में । और यह कह रहे हैं कि अमुक व्यक्ति था और अमुक मंत्री था इस सारे मामले में लीपा-पोती की जा रही है । फलस्वरूप जनता में अब यह भ्रम पैदा हो गया है कि जो लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार की संस्तुति की थी वह कहीं स्वयं मुख्यमंत्री के खिलाफ तो नहीं थी, माननीय श्री वीर बहादुर सिंह जी के खिलाफ तो नहीं थी या फिर जैसे हमारे श्री बच्चा पाठक जी है मंत्री, उनके खिलाफ तो कतई नहीं है ।

ऐसा गलत कार्य करके स्वयं अम्मार रिजवी जी अपने मुंह पर कालिख लगा रहे हैं, हम तो उनकी मदद करना चाहते थे । मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपको वह रपट रखनी चाहिए । दूसरा, इन विधायकों तथा मंत्रियों के नाम बताने चाहिए जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार तथा अनियमताओं की संस्तुति की है । तीसरा, इस प्रकार के दोषी विधायकों तथा मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा अवसर प्रदान किया । एक बहुत बड़ा भ्रम जो कि प्रदेश में कुछ अखबारों के जरिये और कुछ मैगजीन्स के जरिये फैलाया जा रहा था, आज उसकी सफाई हो सके । मान्यवर, जो बात लोकायुक्त के बारे में कही गयी है, या फिर उनकी संस्तुतियों को मनाने का जहाँ तक प्रश्न है या जो ऐक्ट है या फिर जो धारायें है सरकार उसी के अनुसार कार्य करेगी ।.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी]

—लेकिन, मान्यवर जो यह कहा गया, जैसा इन्होंने कहा कि हमारी निजी जानकारी है कि इस प्रकार की रिपोर्ट और इस प्रकार के आरोप सिद्ध हो चुके है दो हमारे मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों के बाबत, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय मोहन सिंह को और सारे सदन को आपकी आज्ञा से यह सूचना देना चाहता हूं कि यह आरोप निराधार हैं और असत्य हैं। (मेजों की थपथपाहट) इस तरह की कोई चीज सिद्ध नहीं हुई है और न लोक आयुक्त ने किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिये सरकार से कहा है। मान्यवर, यह किसी तरह से सूचना सही नहीं है। मैं सिर्फ यह और कहना चाहूंगा कि शासन की छवि को धूमिल करने के लिये इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी तरह से मान्यवर, सत्य नहीं है। यह बिलकुल झूठ है।

(मेजों की थपथपाहट)

एक सदस्य—

यह झूठ नहीं है, यह सूचना बिलकुल सही है। (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

यह झूठ है। लोकायुक्त ने इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह सरासर झूठ है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं

अनेकों सदस्यों के खड़े होने पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बैठे आप लोग।

श्री मोहन सिंह—

इतना ही बता दें कि लोक आयुक्त ने क्या संस्तुति की है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, व्यवस्था तो आपको देनी ही है।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, इतना बता दें कि लोक आयुक्त द्वारा क्या रिपोर्ट भेजी गयी है?

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठें।

श्री मोहन सिंह–

लोक आयुक्त ने तथ्यों की छानबीन करके तथ्य आपके सामने रखे है या नहीं, ? यह बता दें। अम्मार साहब अपनी आदत के अनुसार सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठें।

श्री प्रमोद कुमार–

इनसे आशा नहीं की जाती थी कि इतनी असत्य बात को सदन के सामने रखेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने शासन को तरफ से सफाई दे दी। मैंने जो बातें कहीं थीं, उनमें से एक बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने यह कहा था कि

श्री प्रमोद कुमार–

लोक आयुक्त ने तो माननीय मोहन सिंह जी के खिलाफ लिखकर भेजा है।

श्री अध्यक्ष–

निर्णय करने का अधिकार मुझको हैं। आप लोग इस तरह से कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

लोक आयुक्त के द्वारा जून के महीने में दो मंत्रियों के बारे में, जो मैंने प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग किया था, प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री जी को भेजा गया है। आपने तो अपने हवाले से बात कह दी। मैं केवल इतना जानना चाहूंगा कि क्या उस प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? अगर आप उस प्रतिवेदन को नहीं रखते हैं, तो यह समझा जायगा कि आप अपने पद का दुरूपयोग कर तथ्यों को छिपाना चाहते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उस प्रतिवेदन में कोई सिफारिश नहीं है। मैंने यह कहा था कि आरोपों का परीक्षण करने के बाद तथ्य जो उनके सामने आयेंगे, उन तथ्यों को प्रतिवेदन के रूप में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। मन्त्रि के मामले में सक्षम अधिकारी हैं मुख्य मन्त्री, इसलिए लोक आयुक्त ने जून के महीने में और संभवतः 22 जून, 1983 को एक पत्र मुख्यमन्त्री जी को लिखा है। और, जिसके बाबत मुख्यमन्त्री जी ने भी सदन के बाहर सैकडों लोगों के सामने स्वीकार किया है और कहा है कि पत्र गोपनीय है, उस गोपनीय पत्र का हम अध्ययन कर रहे है, प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा कहना यही है कि उसकी प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रख दें तो सब क्लियर हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है और जो धारा 12 की उपधारा (1) और (2) का हवाला दिया है, उसमें यदि वे 5 वें नम्बर की उप-

[श्री अध्यक्ष]

धारा को पढ़ लेते और साथ ही साथ 6ठी को भी पढ़ लेते तो मैं यह समझता हूं कि उसके बाद वे पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाते। धारा 12 का नम्बर–5 इस प्रकार है–यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उप धारा (1) तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट उसकी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही से समाधान हो जाय तो वह सम्बद्ध परिवादी, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को, सूचित करते हुए मामले को समाप्त कर देगा, परन्तु जहां उसका इस प्रकार समाधान न हो और यदि वह मामले को इस योग्य समझे तो वह राज्यपाल को उसके बारे में एक विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा सम्बद्ध परिवादी को भी उसकी सूचना दे सकेगा।"

(6) लोकायुक्त तथा सभी उप लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। (7) उप धारा (5) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (6) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।

जहां तक मेरी जानकारी है और जो मेरे पास सूचना हैं, उसके आधार पर अभी तक, जहां तक मेरे सचिवालय का सम्बन्ध है, किसी भी प्रकार की सूचना न राज्यपाल महोदय के द्वारा और न अन्य कहीं से आयी है। औचित्य का प्रश्न तभी उठाया जाता है जब संविधान या नियमावली का उल्लंघन हो। इसमें दोनों प्रकार की कोई चीज नहीं हुई है, इसलिए औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री सत्यपाल सिंह–

केन्द्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी से रिपोर्ट मांगी थी……। (व्यवधान)

……हमारा यह अधिकार है कि जनता की ऐसी मांग को सदन में रखें। इन मिश्रा जी की पुलिस ने……।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। अब मैं मद संख्या–3 ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मा. अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मा. अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 †

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन एवं वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 †

ससदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 †

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्यमंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 †

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 †

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरी सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 †

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 †

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अध्यादेश, 1983 †

सांसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

आवकारी मंत्री (श्री विद्या भूषण)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी सिमित (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अध्यादेश, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखती हूं।

रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

ससदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश कोल्डस्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 †

नगर विकास मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1930–81 †

उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 15वॉ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1980-81 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौतीसवां संशोधन) नियमावली, 1983 ††

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 7358/टी०/तीस-4-5-पी/81-के०-अधि०-4-1939-नियमा०-1940–संशोधन (34) 83, दिनांक 22 मार्च, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौतीसवॉ संशोधन) नियमावली, 1983 को मोटर विहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(जल संस्थान भू-गृहादि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 1981 †

नगर विकास मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2664/9-2-135/78, यू० पी० ए०–43/1975 रूल्स/81, 27 अगस्त, 1981 द्वारा प्रख्यापित जल संस्थान (भू-गृहादि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 1981 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 96 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

†† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, देवरिया का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन, 1981–82 †

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, देवरिया का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन 1981–82 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 1978–79 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपको अनुमति से पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 1978–79 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (बिक्री कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की शुद्धि-पत्र संख्या एस. टी.–2–409/दस–5 (2)–82, दिनांक 20 जनवरी, 1983 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1983 को सदन के पटल पर रखा गया था तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रवसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को पुनः उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1981–82 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का 1981-82 वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) उत्तर प्रदेश सरकार, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 1981–82 उत्तर प्रदेश सरकार †††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 1981–82 उत्तर प्रदेश सरकार, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

†† छापी नहीं गयी ।

††† छापे नहीं गये ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1931–32 का प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1981-82 का प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (अष्टम प्रतिवेदन) वर्ष 1980–31 ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (अष्टम प्रतिवेदन) वर्ष 1980–31 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल्स (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 1931 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 मार्च, 1983 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और विधान सभा ने अपने 5 अप्रैल, 1983 के उपवेशन में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों में अग्रेतर संशोधनों सहित पुनः पारित किया था एवं जिसमें विधान सभा द्वारा किये गये अग्रेतर संशोधनों पर विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1983 की बैठक में सहमति व्यक्त की थी, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 27 अप्रैल, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1933 का उत्तर प्रदेश का दसवाँ अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1932 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 27 अगस्त, 1982 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अप्रैल, 1933 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 27 अप्रैल, 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवाँ अधिनियम बन गया ।

---

† छापा नहीं गया ।

†† छापे नहीं गये ।

विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अप्रैल, 1983 में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1983 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 18 मई 1983 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

मैं आदरणीय सदन को निम्नलिखित सूचना देता हूं कि निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी/कारावासित किये जाने एवं रिहाई की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई है :–

(1) श्री पंचानन राय, आजमगढ़
(2) यदुनाथ सिंह, मिर्जापुर
(3) श्री मुख्तार अनीस, सीतापुर

उपर्युक्त माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी/करावासित एवं रिहाई की सूचना इस सचिवालय के बुलेटिन संख्या-68 लगायत 71 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1983 जो दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया गया है कि श्री सतपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 1 सितम्बर, 1983 को लगभग 2–30 बजे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत जी० पी० ओ० पार्क से पुलिस की हिरासत में ले लिया गया था और रात्रि लगभग 7-00 बजे सम्बन्धित मैंजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की उक्त धाराओं में कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त मुक्त कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की नियम समिति (1982–83) का द्वितीय प्रतिवेदन †

[समय 1 बजे के अपरान्ह]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की नियम समिति (1982–83) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री काशीनाथ मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा,

† छापा नहीं गया।
†† छापा नहीं गया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

(जालौन) द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिला जालौन, उरई के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कतिपय लेखों की प्रतिलिपियों की मांग पर उन्हें सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध अप्रकाशित लेखों को दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन †

श्री काशी नाथ मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन जो श्री हरि वंश सहाय, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अजय सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध अभिसूचित, विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1982–83) के प्रतिवेदन ††

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1982–83) का प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1979–80 के प्रतिवेदन (सिविल) के पैरा 6.7 (हारकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर) पर आधारित प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1982–83) का प्रतिवेदन (हजरत गंज लखनऊ स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विकास भवन में शासन के कार्यालयों के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था करने में हुए अनाधिकृत व्यय पर आधारित) प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1982–83) का प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट 1979-80 (सिविल) के प्रस्तर संख्या 3.1 काम के बदले खाद्यान्न योजना पर आधारित) प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति [1982–83] का प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1979–80 [सिविल] में उल्लिखित प्रस्तर संख्या 3.10 केन्द्रीय भण्डार में चावल एवं गेहूं की आपूर्ति हेतु प्रोत्साहन बोनस योजनाएं पर आधारित] प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति [1982–83] का प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1979–80 [राजस्व प्राप्तियां] पर आधारित प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति [1982–83] का प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1979–80 के सिविल प्रतिवेदन पर आधारित] प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1982–83) का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय सभापति महोदय; मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति [1982–83] का द्वितीय प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट [वाणिज्यक] 1975–76, 1976–77 तथा 1977-78 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1982–83) का तृतीय प्रतिवेदन

श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति [1982–83] का तृतीय प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट [वाणिज्यिक] 1973–74 तथा 1974–75 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से सम्बन्धित अनुछेदों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन जो शिक्षा विभाग [प्राथमिक शिक्षा] से सम्बन्धित सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन जो पश्चिमी गन्डक नहर परियोजना के सम्बन्ध में है प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1982–83) का चौदहवाँ प्रतिवेदन †

श्री भूपसिंह कैन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति [1982–83] का चौदहवां प्रतिवेदन जो ग्राम लौहारी, थाना हुसैनगंज, जिला फतेहपुर तथा ग्राम कुम्हावर, थाना बसरेहर, जिला इटावा में हरिजनों के उत्पीड़न से संबंधित समिति के नवम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का पंद्रहवाँ प्रतिवेदन †

श्री भूप सिंह कैन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति [1982–83] का पन्द्रहवां प्रतिवेदन जो जनपद बाराबंकी के ग्राम नसीरपुर, ब्लाक सिद्धोर के अन्तर्गत कर्मचारियों की सांठ-गांठ से हरिजन कालोनी का अपात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का सोलाहवाँ प्रतिवेदन †

श्री भूप सिंह कैन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति [1982–83] का सोलहवां प्रतिवेदन जो जनपद हरदोई के ग्राम नूरपुर थाना बिलग्राम में दिनांक 10 फरवरी, 1982 को पुलिस मुठभेड़ में चार हरिजनों की हत्या की घटना के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायक समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अप्टम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश अप्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं इस आदरणीय सदन को इस प्रकार सूचनायें देने जा रहा हूं–

श्री विश्नाथ प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा [बांदा] ने दिनांक 19 जुलाई, 1983 के अपरान्ह से सदन में अपने स्थान का त्याग कर दिया है और मैंने त्यागपत्र उसी दिन स्वीकार कर लिया । तदनुसार उक्त श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस विधान सभा में स्थान दिनांक 19 जुलाई 1983 के अपरान्ह से रिक्त होने के सम्बन्ध में नियमानुसार अधि-सूचना जारी करा दी गई है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट का इन्डियन कांग्रेस (सोशलिस्ट) दल से सम्बद्ध न होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

मुझे दूसरी सूचना इस प्रकार देनी है कि श्री गौरी शंकर [एडवोकेट] सदस्य विधान सभा [जिला इटावा] जिन्हें दिनांक 7 अप्रैल, 1983 की सूचना के अनुसार इंडियन कांग्रेस [सोशलिस्ट] दल का सदस्य घोषित किया गया था, ने लिखित रूप से यह सूचित किया है कि वे इंडियन कांग्रेस [सोशलिस्ट] के सदस्य नहीं है । अतः पूर्व सूचना को संशोधित करते हुए श्री गौरी शंकर एडवोकेट को निर्दलीय सदस्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है ।

विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना मुझे यह देनी है कि उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में सदन द्वारा दिनाँक 5 अप्रैल, 1983 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मुझे इस सत्र में उक्त निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित करनी थी । तदनुसार मैंने इस हेतु गुरूवार, 8 सितम्बर, 1983 की तिथि निर्धारित की हैं । अतः उक्त निर्वाचन अब गुरुवार 8 सितम्बर, 1983 को प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली

---

† छापा नहीं गया ।

[श्री अध्यक्ष]

के नियम 9 [2] के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिये नाम–निर्देशन-पत्र नियमानुसार बुद्धवार 7 सितम्बर, 1983 को मध्याह्न 12 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं। सदन द्वारा स्वीकृत उक्त प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल, 1983 तक उक्त पद के लिये निर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त सभी नामांकन पत्र निरसित समझे गये हैं और आज की इस घोषणा के फलस्वरूप 8 सितम्बर, 1983 के लिये निर्धारित निर्वाचन हेतु नये नाम-निर्देशन-पत्र 7 सितम्बर, 1983 को मध्यान्ह से पहले तक दिये जाने चाहिए। नाम-निर्देशन-पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेजा जा रहा है।

कल दिनांक 1 सितम्बर, 1983 को सदन में पर्चे फेंकने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

कल दिनाँक 1-9-83 को 12-07 बजे अपराह्न, दर्शक दीर्घा नं. 2 से जो सभा-मण्डल में पर्चे फैंकने तथा नारा लगाने की घटना हुई थी उसके संबंध में मार्शल, विधान सभा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार कल दिनाँक 1-9-83 को करीब 12.07 बजे ऊपर, दर्शक, दीर्घा नं० 2 से एक व्यक्ति ने सभा मण्डप में कुछ पर्चे फैंके और नारा लगाया। दीर्घा में तैनात रक्षकों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया और दीर्घा से हटा दिया। वह व्यक्ति मार्शल की हिरासत में बैठाया गया था। उसके पास से प्रवेश पत्र संख्या 7930, जिस पर जगदीश नारायण लिखा हुआ है ब्रांच नोटिस आफिस से जारी कराया गया– (फटा हुआ) प्राप्त हुआ।

उस व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा में नारे लगाकर तथा पर्चे फैंक कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया और इस प्रकार सदन की कार्यवाही में बाधा डाल कर सदन का स्पष्टतया अवमान किया। यह घटना वर्तमान सत्र की पहली घटना है अतः मेरी राय में मार्शल की हिरासत में रहने के समय को ही सदन के अवमान का पर्याप्त दण्ड मानते हुए सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को रिहा कर देना उचित था।

इस संबंध में मार्शल की रिपोर्ट तथा अपनी उक्त राय से सदन को कल दिनांक 1-9-83 को उसके उठने से पूर्व अवगत करा कर माननीय सदन की सहमति प्राप्त करना चाहता था ताकि सदन के उठने के बाद उक्त अभियुक्त को रिहा कर दिया जाता, किन्तु कल सदन अपने पूर्व निर्धारित समय से पहले ही दिवंगत सदस्यों के सम्मान में उठ चुका था। अतः मैंने सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में अभियुक्त को सदन के उठने के बाद मार्शल की हिरासत में रहने के समय की अवधि को पर्याप्त दण्ड मानते हुए छोडने का आदेश दिया और उस पर सदन की स्वीकृति दिनांक 2-9-83 को प्राप्त करने के आदेश दिये। तदनुसार इस संबंध में सदन की स्वीकृति अपेक्षित है। मैं आशा करता हूं कि सदन उपरोक्त कार्यवाही से सहमत होगा। (कुछ रुक कर)

मैं समझता हूं कि इसमें कोई एतराज नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय की सभा, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल सस्था के प्रशासकीय बोर्ड, चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड एवं सजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय की सभा, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड एवं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना

दिनांक 5 अप्रैल, 1983 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार- (क) गढ़वाल विश्वविद्यालय, (ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा [ग] अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद– की सभा के लिए प्रत्येक के वास्ते 5, 5 सदस्यों।

[घ] उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड के लिए तीन सदस्यों जिनमें कम से कम एक महिला सदस्या भी होंगी ।

[ड़] चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों, तथा [च] संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में दो सदस्यों– के निर्वाचन हेतु निम्नवत् नयां कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:–

[1] नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय	3 सितम्बर, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक,
[2] नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय	5 सितम्बर, 1983 को अपराह्न 3 बजे [सचिव, विधान सभा के कक्ष में]
[3] नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	8 सितम्बर, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक
[4] निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो	मतदान दिनांक 13 सितम्बर,1983 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

2. उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा ।

3. इन निर्वाचनों के सम्बन्ध में नाम निर्देशन–पत्र विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

दिनांक 25 फरवरी, 1983 को पूछे गये ताराँकित प्रश्न संख्या 6 के अनुपूरक प्रश्न के संबंध में शोधन वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 25–2–33 को श्री सन्त बख्श रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–6 के सम्बन्ध में श्री सन्त बख्श रावत, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मन्त्री जी ने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय योजना आयोग के द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये सबसे छोटी इकाई जिला मानी गयी है। तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ जनपद में हर जगह पर कोई न कोई उद्योग हैं परन्तु मोहनलालगंज में कोई उद्योग नहीं है। तो इस बात को दृष्टि में रखकर क्या मंत्री जी मोहनलालगंज को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके जिले की सबसे छोटी इकाई मानकर इसकी घोषणा करेंगे ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा जिला योजना आयोग खोले गये हैं और जो पिछड़ा क्षेत्र है उसे वे देखते हैं। आप तो स्वयं विधायक हैं आप उनके साथ मिल करके यह कराने में स्वयं सक्षम हैं कि जब उनकी मीटिंग हो तो उसमें यह बात रखें, हम वहां पर आते हैं।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

"पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा कार्यवाही की जाती है। जिलों में समितियां बनायी गयी हैं और जो पिछड़ा क्षेत्र है उसे वे देखती हैं। आप तो स्वयं विधायक हैं, आप उनके साथ मिल करके यह कराने में स्वयं सक्षम हैं कि जब उनकी मीटिंग हो तो उसमें यह बात आप रखें, हम वहां पर आते हैं।"

4–मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी [ज] आगे पृष्ठ 383 पर)

दिनांक 2 मार्च, 1983 को श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2-3-83 को श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 के संबंध में श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "यह जो सर्वेक्षण किया गया है, वह किस सन् में किया गया है। अब कानपुर शहर और कानपुर देहात दो जिले बन गए हैं, तो क्या कानपुर का फिर से सर्वेक्षण करेगें !"

2– उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "इन 39 जिलों की सूची सन् 1978 में बनायी गयी थी, अब अलग होने से औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जायेगा और उसके लिये हम तैयारी कर रहे हैं।"

3– उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है–

"इन 39 जिलों की सूची सन् 1974 में बनायी गयी थी, अब अलग होने से औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जायगा, और उसके लिये हम तैयारी कर रहे हैं।"

4– मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी (झ) आगे पृष्ठ 384 पर)

रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि रुड़की विश्वविद्यालय [संशोधन] विधेयक, 1983 को पुर:-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये!

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं रुड़की विश्वविद्यालय [संशोधन] विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयकों के पुर:स्थापन का प्रस्ताव सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा न रखे जाने पर आपत्ति

[मद संख्या 64 पुकारे जाने तथा संसदीय कार्यमंत्री के खड़े होने पर]

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्यत: यह बात समझी जा सकती है कि कैबिनेट की संयुक्त जिम्मेदारी है। अध्यक्षपीठ से पहले व्यवस्था दी जा चुकी है कि जिस मंत्री के नाम से जो चीज एजेण्डे में है, अपरिहार्य स्थिति में यदि मंत्री अनुपस्थित होगा तो आपकी अनुमति लेकर दूसरा भार-साधक मंत्री उसको प्रस्तुत करेगा। लेकिन मान्यवर, आज एजेण्डे में देख रहे हैं कि नाम दूसरे मंत्री का है परन्तु कितने ही मामलों में संसदीय कार्यमंत्री खड़े हो रहे हैं, यह सदन की अवमानना है और आपकी भी अवमानना है। आपके यहाँ इस संबंध में मैंने चैम्बर में भी आपसे शिकायत किया था– ।

---

† दिनांक ..... सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सही है कि चैम्बर की चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए और मैं वापस लेता हूं। वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री यहां थे, किन्तु 10/15 मिनट पहले वह यहाँ से गायब हो गये। शासक दल के मंत्रियों के दिल से संसदीय सम्मान इतना मर गया है कि उनसे इतना भी नहीं हो पाता है कि जो उनके नाम से एजेण्डे में छपा है, वह स्वयं उसको पढ़ें। टेकनिकली भले ही यह बात सही हो, लेकिन संसदीय परम्परा, संसदीय औचित्य और संसदीय सम्मान का सवाल है कि जिस मंत्री के नाम कोई चीज एजेण्डे में है, उसी को उसे टेबुल करना चाहिए।

एक बात और है, श्रीमन्, हमारे नियमों में यह है कि जो मंत्री किसी विधेयक को पुर:स्थापित करता है, उसी को उसे आगे पायलेट करना होगा, वही उसे पायलेट करेगा। तो क्या मैं इसका मतलब यह समझूं रुड़की विश्वविद्यालय विधेयक, जो संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, वही शिक्षा मंत्री के स्थान पर इसको पायलेट करेंगे और प्रथम, द्वितीय व तृतीय वाचन के समय यही उसका जवाब देंगे। इसी तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी जो वित्त मंत्री के स्थान पर उत्तर प्रदेश बिक्री कर विधेयक पेश करने जा रहे हैं, तो क्या वह उस समय भी यही संसदीय कार्य मंत्री आएगें। यह संसदीय व्यवस्थाओं और मान्यताओं का इस दल के द्वारा उपहास हो रहा है। इसके लिए मैं आपका सरंक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह बात सही है। भविष्य में मंत्रि परिषद इस बात का ध्यान रखे। यदि किसी कारण से कोई मंत्री जी यहां नहीं हैं या परिषद् इत्यादि में गये हैं, तो उन्हें इसके लिए यहां पर लिखकर भेजना चाहिए। यद्यपि इसमें टेकनिकली कोई गलत बात नहीं है, उनको अधिकार है, लेकिन उनको ऐसा करने के पहले यहां लिखकर भेज देना चाहिये और तद्नुसार कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो आपकी रूलिंग है, वह शिरोधार्य है, लेकिन यह लिखकर भेजा जा चुका है, आप उसको देखिए।

श्री अध्यक्ष–

ब्रह्मदत्त जी और स्वरूप कुमारी बख्शी जी का है, लेकिन यह जनरल बात कही गयी है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 की पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह हैं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर [संशोधन और वैधीकरण] विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

---

† दिनांक सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ में छपा है।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ]

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर [संशोधन और वैधीकरण] विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करता हूं ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 †

स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री हरि सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ]

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करता हूँ ।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983 †

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्यमंत्री [श्री गुलाब सेहरा]–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

[उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ]

श्री गुलाब सेहरा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 †

आबकारी मंत्री (श्री विद्याभूषण)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

† दिनांक.....सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ में छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संसोधन) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विद्या भूषण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी [संशोधन] विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करता हूं ।

मंत्री–परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगी जायगी ।

"यह सदन वर्तमान मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है ।"

प्रस्तावक के नाम हैं, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री भीखा लाल, श्री केदारनाथ सिंह, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री अकबर अहमद, श्री राम आसरे वर्मा, श्री खैरुल बशर, तथा श्री अकबाल हुसैन ।

अब मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के लिये अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों वह अपने स्थान पर खड़े हों ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, प्रस्ताव तो रखने दें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव रखने के लिये मा. नेता विरोधी दल अनुज्ञा मागें ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखने की अनुज्ञा मांगता हूं कि "यह सदन वर्तमान मंत्रि–परिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है ।"

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

[शोर]

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहिये ।

एक सदस्य–

बंधुवा मजदूर लोग खड़े हैं ।

[माननीय सदस्यों को गिने जाने के उपरान्त ।]

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास जो सूचना आयी है वह 84 है ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, फिर से गिन लीजिये ।

[शोर]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, गिनने में गलती हो गयी है । पूरे 86 है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, फिर से गिनवा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मुझको जो सूचना प्राप्त हुई है वह 84 है । फिर भी मैं निवेदन करुंगा कि इसको पुनः गिन लिया जाय ।

[मा० सदस्यों की गिनती पुनः आरम्भ हुई ।]

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बेइमानी हो रही है । एक उधर से आ गये हैं ।

[व्यवधान]

[श्री खैरुल बशर ने इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाये]

श्री अध्यक्ष–

यह कोई तरीका नहीं है नारे लगाने का आप लोग शान्त रहें । जो संख्या मुझे प्राप्त हुई है, 86 है । इसलिये प्रस्ताव रखने के लिये अनुज्ञा प्राप्त हो गयी है ।

[मेजों की थपथपाहट]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने 86 कहा था वही हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

यह दो कहां से पैदा हो गये यह तो पूछ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

समय के निर्धारण के बारे में तय कर लें ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

कार्यमंत्रणा समिति में तय कर लिया जायेगा ।

मुख्यमंत्री [श्री श्रीपति मिश्र]–

जब तक अध्यक्ष महोदय 83,84,85,86 का झगड़ा था मैं नहीं खड़ा हुआ । जब 86 हो गया है तो आज ही इसका फैसला हो जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आज 5 बजे तक का समय है । भाषण शुरू करें ।

[व्यवधान]

श्री मोहन सिंह–

समय बहुत कम है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई अन्य कार्य नहीं लिया जायेगा । यही कार्य होगा ।

श्री मोहन सिंह–

समय बहुत कम है समय बढ़ाया जाय । [व्यवधान]

श्री अध्यक्ष–

अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर ।

सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे सम्भव हो सकेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विपक्ष की भावना का और जो यह अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विरुद्ध आया है । जिस सद्भावना से इस चर्चा के प्रस्ताव पर आज ही बहस को स्वीकार किया है । मान्यवर, इसमें समय बहुत कम है । मान्यवर, इसमें सदस्य काफी हैं बहुत बड़ा सदन है और बहुत दिनों के बाद हम इसे लाए हैं मान्यवर, इसमें कुछ विषय रखेंगे कोई ऐसी बात इसमें नहीं लायेंगे । लेकिन कुछ प्रश्न रखे जायेंगे जो मौलिक प्रश्न है जो इस सरकार के बारे में हैं काफी बड़े होंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह चर्चा कम से कम तीन दिन तक स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे अधिकार है जितना समय दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, नियम 275 [3] देख लें, बड़ी कृपा होगी । आपको अधिकार है मान्यवर, लेकिन इसमें एक शब्द दिया गया है मैं पढ़ दूं "275 [3] यदि उप नियम [2] के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दी जाए और अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति भी देख लें मान्यवर, इस कार्य को देख लें । कितने महत्व का कार्य है । विषय के महत्व को देखते हुए श्रीमन् 275 [3] के महत्व को देखते हुए तीन दिन का समय निर्धारित करने की कृपा करें । मान्यवर,

हम तो याचना कर रहे हैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, तीन दिन का समय देने का कष्ट करें।

श्री अम्मार रिजवी–

जो माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने पढ़ा उसको दुबारा पढ़ दूं 275 [3] के उप नियम [2] के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दी जाए अध्यक्ष यह चर्चा के लिए एक दिन का समय नियत कर सकेंगे। यह अधिकार मान्यवर, आपको है। इस समय डेढ़ बजा है चार घंटे से पूरा दिन होता है आपने जो आदेश दिया है वह बिल्कुल ठीक है।

[व्यवधान]

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

चार घंटे का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, फैसला आज होना चाहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करुंगा। मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। आपका जो निर्णय होगा वह सभी को शिरोधार्य है। इसमें अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है और जो प्रदेश की स्थिति है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री उदारतापूर्वक इसको स्वीकार करें।

मान्यवर, इसके लिये पर्याप्त समय देने की कृपा करें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

चुनौती स्वीकार है, आज ही स्वीकार है।

[व्यवधान]

श्री श्रीपति मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अभी मा० सदस्य [विरोध पक्ष] के लोगों की बात सुनी और हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी अपनी अभिव्यक्ति दी। मैं अपने विचार किसी तरफ भी नहीं देना चाहता हूं। लेकिन कुछ मा० सदस्यों ने जाहिर किया कि कारनामें बहुत हैं, मैं भी चाहता हूं कि सारे कारनामें बताए जाँय।

मान्यवर, जो भी समय आप निर्धारित करें, मैं तैयार हूं।

[मेजों की थपथपाहट]

श्री अध्यक्ष–

मैंने नेता विरोधी दल और नेता सदन की बात की सुना और उसके आधार पर मैं आज आठ वजे तक की इसके लिये आज्ञा देता हूं ।

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष–

जहां तक समय निर्धारण का प्रश्न है नेता विरोधी दल को 30 मिनट, अन्य नेता–गणों को 20 मिनट, नेता सदन को 30 मिनट, मंत्रीगणों को 20 मिनट और अन्य सभी सदस्यों को 10 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है ।

[मेजों की थपथपाहट]

श्री गौरी शंकर (एडवोकेट) द्वारा कॉंग्रेस (आई) दल की सदस्यता ग्रहण करने सम्बन्धी घोषणा

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं । [व्यवधान]

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल कृपया बैठें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मा० अध्यक्ष जी, मेरे विषय में जो सूचना दी गयी है, वह किसी दल से अलग करके दी गयी है । मैंने कांग्रेस [इ] की सदस्यता ग्रहण कर ली है और वह स्वीकृत हो गयी है ।

[विपक्ष की ओर से कुछ लोगों ने दलबदलू-दलबदलू के नारे लगाए]

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं कॉंग्रेस [इ०] का यथावत सदस्य हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल ।

मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन वर्तमान मंत्रिमण्डल में अपना अविश्वास प्रकट करता है । अपने इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, आँकड़ों के मायाजाल से यदि इस धरती पर स्वर्ग उतारा जा सकता है तो निश्चित तौर से समर्पित सेवा की खामोश यात्रा का जो प्रचार और प्रसार इस सरकार की तरफ से हुआ है और एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश भारत वर्ष का एक स्वर्णिम, शांत और प्रगतिशील प्रदेश माना जा सकता है । लेकिन मान्यवर, हम यह देख रहे हैं कि लगातार सन् 80 से 82 तक एक सरकार इस प्रदेश में रही कॉंग्रेस [इ०] की, वह झूठे नारों की सरकार थी । वर्तमान सरकार अक्षम, अकुशल और दिशाहीन है ।

मान्यवर, आलोचना करने के लिए बहुत से विषय हैं हमारे पास, लेकिन मैं अपने आपको कुछ ही विषयों तक सम्बद्ध रखूंगा। मान्यवर, मैं अपने को सिर्फ तीन विषयों तक ही सीमित रखूंगा–भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा प्रदेश की आर्थिक जरजरता।

मान्यवर, प्रदेश के इतिहास में पहली बार न्यायिक सेवा का व्यक्ति भी सड़क पर आने को आह्वान करता है। उन्होंने भूख हड़ताल तथा सत्याग्रह किया है। एक नयी चीज इस प्रदेश में हो रही है। हमारे प्रदेश के एडवोकेट जनरल, जिनके विरुद्ध, हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच ने कन्टेम्पट का नोटिस दिया हैं, वह भी अपने आप में एक अजीबो–गरीब चीज है। मेरा कहना है कि जिस व्यक्ति को कस्टोडियन कहा जाता है कानून ला और हाईकोर्ट में वह हमारा एडवोकेट जनरल होता है, यदि वही कानून की रक्षा नहीं करता और कानून की अवहेलना करता है तो उसे उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पहले ही डिसमिस कर दिया जाना चाहिए था, किन्तु आज तक भी वह कन्टिन्यूड है।

मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार के बारे में कह रहा था कि लोकायुक्त का जो मामला था वह यहाँ पर औचित्य के रूप में आया। लेकिन इसमें कुछ शंकायें हैं कि लोकायुक्त ने जो रिपोर्ट दी है उसमें दो मंत्रियों के नाम भी हैं इसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है। फतेहगढ़ के अन्दर एक पत्रकार से पूछने पर भी यह मालूम हुआ कि जो लोकायुक्त रिपोर्ट है उसमें मंत्रि मण्डल के दो मत्रियों का नाम भी शामिल है। लेकिन आज जिस तरह से डा० अम्मार रिजवी जी ने उसे गोल-माल किया वह भी अपने आप में एक अजीबो-गरीब चीज है। जबकि होना यह चाहिये था कि उसे सदन के सामने रखा जाता। माननीय मुख्यमन्त्री जी के सामने यदि कोई चीज दो–तीन महीने पहले आ गयी थी तो उस पर उन्हें तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये थी। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि यह मामला गोपनीय है। उसे उन्हें जनता के सामने रखना चाहिए था। साथ ही साथ उसे प्रेस में आ जाना चाहिए था। डा० अम्मार रिजवी ने कहा कि उसमें कोई सत्यता नहीं थी। उसे यदि सदन के सामने लाया जाता तो यह मालूम हो जाता कि उन मंत्रियों के खिलाफ क्या आरोप है। किन्तु उसे आज इतने लम्बे समय तक सरकुमवेन्ट किया गया है।

मान्यवर, मेरे पास भूतपूर्व आबकारी मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह जी का एक लेटर है, जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं, वह प्रकाशित हुआ है। उस पत्र में यह दर्शाया गया है कि उन्होंने कई ठेकों को रद्द कर दिया जिनकी नीलामी हो चुकी थी। उसमें एक बरेली तथा दूसरा कानपुर का ठेका है। बरेली का जो ठेका था वह 94 लाख रुपए में नीलाम हो चुका था, किन्तु उसे उन्होंने कैन्सील करवाया। कैन्सील करवाने के बाद वही ठेका 1 करोड़ 56 लाख रुपए में गया। अर्थात 82 लाख रुपए का अन्तर आया, जिसे बिचौलिये लोग अपने हाथों में रखना चाहते थे। ऐसे ही ठेका कानपुर का है, जो नीलाम हो चुका था, किन्तु उसे उन्होंने कैन्सील कराया। जिसमें उनके ऊपर दबाया आया तथा केन्द्रीय मंत्रियों को दबाया आया। उसके बाद पुनः उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के लोगों से इस सम्बन्ध में बात-चीत की।

मान्यवर, अभी प्राइमिनिस्टर ने विमोचन किया था "फादर टू डाटर"। इसमें मान्यवर, मुझे कोई एतराज नहीं है कि वह केन्द्रीय मंत्रियों से अपने सम्बन्ध रखें। लेकिन

[श्री राजेन्द्र सिंह]

आज जो केन्द्रीय मंत्रियों से सम्बन्ध बनाये जाते हैं, उसमें सिर्फ वह अपने को यहां बनाये रखने के लिये करते हैं। आबकारी मंत्री जी जो हैं.....

उनके कंडक्ट के बारे में, उनके ही पक्ष के लोगों ने बातें की, लेकिन अभी तक उन पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ, न ही मुख्यमन्त्री जी ने कोई जवाब दिया। जो एक मर्डर हुआ था, उसमें किसका हाथ था, वह किसने कराया था ? एक सत्ता पक्ष का विधायक एक मंत्री के खिलाफ एलीगेशन लगाये, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए था। लेकिन, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए उन पर ऐक्शन नहीं हो सकता।

दूसरे, हमारे सहकारिता मंत्री श्री बच्चा पाठक जी हैं, उनके बारे में जो कुछ कहा जाय, वह थोड़ा ही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि एक कमेटी बना लीजिए, कोई हाईकोर्ट के जज को नियुक्त कर दीजिए, जो जांच कर लें। माननीय बच्चा पाठक जी ने नियुक्तियों के बाबत खुले तौर से पैसा लिया है। यही चीज मैंने पहले भी सदन में कही थी कि इन दोनों विभागों के अन्दर नियुक्तियों में खुल कर पैसा लिया गया है, इसकी जांच करायें। भ्रष्टाचार की चीजें देखने से नहीं दिखती, जांच से दिखती हैं। मेरा डायरेक्ट एलीगेशन है कि विभाग में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, वे सब पैसा लेकर के की गयी हैं।

मान्यवर, श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, इनके बारे में बहुत सी बातें आयी। इन्होंने अपने परिवार के लोगों का, जो अवांछनीय तत्व थे, उनका बचाव किया। सचिव से उनका झगड़ा है। एक जगह उन्होंने कुछ अधिकारियों को बुलाना चाहा, उन्होंने आने से मना कर दिया। अनियमित नियुक्तियों में ही नहीं, कुछ प्लाट्स के एलाटमेंट में उनका हाथ संदिग्ध ही नहीं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

यह भ्रष्ट मंत्रियों की श्रेणी के एक पात्र बने हुए हैं, जो यहां पर हैं। मान्यवर, मुख्यमन्त्री जी ने एक बात कही थी कि मजबूत जनमत तैयार किया जाना चाहिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध और भ्रष्टाचारियों के लिये कहा था कि जो भी भ्रष्ट पाया जायेगा, उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे। मुख्य मन्त्री जी ने यह कई बार कहा, सदन में बहुत सी चीजें आयीं, मैं जानना चाहता हूं कि इतने लोगों के प्रति किस प्रक्रिया को अजमाना चाहा, किस प्रक्रिया को एडाप्ट किया ? मान्यवर, माननीय मिश्रा जी, जो कांग्रेस (आई०) के हैं, उन्होंने एक लेख निकाला। उसमें कार्शीनाथ मिश्रा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारियों को अधिक सुलभ हैं। मेरे पास इसका सबूत है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ चीजें-बड़े स्पेसिफिक तौर पर उपलब्ध कीं, मैंने खुद जाकर उनको दीं। एक असिस्टेंट इंजीनियर, जो इरीगेशन में था, विदेश गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के साथ 6 कापियां लगाकर दीं।

मैंने मुख्यमंत्री जी से यह कहा कि बड़ा गम्भीर मामला है, इसमें तीन घटे का काम है, किसी सचिव को दे दीजिए, उसके खिलाफ मैंने सारे डाकुमेंट्स लगाकर दे ही दिये हैं, अगर यह डाकुमेंट्स फाइलों से सत्य प्रतीत होते हैं, तो उसका क्रिमिनल केस दायर होना चाहिए। मान्यवर, उस समय मुख्यमंत्री जी ने जल्दी में आदेश उस पर किये, जो बात है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन उसमें 6 महीने हो चुके हैं, उसमें अभी तक

इन्कवायरी चल रही है । सिंचाई विभाग के सचिव से भी मैंने कहा कि जैसे यह मामला आपके सामने आये, उस पर तुरन्त निर्णय होना चाहिए । मैंने मुख्यमंत्री जी से यही कहा था कि सारे तथ्य इस पत्र के साथ उपलब्ध हैं ।, यह तीन घंटे का काम हैं, और यदि वे तथ्य सही साबित हों, तो उसमें क्रिमिनल केस दायर होना चाहिये ।

एक इन्जीनियर ने जो ग्राउण्ड वाटर में था, उसने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, धोखा दिया है । उसको बचाने की प्रक्रिया हो रही है । कहीं भी दण्ड देने की प्रक्रिया नहीं चल रही है ।

श्री त्रिलोक चन्द एक असिस्टेंट इन्जीनियर थे, उनके बारे में भी मैंने कहा, डाक्युमेंट्स दिये, फोटोस्टेट कापी दीं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ । मैं यह कहना चाहता था कि हमको सूचनायें मिलती हैं, हम व्यक्तिगत रूप से उनके पास नहीं रहते हैं । आशा यह की जाती है कि जब मुझ जैसा व्यक्ति कोई चीज भेजेगा तो उस पर कोई कार्यवाही होगी। वैसे तो साधारण जनता की शिकायतों पर भी कार्यवाही होनी चाहिये, लेकिन मेरे स्तर से भ्रष्टाचार के केसेज गये, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ ।

एक जगह नगला दुधार है, वहां पर 2 कि० मी० ड्रेन बना लेकिन 2 कि० मी० ड्रेन वास्तव में खुदा नहीं, आज उसकी रिपेयर भी हो रही है कागज के ऊपर । मैं चाहूंगा कि मा० मुख्यमंत्री जी आज ही फोन पर ए०डी०एम० (फाइनान्स) से पूछ लें । उन्होंने देखा है कि 2 कि० मी० ड्रेन खुदा ही नहीं । भ्रष्टाचार का एक माहौल आपको बताना चाहता हूं कि कितने बड़े रूप में फैला हुआ है ।

मथुरा जनपद में 400 बोरे सीमेंट के गबन का मामला था । एक जूनियर इन्जीनियर ने असिस्टेन्ट इन्जीनियर की मदद से इनका गबन किया । मा० सिंचाई मन्त्री ने कहा कि हम पैसा वसूल कर रहे हैं । उस समय जो सीमेंट था, उसकी कण्ट्रोल प्राइस थी, खुले बाजार में उसकी बहुत बड़ी कमी थी । अब जब यह बात साबित हो गयी है, डाक्युमेण्ट्स मौजूद हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिये । खाली यह कि वे कण्ट्रोल प्राइस पर पैसा दे दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है ।

विद्युत विभाग, हाथरस का एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर सस्पेण्ड हुआ, 30 लाख रु० का मामला था, मकानों के बनाने के आर्डर्स थे, वह निलम्बित हुआ, सी० आई० डी० की इन्क्वायरी में कुछ केसेज सामने आये । जिन फर्मों के प्रति उस पर कनाइवेंस दिखायी गयी थी, जिन बातों पर उसको ससपेण्ड किया गया था, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने जाकर सबका पेमेण्ट करा दिया । माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास भी करते हैं तो उनकी यह भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं देती है ।

कृषि विभाग के फार्म अधीक्षक के बारे में भी कहा, मेरठ में एक त्यागी नाम का व्यक्ति है, जो कि 11 साल से वहीं हैं । अलीगढ़ के अन्दर भी यही हो रहा है । फार्म अधीक्षक उसी जिले का रहने वाला हो, वहीं एप्वाइंट हो जाय, यह और कहीं नहीं सिर्फ आपके मन्त्रिमण्डल में ही हुआ है । मैं चाहता था कि आप उनको देखते ।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

हरदुआगंज पावर हाउस में कुछ काम होना था, मई, 1983 की बात है। 3 फर्मों ने कोटेशन्स दिये–विकास ट्रेडर्स, हाजी कांस्ट्रक्शंस और एक हैं मेसर्स अग्रवाल। इसमें विकास ट्रेडर्स का टेन्डर सबसे लोएस्ट था। टेण्डर स्वीकृत हुआ हाजी कांस्ट्रक्शन्स का, जो कि हाइएस्ट था। उस इन्जीनियर को चूंकि उतने एमाउण्ट का टेण्डर स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था, इसलिये काम कराने के माप-दण्ड को कम किया गया और जितनी क्षमता उस इन्जीनियर की कांट्रैक्ट करने की थी, उसने उस कोटेशन को कांट्रैक्ट क्षमता में लाकर स्वीकृत किया।

[2 बजे अपरान्ह]

माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सम्बन्ध में मैं पहले ही लिखकर दे चुका हूं। इस मामले में कोई बड़ी इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार के मामलों में थोड़ा सा इस्ट्रिक्ट हो जाएं तो ऐसे तमाम भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को नसीहत मिल जाए। श्रीमन् मैं अब आता हूं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वर्ष 1980–81 के प्रतिवेदन पर जो कि आप सदन के पटल पर रख चुके हैं, उसके पृष्ठ 147 पर एक इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, श्री ए. एस. गोयल, जिन्होंने किसी नहर का निर्माण कराया था और उनके प्रति कई आरोप थे, इसके बावजूद उनका प्रमोशन और कंफरमेंशन दोनों हो गया। इस प्रकार की अनेक अनियमितताएं इस सरकार द्वारा हो रही हैं और न जाने कितनी तादाद में पहले हो चुकी हैं।

अब श्रीमन् मैं इस सरकार की वित्तीय स्थिति पर आना चाहता हूं कि कितनी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। निर्माण विभाग के लिए आदेश होते हैं 36 करोड़ रु. के परन्तु उन्हें सिर्फ दिया गया 18 करोड़। इस प्रकार से कैसी स्थिति इनकी गिरती जा रही है। इसी प्रकार श्रीमन् ग्रामीण विभाग के चीफ इन्जीनियर, श्री सिद्दीकी द्वारा 15 लाख रु० के एक काम के लिए आर्डर्स दिये जाते हैं श्री सलाहुद्दीन अन्सारी इस कार्य को करा ही रहे थे कि इनका ट्रांसफर हो गया और इनके स्थान पर किसी अन्य इंजीनियर को ले आया गया। श्री सक्सेना यह सारा पैसा इनके एकाउन्ट में डलवा दिया, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद श्री सक्सेना का ट्रांसफर हो गया और फिर इनके स्थान पर श्री अन्सारी आ गये मालूम यह हुआ कि यह सब विभाग की साँठ-गाँठ से हुआ और इस प्रकार 15 लाख रु० का गबन हो गया। और इस मामले को सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी उठाया और साफतौर पर कहा कि चीफ-इंजीनियर, श्री सिद्दीकी की वजह से ऐसा हुआ है।

दूसरे श्रीमन् अब मैं कानून–और व्यवस्था के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं जिसकी स्थिति आज बहुत ही जर्जर हो चुकी है।

———सुबह-सुबह एक बड़े थिकली पापुलेटेड एरिया से हाईकोर्ट के वकील श्री लल्लू सिंह का अपहरण किया गया और वह अभी तक नहीं मिल पाये। लखनऊ जैसे शहर में इतने थिकली पापुलेटेड एरिया में ऐसा हो जाय और आपकी पुलिस निष्क्रिय बनी रहे।

मदरासा काण्ड में जो पूरे परिवार की हत्या की गयी, आपका पूरा प्रशासन लगा था, आप स्वयं वहां गये थे लेकिन आज तक कुछ ट्रेस नहीं हो सका। लालाराम गिरोह आज भी जिन्दा है। जगरानी जैसी पहले थी, आज भी है, कहीं पर भी कोई

कमी नहीं आयी है चाहे बलात्कार हो, चाहे डकैती हो, चाहे हत्या काण्ड हो, चाहे मरडर हो । पुलिस द्वारा किये गये जघन्य कामों में कोई कमी नहीं आयी है । फर्जी इनकाउन्टर्स की बात आपके सामने आ चुकी है ।

बांदा में पत्रकार को किस तरह से पुलिस ने पीटा, सबको मालुम है । रजिया, पत्नी श्री अजीमुद्दीन को इसके पति ने जला दिया । एफ० आई० आर० लाज की गयी परन्तु पुलिस ने उस एफ० आई० आर० पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। इनको किसी न किसी का शेल्टर प्राप्त है जिनके कारण ये इतने स्वछन्द घूम रहे हैं । फर्जी इनकाउन्टर बन्सा की बात आयी । पिछले शासन काल में भी फर्जी इनकान्टर्स हुए हैं जो बाद में साबित भी हुई हैं लेकिन जो माया त्यागी का काण्ड हुआ उसमें अभी भी गौड अपराधी जिसे जस्टिस राय ने अपराधी घोषित किया आज भी निर्द्वन्द घूम रहा है और शाहजहांपुर में उसने फिर एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया क्यों कि उसे उच्चतर से शेल्टर प्राप्त है और आज भी वह एस० ओ० बना हुआ है और निर्द्वन्द रूप से आज भी प्रदेश के अन्दर विचरण कर रहा है ।

सुभाष पांडेय, किसनी, मैनपुरी का पुलिस ने इनकाउन्टर किया था बेचारे निर्दोष के मत्थे आरोप को मढ़ा गया । इसी तरह से खरपतोरा काण्ड में पुलिस ने निर्दयता से पिटायी की जिसकी कुछ बातें आपके सामने भी रखी गयीं । सत्य प्रकाश, आयु 25 वर्ष उसे गाजियाबाद में पुलिस ने बुरी तरह से पिटाई की जिसके कारण उसकी थाने में ही मृत्यु हो गयी । इसी तरह से एक किसान को हलद्वानी पुलिस ने बेरहमी से पीटा रामसंजीवन कुर्मी की पुलिस ने बुरी तरह से पिटाई की । हरनारायण के केस में सामने पुलिस खड़ी रही, मैजिस्ट्रेट खड़े रहे और पुलिस उसको प्रोत्साहित करती रही कि क्यों नहीं हत्या कर लेते हो । मैं पूछता हूं कि आखिर सरकार अपने आप को इनके सामने क्यों अक्षम्य पा रही है ?

ग्राम खजुरा में कोक सिंह के तीनों भाइयों को नंगा करके सबके सामने पुलिस ने खड़ा कर दिया और नंगे ही नंगे उनको महिलाओं के सामने पीटा । फिर उनको पेशाब पिलाने का प्रयत्न किया जिससे एक भाई की मौके पर मृत्यु भी हो गयी। इसके पीछे कारण केवल यह था कि भाई की पुत्रवधू के घर में घुस कर उसके साथ बलात्कार करना चाहते थे ।

लेकिन वहां के लोगों ने उसको पकड़ लिया, पुलिस जब आई तो उलटे उसी को मारा । मान्यवर, कानपुर के व्यापारी की हत्या हुई । इनायत रसूल पीलीभीत का कार्य–कर्ता था और ग्राम प्रधान भी था । कांग्रेस [आई] से सरक्षण प्राप्त व्यक्तियों ने उसका अपहरण किया । पुलिस जानती भी है कि किस व्यक्ति ने अपहरण किया है, एस० पी० जानता है कि किस व्यक्ति ने अपहरण किया है, लेकिन कांग्रेस [आई] का प्रश्रय मिला हुआ है. जिसके कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है और इनायत हुसैन इस दुनिया से चला गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय सवा दो बजे समाप्त हो जायगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत कहा गया । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि बलराम सिंह जी जब कानपुर गये थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि 20

[श्री राजेन्द्र सिंह]

सूत्री कार्यक्रम एक बहुत बड़ा फ्राड है और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो प्रगति हो रही है वह असन्तोषजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको खुद माना है। कि यह सरकार निर्णय लेने में अक्षम है। कभी डाक्टरों की प्रैक्टिस को बन्द करती है और कभी चालू करती है। अनिर्णय की स्थिति क्यों है। मान्यवर, मैंने खुद कहा था कि इसको रोकिए, परन्तु मुझे नहीं मालूम कि आपने ऐसा क्यों किया। इसको स्वास्थ्य मन्त्री जी अथवा मुख्य मन्त्री जी ही बता सकते हैं।

मान्यवर, प्रदेश की जनता को वनस्पति के बहाने चर्बी खिला दी गयी। मैं जानना चाहता हू कि क्या कभी इनका सैम्पिल लिया गया। यह सरकार की अक्षमता है कि इस प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे जैन बनस्पति हो या कोई दूसरी हो, इस प्रदेश की जनता को बाहर से चर्बी मंगा कर खिला दिया और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रदेश की पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और पूरे प्रदेश को चर्बी खिला दिया।

एक सदस्य—

यह तो जनता सरकार के समय की बात है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गलत बयानी की है। उसको वह करेक्ट करें। वह चाहे केन्द्र में मन्त्री हों या राज्य मन्त्री हो। मेरा थोड़ा समय रह गया है, मुझे बोलने दें। मान्यवर, इस फ्रन्ट पर यह सरकार बिलकुल फेल हो गयी है। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने 3 महीने पहले यह बड़े जोर शोर से कहा था कि अगर बिजली की स्थिति न सुधरी तो सख्त एक्शन लिया जायेगा। सचिवालय की बिजली चली जाती है लेकिन मुख्य मन्त्री जी को इसका पता ही नहीं चलता है कि सचिवालय में बिजली है या नहीं है। यहां पर 39 प्रतिशत बिजली का उत्पादन हो रहा है जब कि देश में 50 प्रतिशत बिजली का उत्पादन है। यु० पी० एस० आर० टी० सी० को आप ले लें, उस के बारे में आज कितनी बाते कहीं गयी है। आपने किराया बढ़ा दिया है। पिछली बार प्राइवेट ओनर्स की किराया बढ़ाने की मांग आ गयी थी, चाहे वह मैनीपुलेटेड ही क्यों न हो, आपने किराया बढ़ा दिया। लेकिन इस बार आपने किस आधार पर किराया बढ़ा दिया। जो आप का निगम है यह उसकी अक्षमता है, अकुशलता है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है।.....

यह आपको पता है। मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते है। आप कहते हैं कि हम बेइमान को नहीं बख्शेंगे, गलत आदमी को नहीं बख्शेंगे। क्या आपको पता नहीं है कौन गलत आदमी है कौन बेइमान है। जितनी नई बसें चल रही हैं क्या आपको इसका पता नहीं हैं कि वे सत्ता पक्ष के लोगों की चल रही हैं। आपने किन्हीं को पकड़ा भी है। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि उसका क्या रिजल्ट रहा। आपके पास आर० टी० ओ० हैं, ए० आर०टी०ओ० हैं। जगह-जगह पर आपके थाने मौजूद है, उच्च अधिकारी आपके पास हैं। आप क्यों नहीं रोक पाये। यह आपकी अक्षमता और कुशलता का बहुत बड़ा कारण है।

पत्रकारों के साथ जो इस सरकार ने दुर्व्यवहार किया है वह भी इस प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। चाहे वह बांदा हो, हमीरपुर हो या कानपुर हो...

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर समाप्त कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि खामोश यात्रा शव यात्रा होती है। मैं नहीं जानता कि मुख्यमंत्री जी ने इस यात्रा को खामोश यात्रा क्यों कहा। लेकिन अगर वही बात है तो उस शव यात्रा में हम उनका साथ नहीं दे पायेंगे। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को शव यात्रा में ले जा रहे हैं इसलिये यह सरकार भ्रष्ट है और इस सरकार का कोई औचित्य इस प्रदेश में रहने का नहीं है। ...[व्यवधान]

[जनस्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी]–

मान्यवर, शव यात्रा तो आज आपकी प्रारम्भ होगी। पहले सन् 78 में हुई थी। इसके लिये बधाई देता हूं।

श्रीमन् बड़ी चर्चा थी कल उत्तर प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में कि यह बड़ा हंगामें सेंशन होगा और बड़ी चर्चा थी उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में कि उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है। समाचार पत्रों में, साप्ताहिकों में, तथा कुछ मासिकों का हवाला देते हुए यह बड़ी चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में देखने में कोई शासन नहीं है और अगर कुछ है तो भ्रष्टाचार है, निकम्मापन है और कुछ नहीं है।

[विरोधी दल से "सही है", "सही है" की आवाजें]

मान्यवर, जब आज इस प्रतिभावान विपक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा और उसे इस निकम्मे शासक दल ने तत्काल के लिये स्वीकार कर सुन लिया तो उस प्रतिभावान विपक्ष की सारी प्रतिभा समाप्त हो गई। एक ऐसे नेता विरोधी दल जिसको यह सौभाग्य प्राप्त है इस प्रदेश के नेता विरोधी दल होने का जिसकी जनसंख्या इंगलैंड के बराबर है, उन्होंने रखा क्या है। और वे बोले क्या हैं? मैंने कुछ नोट कर लिया है। यही हमारा स्तर है, यही दिग्दर्शित करता है। बोले क्या, कि लोक आयुक्त की रिपोर्ट। प्रश्नोत्तर काल के बाद लोकायुक्त रिपोर्ट पर एक बात हुई। किसी ने किसी के खिलाफ एक दरख्वास्त दी। लोकोयुक्त उसकी जांच कर रहे हैं जाँच समाप्त हुई या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आज तक लोकायुक्त ने कोई रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी। जब नहीं भेजी तो फिर कैसे कहा जा सकता है। श्रीमन्, मुझे याद है, मैं इस प्रदेश की विधान सभा का सदस्य नहीं था। जहां माननीय राजेन्द्र सिंह जी बैठे है वहां चौधरी साहब बैठते थे।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जहाँ ओझा जी बैठे हैं वहां पर माननीय शिवदास तिवारी बैठते थे, जहां देवेन्द्र पांण्डे बैठे हैं वहां माननीय विजय बहादुर सिंह बैठते थे। माननीय शिवदास तिवारी समाजवादी पार्टी के थे जिसके नेता डा० लोहिया थे जो सारे हिन्दुस्तान में भूकम्प पैदा करने वाले विचारक थे माननीय विजय बहादुर सिंह माननीय राजेन्द्र गुप्त के पक्ष के थे जिनके दिल में सारे हिन्दुस्तान का दर्द था, जिनके जिगर में गोरक्षा का दर्द था, जिनके जिगर में हिन्दुत्व

का दर्द था वे इस कक्ष पर लेट गये कि यह व्यक्ति मिर्जापुर की सतिया नाम की औरत का बलात्कार किये है। [व्यवधान] और क्या क्या नहीं कहा गया [व्यवधान] श्रीमन् मैं अपने ऊपर कह रहा हूं। (व्यवधान] आप परेशान न हों। जो आप करते हैं वह बता रहा हूं। तो उस नाम की कोई महिला या कोई बालिका नही थी [व्यवधान] उस नाम की कोई महिला वहां रही नही।

श्री मोहन सिंह–

जिस नाम की महिला थी उसे बता दें हम अपने को करैक्ट कर लेंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

चन्द्रा त्रिपाठी मेरी पत्नी। तो मैं कह रहा था इस प्रकार के यह आरोप लगाते हैं एक महीने तक इस सदन का समय अपव्यय हुआ। मैं समझ रहा था कि कोई इसी तरह की चीज आने वाली है। जब चर्चा आई, माननीय नेता विरोधीदल ने कहा हम बहुत से कारनामे रखेंगे बहुतों की तस्वीरें सामने आयेंगी–खोदा पहाड़ निकाली चुहिया–

एक सदस्य–

चींटी कहिये।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

चींटी नहीं, चींटी तो बहुत खतरनाक होती है। हमारे नेता विरोधी दल के पास इस प्रदेश के शासन के खिलाफ कहने को कुछ है ही नही। कहा गया कि इस प्रदेश के प्रशासन में अधिकारी बहुत करप्ट हैं, भ्रष्टचारी हैं। मैं आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं नेता विरोधीदल से कि उत्तर प्रदेश शासन में कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा अधिकारी क्या अमेरिका से आते है, या ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं, वे सब इसी प्रदेश से आते हैं। हमारे सम्मानित सदन में बैठे हुए विपक्ष के किसी नेता ने इस बात की घोषणा की होती कि हमारे फलां संबंधी जिसे उत्तर प्रदेश शासन से 5–5 सौ रुपया महीना मिलता है और जब घर बनाने की बात करते है तो 25–25 हजार रुपया भेजते हैं तो मैं समझता कि यह त्यागी हैं। [व्यवधान] डाक्टरों से अगर किसी ने धन लिया है तो हमारे मित्र मोहन सिंह जी है जिन्होंने मुझे रुपया देना था वह मुझे दिया नहीं।

किसको उन्होंने दिया; [व्यवधान] हम सब पूरे भ्रष्ट हैं इसीलिए सन् 69 में जब प्रीवी पर्स की समाप्ति की बात हुई तब किसने उसका विरोध किया। इस देश की एक महिला हमारे देश की प्रधान मंत्री ने भारत वर्ष के ढाई हजार वर्ष के इतिहास को बदला [व्यवधान] आपका सिर शर्म से झुक जाता है। सन् 71 में, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं आप बता दें भारत में कोई युद्ध जीता; [व्यवधान]

उस महिला ने प्रिवी-पर्स को एबालिश किया। मैं तो उसको नेता मानता हूं और नेता तो यह भी मानते है अन्यथा यह लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आज न होता। यह शरमाते हैं यह कहने में कि उस महिला ने इस देश को आगे बढ़ाया।

मान्यवर, यह कहते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार हैं, सिंचाई विभाग के फला इंजीनियर भ्रष्ट हैं, फला इंजीनियर के खिलाफ पब्लिक एकाउन्टस कमेटी ने और एकाउन्टेंट जनरल ने आरोप लगाये किन्तु उनको आज प्रोमोट कर दिया गया। तो श्रीमन्, प्रोमोशन का

एक तरीका है कि जिसके खिलाफ आरोप लगाये जाते हैं उसकी इन्क्वारी करायी जाती है और उसमें यदि वह अधिकारी निर्दोष पाया जाता है तो उसका प्रोमोशन होता है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जब राजेन्द्र सिंह जी मंत्री थे तो क्या वह इस प्रक्रिया को नहीं चलाते थे।

मान्यवर, तीसरी बात आयी, व्यक्तिगत आक्षेपों की, तो यह विरोधीपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं तीन व्यक्तियों पर व्यक्तिगत आक्षेपों के संबंध में। यदि कोई मंत्री मरडर में इंवाल्व है तो उसके लिये उच्च न्यायालय है वहां जायं, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करें। यदि मंत्री मरडरर है तो क्या वह बच जायेगा, यदि यह परम्परा रही तो आप क्षमा करेंगें, श्री राजेन्द्र सिंह क्षमा करेंगें, स्वामी नाथ जी यहाँ बैठे हैं, 1978 में निदौली विधान सभा का चुनाव हो रहा था, धीराभई पोलिंग स्टेशन पर क्या हो रहा था जिसको वह जानते हैं, 1030 वहां वोट थे श्री राजेन्द्र सिंह के कुलीग तत्काल मंत्रि परिषद के सदस्य थे, उस पोलिंग पर बैठकर मतों में मोहर लगायी और जब मैं और मेरे साथ प्रो० वासुदेव सिंह थे वहां पहुंचे तो मंत्री जी से उनकी मोहर और मत पत्र ले लिये और मैंने कहा कि यह बात आपके लिये शोभनीय नहीं है। उस समय इनका कोई दल नहीं था। 1967 में इधर से उधर जाकर एक दल भारतीय क्रान्ति दल बना, बहुत से दल बने और आज लोकदल हो गया है [व्यवधान] श्रीमन् वहाँ लोगों ने हम लोगों को मारने की कोशिश किया और आज कहते हैं कि हमारे दल के लोग मरडरर हैं।

नेता विरोधी–

जिनकी कहानी ही मर्डर और मर्डरर की है। आप जिस मंडल से आते हैं– आगरा मंडल, वहां पर सन् 77 के 30 मार्च को कितने आर्म्स के लाइसेंस थे और 31 दिसम्बर, 79 तक वह बढ़कर कितने हो गये थे। आप ढाई साल रहे और ढाई साल में वह कहां से कहां पहुंच गये। वह आपने अपने समय में ढाई हजार से बढ़ाकर 30 हजार हो गये थे। तो आपने एक मंडल में 30 हजार आर्म्स लाइसेंस दिए। यह क्या आपने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ फौज तैयार करने के लिए दिए थे ? जो आप आज हमारे मंत्री और विधायक के खिलाफ मर्डर और मर्डर की बात कह रहे हैं वह बेबुनियाद बात है और ऐसा कहकर आप आज अपनी ही कहानी कह रहे है कि हमारे सदस्य मर्डरर हैं। आपकी कोई राजनीति नहीं है, आपका कोई दल नहीं है। आपकी केवल यही राजनीति और दल है कि जब चुनाव आएं तो सत्ता पर कब्जा करने के लिए नाजायज गठबन्धन किये जाए। कहां भारतीय जनता पार्टी और कहां चौधरी साहब ? अब उत्तर प्रदेश और भारत की जनता ऐसे नापाक गठबन्धनों से प्रभावित होने वाली नहीं है और आज तो आपने जो कहा उससे इस नये राजनीतिक गठबंधन का श्राद्ध कर दिया है इसलिए आप श्रद्धा के पात्र है।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव तो किसी सरकार के विरुद्ध पेश किया जाता है और जब प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है तो फिर···(व्यवधान) पोलेकिटल साइंस की किताबों में लिखा है– दि गवर्नमेंट इज बेस्ट हू गवर्नस दि लीस्ट। वह सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है जो कम से कम शासन करती है। यह सरकार इसी मायने में बिल्कुल शासन नहीं करती है। जब यहां मन ही नहीं है, तो वह शासन क्या करेगी ? आज उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ जनता घोर तबाही के कगार पर खड़ी है। लखनऊ की सड़कों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जर्नादन प्रसाद ओझा]

पर कोई दिन दहाड़े सुरक्षित नहीं निकल सकता है। ठेकेदार लोग बन्दूक की नाल के बल पर करोडों रुपयों का ठेका लेते हैं और इंजीनियर मुंह छिपाकर भाग जाते हैं, फिर भी यह दिग्गज लोग यहां पर बैठे हुए 11 करोड़ जनता का ठेका लिए हुए हैं। प्रदेश की मान्यता है, जनतन्त्र का यह तकाजा है, इस प्रदेश के इनके लीडर– मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में जातिवाद नहीं कोखवाद चला रहे हैं। ऐसा कहने का अवसर लोगों को बस्ती में मिला था और गोरखपुर की सड़कों पर लगा था, इसके बारे में राजमंगल पान्डेय से पूछिए, जिन्होंने जुलुस को रोका था और कहा था कि ऐसा नारा लगेगा तो हमारे ऐसा आदमी नहीं रहेगा।

श्री लटूरी सिंह पर इलाहाबाद में सरेआम गोली मारी गई, जबकि दो दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि फलां एस० एस० पी० हमारा कत्ल करना चाहता हैं, उससे हमें अपनी जान का खतरा हैं, इसका प्रबन्ध किया जाए। [व्यवधान] उसके बाद ही विधायक पर गोली चलायी गयी। हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जन प्रतिनिधि अपनी-अपनी जान की रक्षा के लिए विधान सभा के सामने अनशन करें, इससे बड़ी शर्म की बात किसी प्रजातान्त्रिक सरकार के लिए और क्या हो सकती है। आज प्रदेश में नौकर शाही इतनी प्रबल हो गई हैं कि यह सरकार अक्षम हो गई है, उनके आगे मंत्रि परिषद के लोग दम तोड़ रहे हैं।

इनकी छाती पर यहाँ पर ए. पी. सी. शासनादेश निर्गत करता है, मंत्री से पूछता भी नहीं है, इस आदरणीय सदन में मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगर मंत्री परिषद की मर्जी के बिना संबंधित मंत्री की सहमति के बिना उनकी कागनीजेंस लिये बिना अगर कोई शासनादेश निर्गत होता है तो उस अधिकार के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जायगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ग्राम्य विकास से शासनादेश निर्गत हुआ या नहीं। अगर निर्गत हुआ तो आपके आश्वासन का क्या हुआ। क्या यह सच नहीं है कि वह अधिकारी आपसे ज्यादा सशक्त है, सक्षम हैं इसलिए कि उनका सीधा सम्बन्ध दिल्ली से है और दिल्ली की सरकार से है। दिल्ली के इशारे पर आज नौकरशाही इतनी मजबूत हो गयी है कि उतनी मजबूत शायद कभी नहीं हुई थी। कहां जा रहे हैं मंत्रियों के आदेश, मंत्रियों के आदेश कबाड़ की टोकरी में, कूड़ेखाने में फाड़कर फेंक दिये जाते हैं हम लोगों के सामने। विधायकों के सामने मंत्रियों के आदेश फाड़ कर फेंक दिये जाते हैं। तो यह है आपके शासन का तरीका।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार का सार्जेन्ट कौन है। सर्वोच्च अधिकारी कौन है। सरकार किसके नाम से चलती है। नौकरशाहों के नाम से चलती है या माननीय राज्यपाल के नाम से। इस प्रदेश का संरक्षक कौन है। मान्यवर, मंत्रि परिषद एक टीम हुआ करती है लेकिन यहां न कोई टीम है और न कोई लीडर। जनतंत्र के नाम की गाड़ी कौन खींच रहा है। मंत्रि परिषद के सदस्य एक दूसरे को बेईमान कहते हैं। इस प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्रि परिषद में ऐसे लोग क्यों पड़े हुये हैं, मैं पूछना चाहता हूं। अभी अखबार में देखा, एक चपरासी को मंत्री जी ने मारा इसलिए

(इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

कि वह उनके पैर नहीं दवा रहा था। मनोनुकूल काम नहीं किया इसलिये उसको मारा। आई. ए. एस. अधिकारी आज इस्तीफा दे रहे हैं, यह सब क्या हो रहा है। मेरा कहना नहीं है, भूतपूर्व मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि हमारी मंत्रि परिषद के अमुक-अमुक मंत्री भ्रष्ट हैं। मेरी जानकारी यह नहीं हैं, मुख्य मंत्री खुद कहते हैं कि हमारे मंत्रि मंडल के अमुक-अमुक लोग भ्रष्ट हैं इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं लेकिन उनके जाते ही जब दूसरे मुख्य मंत्री जी आते हैं तो वह लोग फिर मंत्री बन जाते हैं। यह कहां की राजनीतिक नैतिकता है मेरी समझ में नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं कि या तो पुराने मुख्य मंत्री ने गलत बयानी करके उनको निकाला नहीं तो अगर वह भ्रष्ट थे और प्राइमा फेंसी सिद्ध था तो मंत्रि परिषद में उनको लिये जाने का औचित्य क्या है। जन प्रतिनिधि होने के नाते अगर इस प्रदेश की जनता हमारे चरित्र के सम्बन्ध में, हमारी इटेग्रिटी के सम्बन्ध में और आनेस्टी के सम्बन्ध में उंगली उठाती है तो उसका यही कारण है कि भ्रष्टाचार है।

आज नौकरशाह और दूसरे लोग भ्रष्टाचार की जिस गंगा में तैर रहे हैं मजा कर रहे हैं उसका कारण हमारा चरित्र और इस मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चरित्र है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रि परिषद के शायद ही कोई सदस्य हों जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। लखनऊ की सड़कों पर इस प्रदेश की गलियों और झोपड़ियों में इस बात की आम चर्चा है कि दिल्ली के दरबार में जो जितना पैसा पहुंचायेगा वह उतना ही अच्छा माना जायगा। और उसको उतना ही अच्छा विभाग दिया जायगा। क्या जनमानस की इस भावना का निराकरण करने के लिये आपके पास कोई उपाय है। हमारे गन्ना विकास मंत्री जी के सम्बन्ध में कुछ न कहना पर्याप्त है। बहुत कुछ कहा जा चुका है। ऐसे निकम्मे, ऐसे नपुसंक, कमजोर और पस्त हिम्मत मंत्रि परिषद के सदस्य इस प्रदेश के लोगों के लिये कलंक हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 80 लोगों का एडहाक एप्वाइंटमेंट हुआ बिना किसी विज्ञापन के और बिना किसी साक्षात्कार के। उसमें से 44 पंडित जी रखे गये। बी. बी. चतुर्वेदी अपने को श्रीमती मिश्रा का रिश्तेदार कहते हैं.....

मेरी चुनौती है स्वीकार करे मुख्यमंत्री जी। यदि सच हो तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें नहीं तो मैं दे दूंगा। एक आदमी जिसकी आमदनी 2 हजार रुपया है उसका खर्च 10 हजार आता है 4–4 बार ट्रांसफर हुआ लेकिन इसके बाद भी ऐसा आदमी वहां पड़ा है क्यों पड़ा है। मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले सत्र में बयान दिया कि जब तक एक-एक पाई गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो जाता हैं तब तक किसी मिल को चलाने की इजाजत नहीं देंगे। यह मोटे अक्षरों में छपा। कितने पैसे का भुगतान हो गया। जब हम लोग मिल मालिकों से बात करते हैं तो वह कहते हैं मुख्यमत्री से कहिये पहले अपनी मिलों का भुगतान करें, कारपोरेशन के अन्तर्गत चलने वाली मिल, रिसीवरशिप के अन्तर्गत चलने वाली मिलों और सरकारी विभाग में चलने वाली मिलों पर जो किसानों का एक डेढ़ अरब बाकी पड़ा है पहले उसका भुगतान करें।

मान्यवर यह सरकार छोटे-छोटे गरीब किसानों को 100–100 रुपये के लिए जेल में लाकर में बन्द कर सकती है लेकिन एक करोड़ से ज्यादा बकाया रखने वाले जयपुरिया और बिड़ला मौज उड़ा रहे हैं यह सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है।

[श्री जर्नादन प्रसाद ओझा]

मान्यवर, सिसवा मिल के बारे में कहना चाहता हूं हाईकोर्ट में सुभास कमानी ने लिखकर दिया। उस मिल के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि उसने लिखकर दिया कि 2 लाख रुपया प्रतिमाह वापस करेंगे मिल हमको दे दी जाय। मिल दे दी गई लेकिन उसने पैसा वापस नहीं किया आन्दोलन चल रहा है।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली घटना है जब ट्रेन रोकी गई दो दिन तक ट्रेन रुकी रही बसेज, प्राईवेट टैक्सिया रुकी रही। 5 सौ से अधिक लोग जेल में बन्द है और सुभास घई वहां के कलेक्टर के सामने बैठकर बात करता है। यह सरकार प्रदेश के गरीब किसानों के हाथ में हथकड़ी लगा सकती है लेकिन मिल मालिकों के खिलाफ कदम उठाने की इस नंपुसक और हिजड़ी सरकार में हिम्मत नहीं है।

श्रीमन्, मैं मजदूरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं मोदीनगर में जय प्रकाश की हत्या हुई। 15 हजार मजदूरों में से साढ़े 12 हजार हिन्द मजदूर सभा के सदस्य है उनका नेता मारा गया, यह क्रम चलता रहा और श्रीपति मिश्र का निकम्मा कलेक्टर मोदी का दरबारी बना हुआ है। वहां का कप्तान मोदी का दरबार कर रहा। मान्यवर साधूराम की हत्या हुई। देवरिया का गरीब मजदूर 15 हजार मजदूरों का यह नेता था। जिस प्रकार से इसकी हत्या हुई उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। छूरा भोंककर उसे मारा गया दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। डेढ़ सौ से अधिक लोग जेलों में बन्द हैं। यूनियन कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया है। हाईकोर्ट के रिलीज आर्डर के बाद भी हमारी जीप नहीं मिल पा रही है। यह सरकार मजदूरों की घटना से खामोश है। लखनऊ में मान्यवर साढ़े 5 हजार लोगों ने प्रदर्शन किया। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि कोई यूनिट मिल का बन्द नहीं होगा। मुख्यमंत्री के आदेशों को चुनौती देते हुये मोदी ने बी सेक्टर की यूनिट को बन्द कर दिया।

डेढ़ हजार मजदूर मोदीनगर के सड़कों पर घूम रहे हैं। यह साजिश चल रही है कि दूसरे सेक्टर को भी बन्द करें। है हिम्मत मुख्यमंत्री में मोदी की मिलों पर कब्जा करने की और यह कहने की कि हमारे आदेशों, निर्देशों और मजदूरों के कानूनों की अवहेलना करके मोदी उत्तर प्रदेश में बादशाह बनकर नहीं रह सकता। क्या यह सरकार कुछ करेगी हमें सक है यह सरकार जो मोदी, टाटा और विड़ला के पैसे से चुनाव लड़कर सत्ता में आयी है, उनके पैसे से सत्ता में आने वाली यह सरकार कुछ नहीं कर सकती है। चुनाव के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं जो चुनाव क्षेत्र समितियों के हुए उसमें कौन से लोग आये। कैसे आये इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कोआपशन का माननीय मंत्री जी का बलराम सिंह जी का बयान आ गया 80 प्रतिशत लोग कांग्रेस आई के जीते हैं।

माननीय बीरबहादुर सिंह नहीं हैं, 28 में जो हुए हैं उसमें कोई काँग्रेस का मेम्बर नहीं है। तुम्हारा भाई और दो आदमी को छोड़कर। यही स्थिति पूरे प्रदेश की है फिर नांमिनेशन क्यों कर रहे थे। क्यों भर रहे थे। क्या सरकार को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूं। जो इसमें इतना मतभेद है, विचारों की भिन्नता है, वह एक समय के अन्दर कैसे रहेगी।

यह जनतांत्रिक परम्पराओं को देखते हुए हमारे नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है पुलिस के सम्बन्ध में ।

यह कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री वीरबहादुर सिंह के चमचे गांव में हरिजन सभा के ग्राम प्रधान हैं । उसकी दाढ़ी नोची गई । सड़क पर जानवरों की तरह से दौड़ाकर मारा । अखबारों में पूरा बयान है । मौके पर हम लोग गये हमारे नेता जार्ज फर्नांडीज भी वहां गये थे उसने रो–रोकर दाढ़ी दिखलाकर बयान दिया। उस आदमी ने कहा कि उन्होंने हमें गंगा का पानी पिलाया । मैं सब कुछ बर्दास्त कर सकता हूं लेकिन इसे नहीं । जिस दरोगा ने यह सब किया आज वह दरोगा वहीं पड़ा हुआ है । क्योंकि सुबह को इसी कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी पहुंच गई पुलिस कप्तान को । मान्यवर, वहां के हरिजनों के साथ जन-प्रतिनिधियों के साथ बहुत बुरा रवैया है । कानपुर में भी ऐसा ही है । यह तो हमारे मंत्री जी बतायेंगे । ऐसी ही स्थिति सब जगह है ।

बाँदा में पत्रकार की हत्या हुई । हत्या रोज हुआ करती है लेकिन वह हत्या चुनौती थी । उसने चुनौती दी और उसको पूरा किया और यह सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है । जब प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं फिर सरकार किस काम के लिए है । किसान सुरक्षित नहीं है । उसका उत्पादन सुरक्षित नहीं है । उसके उत्पादन का मूल्य सुरक्षित नहीं है फिर इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए । यह बहुत ही शर्म की बात है। कहते हैं विद्युत परिषद को प्राइवेट लोगों के हवाले करना चाहते हैं । यह जो राज्य परिवहन निगम है इसको प्राइवेट लोगों के हवाले करना चाहते हैं । अब वह कह देंगे कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रतिनिधियों को मोदी के हवाले करना चाहते हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को शासन में रहने का कोई हक नहीं है । इस चीज के लिए हमने कितना संघर्ष किया, आप कहते हैं विद्युत परिषद को प्राइवेट लोगों को दे देंगे, ट्रांसपोर्ट निगम को प्राइवेट लोगों को दे देंगे । उनके हवाले कर देंगे । हमने प्राइवेट बसों को नेशनेलाइज्ड सड़कों पर, राष्ट्रीय सड़कों पर नहीं चलने दिया, आज प्राइवेट बसें धड़ल्ले के साथ चल रही हैं । तो यह सरकार प्रदेश के किसानों का विश्वास खो चुकी हैं । मजदूरों का विश्वास खो चुकी है । नौजवान सड़कों पर आ रहा है । कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन प्रदर्शन न हो रहा हो । नौजवानों का सरकार में विश्वास नहीं रहा, किसानों का सरकार में विश्वास नहीं रहा, मजदूरों का इस सरकार में विश्वास नहीं रहा ।

जनतंत्र के प्रहरी इन पत्रकार भाइयों को तो इस बात का भी विश्वास नहीं कि सदन के बाहर इनका क्या होगा । नौकरशाही इनकी बात नहीं मानती है, नौकरशाही पर भी इनका अंकुश नहीं रहा । इस अक्षम सरकार, इस नपुंसक सरकार का अपराधियों पर भी काई नियंत्रण नहीं रहा, ऐसी अकर्मण्य सरकार किसानों का उनके उत्पादन का मूल्य न दिला सके, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा न कर सके, उस सरकार को इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है । इसलिए मैं मा० नेता विरोधी दल ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर

[श्री सुरेन्द्र कपिल]

दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस विषय में जो हमारे विरोधी दल के नेता मा० राजेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव रखा है, यह प्रस्ताव वास्तव में उन्होंने जो बात कही, उससे यह प्रतीत होता है कि इन्होंने यह प्रस्ताव मन से नहीं रखा। यह मजबूरी में रखा है। मैं इस बात से बिलकुल मुतमईन हूँ कि राजेन्द्र जी ने लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुपालन की मजबूरी में इसे रखा है। उन्होंने यह प्रस्ताव औपचारिकता के लिए रखा है। यह कहते हैं कि किसानों का शोषण हुआ है, तो मान्यवर ये अपने दिल पर हाथ रख करके कहें इनके हाथ मजदूरों के खून से रंगे नहीं हैं ? ये सन् 77 में सत्ता में थे। मान्यवर, इनके शासन में मजदूरों को गोली से उड़ाया गया। ये बेशर्म कैसे इस बात को कह रहे हैं। क्या पन्त-नगर में मजदूरों पर गोली नहीं चली थी।

(व्यवधान)

ये बेशर्म होकर इस तरह की बात करते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, इनके शासनकाल में 20 रुपये का गन्ना 3 रुपये में बेचा गया। हमारे खेतों में गन्ना जलाया गया। आज ये बेशरम लोग कहते हैं हन किसानों की हित की बात करते हैं। मान्यवर, ये दलाली करते हैं, दुकानदारों की दलाली करते हैं।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, अभी ये मजदूरों की बात कह रहे थे। क्या ये स्वदेशी काटन मिल की बात भूल गये हैं। क्या ये मोरी और चरण सिंह जी की बातों को भूल गये हैं। आप इन सब चीजों को याद करें, अपने गिरेवान में झांककर देखें, तभी आपको मालूम पड़ जायेगा कि वास्तविकता क्या है। इस सरकार ने हमेशा गांधी जी के विचारों में आस्था रखी है।

मान्यवर, अभी जैसा, कि माननीय श्री ओझा जी ने आरोप लगाया है कि यह सरकार पैसे के बल पर यहां आयी है। उनका यह आरोप सरकार पर नहीं अपितु जनता पर स्पष्ट आरोप है। यदि यही स्थिति रही तो ये कभी उठकर बाहर जनता के बीच नहीं जा सकते।

हमारे विरोधी दल के नेताओं ने "खामोशी यात्रा" के बारे में कहा कि यह "शव यात्रा" है। लेकिन वे इस बात को भी जानते हैं कि उनकी स्वयं की "शव यात्रा" तो पहले ही निकल चुकी है जब कच्छे और धोती के बीच में गठजोड़ हुआ था। माननीय ओझा जी यदि इस प्रकार आप लोग अविश्वास का प्रस्ताव रखते रहे तो आपकी शव यात्रा जल्दी ही कब्रस्थान तक पहुंच जायेगी।

मान्यवर, दूसरी बात जो किसानों और मजदूरों के बारे में कही गई है। ये अपने दिल में झांककर देखें कि जिस वक्त एक राजनैतिज्ञ दूसरे राजनैतिज्ञ को बेईमान बताता है, उस समय प्रदेश की जनता यह नहीं सोचती कि कांग्रेस [आई] का व्यक्ति कौन है और जनता पार्टी का कौन व्यक्ति है। माननीय मोहन सिंह जी आप भी अपने दिल में झांककर देखें कि वास्तविकता क्या हैं। आप यह न सोचें कि हिन्दुस्तान की जनता इतनी भोली-भाली हैं। जिस दिन वह जूता लेकर आपके ऊपर और हमारे ऊपर टूट पड़ेगी, उस दिन

न आप बच पायेंगे और न हम। आप यह न सोचें कि अविश्वास प्रस्ताव रखने से हमारा अखबारों में नाम आ जायेगा और जनता को यह दिखाने के लिए कि हमने जनता तथा मजदूरों की भलाई के लिए आज सदन में अविश्वास का प्रस्ताव उठाया। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हमारी भलाई कांग्रेस [आई] ने की है या फिर सन् 1977 में जो सरकार आई थी, उसने की। यदि आपने भलाई की होती तो 1980 में जनता आपको ठोकर नहीं मारती। आप वे दिन भूल गये हैं जब मोदीनगर में आपके ही एक यूनियन के लोग दूसरे यूनियन के लोगों का मर्डर कर रहे थे। आप वे दिन भूल गये हैं जब आप गाड़ियों में चला करते थे तो लोग कहा करते थे कि ये तो एम० एल० ए० खद्दरधारी फला-फला दल के हैं। आज आपको ये सभी बातें कहने में शर्म आनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सुन्रेद्र कपिल जी, आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

उत्तर प्रदेश की जनता तो तभी समझ गई थी जिस दिन यह कच्छे और धोती गठजोड़ हुआ। कच्छे वाले तो किसानों का शोषण करते हैं और दूसरी तरफ धोती वाले यह कहते हैं कि हम किसानों के रहनुमा है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस प्रकार शोषणकर्ता और शोषित के बीच गठजोड़ होने वाला नहीं हैं।

मान्यवर, इसमें कोई दो-राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता यह भली प्रकार जानती है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, चाहे वह माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार रही हो और आज चाहे वह माननीय श्री श्रीपति मिश्र जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की प्रगति में चार–चांद लगाये हैं·····।

[3 बजे अपरान्ह]

श्री सुरेन्द्र कपिल–

इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है. यह बेजुबान हैं। इसलिए बौखलाहट से यह प्रस्ताव सदन के माध्यम से लाना चाहते हैं ताकि जनता में जाकर जनता को बरगला सके कि हमने सरकार के विरुद्ध सदन में यह कहा।

श्री भीखा लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्रीपति मिश्र की सरकार के विरोध में विरोध पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सरकार साढ़े तेरह महीने पुरानी है। इसने 18 जुलाई को अपने एक साल का कार्यकाल पूरा किया और सूचना विभाग ने इस सरकार की उपलब्धियों को दिखाने के लिए कई पुस्तकें छाप करके दीं और उस उपलब्धि की सूचना विभाग ने मुख्यमंत्री जी के एक वर्ष को "खामोश यात्रा" का शीर्षक दिया। हम सूचना विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहतें हैं कि उन्होंने बड़ा सटीक शीर्षक दिया। क्योंकि इस कार्यकाल में जब से मुख्यमंत्री इस पद पर आये बड़ी खामोशी से सब काम हुए। मान्यवर, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब पद त्याग दिया, उसके बाद नेता की तलाश शुरू हुई। कई उम्मीदवार इस पद के लिए थे।

[श्री भीखा लाल]

दिल्ली और लखनऊ के बीच दौड़ शुरू हुई। लेकिन, यह सही है कि माननीय श्रीपति मिश्र जी ने उतनी दौड़ नहीं लगायी उनकी पैरवी बड़ी खामोशी से होती रही और वे खुद अपनी पैरवी बड़ी खामोशी से करते रहे और नेता चुन लिये गये। 19 जुलाई, 1982 को जब मंत्रि मंडल का गठन हुआ, तो भी बड़ी खामोशी से हुआ। चन्द माननीय सदस्यों को छोड़कर, अम्मार रिजवी साहब को जरूर पता होगा, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं था कि किसको शपथ दिलायी जायेगी बहुत से लोग सज धज करके राजभवन पहुंच गये इस आशा से कि वहाँ से मोटरकार में बैठकर लौटकर आयेंगे। लेकिन, जब उनको यह सुअवसर प्राप्त नहीं हो सका, तो वे बेचारे निराश होकर लौटे और बड़ी खामोशी से मंत्रिमण्डल का गठन कर दिया गया। साथ ही मान्यवर आपको याद होगा कि बड़ी खामोशी से ऐसे दो मंत्रियों को ले लिया गया, जिनको कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने किन्हीं आरोपों की वजह से मंत्रिमण्डल से निकाल दिया था। मान्यवर, माननीय श्रीपति जी जब नेता चुने गये थे, तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर उनकी निष्पक्षता हमने देखी थी, उनके संतुलित विनश्चय हमने देखा था, नियमों अनुशासन को पालन कराने की कड़ाई और कठोरता उनमें देखे थे। लेकिन, मान्यवर, इस कुर्सी पर जाने के बाद वे सब आशायें हमारी धूल में मिल गयीं। बहुत से आदेश और बहुत से निश्चय उन्होंने इस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर दिये थे। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठकर उनका उल्लघन शुरू कर दिया। इस सदन के नियमावली के नियम 14 के अनुसार तीन अधिवेशन होंगे और कम से कम 90 बैठकों का निश्चय किया था।

माननीय मुख्यमंत्री जी जब उस कुर्सी पर बैठे तो अम्मार रिजवी की सलाह से बड़ी खामोशी से उसकी उन्होंने अवहेलना कर दी। [हंसी] न ही पिछले साल तीन अधिवेशन हुए और 90 दिन की सिटिंग्स हुई और न ही पिछले साल कोई संभावना है। मैं समझता हूं कि प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, वे सबसे लचर है, सबसे कमजोर है और सबसे भ्रष्ट सरकार है। हम आज जो कुछ बातें कहेंगे, इस सरकार की कमजोरी बतायेंगे, कुछ सुनायेंगे, जनता की परेशानी बतायेंगे, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होगा और त्रिपाठी जी की तरह से अपने भावग की पटुता में उनको किनारे कर दिया जायेगा। लेकिन, मुझे संतोष है कि हम जनता की भावनाओं को उजागर कर रहे हैं। उजागार करना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जिसकी उतर गई लोई, उसका क्या करे कोई। मान्यवर, कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। लेकिन कोई भी मंत्री आज उससे अछूता नहीं है।

भ्रष्टाचार के सवाल असेम्बली में उठते है, मंत्रियों के खिलाफ सदन के बाहर भी उठते है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी खामोशी से उसको नजर अन्दाज कर देते हैं। लोक आयुक्त की कहानी यहां आ चुकी है, उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। काफी चर्चाएं है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी सफाई देते कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। मान्यवर अधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी माननीय त्रिपाठी जी एक बात कह रहे थे कि जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी है, कहीं अमेरिका से नहीं आये हैं, इंगलैण्ड से नहीं आये है, उसी समाज से आये हैं, जिस समाज से हम लोग आये हैं, और उसी समाज की बुराइयों को लेकर आये हैं, मैं भी इसको मानता हूं।

इस पूंजीवादी व्यवस्था में भ्रष्टाचार को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था में शासन कड़ाई से उसको कम जरूर कर सकता है।

जब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं, भ्रष्टाचार रहेगा, लेकिन उसको कड़ाई से रोका जा सकता है।

एक खाद्य सचिव थे सुब्रमनियम, जिन्होंने गल्ले की खरीद में 55 करोड़ रु० का घोटाला किया। मुख्यमंत्री जी ने खामोशी से फाइल में दबा दिया। जब मा० मोहन सिंह जी ने इस प्रश्न को उठाया तो उन्हीं के समकक्ष विभागीय अधिकारियों से जांच करायी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं विजिलेंस इन्कवायरी की गयी, क्यों नहीं सी० आई०डी० की इन्क्वायरी करायी गयी। यह इसलिये नहीं करायी गयी क्योंकि इससे नतीजा दूसरा निकलता। जब दोष सिद्ध होते तो मा० मोहन सिंह जी को और विरोध पक्ष के लोगों को कुछ कहने का मौका मिलता ओर इससे मा० मुख्यमंत्री जी की खामोश यात्रा में विघ्न पड़ता। इसलिये इस मामले को बहुत खामोशी से दबा दिया गया।

आज प्रधानमंत्री जी की घोषणायें हैं– हर ब्लाक से 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य हैं। आई०आर०डी० स्कीम स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान चल रहा है लेकिन क्या यह सोचने का विषय नहीं है कि आज आई०आर०डी० और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के जरिये से जो भी अनुदान का पैसा गरीबों को मिलता है, वह सरकारी अधिकारियों के कमीशन में चला जाता है। उस व्यक्ति के हत्थे कर्ज के रुप में जो दो-ढाई हजार रु० लगता है, उसमें वह अपनी गरीबी को दूर नहीं कर सकता। जब वसूलयाबी होगी तो वह गरीबी की रेखा से और भी नीचे चला जायगा।

कुछ दिन पहले "अमृत प्रभात" में एक न्यूज निकली थी कि राजधानी में आई० आर०डी० और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में लाखों का घोटाला है। क्या उसकी कतरन मा० मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंची होगी, पहुंची जरूर होगी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ कोई जांच नहीं हुई।

आज हमारे प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में निगम और बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन क्या कोई निगम या बोर्ड कहीं मुनाफे पर चल रहा है? ये अधिकारियों की लूट के चरागाह बने हुए हैं और शासक पार्टी के उन नेताओं के, जिनको जनता ने ठुकरा दिया है, उनके लिए राजनीतिक अनाथालय बने हुए हैं। ये अधिकारी और भ्रष्ट राजनैतिक नेता बैठकर उन निगमों में सरकारी पैसे को लूट रहे हैं। इस लूट को मुख्यमंत्री जी खामोशी से देख रहे हैं।

विद्युत परिषद–जिसमें चार हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगी है 28 सौ करोड़ रु० का घाटा देने के बाद अब सरकार सोच रही है कि इसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाय। अधिकारियों ने सोचा कि राजकीय क्षेत्र को बदनाम किया जाय ताकि सरकार इसको प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिये विवश हो जाय। यहां पर टाटा, बिड़ला, मोदी और सिंहानिया के एजेण्ट बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई कार्यवाही बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ हुई, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपये का गबन करा दिया। इसकी सजा जनता को दी जा रही है, बिजली के रेट बढ़ाकर। किसानों पर ट्यूबवैल के लिए

[श्री भीखा लाल]

10/– रु० प्रति हार्सपावर से बढ़ाकर 22.50 रु० प्रति हार्सपावर कर दिया गया हैं। आगे और बढ़ाने का इरादा है।

इसी प्रकार परिवहन निगम को वहां के अधिकारियों ने लूट खाया। इसमें 35 करोड़ का घाटा हो चुका है। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले 2 करोड़ सालाना का घाटा था, मुख्यमंत्री जी के कार्य काल मे 12 करोड़ सालाना हो गया, लेकिन मा० मुख्यमंत्री जी खामोश यात्रा कर रहे हैं। परिवहन मन्त्री जी का वयान छपा है कि परिवहन निगम में जो घाटा है; इसके लिये वहां के अधिकारी दोषी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, किसको दण्डित किया गया ? नहीं किया जायगा, लूटने वालों को दण्डित नहीं किया जायगा, दण्डित किया जायगा जनता को।

हर तरह का घाटा पूरा करने के लिए तरह-2 के टैक्स बढ़ाये जायेंगे और किराये बढ़ाये जायेंगे और इन सब चीजों को मा० मुख्य मंत्री जी खामोशी से देख रहे हैं। मंहगाई की मान्यवर आज कोई सीमा नहीं, आज हर चीज के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, किराये और बिजली के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए भी कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं। गेहूं के रेटस को ही ले लीजिए। इससे पहले 142/– रु० में रेट तय हुये थे और जब इस रेट पर खरीद शुरु हुई है तो उससे कुछ ही दिन पहले गेहूं का भाव 300/- रु० था, लेकिन इस बार आपने कुछ उदारता दिखाई। लेकिन सबसे ज्यादा जो आज मुनाफा उठा रहा है वह न तो किसान है और न ही उपभोक्ता वह है बिचौलिया।

खाद्यान्न व्यापार के राष्ट्रीयकरण की नीति कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृति की बात आई लेकिन इन बिचौलियों और इनको संरक्षण देने वालों के दबाव के कारण उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो सका। इसी प्रकार आज शकर में भी कितनी गड़बड़ी व्याप्त है, इसके राष्ट्रीयकरण के लिए भी कांग्रेस ने नीति के रुप में स्वीकार किया 1956 में विधान सभा मे प्रस्ताव भी पास हुआ। बम्बई में कांग्रेस के विभाजन के बाद हुए सेशन में श्री त्रिपाठी जी ने इस ओर आश्वासन भी दिये कि इसका राष्ट्रीयकरण अवश्य होगा और कांग्रेस पार्टी बचन वद्ध है, लेकिन ऐसा आज तक न करके किसानों और जनता का शोषण किया जा रहा है। मान्यवर, साथ ही मैं पुलिस प्रशासन के बारे में भी कुछ कहना चाहता था लेकिन इसके बारे में आज कुछ भी कहने की जरुरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं जब माननीय मुख्य मंत्री जी या गुलाब सेहरा साहब इस विषय पर बोलने के लिए खड़े होंगे तो वह अपने आंकड़ों से यही साबित करेंगे कि जुर्म बहुत कम हुए हैं। और बहुत घटे हैं और उसके बाद यह साबित करने की कोशिश करेंगे की जनता शासन में इतने परसेंट जुर्म थे और अब घट कर इतने रह गये हैं।

मैं इस शासन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जुर्म बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं इसको आंकड़ों से न नापिये जनता के व्यावहारिक जीवन को देखिए जनता के। अधिकारियों ने इस सरकार को आँकड़ों के भ्रमजाल में फांसकर गुमराह कर दिया है। अगर आज कोई मंत्री किसी अधिकारी को यह हुक्म दे कि आज सदन में इस मसले पर कुछ साबित करना है तो वह उसी प्रकार से आंकड़े बनाकर दे देगा और अगर दूसरे दिन उससे यह कहा जाए कि इसके विपरीत बात साबित करनी है तो वह वैसे ही आँकड़े बनाकर आपको

दे देगा। तो इस प्रकार के आंकड़ों पर मत जाइये। आज इस बात को हर नागरिक स्वीकार कर रहा है कि पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गयी है यह हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को पुलिस निरीक्षक ने कहा है। और डाकुओं को पूर्णतया संरक्षण दे रही है और यही वजह है कि आज पुलिस के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो रहा है।

अखबार के नुमाइन्दे अगर अखबार में खबर लिख दे तो समझिये कि उनकी जिन्दगी खतरे में है। अमृत प्रभात ने पुलिस के खिलाफ कुछ लिख दिया तो लखनऊ में उनके कार्यालय में पुलिस ने गुण्डे भेज दिये, परन्तु उन गुण्डों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी क्योंकि पुलिस को और गुण्डों को मंत्रि मण्डल के सदस्यों का संरक्षण प्राप्त है। आज राजधानी लखनऊ में दिन-दहाड़े अपराध होते हैं गुण्डों के द्वारा। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में गुण्डा पकड़ों अभियान चलाया गया जिसमें 500 गुण्डों को पकड़ा भी गया लेकिन उसमें जो जाने-माने गुण्डे थे उनको नहीं पकड़ा गया क्योंकि उन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है।

एक सदस्य–

उनका नाम भी बतला दीजिये।

श्री भीखा लाल–

नाम क्या बताऊं, वह तो आपको मालूम ही है। आज जनता असुरक्षित है। आप सबको नाम से जानते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने तो इतना ही कहा परन्तु यदि आज आपको यही बात कहने की अनुमति दे दी जाय और कोई अनुशासन न लगाया जाय तो आप हमसे ज्यादा तीखे शब्दों में यही बात कहेंगे। आप भी इन बातों से दुखी हैं, जनता भी दुखी है इसलिये आज यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। सब यही बात कहेंगे जो मैं कहा रहा हूँ।

मान्यवर, रोज भाषण दिया जाता है स्वतंत्र प्रत्रकारिता के लिये लेकिन क्या आप बतला सकते हैं कि आज कोई पत्रकार स्वतंत्र रूप से खबरें लिख पाता है? आज वह अपने को असुरक्षित अनुभव करता है गुप्ता की बांदा में हत्या हो गयी। बांदा ही के एक अखबार के सम्पादक हजारी सिंह पर हमला हो गया था, और वह कानपुर अस्पताल में जा पड़ा है और हमारे मुख्य मंत्री जी खामोशी से देख रहें है। सीतापुर में एक अखबार के संवाददाता को जी० आर० पी० की पुलिस ने पिस्तौल लगाकर कह दिया कि अगर खबरों को छापोगे तो अल्लामियां को प्यारे हो जाओगे। साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। उन साम्प्रदायिक दंगों में गुण्डों से भी ज्यादा बढ़ करके पी० ए० सी० के लोगों का अत्याचार होता है। बार-बार यहाँ पर यह बात कही गयी कि एक दंगा विरोधी सेकुलर पुलिस दस्ता बनाइये लेकिन इस पुलिस कों बनाने का मुख्यमंत्री जी ने कोई प्रयास नहीं किया। ये पुलिस दस्ता नहीं बनायेंगे बल्कि आई० जी० और डी० आई० जी० बढ़ायेंगे। अब 14 आई० जी० हो गये हैं और डी० आई० जी० पता नहीं कितने हो गये जबकि एक आई० जी० पर 1 लाख रू० का खर्चा आता है और एक डी: आई. जी. पर 50 हजार रु० का खर्चा आता है। पुलिस विभाग में उच्च अधिकारियों पर खर्चा बढ़ा रहा है।

इसी तरह से निर्माण कार्यो के लिये जो पैसाजाता है वह रिजवी साहेब के इंजीनियर्स की जेबों में चला जाता है। जितना पैसा दिया जाता है उसका 25 परसेन्ट पैसे का तो

[श्री भीखा लाल]

काम होता है बाकी 75 परसेन्ट सबकी जेबों में चला जाता है । इसीलिये जो नहरें व पुलिया निर्माण के नाम पर बनाई जाती हैं वे इतनी कमजोर होती हैं कि बहुत जल्दी टूट जाती हैं और जब कोई उनकी शिकायत लेकर आपके पास जाता है और कहता है मुआईना कराने के लिये तो उसका कोई मुआईना नहीं होता है । हमने स्वयं लखनऊ से मुहाना जाने वाली सड़क के विषय में आपसे जांच कराने के लिये कहा परन्तु आज तक उसकी जांच नहीं हुई । क्या फिर मैं सोचने पर मजबूर नहीं हूं कि आपके जो इंजीनियर्स घटिया किस्म का मैटिरियल इस्तेमाल करते हैं, उसका कुछ हिस्सा आपको भी पहुंच रहा है जिसके कारण आप खामोश रहते हैं और मौके का मुआईना ही होता है आपका आर. ई. एस. विभाग लूट रहा है । वह विभाग लूट का अड्डा बना हुआ है उसके द्वारा बनायी हुई सड़कें, पुलिया, नहरें सब टूट रही हैं, उनकी जिन्दगी 6 महीने से ज्यादा की नहीं होती है । उन्नाव में हरि प्रसाद कुरील के क्षेत्र में उसने मियागंज में 10 दुकानें बनवाई जिसकी दीवाल 6 महीने के अन्दर ही टूट गयी हैं । आप किसी को भेजकर उसे दिखवा सकते हैं ।

अभी माननीय लोकपति त्रिपाठी जी इशारा कर रहे थे इतिहास की तरफ पुराने शासकों के सम्बन्ध में हमने भी आपने भी में इतिहास को पढ़ा है-गुप्तकालीन इतिहास हिन्दुओं का इतिहास, मुगलकालीन इतिहास । इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि उस काल की शासन-व्यवस्था कैसी थी । उसमें कुछ चीजें अच्छी भी मिलती हैं और कुछ बुरी भी । अच्छी चीजों को हम ग्रहण करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि इस सरकार का इतिहास क्या लिखा जायेगा । लिखा जायगा कि इसमें इतने भ्रष्ट मंत्री थे,···

लिखा जाएगा कि मंत्री लोगों ने गुण्डों को संरक्षण दिया था । जो निर्माण कार्यों का पैसा जाता है वह उनकी जेब में चला जाता है, उससे वे अपनी जेबें भरते हैं । इसको आगे आने वाले इतिहास में लिखा जायेगा । ये आज जो मंत्री पद पर बैठे हैं वह जनता की बातों को सुनने से इनकार करते हैं इस इतिहास से भविष्य का नवयुवक क्या प्रेरणा लेगा । वह कोशिश करते हैं कि मंत्री हो जाये तो रातों-रात लखपती हो जाये वह कोशिश करेगा कि अराजक तत्वों में सम्मिलित हो जाये जिससे किसी मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो जाये । किसी विभाग का इन्जीनियर बन जाय तो अपार धन बटोरे । इस सदन में इस सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है, इसलिए हम आज इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का का प्रस्ताव लाये हैं । इस सरकार को एक भी मिनट रहने का अधिकार नहीं है ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया उस के लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

सही बोलिएगा ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मैं हमेशा सही ही बोलता हूं । आप ही लोग कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते है । इधर जब बैठते थे तो कुछ बोलते थे और आज जब उधर बैठे हैं तो कुछ और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया ।

बोल रहे हैं। आपके 10 साल के अन्दर जनता के सामने कितने ही रूप आ चुके हैं, कभी जनता पार्टी की शक्ल में कभी लोक दल की शक्ल में और कभी दूसरी पार्टी की शक्ल में। इस प्रदेश की और देश की जनता देखती है कि आप का योगदान क्या है। आप हर साल में एक बार अपना दल जरुर बदल देंगे। मान्यवर, आज इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया है और उस के पक्ष में बोलते हुए नेता विरोधी दल ने कोई ठोस बात नहीं कही बल्कि प्रदेश में कितनी घटनायें हुई हैं उनका उल्लेख किया। उन घटनाओं का लेखा जोखा के अलावा और कोई बात नहीं कही। यह बड़े दुख की बात है। इससे लगता है कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है वह सरकार की किसी मौलिक कमी की ओर ध्यान दिलाने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि यह अपना प्रचार चाहते हैं। माननीय भीखालाल जी ने जिन साम्प्रदायिक चीजों की बात कही, तो मैं गर्व के साथ श्रीपति मिश्र जी की सरकार को बधाई देता हूं कि पिछले साल मुहर्रम और दशहरा दोनों एक ही साथ पड़े। एक खुशी का त्योहार और दूसरा मातम का त्योहार था। सारे प्रदेश में मुहर्रम और दशहरा साथ-साथ मनाये गये और हिन्दु मुसलमान और सिख ईसाई में साम्प्रदायिक सद्भावना थी। इस के लिए मैं श्रीपति मिश्र जी की सरकार को बधाई देता हूं।

मान्यवर, बांदा के पत्रकार की हत्या की चर्चा की गयी। यह बड़े दुख का विषय है, परन्तु हमारी सरकार ने इसको बड़ी गम्भीरता के साथ लिया। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां पर गये और पूरी जानकारी प्राप्त की। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि जनता को चर्बी खिलाई गयी। लोक सभा में इस पर चर्चा हुई थी और विश्व नाथ प्रताप सिंह जो वणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया कि 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय चर्बी मंगाने की इजाजत दी गयी थी, जिसके कारण यह स्थिति आज पैदा हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह अपना दोष हम पर मढ़ना चाहते हैं। मान्यवर, बिजली की व्यवस्था की बात कही गयी। 1978–79 और 1979–80 में विद्युत आपूर्ति की दशा बहुत खराब थी और उद्योग धन्धों को 33 प्रतिशत बिजली दी जा रही थी।...

और आज स्थिति इतनी अच्छी है कि उद्योग धन्धों को पूरे समय बिजली दी जा रही है। पिछले वर्ष किसानों को 10 घंटे बिजली देना सुनिश्चित किया गया। यह मुख्य मन्त्री जी का प्रयास है।..... [व्यवधान] । कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं, इसका फैसला तो जनता करेगी।

श्री मुख्तार अनीस–

आप बता दें कि आपके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली आती है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि चूंकि अभी इस विषय पर बहस चलेगी और उधर के बैठने वालों को मौका मिलेगा।

श्री अधिष्ठता–

माननीय सदस्य आप बोलते रहिये। यह तो बीच में होता रहता है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को अनुशासित करें। इसलिये कहना चाहता हूं कि यह उनके ही हित में है। आज बदकिश्मती यह है कि जो लोग विरोधी दल में बैठे हैं उन्हें जब शासन में बैठने का मौका मिला था उस समय वे कुछ नहीं कर पाये और आज जब वे विपक्ष में बैठे हुये हैं तो सारे प्रदेश को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, लोकतन्त्र की बात कही गयी। जहां तक लोकतन्त्र का प्रश्न है उसकी मूल इकाइयों को नष्ट करने वाले आप ही थे। आपने क्षेत्र समितियों को भंग किया, जिला परिषदों को भंग किया और इस तरह से लोकतन्त्र की मूल इकाइयों को भंग कर दिया।

[शैम-शैम की आवाज]

यह सरकार बधाई की पात्र है कि उसने आज प्रदेश में 71 हजार ग्राम प्रधानों का शांतिपूर्ण ढंग मे चुनाव सम्पन्न कराया। उसके बाद प्रमुखों का चुनाव हुआ, क्षेत्र समितियों का चुनाव हुआ। इस तरह से जनतंत्र की जो मूल्य मूल इकाइयां थी, जिनको आपकी सरकार ने नष्ट कर दिया था उनको इस सरकार ने फिर से स्थापित करके लोक तंत्र को गांवों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिये श्री श्रीपति मिश्र की सरकार बधाई की पात्र है। नेता विरोधी दल खामोश यात्रा को शव यात्रा कहते हैं। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रगति की यात्रा हमेशा खामोश ही होती है। उसमें हुल्लड़ की बात नहीं होती। इस प्रदेश शव की यात्रा का प्रारम्भ विरोधी दल के लिये उस समय से प्रारम्भ हो गया जब क्षेत्र समितियों के चुनाव में उनकी हार हो गयी....[व्यवधान]। यह तो आने वाले जिला परिषदों के चुनाव बतायेंगे जब हर जिले में इन्दिरा गांधी के सिपाही अध्यक्ष जिला परिषदों के रूप में बैठेंगे।

मान्यवर, एक बात और कही गई कि सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। मैं बड़े सन्तोष के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में शानदार उपलब्धियां इस सरकार की रही हैं जिस पर यह सरकार संतोष कर सकती है। ओझा जी इस सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। प्रदेश में जब आपकी हुकूमत थी उस समय गन्ना उत्पादकों की क्या दशा हुई। गन्ने के खेतों में आग लगानी पड़ी लेकिन जब से यह शासन आया है तो किसान की उनके गन्ने का वह मूल्य मिला जो आप कभी दे नहीं पाये थे। आलू उत्पादकों की क्या दशा है ? मैं उस क्षेत्र से आता हूं... [व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपस में बात न करें। आप कृपया 2 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मान्यवर, मैं उस जिले से आता हूं जो आलू उत्पादन में हमेशा अग्रणी रहा है। मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्ष जो आलू उत्पादकों को उनके आलू का मूल्य प्राप्त हुआ वह इससे पहले कभी उन्हें नहीं मिला था। यह इस सरकार की महान उपलब्धि है जिसके लिये श्री श्रीपति मिश्र की सरकार बधाई की पात्र है।

कानून और व्यवस्था की बात कही गई। इस दिशा में भी निश्चित रूप से एक

वर्ष में सुधार आया है। नेता विरोधी दल ने स्वीकार किया है कि जितने फर्जी इन्काउन्टर हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई। इतने बड़े प्रदेश में जहां पुलिस ने कुछ गल्तियां की हैं तत्काल उनके ऊपर कार्यवाही करके सही वार्ता को उन्होंने माना भी है। मान्यवर, कानून की स्थिति जहां पहले बहुत खराव थी, उसमें सुधार हुआ है। उसका कारण यह था कि सन् 77 से 80 तक के बीच में जितने अराजक तत्व प्रदेश में थे वे मीसा में बन्द होने के बाद बाहर निकले, वे पुनः खुलकर खेलने लगे। उससे कानून व्यवस्था खराब हो गई सन् 80 में जब कांग्रेस हुकूमत आई तो इन तत्वों से निपटने के लिये कई कारगर उपाय किये गये। जैसे रामायण में लिखा है-"मरतिउ बार कटक संहारा"-। वे चारों तरफ से अव्यवस्था फैलाने में लगे हुए हैं।

माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह और माननीय श्रीपति मिश्र बधाई के पात्र हैं कि वे उन अराजक तत्वों को दफनाने में आगे बढ़े हैं। आपको एतराज भी है इसलिए बीच में टोका टोकी भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी दशा को मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं कि जो पीलिया का रोगी होता है उसे सब चीजें पीली दिखाई पड़ती हैं। तो ठीक उसी तरह से आप पीलिया रोग से पीड़ित हैं इसलिए सब चीजें बुरी दिखाई पड़ रही हैं। अन्त में मैं बधाई देना चाहता हूं श्री श्रीपति मिश्र जी को वे तेजी से प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में विकास के कार्य पूरे होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री ख्वाजा हलीम–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। जहां तक सवाल एक साल की यात्रा का है, माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व का, हमारे बहुत से साथी जो उधर बैठे हैं उनकी तारीफ में लगे हैं लेकिन यही लोग जब उनको इन्दिरा गांधी पद से हटा देंगी तो इनको पता तक नहीं चलेगा जैसे जगन्नाथ मिश्र को हटा दिया, कहेंगे बहुत अच्छा किया बड़ा खराब आदमी था। तब यह कहेंगे बहुत अच्छा किया बड़ा खराब आदमी था।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

आप हमारी चिंता मत करिये।

श्री ख्वाजा हलीम–

तो यह अपने दिल से कोई बात नहीं करते हैं। एक साल की उपलब्धियों में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सूचना विभाग ने इनकी छवि को उभारने के लिए बहुत वड़ा खर्चा किया हैं। लेकिन सरकारी खर्च में 80 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है।

दूसरी बात यह है कि जो हमारे निगम हैं जैसे विद्युत परिषद है, या वसों से सम्बन्धित निगम है उनका घाटा बढ़ता जा रहा है। एक साल में बिजली का घाटा 57 करोड़ से बढ़ कर 97 करोड़ हो गया है, परिवहन निगम का घाटा 10 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ हो गया है। चीनी निगम का घाटा बढ़कर 8 करोड़ से 10 करोड़ हो गया है। तो हर निगम में घाटा ही घाटा हो रहा है। अधिकारी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। बहुत से मन्त्रियों पर लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं जिनमें से दो के खिलाफ आरोप

(श्री ख्वाजा हलीम)

सिद्ध भी हुए हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी उन्हें नहीं हटा रही है, माननीय मुख्यमन्त्री जी उनको हटाना चाहते हैं।

[व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य दूसरे माइक पर बोलिये, आवाज नहीं आ रही है।

संसदीय कार्य मंत्री [श्री अम्मार रिजवी]

बार-बार इन्दिरा गाँधी का नाम ले रहे हैं, यह क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इसको कार्यवाही से निकाला जाय। इनकी बात साफ नहीं सुनाई दी।

श्री ख्वाजा हलीम–

जिन लोगों के खिलाफ लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी है तो उसे फौरन निकाल बाहर किया जाय। यहां दो मंत्रियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगी हुई है। माननीय मुख्यमन्त्री जी निकालना चाहते हैं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, समझ में नहीं आ रहा है आज विपक्ष क्यों रो रहा है।

श्री ख्वाजा हलीम–

एक साल में कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। यहां पर हवाला दिया गया विजिलेंस ने कहा है कि कम से कम 23 आइ० ए० एस० और 64 आई० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो...

श्री ख्वाजा हलीम–

लेकिन कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नही हो रही है। मुख्य मत्री जी जब स्पीकर थे तो कहा था कि सेशन 90 दिन चलेगा और जब मुख्य मंत्री स्वयं बने तो उस आश्वासन को भूल गये।

[व्यवधान]

मुख्यमंत्री [श्री श्रीपति मिश्र]–

मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे किसी रिश्तेदार, दूर के मेरे रिश्तेदार के घर कोई किसी प्रकार का चोरी की बात जाने दें, मामूली अपराध की बात का पता चले तो मैं मुख्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो सदस्य इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वह इसको साबित करने की घोषणा करें।

[व्यवधान]

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है उसको साबित करें या वह अपने पद से इस्तीफा दें।

[व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता–

नेता सदन ने अपनी बात कह दिया है आप लोग बैठ जाय, आप लोग शांत रहें।

[व्यवधान]

श्री प्रमोद कुमार–

मा. सदस्य इस आरोप को साबित करें या इस्तीफा दें, यह झूठा आरोप लगा रहे हैं।

[व्यवधान]

श्री ख्वाजा हलीम–

जो मैंने बात कही वह पत्रिका में लिखी हैं।

[व्यवधान]

श्री अधिष्टाता–

आप लोग शाँत रहें। श्री हलीम जी आप किसी पत्रिका में कोई चीज छपी है उसको उस समय तक नहीं कह सकते जब तक उसकी प्रतिलिपि यहां न दे दें। इसलिए मुख्यमंत्री के बयान के बाद आप उसका संदर्भ नहीं देंगे।

[व्यवधान]

श्री मशरुर जाफरी–

मेरे पास बयान हल्फी की प्रतिलिपि है।

[व्यवधान]

श्री अधिष्टाता–

नियम है कि आरोप गलत सिद्ध हो जाय तो उसका संदर्भ नहीं दे सकते हैं और न सदन की गरिमा के खिलाफ आप कुछ कह सकते हैं। इसलिए आप लोग बैठ जांय। इन शब्दों को कार्यवाही नहीं रखा जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी–

मेरा आपसे एक निवेदन है कि एक बात श्री ख्वाजा हलीम ने कही जो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। इसलिए यदि आरोप मुख्यमंत्री के खिलाफ साबित हो जाये तो वह इस्तीफा दे देंगे जैसा कि उन्होंने कहा है, इसलिए हलीम साहेब इस चुनौती को स्वीकार करें और आरोप को साबित करें वरना अपने पद से मा. सदस्य इस्तीफा दें। इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिये वरना बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाना चाहिये।

श्री ख्वाजा हलीम–

मैं किसी को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

जो सदन की गरिमा के प्रतिकूल कोई बात कही गयी है, वह आप यहां नहीं कह सकते हैं। उसका स्पष्टीकरण हो गया, अब आप उसका कोई सन्दर्भ न दें।

नोट:– [**] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ख्वाजा हलीम–

मैंने जो कुछ कहा वह एक किताब में जो लिखा है, उसके आधार पर कहा है। उसकी कापी मैं आपके पास भेज रहा हूं।

[व्यवधान]

श्री अधिष्टाता–

इस सम्बन्ध में मैं नियम 289–क- कापरन्तुक "परन्तु" पढ़े दे रहा हूं–'अध्यक्ष, किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेंगे यदि उनकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता। मैं चाहूंगा कि....

[व्यवधान]

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

यह या तो अपने कथन के लिए क्षमा मांगें या मुख्यमत्री जी और संसदीय कार्य-मंत्री की चुनौती को स्वीकार करें।

[व्यवधान]

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी और श्री आजाद कुमार कर्दम अपने स्थान पर खड़े हुए बार बार बोलते रहे।]

श्री अधिष्ठाता–

आप शांति बनाये रखें, सत्तापक्ष के लोगों से मेरा अनुरोध है। अव आप भी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, जिसका यहां कोई उल्लेख न हो, कोई आधार न हो।

श्री ख्वाजा हलीम–

हमारे वक्फ मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। उसकी हालत यह है कि वक्फ बोर्ड का मंत्री एक बयान दे रहा है। और वक्फ बोर्ड का चैयरमैन उसके खिलाफ दूसरा बयान दे रहा है। [व्यवधान] मंत्री जी उसके सम्बन्ध में रोज-रोज आदेश जारी कर रहे हैं, जिनका कोई पालन नहीं हो रहा है। पता नहीं वक्फ वोर्ड काम कर रहा है या नहीं।

[व्यवधान]

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री आजाद कुमार कर्दम व श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी अपने स्थान पर खड़े होकर ख्वाजा हलीम से अपना आरोप वापस लेने की मांग करते रहे।]

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

यह वापस लें, तभी सदन चलेगा। [व्यवधान] [श्री हरगोविन्द वर्मा अपने स्थान पर खड़े कुछ बोलते रहे, जो व्यवधान के मध्य सुना नहीं जा सका।]

श्री ख्वाजा हलीम–

वक्फ बोर्ड में लाखों रूपयों का घोटाला और गड़बड़ है।

[व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बिपक्ष के नेता अपने-अपने सदस्यों से शान्त रहने के लिए कहें।

श्री ख्वाजा हलीम–

मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि 30 जून के बाद कोई ट्रांसफर नहीं किये जाएंगे, लेकिन रोज रोज अब भी ट्रांसफर किये जा रहे हैं। और रोज रोज ट्रान्सफर रोके जा रहे हैं। किसी आदेश का आज ठीक से पालन नहीं हो रहा है [व्यवधान] प्रदेश में कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है। यहां पर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। नौकरशाही सदन की गरिमा को गिरा रही है। यहां के मंत्री खुद लिखते है कि मैं इससे सहमत हूं, लेकिन हमारे सचिव इससे सहमत नहीं हैं। [व्यवधान] विधायकों को जो सुविधाएं दी गई हैं, उसमें भी बड़ा भेदभाव किया जाता है। किसी के पास दो दो कमरे हैं किसी के पास कुछ नहीं। यू. पी. भवन में कुछ लोग दो-दो कमरे में मुस्तिकल कब्जा किये हुए हैं...

वहाँ पर एम. एल. एज. और दूसरे लोगों को जगह नहीं मिलती है। वहां पर भी लोगों ने कमरे ले रखे हैं और यहां पर भी। एम. एल. ए. और एम. पी. लोगों पर आपके कर्जे हैं उनके पास बराबर नोटिस जा रही है लेकिन वह किराया अदा नहीं कर रहे हैं।

एक सदस्य–

आप एम. एल. ए. के बारे में बोल रहे हैं या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री ख्वाजा हलीम–

मान्यवर, मैं मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आपका एक मिनट और रह गया है।

श्री ख्वाजा हलीम–

मैं मुख्यमंत्री जी से इस बात की माँग करता हूं कि जिन मंत्रियों या अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट है और शिकायतें सच साबित हो चुकी हैं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें और अपनी इमेज को बचायें। और अविश्वास प्रस्ताव का जो नेता, विरोधी दल ने रखा है जोरदार समर्थन करता हूं।'

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैंने 3 सम्मानित बुजुर्गों और एक साथी को गौर से सुना। मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का घनघोर विरोध करती हूं। मैं बधाई देना चाहती हूं वर्तमान सरकार को इसलिए कि उन्होंने जनतंत्र पर भरोसा किया। मान्यवर, गांव सभा के चुनाव हुये। मान्यवर, ब्लाक के चुनाव हुये और ब्लाक के सदस्यों के चुनाव हुये। यही नहीं मान्यवर, स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। जनतंत्र का यह जो सुदृढ़ ढांचा है उसको हमारी सरकार ने जनता के सामने उपस्थित किया है।

मान्यवर, जिन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है जरा उनकी भी छवि मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहती हूं। जैसे ही उन्होंने शासन पकड़ा एक कलम से,

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी]

सबसे पहले चुनी हुई जो जिला परिषदें थीं उनको एक कलम से उनकी सफाई कर दिया। यह उन्होंने जनतंत्र का एक नमूना दिया। जो लोग चुनकर आये थे उनको यह मौका नहीं दिया कि कुछ दिन वह काम कर सकें। उनको शायद ऐसा लगा कि यह काम नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो यह हमारे चुने हुये नहीं हैं। इसलिए ऐसी कलम चलायी कि उनको साफ कर दिया और रहने नहीं दिया। यही नहीं मान्यवर, मैं नाम नहीं लेना चाहती। बहुत बड़ी संख्या में चुनकर श्रीमती इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से आयीं लेकिन एक कलम से उनको भी साफ कर दिया। यह इन्होंने जनतंत्र का बड़ा अच्छा नमूना हमारे सामने पेश किया है।

मान्यवर, हमारे सम्मानित ओझा जी ने, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूं, एक बात बड़ी अच्छी की जो उनको और उधर बैठने वालों को बहुत अच्छी लगी। लेकिन जो जनतंत्र पर भरोसा करते हैं, जनता पर भरोसा करते हैं, उनके मत पर भरोसा करते हैं उनको अच्छी नहीं लगी। ओझा जी ने कहा यह सरकार मोदी की चुनी हुई है, बिड़ला की चुनी हुई है। तमाम पूंजीपतियों के नाम उन्हें याद हैं जो उन्होंने लिये, मुझे तो नाम याद नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित साथी ओझा जी से कहना चाहती हूं कि अगर टाटा, बिड़ला और जो नाम उन्होंने लिये हैं, वह सरकार चुन सकते थे तो मान्यवर, फिर साधारण जनता को, जनप्रतिनिधियों को यहां आने का मौका न मिलता और बड़े-बड़े आदमी पहुंचते। आज की जो सरकार है वह किसी बड़े आदमी की चुनी हुई नहीं है। टाटा, बिड़ला, मोदी की सरकार बनाने का अनुभव उनको होगा, उनको अंदाजा होगा। लेकिन कांग्रेस का अनुभव रहा है कि जब इस देश की जनता किसी को चुनेगी, शासक दल वही बना सकती है।

और वही उसको निकाल सकती है। हमारा दल इसी पर भरोसा करता है। बड़े मजे की बात है मान्यवर घर का अगुआ एक होता है, किसी दल का नेता एक होता है। जिस दल का नेता एक होता है उसकी कोई नीति होती है कोई कार्यक्रम होता है। उस दल के कार्यकर्ता को दल के नेता को मानना पड़ता है उस दल की नीतियों के आधार पर उसके कार्यकर्ता जनता में जाते हैं और जनता में जाकर अपना विश्वास प्राप्त करते है जब जाकर हम आकर यहां बैठते हैं। मान्यवर एक दफा इनको मौका मिला। मौका भी कैसे मिला इसकी एक कहानी है और इस कहानी को सभी जानते हैं ऐसा मैं नहीं कहती कि मैं ही जानती हूं लेकिन इस समय मुझे यह कहानी याद आ गयी।

सीता का स्वयंबर हो रहा था बड़े-योद्धा आये हुये थे सबको अपने पर भरोसा था कि हम धनुष तोड़ लेंगे। सब अपनी ताकत को लगाकर हार गये लेकिन धनुष नहीं टूटा। सबने कहा यह तो बहुत मुश्किल है क्या करना चाहिये। सबने तय किया कि हम सब मिलकर धनुष तोड़ेंगे लेकिन शादी कौन करेगा सीता के साथ। उन्होंने कहा एक लड़ाई और कर लेंगे एक न सही दो कर लेंगे। किसी तरह धनुष टूटना चाहिये लेकिन धनुष नहीं टूटा। मान्यवर उसी तरह से आज नया गठबन्धन हो गया। इनके गठबन्धन का उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं है जनता की भलाई करना नहीं है। मान्यवर इंदिरा गांधी से सभी मर्दों को डर है। एक महिला जिसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी है जिसके पीछे सारा देश चल रहा है उससे इनको सबको डर है।

श्री मसरुर जाफरी–

आप तो मंत्री पद से हट गयीं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर मंत्री पद के लिये लड़ते हैं आप। हमारा विश्वास तो संगठन में है। हम तो जनता की सेवा करना चाहते है, हम मंत्री पद के लिये नहीं लड़ते हैं। हम अपनी आवाज जनता की सेवा के लिए उठाते हैं। जनता की सेवा में हमारे दल का विश्वास, हमारे नेता का विश्वास और हमारे कार्यकर्ता का विश्वास है। एक चीज मैं और कहना चाहती हूं हमने हमेशा एक ही नेता चुना है। इस वक्त हमारे दल की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी है। इन्होंने इस देश की जनता को गुमराह करके एक बार मौका प्राप्त किया और फिर हट गये। उस समय भी हमारी नेता वही थी और आज भी वही है। लेकिन जब इनको मौका मिला तो इनके कई नेता थे एक नेता के दल पर इनको मौका नहीं मिला। जिस समय इनको मौका मिला इनका काम श्रीमती इंदिरा गांधी को परेशान करना और उन पर मुकदमें कायम करना था। इन लोगों ने सोचा कि इन्दिरा को खत्म करेंगे, तभी दल खत्म होगा। इसी का परिणाम है कि यह लोग यहां से हट गये और उधर जाकर बैठ गये। इनके गठबन्धन का उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं है। मैं कहना चाहती हूं आज हमारे सम्मानित साथी माननीय भीखा लाल जी एक कविता बनाये थे।

सोचा कविता में खामोशी की बात कहें, समर्पित सेवा कहेंगे तो बात पूरी हो जायेगी। खामोश, खामोश, खामोश कहते रहे। उन्होंने कहा खामोश यात्रा। शान्ति के माध्यम से हमने अंग्रेजों को हटाकर इस देश में तिरंगा फहरा दिया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं बजाय इसके आप हमेशा यही करते हैं। अब मान्यवर, मेरा समय समाप्त हो गया है मैं इस प्रस्ताव का घनघोर विरोध करती हूं तथा वर्तमान सरकार को बधाई देती हूं।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, किसी भी सरकार को उसके शासन से उसके कार्यकलापों से जाना जाता है। अभी बहुत से मित्रों ने बहुत सी बातें बतायी और बहुत सी उपलब्धियां गिनाई। मान्यवर जो सरकारी आंकड़े हैं मैं उन्हीं आंकड़ों के द्वारा यह बताना चाहूंगा कि कहां तक यह प्रदेश की प्रगति को बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, प्रदेश की प्रगति रुकी है। प्रदेश पीछे जा रहा है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। सिंचाई विभाग के मन्त्री भी बड़े काबिल आदमी है। बड़ी काबलियत से उसका संचालन कर रहें हैं। आप देखें जब जनता पार्टी की सरकार थी तब प्रदेश में 1400 ट्यूबवेल लगाये गये थे और 3 साल तक 1400 ट्यूबबैल लगे। इस साल काबिल मन्त्री जी ने, 600 ट्यूबवेल लगाये हैं।

अभी इलाहाबाद जिले में मान्यवर 10 ट्यूबवेल लगाये गये हैं। और 9 तहसीलें हैं। अगर 28 ब्लाक का बटवारा किया जाए तो एक तहसील को एक ट्यूबवेल नहीं मिल रहा है। 1400 से 600 पर आ गये और प्रगति के रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। इनके कदम प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आज सूखे की स्थिति में मान्यवर 80 फीसदी ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं। इलाहाबाद जनपद में मान्यवर वहां के इंजीनियर के दफ्तर में ताला पड़ा हुआ है। पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है ट्यूबवेल को ठीक कराने के लिए पैसा नहीं है।

[श्री रेवती रमण सिंह]

किसान रो रहा है। मुख्य मंत्री जी आग्रह करूंगा कि उनके ऊपर लगाम लगाइए वह बगैर लगाम के दौड़ रहे हैं उनकी लगाम को कसने की जरूरत है। इस प्रदेश को बचाइये ऐसे मंत्रियों से जो कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

मान्यवर इसी तरह से आज नहरों की सफाई नहीं होती है पेमेन्ट हो जाता है उसका। नहरें जल-प्लावित हो रही हैं। मान्यवर, विद्युत विभाग मुख्यमन्त्री जी देख रहे हैं के० सी० पन्त जो विद्युत बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका बयान है कि 10 मिलियन यूनिट विद्युत में कमी आई है। 10 घंटे देहातों में बिजली की कटौती कर रहे हैं अगर उनसे पूछा जाए तो कहेंगे कोई कटौती नहीं है। उधर के मा० सदस्य सही बात बतायें तो 10 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है। किसी प्रोजेक्ट पर नहीं गये।

मुख्यमन्त्री जी के साथ ओबरा जरूर गये हों। वैसे उन्हें प्रोजक्ट पर जाने की फुर्सत नहीं है। प्रोजेक्ट डिले होने से विद्युत उत्पादन में कमी हो रही है। नया विद्युत गृह अब नहीं बन पा रहा है। झांसी में जो नया विद्युत-गृह जाने वाले था वह रुक गया है। क्योंकि उसमें आग लग गई। 50 लाख के लगभग नुकसान हुआ है। और प्रोजेक्ट में जाने की फुर्सत नहीं है बड़े काबिल आदमी बनते हैं।

मान्यवर, यह तो रहा बिजली का उत्पादन, अब विद्युतीकरण के बारे में बताना चाहूंगा। हम लोग सरकार में थे तो चार हजार, पांच हजार का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था, आपने पैंतीस सौ कर दिया। पैंतीस सौ गांवों में विद्युतीकरण होगा, हम लोगों ने हरिजनों के गांव अलग रखे थे। मंत्री जी गुलाब बेहरा जो बैठे हैं। आपने नियम बनाया है कि गांव में अगर हरिजन होगा तो विद्युतीकरण होगा नहीं तो नहीं। दूसरे लोग रहेंगे तो विद्युतीकरण नहीं होगा उन्ही गांवों में विद्युतीकरण होगा जिनमें हरिजन रहते हैं। जो विद्युतीकरण कर रहें हैं उसका लक्ष्य घटा दिया। आप तरक्की कर रहें हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर अभी शिक्षा मंत्री जी बैठी थीं। जनता पार्टी के कार्यकाल में एक-एक जिले में 40 प्राइमरी स्कूल और 8 हाईस्कूल खोले जाते थे।

इलाहाबाद के एम० एल० ए० बैठे हैं। इलाहाबाद की बात बता रहा हू। पूरे जिले में 5 प्राइमरी स्कूल खुले हैं। हम तरक्की कर रहे हैं। 40 से घटकर 5 पर पहुंच गये, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। मान्यवर अम्मार रिजवी साहब बैठे हैं, उनके डिपार्टमेंट का काम खुदा जाने कैसा चल रहा हैं, प्रदेश की जनता तो देख ही रही है। एक जिला योजना बनी थी कि जो सड़कें पास की जाएंगी, उनका सेंक्शन वहीं से हो जाएगा, अब मंत्री जी का दस्तखत होना जरूरी है। मई में योजना बनी, सितम्बर हो गया, सेंक्शन गयी ही नहीं। दिसम्बर तक सेंक्शन जायगी, मार्च में साल खतम हो जायगा, पैसा लैप्स हो जायगा यह कारगुजारी है आपके विभाग की। फिर जिला सेक्टर क्यों बनाया। यहीं से कर लेते सब काम। जिला सेक्टर बनाया है तो यह अधिकार वहीं रहने दीजिये। जब काम कर नहीं पाते तो हाथ में क्यों लेते हैं। जिला सेक्टर में पैसा उपलब्ध होता है ढाई लाख, तीन लाख रुपया। अगर उसमें पुलिया बननी है तो पुलिया नहीं बन सकती।

मान्यवर, सड़क बन जायगी पर पुलिया नहीं बनेगी। गांव का आदमी इस पार आ करके खड़ा रहेगा। पुलिया नहीं बन सकेगी। मान्यवर, यह बढ़ते कदम हमको कहाँ

ले जाएंगे, मेरी समझ में नहीं आता। मान्यवर, सबसे ज्यादा महंगाई की परेशानी है। ढाई रुपये किलो गेहूं बिक रहा है, चार रुपये किलो मोटा चावल बिक रहा है और 7 रुपये किलो अरहर की दाल बिक रही है। आप कहते हैं तरक्की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है। कहीं बाढ़ आयी है लेकिन सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में भुखमरी फैल जायगी। आपके काम कहां ले जाएंगे आप स्वयं फैसला कर लें। कानून और व्यवस्था के बारे में बहुत चर्चा हुई। मान्यवर, एक डी० एम० ने एक एम० पी० को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी के एम० पी० को गिरफ्तार कर लिया, तो उसका ट्रांसफर कर दिया। एक 307 का मुलजिम नामिनेशन कर रहा था। उनको एस० एस० पी० गिरफ्तार नहीं कर सके। मैंने कहा गिरफ्तार क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा मजबूर हैं गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसको किसी एम. पी. का संरक्षण है।

मान्यवर, कत्ल, गुण्डों तथा डकैती करने वालों को आप संरक्षण दे रहे हैं। अभी जैसा कि बांदा के पत्रकार के बारे में कहा गया, मुख्य मन्त्री भी चाहते थे कि वह गिरफ्तार हो जाय लेकिन वह तथाकथित एम. पी. का भांजा था, इसलिये उसे गिरफ्तार कैसे किया जाता। वह दिल्ली में मौज करता रहा, किन्तु पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। मुख्य मन्त्री जी भी इससे अवगत होंगे, तथा साथ ही साथ इससे सहमत भी होंगे। ब्लाक चुनावों में बहुत बड़ें पैमाने पर गड़बड़ी हुई बूथ कैपचर किए गए, ग्राम प्रधानों को धमकी देकर, उनसे वोट घसीटे गये।

एक लीडिंग एडवोकेट, श्री लल्लू सिंह, जिनका दिन-दहाड़े 6.00 बजे के करीबन अपहरण कर दिया गया, लेकिन आज तक उनकी कोई खबर नहीं है। इन शब्दों के साथ अन्त में मैं यह फिर कहना चाहूंगा कि आप तारीफ न करें। साथ ही साथ जो वस्तु स्थिति है उसे भी रखें। आप यह न सोचें कि अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी पार्टी ने रखा है बल्कि आप भी यह सोचें कि आज जो प्रदेश की वास्तविक स्थिति है उसे उजागर किया जाय और मैं समझता हूं कि यह आपके लिए लाजमी भी है।

* श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मेरे विरोधी दल के साथियों ने अविश्वास-प्रस्ताव हमारे मंत्रि-मण्डल के विषय में दिया है। स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी मैं इन लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मुझे आप यह बतायें कि 5-6 वर्षों से, अर्थात 1977 के बाद से विश्वविद्यालय और विद्यालय क्या नियमित रूप से खुल रहे थे ? नहीं खुल रहे थे, किन्तु इस एक वर्ष में कौन ऐसा विश्वविद्यालय है जो नियमित रूप से नहीं खुल रहा है? सभी विश्वविद्यालय नियमित रूप से खुल रहे हैं। आप मात्र बी.एच.यू. विश्वविद्यालय को न लीजिए, आप पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को लीजिए। आप केवल मेरठ के छुट-पुट दंगे को न लीजिए, आप पूरे प्रदेश को लीजिए। आप देखेंगे कि इस एक वर्ष में कोई दंगा कहीं नहीं हुआ है। यदि आपको लेखा-जोखा रखना हैं तो पूरे प्रदेश का आप रखें। जिस तरह से आप डकैतियाँ कराकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आप ये बतायें कि इस एक वर्ष में कहां डकैती हुई हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने एक बात कही कि आज राजनीति में गुण्डई बहुत आ गई है, इसमें कोई शंका नहीं कि यह एक अत्यन्त विचारणीय विषय है। यह गुण्डई कांग्रेस सरकार की नहीं है। बल्कि यह हमारे चरित्र की बात है। हमारा और आपका यह कर्तव्य होना चाहिए कि राजनीति में विचारवान व्यक्ति आयें। यह केवल कांग्रेस का ही कार्य नहीं है यह दोनों ओर के चरित्र का प्रश्न है।

जैसा कि माननीय श्री रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि हमने प्रतिवर्ष 1400 ट्यूबवेल्स लगवाये और आप केवल पिछले वर्ष 600 ट्यूबवेल लगा पाये हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 3 साल के अन्दर जो 4200 ट्यूबवेल लगाये हैं, उनमें कितनों को उन्होंने इनसाइज किया है, कितनों को बिजली दी है तथा कितने ट्यूबवेलों से पानी दिया है। हम जो 600 ट्यूबवेल लगाते हैं उन्हें हम बिजली भी देते हैं तथा उनसे लोगों को पानी भी मुहैया कराते हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं वह यह है कि जो आपने 4200 ट्यूबवेल्स खोदे थे उनकी हम मरम्मत कर रहे हैं, जब वे पूरे के पूरे ठीक हो जायेंगे तब हम नये ट्यूबवेल बनायेंगे। आप यह न सोचें कि बजट की कमी है। जब तक हम आपके पुराने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं खुदाई करेंगे।

श्री मुख्तार अनीस—

इनका समय समाप्त हो चुका है। और सदस्य भी हैं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

आपको भी बोलने का समय मिलेगा, आप भी इत्मीनान से अपनी बातें कहियेगा।

श्री मोहन सिंह—

स्वास्थ्य तो इसलिए इनका खराब है, क्योंकि यह मुख्तार अनीस के पड़ोसी हैं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मान्यवर, आज जहां तक मसला है कि किसी पार्टी को, जो शासन में हो, उसका करेक्टर एसीशिनेशन करने की दृष्टि से वोट आफ नो कांफिडेंस उन्होंने दिया है वह सिर्फ इसलिए कि किस तरह से हम यह दिखायें कि वोट आफ नो कांफिडेंस हम भी दे सकते हैं। सही चीजें सही ही रहती हैं और गलत चीजें गलत रहती हैं। कांग्रेस जिस त्याग और तपस्या से बनी है, उसका कोई जवाब नहीं है, उसके मुकाबले आज कोई बल नहीं है। इसलिए श्रीमन्, मैं किसी की बातों पर नहीं जाता हूं कि कौन क्या पहनता है, कौन क्या ओढ़ता है। आज जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित नहीं है, दूसरे देशों से जिनकी बुनियाद आती है, ऐसे लोग कांग्रेस को बदनाम करने की हरकत वोट आफ नो कांफिडेन्स से करना चाहें तो चाहूंगा कि उनको हवा की तरह उड़ा दिया जाय।

श्री मुख्तार अनीस—

आप अस्वस्थ हैं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

कलेजे पर हाथ रखकर सुनते जाइये। आप ढाई तीन वर्ष के उस दरम्यान में प्रदेश को कितना पीछे ले गये थे और हम इस तीन वर्ष में कितना आगे ले गये। जितने भी प्रजातांत्रिक ढांचें थे, प्रधानों से लेकर ब्लाक प्रमुखों, जिला परिषदों के प्रमुखों और म्युनिसपल-

टीज से लेकर कोआपरेटिव तक जितने भी चुनाव थे, वे आपने सब रद्द कर दिये । लेकिन हम इन वर्षों में चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं, नामिनेशन ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । आज डेमोक्रेसी में कौन विश्वास रखता है, उसको आप देखें श्रीमन् ।

श्री मुख्तार अनीस–

माान्यवर, इनका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

मुझे अधिष्ठाता महोदय ने 10 मिनट का समय दिया है, अभी तो मुझे पांच ही मिनट हुए हैं ।

श्री मुख्तार अनीस–

सांस फूल रही है ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

मान्यवर, कोई भी विरोध पक्ष का सदस्य मुझसे हाथ मिला ले, साँस के मुतालिक न देखें । जो बोल रहा हूं, बोलने दें, विरोध करने की दृष्टि से नहीं करना चाहिए । विरोध पक्ष की सही भूमिका है, उसे आप निभायें । सही मायने में देखें तो विरोध पक्ष जो होता है, वह शासक दल का चाबुक हुआ करता है । वर्तमान विरोध पक्ष तो चाबुक क्या कहें, सुटकनी की हैसियत भी नहीं रखता । कच्चे सूत में मोम लगाकर उसे गाढ़ा किया जाता है । मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इनके पास वह मोम भी नहीं रहा, जिससे यह उसे मजबूत कर सके । इसलिए मैं कहूंगा कि विरोध, विरोध करने के लिए नहीं करना चाहिए ।

अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए विरोध पक्ष के उन सदस्यों ने, जिन्होंने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, कहूंगा कि वे लोग साहसपूर्वक इस प्रस्ताव को वापस ले लें । जयहिन्द ।

* श्री मोहन सिंह–

मैं विरोध पक्ष के दलों की ओर से जो मौजूदा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बात सही है कि एक वर्ष से अधिक हमारे माननीय मुख्यमन्त्री जी को इस प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हो गया है । इस माने में वे इस प्रदेश के सौभाग्यशाली मुख्य मन्त्री हैं, जिनके जमाने में एक वर्ष में, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के साथ, इन्होंने इस प्रदेश के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की थी और सभी वर्गों ने वस्तुत: इनका सहयोग किया, यहां तक कि छात्र आँदोलन नहीं हुए, व्यापक पैमाने पर मजदूर आंदोलन नहीं हुए, जैसे पहले हुआ करते थे । हिन्दू मुसलमान के दंगे वे भी नहीं हुए । एक अवसर था इस सरकार को मौजूदा मुख्य मन्त्री को अपना सम्पूर्ण समय, सम्पूर्ण मन: स्थिति इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये लगाते ।

[इस समय 4 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए ।]

लेकिन आज मुझको अफसोस के साथ कहना पड़ता कि इस अवधि में इनकी सरकार की कोई नयी उपलब्धि नहीं है । जो सरकार प्रदेश के संसाधन को न बढ़ा सके उस सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

[श्री मोहन सिंह]

को अनाश्यक खर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नही है। पिछले सवा साल में इन्होंने 68 करोड़ रु० राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर बढ़ाया, प्रशासकीय 3 प्रतिशत बढ़ा है। एक सबसे बड़ा विवाद, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा व्यय होता है, वह है सिंचाई। जितना बजट उनको एलॉट हुआ, पिछले एक वर्ष में उन्होंने 8 करोड़ रु. ओवरड्राफ्ट खर्च किया है। सिंचाई विभाग की सभी लाइबिलिटीज को पूरा करें तो 20 करोड़ रु० से ऊपर की लाइबिलिटीज हैं।

कोई वित्तीय नियंत्रण इस सरकार का इस प्रदेश पर नहीं है। गत वर्ष मा० मुख्य मंत्री जी का दौरा हुआ घोसी चीनी मिल का उद्घाटन करने गये थे। मैंने इसी विधान सभा में प्रश्न पूछा था कि मंच और डेकोरेशन पर कितना खर्च किया? उत्तर सा० नि० वि० की ओर से आया था कि 1 लाख 80 हजार रु० दो दिन की चुनाव सभाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश के गरीब खजाने का खर्चा किया। आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति को आपने इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया है। जब मा० मन्त्री जी से सवाल हुआ कि प्रदेश के बड़े-बड़े निगमों का खर्चा निरन्तर बढ़ रहा है, विद्युत परिषद ने 92 करोड़ रु० का घाटा दिखाया, 10 करोड़ से ऊपर का घाटा परिवहन निगम का हो गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी! आपसे पूर्व इस प्रदेश के निगम मुनाफा कमाते थे, उनके मुनाफे में आज कमी हुई है, घाटे में बढ़ोत्तरी हुई है। मुख्य मंत्री जी ने एक वर्ष के बाद यह कहा कि इस बात के ऊपर सोच रहे हैं। कि निगमों को निजी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया जाय। बाद में इन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लोग बेईमान होते हैं। वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेते हैं, एक बड़ा उद्योग लगाकर 5–10 साल में पूंजी वापस ले लेते हैं, बाद में घाटा दिखाकर सरकार को सौंप देते हैं। इसलिये निजी क्षेत्र को नहीं दिया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री किस कन्फूज माइण्ड से इस प्रदेश को चलाना चाहते हैं।

अधिकारियों की मीटिंग में मा० मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया कि यदि मुझ से कोई गलती हो, अधिकारी टोंक दें तो मैं सुधार करने के लिये तैयार हूं। हमने संसदीय लोकतंत्र में सीखा था कि अधिकारी गलती करता है, मंत्री ठीक करता है। मुख्यमंत्री जी ने इस रास्ते को वदला कि अधिकारी सही करता है मुख्यमंत्री गलत करता है। यही कारण है कि पूरे प्रशासन के ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है।

हमने बयान पढ़ा आगरा रेंज के डी० आई० जी० का बयान है कि दस्युराज घनश्याम जेल से बाहर आ गया। उत्तर प्रदेश के जितने डकैत गिरोह हैं, सबके पास घनश्याम घूम आया, उसको कोई गिरोह अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी पुलिस को जानकारी है कि घनश्याम घूम रहा है बिना गिरोह के बिना हथियार के फिर उसको पकड़ते क्यों नहीं है। इससे बड़ी कोई निन्दनीय बात नहीं हो सकती।

गोरखपुर के एस. एस. पी. ने बयान दिया कि ब्लाक प्रमुख जब 302 और 307 में चुने जाने लगें, तो आगे क्या होगा। मैंने उत्तर प्रदेश के मा० मुख्य मन्त्री से जानना चाहता कि इस प्रदेश के असामाजिक तत्व स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में आड़े आ रहे हैं, तो मा. मुख्यमन्त्री जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने से मुझको मना किया।

तो इस तरह मैं कहना यह चाहता हूं कि जब आप यहां पर हमारे अध्यक्ष की हैसियत से थे तो दूसरा चेहरा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की हैसियत से चेहरा देख रहा हूं, वह दूसरा है, सो यह कि आपके मंत्रित्व काल में एक स्वच्छ, निष्पक्ष और कुशल प्रशासन होगा, लेकिन वह व्यक्ति ठीक काम क्या कर सकेगा जिसकी सभा की अध्यक्षता एक ऐसा आदमी करता हो जो मीसा के तहत इन्दिरा गांधी के निर्देशन में एक व्यक्ति के हत्या का ठेका लेता हो, इन्हीं इन्दिरा गांधी के बारे में अभी हमारे लोकपति त्रिपाठी जी ने कहा था कि हम तो श्रीमती इंदिरा गाँधी के निर्देशन में काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब इनकी सभा की अध्यक्षता का मौका दिया जायेगा तो ऐसा मुख्यमंत्री क्या प्रशासन करेगा। दूसरे मान्यवर यहां पर इस काल में हो रहे जातिवाद के घृणित नंगे नाच का एक नमूना रखना चाहता हूं आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस का आई०जी०एस०सी० दीक्षित।

इलाहाबाद पुलिस मुख्यालय पर आई. जी. आर. डी. शर्मा, डी. आई. जी. ए. पी. मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अजय राज शर्मा, यह सब क्या कर रखा है आपने ? इसी तरह से मेरठ में उप पुलिस निरीक्षक ए. एन. कोल, यह सब आपने क्या कर रखा है और यहां का एस. एस. पी. चतुर्वेदी तथा सी. ओ. (सिटी) बाजपेई। इस तरह जातिवाद के बलबूते पर आप प्रशासन चलायेंगे, यह कैसी गंदगी फैला रखी है आपने ? इसलिए यह अविश्वास का प्रस्ताव मजबूर होकर लाया गया है, यह एक मात्र औपचारिकता है। दूसरे इस प्रदेश की आज वितरण प्रणाली में बहुत गड़बड़ी व्याप्त है। एक प्राईस कमीशन यहां पर आया था मा० मुख्यमंत्री के पास, उससे बातचीत के दौरान मा० मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज गेहूं की लागत प्रति क्वंटल लगभग 134–22 पै. किसान को पड़ती हैं, इसलिए, इन्हें 191–00 रु. प्रति क्वंटल के दाम जरूर देने चाहिए तो इस तरह क्या हम किसानों के भाग को सुधार सकेंगे, अगर इसी तरह की नीति इस सरकार की रही तो कुछ ही दिनों में वितरण की सारी जरूरी चीजों के दाम आसमान को छूने लगेंगे। इसी वजह से आज जनता का विश्वास आपके हर क्षेत्र से उठता जा रहा है, शासन के अधिकारियों का, न्यायिक अधिकारियों का वितरण प्रणाली का आदि सबका विश्वास जनता को आज नहीं रहा।

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस आदरणीय सदन में बैठकर माननीय मुख्य-मंत्री जी की सरकार के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। जब यह अविश्वास विपक्ष के नेताओं के प्रति विपक्ष के लोगों को ही नहीं है। एक अनैतिक गठबंधन खुले रूप में इसी सदन में देखने को मिला। एक दल में उप नेता के पद पर एक अनुसूचित जाति का सदस्य, पहले विराजमान था, अब उसे हटाकर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बैठ गये हैं। इस गठबन्धन के शिकार मोती लाल देहलवी जी हुए हैं। इसलिए इस प्रदेश की जनता से मैं एक बात कहता हूं।

यह नाकाम गठबन्धन जो कि निराश और हताश लोगों का गठबन्धन है उससे इस देश की जनता आगाह हो जाय। मुझे याद आता है वह वक्त जबकि इनके नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि खादी की हाफ पैन्ट पहनने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री प्रमोद कुमार]

यह हाफ पैन्ट पर धोती है या फिर धोती पर हाफ पैन्ट है, यह तो आने वाला समय ही बतलायेगा। लेकिन यह देश की जनता उसको माफ नहीं करेगी कि जिन्होंने गांधी जी की हत्या करने वाले को अपने बीच बैठा रखा है। आज विपक्ष हताश है, निराश है, आज विपक्ष के पास मात्र व्यक्तिगत कीचड़ उछालने के सिवाय और कुछ है नहीं, हमारा दामन तो बिलकुल साफ है।

हमारा दामन साफ है इसीलिए जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि हम अविश्वास के प्रस्ताव को लेने के लिए तैयार हैं। जब मुख्यमंत्री जी की ओर ऐसी बात आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये गड्ढे में गिर गये। यह अपने कुकर्मों से ही यहां से वहां जाकर बैठे हैं और अगर ऐसे ही इनके कुकर्म रहे तो सदन के बाहर भी इनको पनाह नहीं मिलेगी।

अभी मोहन सिंह ने इतनी बातें कहीं लेकिन मोहन सिंह खुद अपने दामन को देखें जिनके कुरते पर खून की छींटें पड़ गयीं है। ग्राम प्रधानों के निर्वाचन हुए थे, यह सही है कि वहां पर इनके लोग नहीं थे, इनकी कोशिश वहां नहीं चल सकी लेकिन इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या कर दी। इनकी सरकार ने तो प्रजातंत्र को ही समाप्त कर दिया था। इस सरकार ने अब ग्राम प्रधानों के चुनाव करा दिये हैं और जिला परिषद के चुनाव भी शीघ्र हो जायेंगे।

एक नाम इन लोगों को बड़ा प्रिय था, फूलन देवी का और उसके साथ ही साथ पोथी वगैरह के और न जाने कितने नाम ये लोग लिया करते थे। मैं कहता हूं कि जो डकैत आपके राज्य में पाले-पोसे जा रहे थे, जिनको आप संरक्षण दे रहे थे, आज वे कितने हैं ? यदि आपको न मालुम हो तो उनको हम बतलाये दे रहे हैं कि आज उनको उनके कुकर्मों की सजा मिल चुकी है। आपकी ही सरकार के एक मंत्री थे, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप कहेंगे कि वे सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन वे दूसरे सदन के नेता हैं जो कि डकैतो के साथ बैठते थे और उनको पाला–पोसा करते थे। विद्युत मंत्री जी बोलकर चले गये हैं नहीं तो वे बतलाते कि चुनावों के समय उनका बड़े-बड़े डकैतों के साथ हिस्सा हुआ करता था।

मान्यवर, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हू कि इन्होंने अपनी आशंका इस सरकार पर प्रकट की है तो ये लोग कम से कम अपने गिरेबान में भी थोड़ा झुक कर देख लें, उसके बाद उनको इस सरकार में क्या दोष नजर आते हैं, उसे कहें।

अभी-अभी मोहन सिंह ने कहा कि इस सरकार के जमाने में पिछले साल भर में कोई दंगे नहीं हुए, कोई क्षात्र आन्दोलन नहीं हुए, कोई कर्मचारियों की हड़ताल नहीं हुई। सब कुछ क्या सरकार ही करती है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती ? या फिर दंगे उन्होंने नहीं कराये, क्षात्रों से आंदोलन उन्होंने नहीं कराया या फिर कर्मचारियों से हड़ताल उन्होंने नहीं करायी ? अगर उन्होंने नहीं करायी तो फिर प्रशासन की कार्यकुशलता ने उसको रोका है। और यदि प्रशासन की कार्यकुशलता ने उसे नहीं रोका है तो फिर क्या आपने उसे रोका है ? क्या आप उसे कराते हैं ? और जब आप चाहते हैं तो उसे रोक देते हैं और जब चाहते हैं तो करा देते हैं ?...

दो में से एक बात तो इनको मानना ही पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रति और जनता के प्रति शासन की जिम्मेदारी है लेकिन विपक्ष भी अपनी जिम्मे-

दारी से मुकर नहीं सकता है। इस शासन काल के एक साल को खामोश यात्रा कहा गया है, मान्यवर मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि हम प्रगति की ओर बढ़े हैं और विपक्ष की ओर से हमें निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला है। विपक्ष की ओर से कई बात कहीं गयी। एक तो यह कहा गया कि धी कम्पनी ने जनता को चर्बी खिलाया है। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हिन्दू धर्म के लोग हों या मुसलमान हों, चर्बी खिलाने की बात कही गयी, लेकिन मैं कहना चाहता हू कि चर्बी को बाहर से खरीदने का लाइसेंस किसने दिया। इसका लाइसेंस विपक्ष की सरकार जब थी, तो उसने दिया।

1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उसके मंत्री मोहन धारिया ने चर्बी के आयात का लाइसेंस दिया था और इस देश की जनता को मजबूर किया था। यह उनके नापाक इरादे थे और उन्होंने जनता को उस में सामिल किया। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सामूहिक हत्याओं का दौर बन्द हो गया है और जो बड़ी बड़ी डकैतियां होती थीं उनसे छुटकारा मिला है। जब आपकी सरकार छोड़कर गयी थी तो क्या बचा था, क्या छोड़कर गये थे, विद्युत विभाग की हालत आप देखें। किसी इन्सान की जिन्दगी सुरक्षित नहीं थी और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पहले से आज की व्यवस्था बेहतर है जो अनिश्चितता का वातावरण था, वह समाप्त हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो उद्योगों की बिजली की कटौती होती थी वह नहीं होती है। उद्योग चल रहे हैं। उस समय न उद्योग चल रहे थे और न नलकूप चल रहे थे। यह स्थित हर जगह पर थी। जब यह सरकार नहीं चला पाये, जब यह अपने दल को नहीं चला पाये और अपनी जनता पार्टी को नहीं चला पाये और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए तो इस प्रकार के लोग सरकार कैसे चला पायेंगे ? मान्यवर, श्रीमती गांधी का नाम खींचने की कोशिश यहाँ पर की गयी।

मैं कहना चाहता हू कि इस देश की उन पर आस्था है और वह लोकतंत्र में विश्वास करती हैं। विश्व के 102 जनतांत्रिक देशों का यहाँ पर सम्मेलन हुआ। श्रीमती गांधी ने उसमें अपना योगदान देकर हिन्दुस्तान का नाम ऊचा किया। अगर किसी का विश्वास जनतंत्र में नहीं होगा तो वह इस प्रकार के सम्मेलन अपने देश में नहीं कर सकता है। श्रीमती गांधी का विश्वास जनतंत्र में है और उन्होने जनतांत्रिक सम्मेलन में योगदान देकर अपनी इस बात की जनता के सामने पुष्टि की है। आज विश्वास और अविश्वास की बात चल रही है। आज हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कैसी है, इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है, जब यह सरकार में थे तो क्या किया। इस देश का इतिहास साक्षी है। इन्होंने मंगल सूत्र को नहीं बक्सा था उन्होंने उन लोगों को नहीं बक्सा जो देश की जनता की धरोहर थे। गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी खिलाने वाले आप ही हैं जिन्होंने उसका लाइसेंस दिया। आपने निराशा और कुन्ठा का वातावरण फैलाया। आज कोई छात्र आन्दोलन नहीं है कर्मचारियों का आन्दोलन नहीं है, इसको मोहन सिंह जो आपके सचेतक है, ने स्वयं स्वीकार किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरिजन नेता मोतीलाल देहलवी को उप नेता पद से हटा दिया। आप हरिजनों के अधिकारों की हत्या करते हैं। इन शब्दों के साथ में अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। .....

* श्री मुख्तार अनीस–

माननीय अध्यक्ष जी, समस्त विपक्ष ने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए इस दिशाहीन और कर्महीन सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सदन के अन्दर एक बात बार-बार यह कही गई कि क्षेत्र समितियों के चुनाव हुये, ब्लाक प्रमुख के चुनाव हुये। निश्चित रूप से यह अच्छी बात हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपकी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है उनमें से अधिकांश लोगों की आप सूची मंगा लीजिये और सदन में यह बतायें कि उनके ऊपर क्या-क्या गम्भीर आरोप हैं। मैं सीतापुर के बारे में बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आपकी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है उसके ऊपर गम्भीर आरोप हैं। ऐसे व्यक्तियों को जन प्रतिनिधि चुनकर प्रदेश की क्या स्थिति होगी इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। आज शाँति व्यवस्था की क्या हालत है। आज प्रदेश के अन्दर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। जो परेशान न हो। दूसरी तरफ जो जननेता हैं, जो वोट से चुनकर आते हैं उनकी प्रदेश में क्या हालत हो रही है।

आपके इटावा के विधायक को जूतों से मारा गया। मुरादाबाद में एक एम०पी० को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। साधारण जनता आज सुरक्षित नहीं है। न्यायालय के दरवाजे यदि कोई व्यक्ति खटखटाता है तो तो उसकी क्या हालत होती है। आजमगढ़ में वकीलों को मारा गया। मुख्य मन्त्री जी को वहां जाना पड़ा। यहाँ लखनऊ के अन्दर ही 31 अगस्त को श्री लल्लू सिंह को दिन दहाड़े उठा ले गये जिसकी बिना पर पूरा लखनऊ आज बन्द है हड़ताल हो रही है, कल न्यायालय बन्द रहेगा और जुलूस निकलेगा। इस तरह से गुडों और बदमाशों की हिम्मत हो रही है। जब कभी आप गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जाते हैं तो इन गुँडों और बदमाशों के संरक्षण में आपकी यात्रा होती है। आप उनके यहाँ खाना खाते हैं। आप बतायें कि गोरखपुर में आपने किसके यहां खाना खाया?

इस तरह से प्रदेश की क्या हालत होगी। बस्ती में दिन दहाड़े हीरालाल सिंह की हत्या हो गयी। जब हत्यारों को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सावधान रहना, हमें इस प्रदेश के मुख्य मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। मोदीनगर में हमारे लोगों को इन्टक के लोगों ने हत्या की। 9 जुलाई को यह हत्या की गयी। मौदी को गुंडों का संरक्षण प्राप्त है इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और आज के केन्द्रीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी सूती मिल 3 तारीख से बन्द नहीं होगी। मोदी की हिम्मत देखिये कि उनके वक्तव्य के बावजूद और अध्यादेश के बावजूद 5 तरीख को इस अध्यादेश की अवहेलना करके उसने अपनी मिल को बन्द कर दिया था। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर कोई कार्यवाही आप कर सकते। वहाँ के मजदूरों की क्या हालत हो रही है। ढाई सौ लोगों को बन्द किया गया।

आपकी सरकार मोदी के हाथ में है, टाटा और बिरला के हाथ में है। राज्य विद्युत परिषद् आप लोगों के हाथ में दिये हुये हैं, जो कि उद्योग-विरोधी हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम है उनकी हालत इतनी खराब क्यों है? उसका कारण यह है कि उनमें जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं, जो आई० ए० एस० अधिकारी है वे चाहते हैं कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

बदनाम हों ताकि वह निजी क्षेत्र में आयें और निजी क्षेत्र में उस उपक्रम को स्थापित किया जाय। यही कारण है कि आज जो 57 आपके उद्योग ब्यूरो हैं जिनके अन्दर आपकी 300 करोड़ रुपये की लागत लगी हुई है उनमें अब तक 100 करोड़ का घाटा हो चुका है।

मैं आपकी चीनी मिलों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी क्या हालत है। मैं एक रिपोर्ट से पढ़ देना चाहता हूं कि निगम का संचित घाटा माह मई 1983 तक 49.17 करोड़ अनुमानित है और इसके विपरीत कुल पूँजी 57 करोड़ की है। अतः पूँजी का 85 प्रतिशत पूर्व ही संचित घाटे के द्वारा समाप्त हो चुका है।

50 करोड़ रुपया लगा है और 49 करोड़ का घाटा हो चुका है। तो यह प्रदेश चलने वाला है आपका इन पर कोई अंकुश नहीं है। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग के लोग एक होकर टैक्स को बढ़ाने में लगे हुए हैं। विद्युतु परिषद् टैक्स बढ़ा रही है, सिंचाई विभाग टैक्स बढ़ा रहा है, परिवहन निगम टैक्स बढ़ा रहा है। लेकिन उनके ऊपर कोई अंकुश आपका नहीं है। भ्रष्टाचार की हालत आज यह है कि पिछले दिनों आगरा में व्यापारियों का सम्मेलन हुआ, आपकी पार्टी के लोग जिसे देश की नेता आप मानते हैं श्रीमती इंदिरागाँधी के कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया उसमें भी दो ग्रुप में हो गये। एक श्री कृष्णवीर कौशल का दूसरा माननीय गुलाब सेहरा का दोनों ग्रुप में झगड़ा हो गया एक दूसरे से चंदे का हिसाब माँगने लगे और इसको लेकर वहाँ बहस हो गयी।

करोड़ों रुपयों का चंदा हुआ क्योंकि एक मंत्री जिसको निकाल दिया गया वह मुख्य मंत्री बनने के लिए जालबट्टा कर रहे हैं। आप लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, माननीय नरेश अग्रवाल जानते हैं। जब सार्वजनिक तौर पर चंदा वसूल किया जाता है तो जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनको इससे ताकत मिलती है। विसवां के अन्दर हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जिसका नेतृत्व माननीय राजनारायण जी ने किया जिसमें 40 हजार आदमी थे। दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया वे एक सप्ताह बाद गये। वहाँ मंडी समिति का एक सचिव है उसने दो दिन के अंदर 40 हजार रु० का चंदा आपके स्वागत के लिए किया, जिसको हटाने की लोग मांग कर रहे हैं। पूरा जिला चाहता है इसको हटाया जाय माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता और माननीय राम रतन सिंह भी कह रहे हैं इसे हटाया जाय लेकिन आप उसे हटा नहीं पा रहे हैं।

आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत हो रही है यह सब जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर इस सरकार का हटाइये जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिले इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

* श्री श्याम लाल बाजपेयी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस वर्तमान सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही इस खंडित एकता के प्रतीक नेता विरोधी दल के द्वारा इस मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है। उस अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृत के समय यह लोग सीधे खड़े हुए तो गणना में भी अंतर हुआ, कारण यह है कि स्वयं भ्रांति मूलक है इसलिए भ्रांति से ही इसकी शुरुआत हुई। इन्होने चुनौती दी थी लगता था आसमान से कोई

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री श्याम लाल बाजपेयी]
तारा तोड़ेंगे, हमारे नेता ने साहस के साथ उसे स्वीकार किया था जो यह गठबंधन लेकर आये हो बांस की खपच्चियां बांध कर हमारा सामना करने क्यों आ रहे हो क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं यह लोग बगलें झांकने लगे (व्यवधान) भाई जरा सुनो....

श्री अध्यक्ष–

आप अपना समय बरबाद न करें।

अध्यक्ष महोदय, इनका अविश्वास का प्रस्ताव आपने देखा होगा, यह प्रदेश आशा लगाये बैठा था कि कहीं हमारे विपक्ष के नेता जिनको हमेशा धोती पहने देखा है आज विपक्ष में नेकर चिपकाये देखा तो प्रदेश ने सोचा था कि आज शायद कोई नई चोज होगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि नई बात तो दरकिनार, प्रदेश की समीक्षा तो दूर की बात रही, व्यक्ति गत आरोप प्रत्यारोप पर वह उतर आये।

एक मा० सदस्य जिस तरह घिनौने आरोप लगाये उससे तो लज्जा से सर नीचा हो जाता है। मान्यवर, विरोधी नेता के बोलने के बाद हमारे सत्तापक्ष की तरफ से हमारे वरिष्ठ मंत्री मा० लोकपति त्रिपाठी जी ने जिस सालीनता के साथ उत्तर दिया उसकी सराहना करनी चाहिए। इस प्रतिपक्ष ने आज इस थोड़े समय में अविश्वास के प्रस्ताव में जो नाटक किया–अध्यक्ष महोदय, विश्वास करें, आप भी सदन के बड़े वरिष्ठ सदस्य है और आगे भी शायद हों, परन्तु आप यह देखेंगे कि ऐसा अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास का प्रस्ताव मा० श्री श्रीपति मिश्र की सरकार के लिये कतई नहीं है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि विपक्ष अपने दिलों को टटोले कि जो हमारे नेता विरोधी दल ने यह अविश्वास का प्रस्ताव वर्तमान सरकार के विरुद्ध रखा है तो यह वर्तमान सरकार के विरुद्ध नहीं है बल्कि आज जो यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं वह आपके एक-एक चेहरे के साथ अविश्वास का प्रस्ताव है।

मान्यवर, आज एक शब्द की बड़ी चर्चा हुई जो खामोश यात्रा है। खामोश यात्रा मे उनको बड़ी पीड़ा है। अध्यक्ष महोदय, जो इस आदरणीय सदन के समक्ष सत्य बात कहे तो वह बात भी चरित्र की हुआ करती है, आज प्रजातांत्रिक इतिहास को, इस आदरणीय सदन के इतिहास को और यहां के मुख्य मंत्रियों के इतिहास को देखें, नेता विरोधी दल, आपकी भी कुछ गरिमा और प्रतिष्ठा है, इसलिये वह अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें और गौर करें कि प्रदेश में एक साल की खामोश यात्रा जो है वह कैसी खामोश यात्रा रही कि आपके आदरणीय सदन से लेकर गांवों के झोपड़ों और गलियों तक यात्रा हुई। जनता से जो लाये थे उस सम्मान और धरोहर को जनता तक पहुंचाने के लिये श्री श्रीपति मिश्र की खामोश यात्रा थी।

खामोश यात्रा, उन योजनाओं की यात्रा थी, प्रगति की खामोश यात्रा थी, इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था की खामोश यात्रा थी, जो हमने जनता तक पहुंचाया है और यह बताया है कि खामोश यात्रा किस तरह से और क्या होती है। जिस तरह से आप ढ़ोल पीटते हो, प्रगति में बाधक बनते हो, वैसे हम नहीं करते हैं और हमारी प्रगति के मार्ग में बाधक बनने के बावजूद आप लोग स्कूलों में हड़ताल नहीं करा पाए, फैक्टरियों को नहीं बन्द करवा पाए और विश्वविद्यालयों में ताले नहीं लगवा पाए हैं। मैं नेता विरोधी दल से

एक बात कहूंगा, वह अपनी कुर्सी पर खड़े होकर डाकुओं की समस्या की और नरसंहार की तथा एक बुजुर्ग नेता जो अब यहाँ नहीं है मुरादाबाद और साम्प्रदायिक दंगो की कहानी की, बड़ी चर्चा यहां पर किया करते थे ।

मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सच को सच कहना चाहिए. श्रीपति मिश्र के पद भार ग्रहण करने के बाद से आपको यह चीजें सुनने को नहीं मिली होंगी । डाकुओं की समस्या अपने आप समाप्त हो गई है, पता नहीं किन कन्द्राओं में चले गये "व्यवधान" (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है, पांच मिनट का समय चाहता हूं, बहुत संक्षेप में कहूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मुझे कुछ समय और दे दीजिए । मान्यवर, आज प्रदेश उन तमाम समस्याओं से मुक्त है, तो अविश्वास प्रस्ताव किस लिए ?

अभी हमारे एक नौजवान साथी ने कुछ बातें कहीं, जिसको सुनकर मुझे दु:ख हुआ। मैं आपके माध्यम से विपक्ष से एक बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान शासन के बारे में झूठे वक्तव्य देकर हमारे मंत्रियों का चरित्र हनन करेंगे तो यह बात ठीक नहीं है और यह चलने वाला नहीं है । इसके पीछे छिपे आपके उदेश्यों को हम और जनता अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि आपने अच्छे-अच्छे पदों पर जो अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति कर दी है, उनको अच्छे-अच्छे पदों पर बनाए रखने के लिए आप मंत्रियों के खिलाफ ऐसे असत्य वक्तव्य देकर जो बारगेनिंग करना चाहते हैं, वह चल नहीं पाएगा । आपकी कोई भी बात श्रीपति मिश्र के जमाने में न चलने पायी है और न चलने पाएगी ।

कितने लज्जा की बात है, नेता विरोधी दल कुछ पढ़े-लिखे आदमी हैं, आप आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आदमियों की लिस्ट देख लीजिए, वह पढ़े-लिखे क्वालीफाईड आदमी होते हैं, वह अपनी योग्यता के बल पर और कम्पटीशन से आते हैं, जो जिस पद पर आता है, वहां पर उसकी नियुक्ति की गयी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, श्री जसवन्त सिंह विष्ट ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

जो आज अविश्वास प्रस्ताव आप हमारी सरकार के विरुद्ध लाए हैं, वह वास्तव में आप पर है, आप श्रीपति मिश्र की सरकार को फांस नहीं सकते हो । आपका हौसला पूरा होने वाला नहीं है । यह सरकार चलेगी, चलेगी और इस सरकार पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा ।

***श्री जसवन्त सिंह विष्ट–**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अवश्विास के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है और उस प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं जल्दी-जल्दी में अपनी कुछ बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने, इस सरकार के जो इस समय काले कारनामें हैं, उन पर प्रकाश डाला है । मैं पर्वतीय अंचलों के 3 वर्षों का हवाला देना चाहता हूं ।

चूंकि यह इंदिरा जी का गुणगान बहुत करते हैं, इनके पास और कोई चारा नहीं है । यह सारे बंधुवा मजदूर हैं बेचारे । इंदिरा जी का नाम लेकर सदन में आये हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

[जसवन्त सिंह बिष्ट]

और इंदिरा जी का नाम लेकर इनको जाना है । यह चाहते हैं कि हम मंत्री बन जायं । कई बेचारे प्रयास कर रहे हैं कि मंत्री बन जायं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं । मुख्यमंत्री जी बड़े चालाक हैं, चतुर हैं । यह हमारे साथ रहे हैं, समाजवादी हैं इनको हम जानते हैं कि कितने चतुर और चालाक हैं ।

आप भी देख रहे हैं मान्यवर, 1 वर्ष से लगातार मुख्यमंत्री जी मंत्रि मंडल का विस्तार करने की बात कह रहे हैं और ये बेचारे मंत्री बनने के लिये इनकी हां में हां करते हैं । सोच रहे हैं कि मंत्री बन जायेंगे लेकिन इनमें से शायद कोई मंत्री बन पाये । क्योंकि इंदिरा जी का वरद हस्त जब तक नहीं मिलता है तब तक मंत्री नहीं बन सकते । श्रीपति मिश्रा जी जो इस दल के नेता हैं वह भी दिल्ली से बने हैं । और मंत्री भी दिल्ली से बने हैं, इसका नतीजा यह है कि श्रीपति मिश्रा जी की पकड़ अपने मंत्रियों पर नहीं है । कुछ दिन पहले हमने देखा कि यहां पर एनेक्सी में मुझको केवल दो मंत्री मिले 1-3-4 दिन ढूंढ़ा तो केवल 2 मंत्री मिलें । मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि मेरे मंत्री क्या कर रहे हैं । इनकी किसी को परवाह नहीं है । किसी तरह गाड़ी को खींच रहे हैं ।

मैं ज्यादा न कहकर 3 वर्षों का हवाला देना चाहता हूं । पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय लोकपति त्रिपाठी जी, जिनको विरासत में राजनीति मिली है और जो कालिख को पोतना अच्छी तरह जानते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में आज भी स्वीपर दवा बांट रहे हैं और डाक्टरों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं । सारे ग्रामीण अंचल में, जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । तमाम बच्चे मर रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है । अस्पताल केवल नाम के हैं वहां पर स्वीपर दवा बांट रहे हैं । यह बार बार कहते हैं कि हर जिले में डाक्टर नियुक्त कर रहे हैं । तीन वर्ष हो गये हैं नियुक्ति नहीं हुई है । उल्टे एक काम यह किया कि जो डाक्टर पहाड़ से मैदानी क्षेत्रों में आना चाहते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाय । तो जितने डाक्टर थे उनका ट्रांसफर कर दिया । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं विद्यालयों के बारे में । माननीया स्वरूप कुमारी बख्शी, दीदी, बहुत निपुण हैं । शिक्षा विभाग पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है । हाई स्कूल और इंटरमीडियट कालेजों में नाम के अध्यापक हैं । वह वहां पर काम नहीं करते हैं । माननीय सदस्य इस बात को बार-बार कहते हैं लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती । विज्ञान विषय खोल रखा है लेकिन विज्ञान विषय के अध्यापक नहीं हैं और लैब नहीं है । हमारे प्रदेश की जनता को कोई सुख सुविधा नहीं दी जा रही है । तीसरी बात पेयजल योजना के बारे में कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, हमारे यहां 3–3 किलोमीटर से आज लोग पानी ला रहे हैं । मेरे यहां तिमली-चचरौटी पेयजल योजना 4 वर्ष से बन रही है । 58 लाख रुपये की जगह पर 1 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च हो गये हैं लेकिन योजना पूरी नहीं हुई है । आज भी 2–3 किलो मीटर से पानी लाकर पी रहे हैं । पेयजल योजनायें केवल कागज पर बनती हैं और पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा हैं । हम बार-बार सरकार से कहते हैं कि वह जांच कराये लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है । चौथी बात मैं कहना चाहता हूं उद्योगों के बारे में । माननीय मुख्यमंत्री जी को मालुम है कि ताड़ीखेत ब्रोंज फैक्टरी में

तालाबन्दी हो गयी है ।

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं जल्दी इसको खोल रहा हूं लेकिन ताला लगा है । पर्वतीय अंचल में बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो नाम मात्र को हैं वहां पर बोर्ड ही बोर्ड है, काम वहां पर कुछ नहीं होता है । पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं कि चोरी, डकैती, हत्यायें पहले पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं होती थीं । लेकिन जबसे मौजूदा सरकार बनी है आये दिन डकैतियां पड़ रही हैं और चोरियां हो रही हैं । मेरे क्षेत्र में 4 महीने पहले एक जीप पर 6 कांग्रेसियों के भेष में, खादी का कुर्ता, पाजमा पहने हुये, जीप पर तिरंगा झंडा लगा-कर गये और उन्होंने डाका डाला ।

[5 बजे अपरान्ह]

हमने रिपोर्ट किया कोई जांच नहीं हुई, न कोई गिरफ्तारी हुई । इसी तरह से कई कत्ल हुई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है न कोई पकड़ा जा रहा है । उसी तरीके से मान्यवर हमारे पर्वतीय अंचल में शिलान्यास का ढेर है । आप अखबारों में पढ़ते होंगे हमारे मैदानी क्षेत्र के विधायक कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र में खूब विकास हो रहा है । मान-नीय नारायण दत्त तिवारी जी खूब शिलान्यास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी उनका स्वागत करने के लिये चले जाते हैं । शिलान्यास पर खूब खर्च किया जा रहा है । लेकिन आप पता लगा लें जहां-जहां शिलान्यास हुआ है क्या काम हुआ ? उसी तरीके से आम जनता का जीवन खतरे से घिरा है । जब लल्लू सिंह जिनको मुख्य मंत्री जी नजदीक से जानते होंगे का अपहरण हो गया कोई पता नहीं चल रहा है तो आम जनता का क्या भरोसा । आये दिन अखबारों में डकैती, हत्या, चोरी, अपहरण बलात्कार और न मालूम क्या-क्या आता रहता है । हमें तो ज्यादातर यही देखने को मिलता है इतनों को मार दिया, इतनों का अपहरण हो गया । बेरोजगारी की बात कहना चाहता हूं मान्यवर एक तरफ तो बेरो-जगारी दूसरी तरफ यह सरकार एक और लूटने का धन्धा कर रही है । हर विज्ञापन में पोस्टल आर्डर लगवाती है । 10 रुपये से 20 रुपये और 45 रुपये का पोस्टल आर्डर लगता है । 10 रुपये से कम का तो पोस्टल आर्डर लगता ही नहीं है ।

मान्यवर, हरिजन समाज कल्याण विभाग में तीन बार इण्टरव्यू हुआ गुलाब सेहरा जी के विभाग में महिलाओं का साक्षात्कार हुआ और कभी उम्र का कभी और किसी चीज का बहाना लेकर उसको रद्द कर दिया । लोग कहते हैं कि इनके विभाग में रुपया चल रहा हैं । 5 हजार रुपया लेकर नियुक्तियां हो रही हैं । भगवान जाने क्या हो रहा है । हमें तो कुछ पता नहीं है । मान्यवर यह जो बन्धुआ मजदूर हैं इन पर हमको तरस आता है । इनमें से स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम लोग होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं । इस सरकार में दो मंत्री एक लोकपति त्रिपाठी और डा० अम्मार रिजवी बहुत चतुर और चालाक मंत्री हैं । जहां भी लिखापुती हो उसको पोछने के लिये मुख्यमंत्री इनको खड़ा कर देते हैं ।

[श्री जसवन्त सिंह विष्ट]

और यह उसको शान्ति भी कर लेते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यहां बैठे हुये मंत्री और विधायक ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि यह सरकार इस प्रदेश की जनता को सही व्यवस्था दे रही है । मान्यवर, बस का जिक्र आया । मैदानी इलाके में जो भाड़ा होता है पर्वतीय क्षेत्र में उसका ड्यौढ़ा हो जाता है । मैदान में एक रुपया है तो पर्वतीय क्षेत्र में डेढ़ रुपया हो जाता है ।

पर्वतीय क्षेत्र में न बैलगाड़ी चलती है, न रिक्शा है न रेल है । ले दे के केवल बस चलती है । मान्यवर एक महीने में तीन बसों की दुर्घटना हुई, 1 पिथौरागढ़ में और 2 गढ़वाल में । सौ आदमी की जानें गयीं, इनका कोई अंकुश नहीं है । इनकी बसें वर्कशाप में खड़ी रहती है ।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हुआ अब नहीं लिखा जायेगा ।

[मेजे थपथपाई गई]

* मुख्यमंत्री [श्री श्रीपति मिश्र]

मैं आपके माध्यम से अविश्वास का प्रस्ताव जो हमारे प्रजातन्त्र की प्रणाली में है । मान्यवर, प्रजातांत्रिक प्रणाली में अविश्वास का प्रस्ताव एक बहुत ही महत्व की बात है और विरोधी दल का एक अस्त्र और उसका एक अधिकार है । जहाँ अविश्वास के प्रस्ताव से विरोधी दल को यह अधिकार मिलता है कि वह शासन के ऊपर उसकी गतिविधियों की पूर्ण आलोचना करे वहाँ साथ ही साथ शासन को भी यह अवसर मिलता है कि वह अपनी बात विरोधी दल के समक्ष आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से जनता के समक्ष रख सके ।

आज जब यह अविश्वास का प्रस्ताव आया, तब तक के जो भाषण हुए मैंने उनको बहुत गौर से सुना और मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली हो तो कुछ बुनियादी आधार होंगे । चूँकि आधारों पर कार्य का आंकलन किया जाएगा कि सरकार ठीक चल रही है या नहीं ? इसका बुनियादी आधार क्या होगा ? आपने वह कसौटी रखी होती और उस कसौटी पर हमारा आंकलन करते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं आधारभूत सिद्धांत रखना चाहता हूं उन आधारों पर शासन की आलोचना करेंगे। अगर प्रजातांत्रिक प्रणाली है तो हम उस प्रणाली में रूल-आफ-ला को कानून की महत्ता देते हैं अथवा नहीं देते । जनतांत्रिक प्रणाली की जो पद्धति है जिससे इसका ढांचा खड़ा होता है उसको महत्व देते हैं। यह नहीं देते हैं। हम जनप्रतिनिधियों की आवाज और शासन का कार्य दोनों में संतुलन स्थापित करके शासन को ठीक ढंग से चलाने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। अन्य प्रकार की जो प्रणालियां होती हैं उनमें जनता की आवाज और शासन के संतुलन की आवश्यकता नहीं होती उनमें शासक अपना निर्णय करते है और उसकी कार्यवाही करते हैं। लेकिन जहां प्रजातांत्रिक प्रणाली होती है वहाँ जनता की आवाज का प्रभाव शासन पर पड़ता है इस बात का ध्यान देना पड़ता है ।

नोट :—[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

मैं तीन मुद्दों पर इसके साथ-साथ जो आर्थिक दृष्टिकोण से योजनाबद्ध कार्यवाही की जाती है उस पर आपके सामने कुछ शब्द रखूंगा। इसके साथ जो आरोप लगाये गये हैं उनके बारे में कहूंगा कुछ भी कहने के पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी दो तरह की बात कही गयी।

दो तरह की बातें कहीं हमारे माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने। मैं उनका अनुगृहीत हूं। उन्होंने यह एक तरह से स्वीकार किया कि उन्होंने सहयोग दिया, अन्य लोगों ने सहयोग दिया और इस साल भर के सहयोग के कारण कोई ऐसी बात शिक्षा के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल पीस के क्षेत्र में या अन्य दूसरे क्षेत्र में नहीं हुई जो शासन के लिये अपयश का कारण बन सके। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहने का प्रयास किया कि इस तालमेल में जो कार्य करने का अवसर था वह खोया गया। कार्य ठीक ढंग से सम्पादित नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं, मेरे शासन ने, यह कोई नया शासन नहीं है, यह कांग्रेस का शासन है। यह कांग्रेस का शासन इस प्रदेश में सन् 80 से है, जब वह जनता की राय से बहुमत से विजयी होकर आयी थी। उसी शासन की यह तीन साल की कांग्रेस की शासन की अवधि किसी एक व्यक्ति की या मुख्यमंत्री की अवधि नहीं है। यह कांग्रेस के शासन की अवधि है। इस समय में रूल-आफ-ला की बात कहना चाहता हूं। और डेमोक्रेसी की बात कहना चाहता हूं।

सर्वप्रथम डेमोक्रेटिक संस्थाओं को, जिनके संचालन करने से, जिनके क्षेत्र में रहने से पूरे शासन पर प्रभाव पड़ता है, के सम्बन्ध में एक कुप्रथा मान्यवर, आप क्षमा करें, आपकी तरफ से पड़ी। आप एक चुनाव जीते और उस चुनाव को जीतने के बाद आपने प्रदेशों के शासनों को जो आपके विपरीत थे भंग कर दिया था। उसका प्रतिफल यह हुआ कि जब दूसरे लोग भी चुनाव जीते तो उन्होंने उसी प्रक्रिया का पालन किया जो प्रक्रिया आपने प्रारम्भ की थी और इस प्रकार एक तरह से चुने हुए लोगों के प्रति अन्याय आपने प्रारम्भ किया और वह चालू हो गया। यही नहीं अभी हमारे सहयोगी मंत्री श्री लोकपति जी बोल रहे थे उन्होंने कुछ जिक्र किया तो एक हमारे मित्र ने उस तरफ से कहा अपने मुख्य मंत्री से पूछिये, जरूर पूछिये, मैं नहीं तो दूसरा कौन बता सकता है, आपके हालात के बारे में। मुझसे ज्यादा जानकारी आपके बारे में और कौन दे सकता है। आपकी असलियत को जानकर ही मजबूर होकर इधर आना पड़ा। उस वक्त प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी जिला परिषद के अध्यक्षों को भंग करने की। मैं भी उसका भागीदार हूं। मैं भी उस मंत्रिमण्डल का सदस्य था, लेकिन दुख है, पहला प्रहार डेमोक्रेसी पर उस समय आरम्भ हुआ और जिला परिषदों और लोकल बाडीज को भंग करते-करते हमारी आदत यहाँ तक बिगड़ गयी कि प्रदेश के शासन को भंग करना शुरू कर दिया। अब इस शासन ने जबसे यह प्रारम्भ किया, उसके बाद चुनाव कराए। चुनाव की प्रक्रिया हमारे कांग्रेस शासन ने, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रारम्भ की। वह प्रक्रिया आज तक चल रही है और हम हर स्तर पर चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव करा रहे हैं।

मान्यवर, आप यह ध्यान दें। अभी कहा गया कि चुनाव में न जाने कितने ऐसे लोग चुनकर आये हैं जो बहुत खराब किस्म के हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

(श्री श्रीपति मिश्र)

कि इस तरह के चुनाव में किसी दल ने अपना उम्मीद्वार खड़ा नहीं किया। हर दल ने किसी न किसी रूप में किसी दूसरे को समर्थन किया और कांग्रेस दल ने भी समर्थन दिया। आप मानें या न मानें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। हमारा यह ख्याल है कि जिसे हमने समर्थन दिया उसमें ज्यादा लोग जीते ही !

मान्यवर, इसके बावजूद आज, आप यहां कह रहे हैं कि अनेक ऐसे लोग जीतकर आये हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वे इस आधार पर कि खड़े होने के योग्य नहीं थे, इस आधार पर कि उन्होंने जबरदस्ती वोट लिये इस आधार पर कि उन्होंने जबरदस्ती लोगों को मार-पीट कर वोट लिये। क्या आप बता सकते हैं कि जिस चुनाव में आपके 900 लोग थे, वहां कितने प्रतिशत लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, किसने इसके खिलाफ दरख्वास्त लिखकर दी और किसने इसके खिलाफ इलेक्सन पिटीशन दायर किया तथा किसने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं चाहूंगा कि आप जन-प्रतिनिधियों पर इस प्रकार की छींटाकसी न करें, इस प्रकार की आवाज न उठायें। चाहें वे ब्लाक के जन-प्रतिनिधि हों, चाहे इस सदन के प्रति निधि हों या फिर वे दिल्ली के जन-प्रतिनिधि हों। जन प्रतिनिधियों के प्रति ऐसी बात कहना अच्छी बात नहीं है।

मान्यवर, इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं डेमोक्रेसी के प्रति, उसके प्रति हम कितने सद्भावनापूर्ण हैं। यह सदन आज यहां मौजूद है। इस सदन के विधायक हमारे यहां आये थे। उससे पहले एक प्रश्न के उत्तर में हमारे एक माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि हम क्षेत्रीय समितियों में नोमिनेशन नहीं करेंगे। और हमने नहीं किया। उसके बाद नोमिनेशन की फिर बात आयी– 19–19 के नोमिनेशन की बात आयी। महिला के नोमिनेशन की बात आयी। उसमें किसका नोमिनेशन होना था–महिला का, हरिजन का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तथा भूतपूर्व सैनिक का। मगर उसके लिये आपने मेरे यहाँ धरना दिया। आपके बीच सड़क पर बैठकर मैंने आपसे बात-चीत की और कहा कि इस संबंध में मैं आप लोगों से एक हफ्ते के अन्दर बात करूंगा। आप लोग एक तारीख को मेरे से मिले थे और 5 तारीख को मैंने अपने वायदे के अनुसार आपसे बात की। और आपसे कहा था कि यह नोमिनेशन की बात है वह मुनासिब है, किन्तु हो सकता है किन्हीं कारणोंवश इसमें परेशानी आ जाय। मैं आपकी बात पर विचार करूंगा। जन प्रतिनिधियों के चुनाव होने जा रहे हैं उसके बाद मैं फिर आपसे बात-चीत करूंगा।...

यह कहा गया कि दिल्ली से पूछकर या कलकत्ता से पूछकर किया। तो मैंने आपसे यह भी कहा था कि मान्यवर मजबूरी है हमारी ऐसी पार्टी तो है नहीं, न हमारी पार्टी में आप क्षमा करेंगे हर आदमी प्रधानमंत्री के लिये उम्मीदवार है और न छोटी पार्टी है। एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो जब इतनी बड़ी पार्टी है, हमारी मजबूरी है कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम भी हमको अपनी पार्टी के स्तर पर निर्णीत करके करना चाहिए और उसे हमने किया।

हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी को हमने देखा कि जितने हमारे उत्तर प्रदेश के लोग डेमोक्रेटिक हैं, उससे कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक हमारी पार्टी है जिसने कि हमारी

बात को ठीक समझा कि नोमिनेशन की आवश्यकता नहीं है और हमारी बात को सम्मान दिया। आज नोमिनेशन वापस हो गया। आप ज्यादा जीते हैं हम कम जीते हैं, तो अब तो सामने मैदान है, जो चीज होनी होगी, वही होगी। दूसरी वात रुल आफ लॉ की आयी। आप रुल आफ लॉ की बात बताते हैं। जिस दिन यह सरकार आयी है, उसी दिन उसने यह एनाउन्स किया कि जहां मुठभेड़ होगी, मजबूरी हो जायेगी। चाहे डकैत हो या बदमाश, शासन उसका पीछा करेगा उसको खदेरेगा और उससे हिम्मत और साहस के साथ मुकाबला करेगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे कि शासन को यह एहसास हो और कोई फर्जी मुठभेड़ की बात आप करें और उस वक्त से लेकर अब तक ऐसी रिपोर्ट, ऐसा किस्सा नहीं आया और आपने भी कोई मामला ऐसा नहीं उठाया उसके बाद से। एक-आध को छोड़कर कोई मामला नहीं आया। आपने भी नहीं उठाया कि कहीं फर्जी मुठभेड़ हुई है [मेजों की थपथपाहट] और यदि उठाया हो, तो जब मैं अपनी बात कहकर बैठ जाऊं, उस समय आप बता दीजिएगा। जो पहले हुए थे, उस पर कार्यवाही की गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैंने शाहजहांपुर का मामला उठाया था।

श्री श्रीपति मिश्र–

मैंने एक या दो तो कह ही दिया।

[व्यवधान]

इसके बाद घटना की बात कही गयी। 12 करोड़ की आबादी के इस उत्तर प्रदेश में, जो हजारों कि०मी० की लम्बाई में दिल्ली से पटना और छपरा तक फैला हुआ है, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक फैला हुआ है, घटनाएं हुई हैं। लेकिन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी घटनाएं हुई है, तत्काल उस पर ऐक्शन लिया गया है और प्रभावी कदम उठाया गया है। आजमगढ़ के वकीलों की घटना का भी जिक्र किया गया।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वह झगड़ा जो शुरू हुआ था, उसकी जांच हो रही है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि क्या उसका नतीजा निकलेगा। लेकिन, कुछ यह भी इसमें आरोप हैं कि प्राइवेट वस वालों को बंद करने के कारण एक ऐसा षडयंत्र रचा गया कि वकीलों के मामूली झगड़े को इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन, फिर भी उस झगड़े का हल किया गया बार एसोसिएशन इलाहाबाद और वहां की बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया कि शासन ने हमारे झगड़े को हल करने में सहानुभूति दिखलायी और प्रभावी कदम उठाया। [मेजों की थपथपाहट] यह बार एसोसिएशन का प्रस्ताव। श्री लल्लू सिंह के अपहरण का जहां तक सवाल है, मुझे उसके लिये बड़ा दुख है। मैं उनके साथ 10 वर्ष तक काम कर चुका हूँ।

(घोर व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी–

इसीलिए तो अपहरण हुआ है।

श्री श्रीपति मिश्र–

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसीलिए अपहरण हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि कोशिश कीजिए थोड़ा सा सोचने की और थोड़ा सा गम्भीर होने की। आज मेरे सारे साथी

[श्री श्रीपति मिश्र]

आये थे। मैं उनसे मिलने गया। वह फौजदारी के बहुत अच्छे वकील थे। ईश्वर करे कि वे जल्द बरामद हों और सही सलामत लौटें। आज जब उनके साथी मुझसे मिलने आये थे तो एक तरफ से जितने लोग मिलने आये थे, तीनों बार एसोसियेशन के मेम्बर थे, सभी ने कहा कि हम शासन की कारगुजारी से प्रसन्न हैं और पुलिस के कार्य से प्रसन्न हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जितना कुछ कर रहे हैं और जितना कुछ किया गया है, उससे हम संतुष्ट है। उन्होंने यह कहा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं जो गुण्डे और बदमाश हैं, आज हमारे ऊपर जो बीता है, तो हमने यह तय किया है कि शासन सख्त से सख्त कदम यदि उठायेगा तो हम लोग आपसे वादा करते हैं कि वकील समुदाय की तरफ से हम लोग उनका साथ नहीं देंगे, शासन का साथ देंगे। वह यह कहने आये थे।

मोदी मिल की बात आयी। हमारे कुछ नेता कल मिलने भी आये थे। कुछ आज भी बोले। एक यूनियन हिन्द मजदूर संघ की है, एक सीटो की, इनमें से एक भी कांग्रेस का संगठन नहीं है, सारा झगड़ा इन दोनों यूनियनों के बीच में हुआ। झगड़ा किसी के भी बीच में हो, बुरा है, खराब है। उस पर कार्यवाही की गयी और कार्यवाही बराबर की जा रही है। जो लोग इससे सम्बन्धित हैं या जिन्होंने इसमें कार्य किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अब आप बतायें, झगड़े में आप शामिल हों, उस वक्त तत्काल आपने तारीफ की है, बयान आये हैं कि उस मौके पर पुलिस अगर तत्काल नहीं पहुंचती तो अनर्थ हो जाता। अब अगर कोई यह चाहे कि आपसी झगड़े को घुमाकर शासन पर लाद दिया जाय तो इसमें हम कहां सहायक होंगे। जांच हो रही है, जांच होगी, जिसके खिलाफ जायगा, जायगा। जांच में कोई कमी हो तो आप बतायें। कोई कार्यवाही कम हुई हो, तो हम हाजिर हैं, उस बात को पूरा करने के लिए।

आखिर में अभी 2–3 बातें और कही गयीं·····।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मा० मुख्यमंत्री जी के दल के लोगों ने हिन्द मजदूर सभा के लोगों को मारा। मोदी ने अपनी फैक्ट्री बन्द कर दी।

(घोर व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र–

एक सज्जन ने कहा कि टाटा के आदमी हैं, बिड़ला के आदमी हैं, मोदी के आदमी हैं। उनको तो बहुत से लोगों के नाम मालूम होंगे। 'टाटा' तो मैंने लड़कों को करते देखा है.....।

(हंसी)

मैंने वह टाटा नहीं देखा कौन सा टाटा है।

मैं किसी टाटा, बिड़ला और मोदी को नहीं जानता, मैं एक सीधे-सादे किसान के घर का रहने वाला आदमी हूँ। टाटा, बिड़ला की कार्यवाहियों से वही लोग वाकिफ होंगें

जो शहरी बाशिन्दे हैं । मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैंने एक अध्यादेश पास किया, जिससे मोदी का कारखाना बंद हुआ और वह उच्च न्यायालय चले गये, हम वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं इस अध्यादेश को पास हमने ऐसे लोगों की इस प्रकार कार्यवाहियों को करने से वंचित करने के लिए किया, लेकिन कहीं–2 पर मैं रूल आफ ला से मजबूर होता हूँ, वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जहाँ पर कानून और कायदे बीच में आ जाते हैं, वहाँ पर मैं किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती अपनी तरफ से नहीं करना चाहता हूँ लेकिन साथ ही, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ कि बडे लोग बड़ी होशियारी से कानून को अपनी तरफ घुमा लेते हैं, लेकिन इनकी इस प्रकार की होशियारी से रोकने का काम हम और आप ही एक जुट होकर कर सकते हैं और करना पड़ेगा ताकि कानून उनकी तरफ न घूम सके । लेकिन आप याद रक्खों, एक बात अभी हमारे मोहन सिंह जी ने प्राईवेट सेक्टर्स को निगम के सौपने की बात को कहते हुए कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी को अपनी ही बात पर नियंत्रण नहीं है तो मेरी यह मंशा कदापि नहीं थी कि मैं सारे निगमों को प्राईवेट सेक्टर को सौंप दूँगा, यह तो एक खाका था जिस पर यह जरूरी नहीं हैं । कि अमल किया ही जाए ।

दूसरे इन प्राइवेट सेक्टर्स का भी कच्चा चिट्ठा हमने खोला कि जब वह कोई व्यापार लगाते हैं तो कुछ पैसा उनका होता है और कुछ पैसा सरकार का और जब वह अपनी सारी पूंजी को निकाल लेते हैं तो सरकार को सौंप देते हैं । यह बात मैंने उनकी 29 तारीख की मीटिंग में कही थी, जिसमें सभी टाटा बिड़ला मौजूद थे, तभी मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाहता हूं बैकवर्ड एरिया में, उसके लिए जो आवश्यक सुविधाएँ होगी, हमारी ओर से दी जायेंगी और आप लोग इस ओर क्या सुविधाएँ चाहते हैं, तब उनकी ओर से यह कहा गया कि टैलेक्स हों, टेलीफोन हो, अच्छे-खासे रोड हों बिजली और पानी आदि की सुविधा हो तब मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ आपको जमीन दूंगा और जीप रोड, अगर यह सारी सुविधाएँ वहां पर होती तो वह बैक्वर्ड एरिया क्यों कहलाता । इसके अलाबा हमारे पास कोई सुविधा नहीं है । इसके बाद की सारी सुविधाएँ आप उपलब्ध कराइये, खूब डेवलप करिये और अम्पाला के लायक सड़कों को बनाइये; यह आपका काम है । साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि–

जो सिक होने वाली मिलों का तरीका है, इसको भी देख लीजिये । जिस ग्रुप की मिलें चल रही हैं, अगर 9 मिलें चल रही हैं तो उसी ग्रुप की मिलों को चाहिये कि वे सिक मिल को भी संभालें न कि हमारे सिर पर उन्हें फेंक दें । आपने यह बयान समाचार-पत्रों में देखा होगा और पढ़ा भी होगा ।

मान्यवर, इसके बाद दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके बाद कुछ बातें आयी हैं जिसमें एक हमारे मोहन सिंह जी तथा दूसरे ओझा जी ने कहा तो मैं ओझा जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कोई बी० बी चतुर्वेदी का नाम लिया और मेरा रिश्तेदार बताया कि वे मेरे रिश्तेदार हैं और मैंने उनको नियुक्त किया ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

मैं नहीं कहता बल्कि वे ही कहते हैं कि आप उनके रिश्तेदार हैं ।

श्री श्रीपति मिश्र–

अब वे कहते हैं या आप कहते हैं। किसी ने भी कहा होगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

ओझा जी, लोग कहते है कि आप भी इनके रिश्तेदार हैं ?

[हंसी]

श्री श्रीपति मिश्र–

मैं आपको बतला दूं कि यह कुछ सुसंयोग है कि मैं ब्राह्मण तो हूं ही कोई चतुर्वेदी मेरा रिश्तेदार हो भी सकता था परन्तु इसे भगवान की ओर से संयोग ही कहिये कि ओझा जी यह आरोप लगाने वाले थे। शायद इसीलिये बाबा के जमाने से लेकर आज तक मेरा रिश्तेदार कोई चतुर्वेदी है ही नहीं। शुक्ला हैं, मिश्रा हैं, और भी ब्रह्मण हैं परन्तु कोई चतुर्वेदी नहीं है, क्षमा करेंगे आप मेरी बात को। आप खड़े न हों, बैठे। इसके अलावा एक बात मुख्तार अनीस ने कही कि मैं गोरखपुर और देवरिया किसके संरक्षण में जाता हूं और कहाँ खाना खाता हूं यह सब उनको पता है। तो मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि मैं देवरिया नहीं गया हूं, दूसरी जगह पर गया हूं राजीव जी के दौरे के समय। लेकिन देवरिया के बराबर में गया था, देवरिया तो मैं दौरे के समय भी नहीं गया था। दूसरी जगह गोरखपुर है जहाँकि मैं मुख्यमंत्री होने बाद में केवल एक बार गया हूं। और वह भी जब गया हूं एक बार सिसवां गया हूं माननीय यादवेन्द्र सिंह जी के यहाँ गया और एक बार गया हूं 11 बजे देहरादून से चला था, मेरे लड़के की शादी गोरखपुर में हुई है, उसके गौने में में पार्टीसिपेट करने के लिये गया था अपने समधी के यहाँ, जहाँ से गौना लाना था और वहाँ एक घण्टे रुक कर चला आया था।

अब अगर आप हमारे समधी रहें, कृपया यह परम्परा बनाये रहिये कि समधी से विदाई लीजिये, नहीं तो दूसरों से लेनी पड़ेगी। और उनके ही यहां मैंने खाना खाया था। मान्यवर, मैंने और किसी के यहाँ खाना नहीं खाया है, इसे आप जान लीजिये।

एक बार राजेन्द्र सिंह जी ने कुछ इन्जीनियरों की बात कही थी, जो दख्वास्तें दी हैं उन सब की जाँच हो रही है। जैसा आप जानते हैं कि जाँच की एक प्रक्रिया होती है और उसमें देर भी होती है। उसमें सुधार करने की जरूरत है लेकिन उसमें सुधार तब तक नहीं होगा जब तक कानून कायदों में बहुत परिवर्तन न किया जाय ! हम उसको साधारण तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी को दण्ड देना चाहते हैं तो कोर्ट को बचाने के लिए उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। अब मैं लोक आयुक्त की बात कहना चाहता हूँ।

एक सदस्य–

गन्ने की बात रह गयी।

श्री श्रीपति मिश्र–

अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं लोक आयुक्त की बात बाद में कहूँगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि 200 करोड़ या 256 करोड़ रु० किसानों का आपको

देना था आप उसे नहीं दे सके। आपको जितना गन्ना क्रश करना था उतना गन्ना क्रश नहीं कर पाये। और गन्ना फेंका गया। 471 करोड़ रूपया गन्ना किसानों को देना था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। उस 471 करोड़ में से आपका बकाया देना था उस 471 करोड़ का पेमेन्ट कर दिया गया और 45 करोड़ बाकी था और वह 45 करोड़ रूपया का पेमेण्ट होता रहा। 20 करोड़ रूपया बाकी रह गया जब क्रशिंग का नया सेशन शुरू हुआ। 430 करोड़ रूपया और 20 करोड़ रूपया यानी 450 करोड़ रूपये का भुगतान करना था उसमें से 23 जुलाई तक सब भुगतान हो गया केवल 111 करोड़ रूपया बाकी था। इस 111 करोड़ रूपये को देने के लिए हम केन्द्र सरकार के शुक्रगुजार है। 45 करोड़ की मदद केन्द्र सरकार से मिली और उसमें से 26 करोड़ रूपया हमने अदा कर दिया। इस तरह से परचेज टैक्स में 71 करोड़ रूपया 111 करोड़ रूपये में से निकल गया तो लगभग 40 करोड़ की बात रह जाती है। जिसका पेमेन्ट जो चीनी रिजर्व स्टाक में है और 5 लाख से 10 लाख टन एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ गया है इसका कलकुलेशन किया गया है कि 10 करोड़ रूपया और मिलने की आशा है। और इस रूपये से किसानों का पूरा बकाया अदा कर दिया जायगा।

एक सिसवा मिल की बात रह जाती है। यह गोरखपुर में है इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वह मिल पूंजीपति को दे दी गयी है उस पर हमारा रिसीवर बैठा था। पूंजीपति कानून के दायरे में अदालत में चला गया और उसने कहा कि रिसीवर से नुकसान हो रहा है। जहाँ मिल मालिक होता है वह पेमेन्ट करने में गड़बड़ी करता है। हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चले गये है कि इस पर तत्काल फैसला दिया जाय। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का हम पूरा का पूरा पैसा अदा कर देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में किसानों का पेमेन्ट बाकी नहीं रहेगा। कसम खाने को तो नहीं कहता हूँ कि 2 परसेन्ट, 1 परसेन्ट या 10 परसेन्ट बाकी रह जाता है मगर कोई पेमेन्ट बाकी नहीं रहेगा। किसानों को उसी भाव से दाम देंगे।

जैसा कि आपने कहा, मंत्रि मंडल के सदस्यों के बारे में कहना चाहता हूँ। जो पहले कहा था वही आज भी कहना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार को कभी भी न तो महत्व दिया जा सकता है और न ही बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन आप भी राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं और हर राजनीतिक कार्यकर्त्ता की पूंजी उसकी पब्लिक इमेज होती है। जैसे कोई वकील हो या डाक्टर हो उसके चरित्र पर हमला करके उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे कोई सर्जन हो और उसका चरित्र खराब हो यह कहा जाय तो इससे उसके कार्य पर कोई असर नहीं पड़ता। सर्जरी करते वक्त यदि उसका हाथ कांपता हो तब उसका असर उसके कार्य पर पड़ेगा। इसी तरह से यदि एक वकील को यह कहें कि उसकी आदत ठीक नहीं है तो इससे उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है लेकिन यदि वह अदालत में बहस ठीक से नहीं कर पाता तब उसके कार्य पर इसका असर पड़ेगा। इसी तरह से राजनीतिक कार्यकर्त्ता कीं सारी पूंजी उसका चरित्र है जो कि आम पब्लिक के सामने उसकी इमेज होती है। उसके चरित्र पर निगाह रखनी चाहिए, उसका उसे ध्यान रखना चाहिए लेकिन उसका चरित्र खराब है, बिना यह बात साबित हुए उसको नाली में डाल दिया जाय यह ठीक नहीं है। उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। खाली बात-बात पर, अखबारों

[श्री श्रीपति मिश्र]

में खाली हल्के-फुल्के आरोपों पर उसके चरित्र पर हमला करके उसे नाली में नहीं डालना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति का जो चरित्र है उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि उसका आम जनता में कोई भेद नहीं है। वह कांग्रेस दल का है, वह सोशलिस्ट दल का है, वह भारतीय जनता पार्टी का है या लोक दल का है। उसका जनता के सामने कोई भेद नहीं है। जनता के सामने वह एक राजनीतिक आदमी है। यदि किसी राजनीतिक आदमी के ऊपर कोई आरोप आता है तो वह हर राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर आरोप आता है। यदि यह बात आप गलत मानते हैं तो इसका अनुभव आप पब्लिक में जाकर देखिये। यह बात सौ फीसदी सही है।

अब मैं लोक आयुक्त के बारे कहना चाहता हूँ। लोकायुक्त के बारे में समाचार छपे। जब समाचार छपे तो निर्णय के लिये मेरे पास आया। उस निर्णय में जो फाइन्डिंग्स थीं उसमें वह सर्वथा निर्दोष पाये गये। एक दूसरा मेरे पास कागज आया। वह इस बात का था कि मेरे पास एक कम्प्लेंट आयी थी। मैं उसकी जाँच कर रहा हूं, स्पष्टीकरण मांगा गया। मैं उसका अधिकारी हूं इसलिये सीधे-सीधे मेरे पास वह भेज दिया गया। उसमें कोई निर्णय नहीं था और न कोई फैसला था। एक कागज आया था और रुटीन में आया था। उस कागज पर निर्णय लेना न मुनासिब था और न ही कानूनी था तथा न किसी तरह से उचित था। जिन लोगों के खिलाफ जो भी दरख्वास्त आयी है मैं उस सब की जाँच करवा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी के खिलाफ कोई बात साबित हो जाती है तो उसके ऊपर अवश्य कार्यवाही की जायेगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने किसी सहयोगी अथवा किसी विरोधी सदस्य के चरित्र पर आंच आने से पहले सौ बार उसको देखूंगा और तब यह समझूंगा कि कार्यवाही करनी चाहिए तो अवश्य कार्यवाही करूंगा।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि मैं किस तरह से सरकार चला रहा हूं, अच्छी चला रहा हूं बुरी चला रहा हूं इसका आंकलन तो जनता करके बतायेगी। सरकार चाहे जैसी चले लेकिन राजनीतिक आलोचना प्रत्यालोचना का एक स्तर होना चाहिए, उस जगह पर हमें पहुंचना चाहिए, जहाँ पर वह पहले था। हम और आप राजनीतिक विचार धारा को लेकर जिस तरह से भी संग्राम कर लें लेकिन इन छोटी-छोटी बिनौनी बातों से हमें आगे निकलना चाहिए। इसके लिये मैं आशा करता हूं कि हमारी जो ये आकांक्षायें हैं, वे पूरी होंगी और.....

मुझे उमीद है अपने साथियों से कि इस हाउस का स्तर ऐसा उठायेगें, यहाँ के माननीय सदस्य इस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे कि जिससे पूरे भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश की विधान सभा एक आदर्श होगी।

* श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मैंने बड़े ध्यान से माननीय मुख्यमंत्री जी की लम्बी वक्तृता सुनी और जिस आदर्श की बात उन्होंने कही है, मैं कोशिश करुंगा कि उसी तरह की बहस से मैं यह साबित कर दूँ कि यह सरकार अब विश्वास के योग्य नहीं रह गयी है। सारे प्रदेश की जनता इससे आज त्रस्त है। मुझे एक बात से जरा तकलीफ हुई कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पुरानी

जनता पार्टी पर प्रत्यारोप करके अपना दामन बचाने की कोशिश की और जनतंत्र की दुहाई दी। मैं पूछना चाहता हूं जनतंत्र की दुहाई वह लोग दे रहे हैं जिनकी पार्टी में 14 सालों से चुनाव नहीं हुए। जब से श्रीमती इंदिरागांधी आई हैं तब से उनकी पार्टी में चुनाव नहीं हुए। जो अपनी पार्टी में इस बात में विश्वास नहीं करते हैं वे देश की जनता को क्या जनतंत्र देंगे।

श्री अध्यक्ष–

(कतिपय सदस्यों के खड़े होकर आपस में बात करने पर) माननीय सदस्य इस प्रकार खड़े होकर बात न करें।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने ला-एण्ड आर्डर की रखी। मैं पूछना चाहता हूँ दो साल के अगर ला-एण्ड आर्डर ठीक रहा तो जितनी हत्यायें हो रही हैं या डकैतियाँ पड़ रही हैं यह दिन में क्यों पड़ रही हैं। पहले हत्यायें रात में छुपाने के लिए मुश्किल से हुआ करती थी लेकिन अब दिन दहाड़े आदमी गायब किये जा रहे हैं। तो यह क्या है? यह सरकार की साख घटने का कारण है। बदमाशों को भय अब नहीं रह गया है और यह सरकार कह रही है कि हम अच्छे हैं। मुझे एक बात याद आ गयी। रघुवंश में आया है एक अच्छा शासक कैसे काम करता है उसके लिए कालीदास ने कहा है–

अकार्य चिंता समकालमेव प्रादुर्भवति चापधरः पुरस्तात्,
अंतः शरीरेष्वप्रिया प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं विनेता।

इसमें उस नेता की बात कही गयी है। उस विशिष्ट नेता ने गुंडागर्दी को जनता के अंतर्मन से निकाल दिया था क्योंकि जैसे ही कोई आदमी बुरा काम करने की बात सोचता था तो वह नेता धनुषबाण लिये दिखाई पड़ता था और उससे वह आदमी विरक्त हो जाता था। तो जनता के हृदय पर हाथ रख कर देखें कि वह रूल आफ ला कहाँ है। चलती बसें लूटी जा रही हैं, दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, चलती ट्रेनों में डकैतियां पड़ रही हैं, बड़े-बड़े लोगों और मंत्रियों के घरों में पुलिस रहने लगी है क्योंकि आपके जीवन की सुरक्षा नहीं है तो फिर आप किस रूल-आफ-ला की बात कर रहे हैं। इनका रूल आफ ला इतना गिरा है कि बदमाश दिन दहाड़े काम कर रहे हैं।

तीसरी बात उन्होंने की कि उनको जनता का विश्वास प्राप्त है। उनसे मैं दो बातें कहूंगा प्रगति का लेखा कहाँ से आयेगा। वह इस बात से आयेगा कि इस प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता किसान है, 10 प्रतिशत मजदूर हैं। तो जो उनके साधन हैं जो खेती में प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं उन सब से सरकार टैक्स हटा देगी तो वह सस्ते हो जायेंगे।...

चीजें सस्ती हो जायेंगी तो 36 रूपये की यूरिया की बोरी बिकेगी, 15 हजार रूपये का ट्रैक्टर बिकेगा और डीजल 40 पैसे लीटर बिकेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि नेता सदन के बोलने के बाद नेता विरोधी दल बोलते तो बात समझ में आती, यह कैसे बोल रहे हैं?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, इसलिये 70 प्रतिशत किसानों के लिये इस सरकार ने कोई सुविधा नहीं दिया है । यह बहुत दिनों से कहा जा रहा है जब कि मुख्य मंत्री सोशिलिस्ट पार्टी में थे तो उस समय भी कुछ सिद्धान्त बनाये गये थे कि जो किसानों की खेती की चीजें हैं उनका और मिलों में बनायी गयी चीजों का अनुपात तय होना चाहिए । लेकिन आज निगम और मिलों में जो चीजें बनती है उनका 3–4 गुना मूल्य बढ़ रहे हैं जबकि खेती में पैदा खाद्यान्न का मूल्य 90–100 रूपये क्विंटल में बिकना मुश्किल है । इसलिये 70 प्रतिशत किसानों का मन इस सरकार से फिर गया है ।

मान्यवर, अब 10 प्रतिशत मजदूरों का हाल देखें । इनका कहना है और 20 सूत्री कार्यक्रम में भी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तरक्की कर रहे हैं । इनके केन्द्र के मंत्री श्री लस्कर साहब हैं, आंकड़े है जिनको मैं यह बताना चाहता हूं कि 1982 में पूरे वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 3977 मामलों में हरिजनों की हत्या कर दी गयी, आपके राज्य में एक साल में । यह 24 फरवरी 1983 को लोक सभा में उत्तर दिया है । इसके बावजूद कहते हैं कि शासन हमारा बढ़िया है और अनुसूचितजाति की तरक्की कर रहे हैं ।

दूसरा आंकड़ा 23 जनवरी का साम्प्रदायिक दंगों का देना चाहता हूं । कांग्रेस का संगठन मजबूत है और तीन सालों से साम्प्रदायिक दंगों को रोकने की कोशिश हो रही है । जनवरी 1980 से दिसम्बर 1982 तक इन साम्प्रदायिक दंगों में 809 व्यक्ति मारे गये, यह उत्तर लस्कर साहब का है । इसमें उत्तर प्रदेश में 309 व्यक्ति मारे गये । तो जब आप साम्प्रदायिक दंगों को नहीं रोक सके, न हरिजनों की हत्या को रोक सके तो मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस वर्ग का आप दावा कर रहे हैं कि वह हमारे साथ है और हम बहुमत में हैं ।

इस प्रकार किसान और मजदूरों का विश्वास इन पर नहीं रह गया है, रूल-आफ-ला नहीं रह गया है और जितने सरकारी उद्योग हैं उनमें घाटा है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग मुनाफे पर चल रहे हैं । सरकार अपनी हर चीज के दाम बढ़ा रही है जैसे परिवहन निगम ने 40 प्रतिशत वृद्धि किराये में करने का प्रस्ताव रखा जबकि 12 करोड़ का घाटा निगम का है, बिजली में 92 करोड रूपये का घाटा है, सभी जगह घाटा है। इस प्रकार जनता टैक्स से मर रही है । तो आपका शासन चलाने का कैसा तरीका है ।

अब मान्यवर, इनके खिलाफ जो हैं उसके बारे में इनकी पार्टी का ही मैं उद्धरण देना चाहता हूं । इनकी पार्टी का कहना है जिसके बारे में "रविवार" पत्रिका जो 28 से 3 सितम्बर तक की है..... ।

[6 बजे अपरान्ह]

इसमें काशीनाथ मिश्र जी का बयान छपा है, वह उनका टेप-रिकार्डेड बयान है । इस बात का इसमें लेखक का दावा है, इसलिए वह ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह हमने

नहीं कहा है। उसका संक्षिप्त अंश मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लेखक के पहले प्रश्न का उत्तर इस भाँति दिया है – "मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत समर्पित यात्रा तो खामोश रह सकती है, लेकिन सारे उत्तर प्रदेश की प्रगति यात्रा खामोश नहीं हो सकती। यह खामोश यात्रा तो शव की हुआ करती है। शवयात्रा को खामोश यात्रा हमारे हिन्दी साहित्य में कहा गया है। अब आप आगे सुनें, जो एक दूसरे सवाल के उत्तर में श्री मिश्र जी ने कहा है, ...

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में बता दीजिए, आपके पास समय बहुत कम है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

यों यह बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संक्षेप में ही खास-खास बात दो–तीन मिनट में बताए दे रहा हूं वह कहते हैं – इस बीस सूत्री का काम भी आपको बता दूं। अधिकतर कागज पर ही हुआ है। सवाल यह है। कि इसका असर क्या पड़ रहा है। एक सवाल में इसका असर शून्य के बराबर है। आम जनता पर तो यह असर है कि जब से श्रीपति मिश्र की सरकार बनी है, कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। तीसरी बात में श्री काशीनाथ मिश्र जी फिर कहते हैं सिंचाई विभाग के बारे में – 'जब मैं एस्टीमेट कमेटी का चैयरमैन था, तब मैंने विधान सभा में रिपोर्ट पेश की थी कि एक तरफ ट्यूब-वेल की संख्या का बढ़ रही है और दूसरी तरफ सिंचाई का क्षेत्रफल घट रहा है।

यह पिछले दो वर्षों से चल रहा है। तो यह जो तरक्की है यह इन्हीं की पार्टी के आदमियों की ओर से बतायी गयी है। फिर आगे उनसे पूछा गया कि कितने ऐसे विधायक हैं जो आपके साथ हैं अर्थात् जो आपके जैसा सोचते हैं, तो उस प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि 'अस्सी फीस दी हैं, लेकिन उनमें अभी इतना दम नहीं है कि वे खुल कर कह सकें। 'यह इनके दल की रिपोर्ट है, इसमें पूरी बात खुलकर आ गई है। 80 फीसदी का दावा काशीनाथ जी ने किया है। अविश्वास प्रस्ताव वह खुद देते, लेकिन मैंने इसे इसलिए दे दिया है कि उनमें हिम्मत आ जाए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, नेता विरोध पक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ और किन कारणों से विरोध करता हूं, उन्हीं कुछ तथ्यों की और आपके माध्यम से मैं आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले नेता सदन ने कुछ मानकों के अखबार पर अपनी कसौटी कसी जाने की बात कही थी, मुझे प्रसन्नता होती कि हमारे वरिष्ठ नेतागण जो सम्मानित सदन में मौजूद हैं, उन्हीं मानकों के आधार पर इस सरकार के प्रति अविश्वास की बात कहते। यदि वह ऐसा करते तो कुछ ऊंचाई के साथ सच्चाई उभड़ कर सामने आती। लेकिन आज हमने यह नोट किया कि नया गठबन्धन शुरू हुआ और आज से ही उसका असर शुरू हो गया है और तत्काल उस दिशा में उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया। इसी पर शेर है:–"कल जिन्हें बैठने का सलीका न था। अब वह महफिल से हम को उठाने लगे।" इससे उनका उतावलापन सामने आ गया कि कैसे इस सरकार को बदनाम करें, इसकी प्रतिष्ठा कैसा जनमानस पर स्थापित करें। और कैसे इस सरकार को बदनाम करके अपनी मंशा को पूरा करें, जो सत्ता को येन केन प्रकारेण

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी]

हथियाने का उनका मूल ध्येय है। इसी संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि विरोध पक्ष ने कुछ दिन पहले यहाँ शासन किया था और जब उनको यह याद दिलाया जाता है तो उनको बड़ी तिलमिलाहट होती है और वह हमसे कहते हैं कि आप हमारी गल्तियों के कारण अपनी गल्तियों को न छिपाएं।

जब किसी चीज की आलोचना होगी, तो एक पक्ष में एक बात होगी, दूसरे में दूसरी बात होगी। एक में विरोध पक्ष के लोग होंगे और दूसरे में सत्ता पक्ष के लोग होंगे।

सत्ता पक्ष के लोग जिन्होंने 1980 में शासन प्राप्त किया विरासत में क्या मिला था। आपने कैसी कानून व्यवस्था हमें दिया। 26 सूत्रिवद्ध खूँखार डकैत जिस कानून व्यवस्था की आप चर्चा करते है, जिस कानून व्यवस्था के बारे में अनेकों तरह की आप बातें करते हैं, माननीय वर्मा जी ने कहा कि शासन ऐसा होना चाहिये कि अपराधी के मन में धनुष बाण लिये हुये राजा की मूर्ति दिखाई पड़े। शासन को कठोर होना चाहिये। लेकिन जब शासन कठोरता करता है तो प्रकारान्तर में अपराधियों की वकालत शुरू हो जाती है।

मान्यवर, आपको याद होगा इसी सदन में जब छविराम के आत्मसमर्पण की चर्चा आयी तो लोगों ने शोर मचाया और जब छविराम का इन्काउन्टर हुआ और वह मारा गया तो दूसरी तरह की बातें कही गयीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि समय कम है इसलिए 3–4 मुद्दों पर ही इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित कर सकूंगा। पहली चीज यह है कि सीमित संशाधन जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास हैं क्या विरोध पक्ष ने कभी यह भी भूमिका अदा करने का प्रयास किया है कि संशाधनों को बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार की आप कुछ मदद करते। अगर कहीं पर कर लगाये गये तो आप का आंदोलन शुरू हो गया। आपने मांग की कि सड़क बन जाय या फैक्ट्री बन जाय लेकिन संशाधन कहां से आयें। अगर करों से संशाधन इकट्ठे करने की बात होती है तो विरोध पक्ष आंदोलन शुरू कर देता है।

आपने भ्रष्टाचार के संबंध में बहुत सी वातें कहीं। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह से एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते-कहते कहीं ऐसा न हो जाय कि पूरे वातावरण में, जनता में पूरी राजनीति के प्रति एक प्रकार का दुर्भाव, एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हो जाय जिससे कि पूरे का पूरा प्रजातंत्र शिकार हो जाय। विरोध पक्ष के पास भ्रष्टाचार का अगर कोई समुचित प्रमाण हो तो प्रस्तुत करे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है लेकिन कहीं सुनी बात के आधार पर बार-बार उसी की चर्चा करेंगे तो पूरा का पूरा वातावरण विषाक्त होगा जिससे आज का जो इतिहास लिखा जायगा, जिस इतिहास की चर्चा अभी ओझा जी ने की, भीखा लाल जी ने की, उसमें यह भी लिखा जायेगा कि आपने ऐसे मुद्दे उठाकर देश के जनमानस के भाव को विषाक्त किया था जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। प्रदेश का शासन तभी अच्छा होगा जब पूरे के पूरे प्रदेश में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। बाधा उत्पन्न करने के लिए आंदोलन होते हैं। आँदोलन नहीं हुए तो इसके माने यह है कि शासन अच्छा चल रहा है।

विद्यार्थियों की हड़ताल नहीं हुई इसको मोहन सिंह जी ने कहा। मजदूरों की हड़ताल नहीं हुई इसको दूसरे नेताओं ने कहा। किसानों की स्थिति भी दूसरे प्रांतों के मुकाबले ज्यादा संतोषजनक रही। मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से कहा है। बकाये की रकम की ज्यादा धनराशि अदा कर दी गयी है जिससे किसानों को राहत मिली है। गेहूं के मूल्य की बात आयी कि जो गेहूं का सपोर्ट मूल्य है वह कम है। मैं कहना चाहता हूं कि 151 रुपये मूल्य जरूर कम है लेकिन वह तो तब के लिए है जब उसका गेहूं कहीं न बिके। जब कहीं न बिके तो सरकार उसको सपोर्ट मूल्य देकर सहारा देती है। आपने जो सहारा मूल्य दिया था उससे ज्यादा कांग्रेस शासन से सहारा मूल्य दिया इस पर आपको गुरेज नहीं होना चाहिए था। आपको दिल से तारीफ करनी चाहिए।

मान्यवर एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूँगा मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम माननीय इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में चल रहा है उसकी प्रगति को देखकर ये लोग दुखी हैं। इस बात से दुखी हैं कि प्रकारान्तर में उसका लाभ जनता के साथ कांग्रेस को मिल रहा है। मान्यवर, माननीय मोहन सिंह ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार एक घिनौना इशारा कर दिया। उनको अधिकारियों की पोस्टिंग में जातिवाद का भाव दिखायी पड़ा। मैं ऐसे लोगों के बारे में क्या कहूं जिनकी नाक को हमेशा जातिवाद की गंध आती है। यह अपने अर्न्तमन से सारी दुनियाँ को देखते हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि वह अपनी नाक का इलाज करावें जिसको कि हमेशा जातिवाद की गंध आती है और अपनी आँख पर लगे हुए चश्में को वह बदल दें जो जातीय दृष्टिकोण से हर चीज को देखता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री खैरुल बशर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विरोधी दलों के अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं अविश्वास का प्रस्ताव जो आया है उसके पक्ष में अपनी बातों को रखना चाहता हूं। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी की बात का उत्तर दे दूं कि उनकी पार्टी के अन्दर जनतन्त्र है, उनकी पार्टी जनतंत्र का नमूना है। हमारे सारे हिन्दुस्तान में चुनाव की पद्धति है। लेकिन इनकी पार्टी में जैसे पहले राजाओं के औलाद नहीं होती थी और वह गोद लेते थे उसी तरह से इनकी पार्टी में अध्यक्ष मनोनीत होता है। चुनाव नहीं होता है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके पहले एक मुख्यमंत्री थे वह इस्तीफा देकर चले गये, हार मान गये। उसके बाद नेता का चुनाव हुआ। इन विधायकों को नेता चुनना होता तो श्रीपति मिश्र जी नेता न चुने जाते उनका बहुमत नहीं था। लेकिन आपका चुनाव तो दिल्ली दरबार से हुआ है। यह इस बात का सबूत है कि आपकी पार्टी में जनतंत्र नहीं है।

श्रीपति मिश्र ने कहा कि पूंजीपतियों से हम मुकदमा हार जाते है और टाटा बिड़ला का नाम ज्यादा जबान पर नहीं लाना चाहिये। छी-छी नहीं कहा। आपको इस बात को जानकर शर्म आनी चाहिये आपने ऐसे कानून बनाये हैं कि सरकार हारती है और टाटा बिड़ला जीतते हैं। यह टाटा बिड़ला की सरकार है। यह पूँजीपतियों की सरकार है। इसलिये श्रीमन् इस सरकार से क्या आशा कर सकते हैं। किसानों की बात यह कहते हैं। हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं और वह किसान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश

[श्री खैरुल बशर]

में इस साल सूखे के बाद इस सरकार ने कोई सहायता नहीं किया। पिछले साल सूखे के बाद इस सरकार ने 15 रुपये प्रति हास पावर से बढ़ाकर साढ़े 22 रुपया किया और प्रतिबन्ध यह लगा दिया कि 3 हार्सपावर का कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। बिजली का रेट बढ़ाने हेतु यह सरकार तैयार है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो सूखा है सरकार उस पर मौन है और वसूली जारी है। इससे ज्यादा किसान विरोधी नीति किसी सरकार की और क्या हो सकती है।

मैं मजदूरों की बात कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि हड़ताल नहीं होती सरकार को शर्म और लज्जा होती तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाती आज तालाबन्दी हो रही है तालाबन्दी के समाचार आते हैं कितने मैनडेज का लास हो गया। जे० के० रियन कानपुर में तालाबन्दी हो गई, मैंने लेबर मिनिस्टर को सुझाव दिया एक महीना हो गया वह देख रहे हैं क्या देख रहे हैं पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार की किसान विरोधी और मजदूर विरोधी यह सरकार छात्रों की बात करती है। अगर आपके पास दिल और दिमाग है तो आप देखें बनारस के अन्दर 10 लाख की आबादी छात्रों के पक्ष में थी और पूरा बनारस बन्द रहा। सरकार को लज्जा और शर्म है तो त्यागपत्र दे देना चाहिये। आप शिक्षा की बात करते हैं। अफसोस है कि फीस तो आप पूरी लेते है लेकिन पढ़ाई आधी होती है। 4 घंटे पढ़ाई होती है। और 4 घंटे लड़के बाहर रहते है।

मान्यवर, मऊनाथ भंजन की आबादी 25 हजार थी अब सवा लाख की आबादी हो गयी है। वहां पर एक विद्यालय था इस सरकार ने वहां पर मास्टर नहीं दिया। शिक्षित आबादी बढ़ रही है और शिक्षक घट रहा है.....,

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री खैरूल बशर–

मान्यवर, मैं जो अविश्वास का प्रस्ताव किया गया है उसका समर्थन करता हूं आज इस प्रदेश के लोग हैं इस प्रदेश की जो जनता है वह दाने-दाने के लिए तरस रही है। ऐसी हालत में आपकी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)

मैं अविश्वास के प्रस्ताव का घोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह प्रस्ताव देखने में जितना छोटा लगता है इसमें बाद में जो मसाला भरा गया है वह बेबुनियादी है। मान्यवर, एक जनतंत्रीय परम्परा का निर्वाह करना मात्र है। मान्यवर, मैं देख रहा था कि कई दिनों कानूनी छीछालेदर के बाद विरोध पक्ष यह प्रस्ताव को लाने में सफल हुआ। मान्यवर, मैंने देखा है अविश्वास प्रस्ताव रखने की परम्परा है, जो यह नाममात्र के लिए पूरा कर रहे है। उसमें जो इनका दायित्व है उसको नहीं देख रहे हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालना और काम करने वालों के काम को नकार जाना कोई बहादुरी नहीं है। मान्यवर, गत दिनों मैंने अखबारों में देखा कि सरकार की उन्होंने कटु आलोचना की। लेकिन यह मानी हुई बात है कि उत्तर प्रदेश में डेढ़ दो साल से प्राय: शान्ति है। मान्यवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री श्रीपति मिश्र की

सरकार को इन्होंने खुद जस्टीफाई किया है कि सरकार ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कानून व्यवस्था कायम रखी है और इतने बड़े प्रदेश में कोई छुटपुट घटना होना साधारण बात है ।

आप देखिए प्रदेश में जो एक साल पहले भयंकर स्थिति थी वह अब शान्त है । जो कुछ दिनों पहले भयानक स्थिति थी वह आज कानून व्यवस्था की स्थिति अखबार से आँकड़ों से देखने से मालूम पड़ती है । जहाँ तक विकास का सवाल है श्रीमती इन्दिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जितना पैसा जिलों को दे दिया गया उनकी खर्च की शिकायत सहायता न कर पाने की शिकायत की है लेकिन मांग की शिकायत नहीं है । जो 10–15 लाख रु. विभाग से मिला इसी से संतुष्ट हो गये ।

उनको और मांग करनी चाहिए । माँग न करके शिकायत यह हुई कि अभी खर्च नहीं हुआ है । इस स्थिति में यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपने अल्प काल में जो हर मोर्चे पर आज बेहतरीन शालीनता से कार्य किया है उसमें यह गुंजाइश नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन का समय बर्बाद किया जाय । लेकिन चूँकि लोकतांत्रिक परम्परा है, इसलिए यह मंजूर है । दूसरी बात यह है कि माननीय मोहन सिंह जी ने बुलन्द आवाज में कुछ बातें कहीं । मान्यवर मैंने 4–5 सालों की हरिजन कमेटी में मैंने देखा है । उस हरिजन कमेटी में उसके माध्यम से आंकड़े आए थे कि कितने जिलाधिकारी, कितने डी. आई. जी. या कितने एस. पी. नियुक्त किये गये थे, यह उन आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है । मोहन सिंह जी उन आँकड़ों को दुबारा देख लें । इसे सदन में कहने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह स्वस्थ परम्परा नहीं है । इस तरह की बातें कहना हो तो मैं 50 बातें बता सकता हूं ।

सदन में इस तरह की बातें करना बहुत गलत है । वैसे उन्होंने जो बातें कहीं, बाद में एप्वाइन्टमेंट सेक्रेटरी के यहां से पिछले 5 साल के आंकड़े देख लें तो उनकी स्वयं बात साफ हो जायगी । कोई बात बार बार कहने से उसका महत्व बढ़ नहीं जाता है । जहां तक पब्लिसिटी प्रोपेगन्डा का सवाल है, शासन में कुछ कमी है, तो वह कमियां तो होती ही हैं । लेकिन आप इनमें जो कमियाँ देखते हैं तो उसमें आपका राजनीतिक स्वार्थ होता है । तो लोकतांत्रिक परम्परा को पूरा करने के लिए अगर वक्त वक्त पर कभी कभी ये कोई बात कहते हैं तो इन हालात में मान्यवर, मैं इनके डेढ़ लाइन के इस अविश्वास प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत–

मा. अध्यक्ष मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अत्यन्त महत्व के विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । मा. नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि केवल ऐसी बातें कहूं जिससे कि कांग्रेस दल के लोगों में कोई उत्तेजना न उत्पन्न हो और मैं यह आशा करूंगा कि कांग्रेस के लोग उन बातों पर विचार करेंगे और संभव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

[श्री थम्मन सिंह गहलौत]

हो तो उनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे । कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुधार दी गयी है, ऐसा दावा मा. मुख्यमत्री जी ने किया है । मैं उनके ही दल के बारे में बात बताना चाहता हूं । अभी यहां समाचार पत्रों के बारे में कोट दिया गया था, जिसके कारण उत्तेजना उत्पन्न हुई थी । मैं जिलाधिकारी से व्यक्तिगत जानकारी की बात जो रिकार्ड में है के सम्बन्ध में बात कहना चाहता हूं ।

जिला बिजनौर के कांग्रेस विधायक श्री रामरती जो हरिजन हैं को उनके क्षेत्र के थानेदार से उनकी जान का खतरा है, ऐसा उनका कहना है । अभी पिछले दिनों एक गुण्डे ने रिपोर्ट लिखाई कि श्री रामरती ने मेरे खेत के यूकिलप्टिस के पेड़ उखाड़ फेके हैं । मान्यवर, क्या एक विधायक ऐसी हरकत कर सकता है । क्या विधायक खेत में यूक्लिप्टिस के पेड़ उखाड़ने जायगा । यदि जिलाधिकारी ने संरक्षण न दिया होता तो नजीबाबाद का थानेदार की योजना थी कि श्री रतीराम का डकैती में चालान करे । श्री रामरती ने मेरे सामने जिलाधिकारी, बिजनौर से यह बात कही । तो यह आपके कानून व्यवस्था की स्थिति है ।

वे आपके ही दल के हैं । जब आप अपने ही दल के लोगों को नहीं बचा पा रहे है तो विरोधी पार्टी के लोगों को क्या बचा पायेगें । जैसे कि मुझे पता चला है, यदि वह गलत बात है तो आप उसका खण्डन कर सकते हैं । कल ही कांग्रेस की मीटिंग में सहारनपुर के एक विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि मेरे क्षेत्र के तीन व्यक्तियों के पीछे वहां का थानेदार लगा हुआ है। वह उनकी हत्या कराना चाहता है । मैंने इस संबंध में एस. पी. साहब को भी लिखा, किन्तु उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया । उसके बाद मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया, किन्तु आपने (मुख्यमंत्री) भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, नतीजा यह हुआ कि उन तीन लोगों की हत्या कर दी गई है । जब आप मामले को जानने के बाद भी लोगों की जान-माल की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक है ।

मैं, नाम लेना नहीं चाहता, वैसे भी व्यक्तिगन जानकारी यहां नहीं आनी चाहिए । एक पुराने कांग्रेस के ही विधायक ने, जो कैबनेट रैक के मंत्री भी रह चुके हैं। 4 महीने पहले उन्होंने आपके सामने एक कर्मचारी की समस्या आपके सामने रखी थी कि उस आदमी की नौकरी जाने वाली है । उसके बाद वह विधायक आपसे तीन महीने बाद मिले तो मालूम चला कि वह फाइल आई ही नहीं है । उसके बाद आपने कह दिया कि मैंने उस पर नोट लिख दिया है कि फाइल को शीघ्र प्रस्तुत किया जाय । मैं उस पर विचार करुँगा ।.....

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया है । कृपया आप बैठें । क्योंकि आप 6.10 बजे से बोल रहे हैं ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत-

मान्यवर, अभी तक मुझे केवल 2 मिनट हुए हैं मुझे 5 मिनट का समय और दिया जाय । यदि आप 5 मिनट का समय नहीं दे पाते हैं तो 2 मिनट का समय और दे दिया जाय ताकि मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं । मान्यवर, आर्थिक दृष्टि की बात यहां पर

कही गयी। जिला योजना के बारे में कहा गया। मान्यवर, मैं जिला बिजनौर के बारे में कहूंगा। वहां पर आपकी ही सरकार ने 1980 में 24 ट्यूववेल्स बनाये थे, किन्तु इस साल वहां पर केवल एक ट्यूववेल्ल बनाने की स्वीकृति दी गई है।

दूसरा, जिला योजना के अन्तर्गत, हम सभी ने, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे तथा मंत्री भी थे, हमने 150 किलोमीटर सड़क बनाने की बात तय की थी, किन्तु उसे घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है, यह आपकी प्रगति का नमूना है।

तीसरा, आपका जो यह गन्ना विकास विभाग है पूर्वी क्षेत्र में, इसका हेड्क्वार्टर गोरखपुर में है, जिसमें डिप्टी केन कमीशनर की मृत्यु 7 महीने पहले हो चुकी है तब से वहाँ पर दूसरा डिप्टी केन कमीशनर भी नियुक्त नहीं किया गया है। डी० सी० ओ० के पास वहां का चार्ज था, उनका भी रिटायरमेंट हो गया है। अब यह पता नहीं चलता कि सरकार वहां पर इस विभाग को कैसे चला रही है। आज तक न तो वहां पर डिप्टी केन कमीशनर की नियुक्ति नहीं हो पाई और न ही जिला गन्ना विकास अधिकारी की ही नियुक्ति हो पाई। आखिर उनकी नियुक्ति वहां पर क्यों नहीं हो पाई इसे जरा वे बता दें। इस विभाग के एक ऐसे मंत्री बना दिये गये है जो किसी भी काम के नहीं है। 11 साल हो गये हैं गन्ना परिषदें भंग हैं, उनका चुनाव आप नहीं करा पाये। यदि आपसे हम पूछते हैं कि आप चुनाव वहां पर क्यों नहीं करा रहे है तो आप कहते है कि जो संचालक आते है वे भ्रष्ट होते है।....

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप बैठें।

***श्री दयाल कृष्ण–**

मान्यवर, आपने मुझे अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह अविश्वास का प्रस्ताव जो इस सरकार के विरुद्ध रखा गया है इससे एक बात साफ हो गई कि इस सरकार के सम्पूर्ण कार्यकलाप इस सदन के समक्ष तथा माननीय सदस्यों के समक्ष आ गये। सरकार ने लोकतांत्रिक परम्पराओं को मजबूत किया है। 10–11 साल से इस प्रदेश में जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए थे।.....

इस सरकार के नेतृत्व में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया और यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

श्री मुख्तार अनीस–

यह सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, कोई नयी बात कहिये।

***श्री दयाल कृष्ण–**

हमारे विरोधी दल के साथियों ने जो बातें कही हैं मैं यह समझता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को आप अगर प्रेस कॉंफ्रेंस में या प्रेस रूम में रखते तो ज्यादा अच्छा होता आपकी बातें अच्छी तरह से किसी अखबार में या मेगजीन में छपती। मेरे ख्याल से आप में से किसी ने कोई नयी बात नहीं रखी, कोई तथ्य ऐसा नहीं रखा, जिसके ऊपर विचार किया जा सकता। इतना समय सदन का ले लिया गया। सरकार के कार्यकलापों के विरूद्ध भी कोई ऐसी बात नहीं कही गयी, जिसका कि उत्तर देने की आवश्यकता शासन द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री दयाल कृष्ण]

होती । मात्र औपचारिकता वश आपने यह प्रस्ताव रखा है । जैसा कि बार-बार कहा जा चुका है कि यह जो नया गठबन्धन हुआ है, इसी के परिपेक्ष्य में यह प्रस्ताव रखा गया है । लेकिन, कोई एक भी ऐसी बात नहीं रखी, जिसका कि मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को उत्तर देने की आवश्यकता पड़ती ।

दूसरी बात यह है कि लोक आयुक्त की रिपोर्ट के बाबत अखबार, मैगजीनों में जो बात आयी थी और उसके हवाले से जो बातें यहाँ पर कही गयी थी उसमें आज यहाँ यह बात साफ हो गयी कि मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध लोक आयुक्त द्वारा कोई बात नहीं रखी गयी है और न ही किसी तरह की कोई सिफारिश की गयी है [मेजों की थपथपाहट] मैं अपने साथियों से जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आज हमारी विकेन्द्रीकरण योजना गांव-गांव में ब्लाक-ब्लाक में चल रही है और वहीं दूसरी तरफ आज हमारे प्रदेश के अधिकांश भाग बाढ़ की विभिषिका से त्रस्त हैं उस तरफ आपका ज्यादा ध्यान जाना चाहिए । लेकिन, मुझे मालूम है कि जहाँ किसी योजना या योजना के क्रियान्वयन का सवाल आता है, वहाँ आप लोग साथ नहीं देते । आज विरोध पक्ष को भी इतना अवसर मिला है कि अपने एक-एक ब्लाक का मानक के हिसाब से विकास कर सकते हैं । लेकिन, आज विकास के अंदर आपको रुचि नहीं है । आपको विघटन के अंदर रूचि है । कोई भी जन असंतोष उत्पन्न होता है, किसी नगर में या कहीं पर चाहे वह किसी प्रकार से विद्यार्थियों से संबंधित हो, किसी प्रकार की हड़ताल से सम्बन्धित हो, आप उसको भड़काना चाहते हैं और उससे आप लाभ उठाना चाहते हैं । आप नैतिक लाभ हर चीज में चाहते है । आप इस बात की जिम्मेदारी कभी महसूस नहीं करते है कि शासन को सहयोग करने की आपकी भी भूमिका हो सकती है । हम लोगों में राजनीतिक मतभेद हो सकते है, हमारी नीति में मतभेद हो सकते हैं, नीतियों के कार्यान्वयन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा और प्रदेश की सेवा के लिये हम एकजुट हो सकते है, जिसके लिये हम सब जिम्मेदार हैं, हम लोग भी चुनकर आये हैं, आप भी चुनकर आये हैं । शासक दल के ऊपर जितना उत्तरदायित्व है उसी तरह से आपका भी शासन के प्रति कुछ उत्तरदायित्व बनता है । (इस समय 6 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हुकुम सिंह पीठासीन हुए ।)

इन्हीं शब्दों के साथ विरोध पक्ष की ओर से लाये गये अविश्वास प्रस्ताव की घोर निन्दा करता हूं और यह कह सकता हूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, यह बिल्कुल गलत लाया गया है ।

श्री फखरे आलम –

माननीय अधिष्ठता महोदय ! मैं अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलने के लिये इसलिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि कोई व्यक्तिगत आलोचना करुं । मैं इसलिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करूं । मैं इसलिये भी नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं कोई ऐसी बात कहूं जिससे उत्तेजना पैदा हो । मैं कई घण्टे से दोनों तरफ की बातों को सुन रहा हूं । अविश्वास के प्रस्ताव पर जो कुछ कहा गया, मैंने गौर से सुना । माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को भी मैंने गौर से सुना । उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि इन्तजाम सही हो रहा है ।

वह इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चल रहा है। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि लां एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी है। अगर आपका कोई मातहत, आपके नीचे कोई काम करने वाला, आपकी ब्यूरोक्रेसी का आदमी अगर गलत काम करता है तो जिम्मेदारी किस पर होगी। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्मचारी ठीक तरह से काम नहीं करता है, अपनी ड्यूटी को सही तरह से अंजाम नहीं देता है, तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी ही होगी। आप उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि–

तू इधर–उधर की न बात कर,
ये बता कि काफिला क्यूँ लुटा।
मुझे राहजन से गरज नहीं तेरी राहबरी का सवाल है।

अगर लॉ-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है तो जिम्मेदारी आप पर है।

मेरे जिले बदायूं में दो पुलिस कांस्टेबिल्स का मर्डर इस तरह से किया गया कि उनको दोपहर में पकड़ा गया और घसीटते हुए लाकर रास्ते में नदी पड़ी उसमें डुबाते हुए, मारते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले पर लाये। एक कांस्टेबिल मर गया, दूसरे की मौत सुबह को हो गयी। उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिन्होंने यह हरकतें कीं। मैं मा० मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह एडमिनिस्ट्रेशन की लॉ-एण्ड-आर्डर की जब यह हालत हो जायगी तो जो लॉ-एण्ड–आर्डर के कस्टोडियन हैं जब वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कौन सुरक्षित रहेगा। बहुत बात कही गयी लल्लू सिंह, एडवोकेट के किडनेपिंग की। मा० मुख्यमंत्री जी ने सेण्टीमेण्टल होकर यह बात कही कि उनको इस बात से दिलचस्पी है कि किडनैपर्स का पता लगाया जाय और उन्हें बरामद किया जाय।

जब उत्तर प्रदेश के हैडक्वार्टर पर सुबह 6 बजे एक सीनियर एडवोकेट को किडनैप किया जा सकता है तो कल को किसी मन्त्री को भी किडनैप किया जा सकता है, विधायक को भी किडनैप किया जा सकता है, कोई भी चलता फिरता, आदमी पकड़ा जा सकता है। आपको इस बात का एश्योरेंस देना चाहिये कि आइन्दा इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। इसलिये कि कोई शुबहा आपके ऊपर नहीं होना चाहिये। अगर आप इन्तजाम सही तरीके से करना चाहते हैं तो पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा कण्ट्रोल करना पड़ेगा। अगर कुशलता है और यह दिखाना चाहते है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही है और अगर आप इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लॉ-एण्ड-आर्डर को मैण्टेन कर सकते हैं, तो कल सुबह तक इस बात का आप पुनः इंतजाम कर दीजिए कि लल्लू सिंह यादव मिल गये, इस बात का कल सुबह तक एलान कर दीजिए तभी आपकी कुशलता का पता चल सकता है और अगर कल सुबह तक नहीं मिल सकते तो यह आपकी सारी मिशीनरी फेल समझी जायेगी और इसके फेल होने की बहुत बड़ी वजह भी है क्योंकि इस मशीनरी के सारे पुर्जे इधर से उधर हो गये हैं और जो सबसे बड़ी मशीनरी आप की हो सकती है वह जुडिशियरी है और जुडिशियरी के सारे पुर्जे कमजोर हैं, यह आज किसी तरह से मुतमईन नहीं है अगर इस वक्त इसकी ओर नहीं देखा गया तो आगे चलकर इसके नजायज बहुत खराब होंगे, अगर जुडिशियरी उस स्तर पर पहुंच गयी जहां पर पहुंचने के लिए हम सब डर रहे हैं, अगर वहां पहुंच गयी तो।

हम सब की जिंदगी, हम सब की प्रापर्टी सेफ नहीं रहेगी। जुडिशियरी के एक जज की तनख्वाह ए०डी०एम० के बराबर भी नहीं है और न ही उसे इन लोगों की तरह कोई सुविधा सवारी आदि की प्राप्त है हमने देखा है कि हमारे यहां के एक जज रिक्शा पर अपने आफिस आते जाते हैं, उनके पास आज तक कोई सवारी का इंतजाम नहीं हो सका है क्योंकि वह एक ईमानदार जज है, इसलिए इनका ख्याल करना और मुतमईन करना बहुत जरूरी है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जब बहुगुणा जी का मंत्रित्वकाल था तो उस वक्त 22 हजार उर्दू टीचर्स के एप्वाइंटमेंट्स के आदेश हुए थे, जिसमें से अभी तक केवल 8 हजार उर्दू टीचर्स ही एप्वाइंट किये गये हैं, बाकी अभी तक नहीं किये जा सके हैं, इसके क्या कारण हैं, इसका एक कारण सबसे बड़ा यह है कि मा० शिक्षा मंत्री स्वयं उर्दू की घोर विरोधी हैं, यह नहीं चाहती कि उर्दू यहां फले-फूले, इसीलिए अब तक इनके समय में इन टीचर्स के एप्वाइंटमेंट नहीं हो सके। [शोर]

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

उर्दू अध्यापकों का स्थायीकरण मेरे ही जमाने में हुआ है, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

[तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शोर]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाये रक्खें।

[शोर]

श्री फखरे आलम–

यह एक ऐसी शिक्षा मंत्री हैं जिनके खिलाफ आज तक हजारों आरोप हैं, अगर इन्हें वास्तव में एक परसेंट भी उर्दू से लगाव होता तो अब कोई वजह नहीं है कि यह टीचर्स एप्वाइंट न हो गये होते, न इतने होते तो कम से कम 22 हजार के तिहाई या आधे टीचर्स तो एप्वाइंट हो ही जाते।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी–

[व्यवधान] मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं, मेरे चैलेंज को स्वीकार किया जाए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीया मंत्री जी, आप कृपा करके सुनें, बोलें नहीं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

ये इस तरह से बात कर रहे हैं तो क्या मैं चुप बैठी रहूंगी? हम भी चैलेन्ज करना जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया मंत्री जी बीच में न बोलें। जब एक सदस्य बोल रहे हैं आप कृपया बीच में न टोकें।

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, यह तो जवाब क्या देंगी। इनके कारनामों की तो आलम को भी खबर होगी। ये उर्दू की घोर विरोधी हैं।

बहुत पछताओगी जब एक आलम को खबर होगी, अभी तो शिकवये जौखवफा मेरी जुवां तक है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह बिलकुल गलत बात हैं। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं।

(व्यवधान)

इनका जो यह आरोप है इसको ये सिद्ध करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय फखरे आलम, कृपया आप बैठें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मुझको महिला समझकर ये इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं एक महिला हूं परन्तु इनकी हर बात का जवाब दे सकती हूं। यह अपना आरोप सिद्ध करें, यदि सिद्ध हो जाय तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय फखरे आलम, आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त।

× × ×

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे है, यह लिखा नहीं जायेगा। आपका समय समाप्त हो गया, आप कृपया बैठें। और आप लोग शान्ति ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

ये महिला विरोधी हैं, इनके ऊपर हमारा यह चैलेन्ज है।

(व्यवधान)

*श्री धरमपाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अविश्वास की चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया। मैं कहूंगा कि विरोधी दल की यह नीति पुरानी थी, महत्वाकांक्षा की।

नोट [× × ×] यह अंश मा० अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री धरमपाल]

इनके नेता चौधरी चरण सिंह की प्रधान मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी। मान्यवर, मैं क्या-क्या इस विरोधी दल के बारे में कहूं जो तीन वर्ष तक सत्ता में आने के बाद संघर्ष करता रहा परन्तु फिर भी उसे बचा नहीं सका। आज इसने देखा कि प्रदेश की जनता में, प्रदेश के इतिहास में साल भर से कोई आंदोलन नहीं हुए तो इनके सामने समस्या आ गई, इनके नेताओं को आभास हुआ कि इनका नाम लुप्त हुआ जा रहा है, अखबारों में इनके नाम की सुर्खियां आना बन्द हो गयी। अब इनको चिन्ता हुई कि अखबारों में कम से कम इनका नाम तो छपे तो इसलिए ये अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आ गये हैं। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और लोकदल की कोर्टशिप चल रही है। यह कोर्टशिप की कोई नयी बात नहीं है। इसी सदन में नाना देशमुख के समय से यह चली थी 1977 में इसने शेप ले लिया और यह गठबन्धन मेरिट पर हो गया और जिसमें उनकी सरकार चली गयी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

तभी आप इधर से उधर चले गये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अग्निहोत्री जी, आप बैठे, उन्हें बोलने दीजिये।

श्री धरमपाल–

अभी फखरे आलम साहेब ने उर्दू–की बात कही परन्तु वे यह भूल गये कि इसी लखनऊ की दीवारों पर क्या-क्या लिखा गया था। ऐसी विचारधारा के लोग जो उर्दू के पीछे पड़े हुए हैं वह आपके ही बगलगीर हैं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है :–

जिस समय उर्दू का माहौल बन रहा था और उत्तर प्रदेश की सरकार उर्दू को दूसरी जुबान बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने जा रही थी, तो यह उस समय चुप रहे, इसमें इनकी साजिश थी और साम्प्रदायिकता की आग फैला दिया और दीवारों पर जगह-जगह लिख दिया हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान उर्दू जाये पाकिस्तान। आज जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है वह लोकदल, बी. के. डी. के गठबंधन के द्वारा लाया गया है और उसमें फखरे आलम जी ने हिस्सा लिया। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि उर्दू तुर्की और मुगलों की भाषा है। अटल विहारी बाजपेयी ने कहा कि उर्दू विदेशी भाषा है। हेमवती नन्दन बहुगुणा ने कहा कि उर्दू सीरी जुवां है। इसको सरकारी इमदाद की जरूरत नहीं है। यह सभी लोग उर्दू के विरोधी हैं और आज यहां पर ड्रामा कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय धरमपाल जी आप बैठें। ओझा जी का व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय सदस्य ने दो आक्षेप लगाये है, एक तो उन्होंने कहा कि दीवारों पर उर्दू विरोधी नारे लिखाने में विरोधी दल का हाथ है और दूसरी बात इन्होंने यह कही कि लोक दल के साथ गठबंधन किया है। इस पर मेरी घोर आपत्ति है।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपा करके बैठें ।

श्री धरमपाल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नफरत की बुनियाद पर 1948 में पाकिस्तान बना । और उसी नफरत के बीज विरोधी पक्ष के लोग आज बो रहे हैं । साम्प्रदायिकता की आग फैलायी जा रहीं है, जिसमें आर०एस०एस० का हाथ है । मान्यवर, विश्व हिन्दी परिषद के नाम पर इनको 5 करोड़ रुपया मिला है, यह देश के अखबारों में छपा है । इसकी जाँच होनी चाहिए । यह साजिश कर रहे हैं । यह साम्प्रदायिक दंगे करा रहे हैं, चाहे वह अलीगढ़ का दंगा हो या दूसरी जगह का दंगा हो । बिहार में जो जमशेदपुर में दंगा हुआ उसकी जाँच से यह सिद्ध होता है कि उस में आर.एस.एस. का हाथ था । यह लोग मुसलमानों के कभी - कभी हिमायती बन जाते हैं । अफगानिस्तान में जो रूसी सेनाये हैं उनके बारे में यह कहते है कि हटाया जाये, क्योंकि यही चीज अमेरिका कहता है, लेकिन जिस समय इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करता है, फिलिस्तीन को बर्बाद करता है, लेबनान पर हमला करता है, तो यह किसके इशारे पर होता है । यह सब अमेरिका के इशारे पर होता है और इस के बारे में यह लोग कुछ नहीं बोलते हैं । अपनी जबान दबाये हुए हैं, क्यों कि उसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य भारत की विदेश नीति पर अपना भाषण दे रहे हैं अथवा अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ।

श्री धरमपाल–

इनकी सरकार के जमाने में गाय की चर्बी का इम्पोर्ट किया गया, उसके लिए लाइसेंस दिया गया, लेकिन यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं । मान्यवर, दक्षिण में 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने एक गठबन्धन बनाया और इन्होंने उसको समर्थन दिया है । यह लोग अपने को राष्ट्रवादी नेता कहते हैं और यह कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है । मान्यवर, यह इतिहास बताता है कि पाकिस्तान में बनने वाली हर गोली का शिकार भारतीय फौजें और भारतीय नागरिक हुआ है । इनकी सारी पालिसी अमेरिका की पालिसी है और वह उन्हीं के इशारे पर चलता है । जिस समय जुलफिकार अली भुट्टो को फाँसी दी गयी, उस समय यह चुप रहे क्योंकि सी०आई०ए० चाहता था कि भुट्टो को फांसी दे दी जाये ।

तब आप कहाँ थे । जुल्फीकार अली भुट्टो को फाँसी के तख्ते पर चढ़ाया गया । ये किसानों और मजदूरों के हमदर्द है ।... (व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो आप भाषण कर रहे हैं मैं आपकी नमकहलाली की बात पर यह आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी गाय या सुअर के नाम पर सन् 80 में चुनाव जीतकर आये थे ?

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री धरमपाल–

छोटे-छोटे कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में आपने कहा कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया,जो नहीं होना चाहिए था। एक ओर तो आप मंहगाई का रोना रोते हैं कि मंहगाई बढ़ गई उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय, बेकारों को भत्ता दिया जाय । दूसरी ओर राजस्व का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा सेल्स टैक्स है, उसको माफ करने के लिये बातें कहते हैं । अविश्वास का प्रस्ताव तो आप महज इसलिये लाये हैं कि अखबारों में, सुर्खियों में आपका नाम चमक आये । इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता विरोधी दल द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस अविश्वास के प्रस्ताव पर जब से चर्चा चली, संयोग से उस तरफ से बोलने वाले लोगों ने अधिकांशत: इस बात की टिप्पणी की कि लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एलायन्स हो गया है, इसकी चर्चा की गई । मान्यवर, यह बात सही है । आज इस देश में श्रीमती इन्दिरा गांधी की गलत नीतियों के कारण हमारा देश जो विनाश के कगार पर खड़ा हो गया उसके लिये यह आवश्यक समझा गया.... [व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो आप चुनाव जीतकर आते हैं वह प्रतिपक्ष में जो वोटों का बटवारा होता है उसका आप लाभ उठाते रहे हैं... [व्यवधान]

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

यहाँ तो सरकार श्रीपति मिश्र की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस वोटों के बंटवारे को रोकने के लिये हिन्दुस्तान की राजनीतिक में एक नये सूर्य का उदय हुआ है, जिसका पहला लक्षण है कि लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर आपकी गलत नीतियों को चुनौती देने के लिए खड़ी हुई हैं जिससे आप में खलबली मची हुई है... [व्यवधान] । मान्यवर, अगर आप शांति से सुनते तो आर्ग्युमेंट देता । हमारे ऊपर महात्मा गाँधी की हत्या का आरोप लगाया गया ।... [व्यवधान] ।

मैं उदाहरण दूँगा कि आपने गाँधी जी के सिद्धान्तों की ही हत्या कर दी । आपको यह गठवन्धन अच्छा नहीं लग रहा है । बात सही है । जिस समय सूर्य का उदय होता है, उसके प्रकाश से चोर, उचक्के, उल्लू, चमगादड़ जो होते हैं, भाग जाते हैं उन्हें अच्छा नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

लगता । इसीलिये इस सूर्योदय का प्रकाश आपको अच्छा नहीं लग रहा है और यही बात है कि इस आदरणीय सदन में इस गठबन्धन को इस नजर से देखा जा रहा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ओर तो आपकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी यह आवाज लगाती हैं कि हम प्रतिपक्ष को सशक्त देखना चाहते है यह जनतंत्र की बहबूदी के लिए और जनतंत्र की रक्षा के लिये बहुत आवश्यक है। और दूसरी ओर जब प्रतिपक्ष मिलन की स्थिति में आ रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है, मैं यह जानना चाहता हूं । मैं दूसरी बात रखना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें । शांत रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आर०एस०एस० के सम्बन्ध की बात आपको बहुत दफे बतायी गयी । भगवान ने आपको बुद्धि नहीं दी है । समझने के लिये बुद्धि होनी चाहिए ।... [व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता– (7 बजे अपरान्ह)

(श्री चेतराम गंगवार के खड़े होने पर) माननीय चेतराम गंगवार जी आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना सेंटीमेंटल भाषण दिया जिसे मैंने बड़े ध्यान से सुना [व्यवधान] माननीय मुख्यमंत्री जी ने रूल आफ ला की बात कही । मुझे बात अच्छी लगी, मैं बाकजाल की बात नहीं करना चाहता हूं केवल दो उदाहरण रूल-आफ-ला के बारे में, उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं । रूल-आफ-ला क्या है जहां तक मैं समझ पाया हूं उसका मतलब है कि कानून का शासन चले, कानून की नजरों में सब बराबर हैं, उसमें सब को एक नजरिये से देखा जाता है । [व्यवधान] आज सुबह जब बृजेन्द्र सिंह का मामला आया उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने खड़े हो कर कहा कि यह जरूरी था । जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो उसके अनुसार मैंने निर्णय किया । आपने निर्णय गलत किया हो या सही लेकिन निर्णय तुरंत किया यह सही है, लेकिन वह निर्णय अपने दल के पक्ष में किया ।

काशी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री श्री महेन्द्र सिंह के ऊपर तीन वर्ष पूर्व प्राणघातक हमला किया गया और उस व्यक्ति पर 307 का मुकदमा चल रहा था । लेकिन जजमेंट के पहले ही आपकी सरकार ने आपके हस्ताक्षरों से वह मुकदमा वापस ले लिया । आप पत्रावली देख लें, क्या यह सही नहीं है कि डी०जी०सी० की रिपोर्ट मांगी गयी और डी०जी०सी० ने कहा कि हम मुकदमा जीत रहे हैं केवल निर्णय के लिए डेट लगी हुई है । तो उसके बाद भी सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया तो यह किस रूल–आफ–ला की बात है ।

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि विकास कार्यों के लिए किसी क्षेत्र का निर्धारण उसके पिछड़ेपन को देख कर होता है या वहां के व्यक्ति विशेष को देख कर होता है । मैं चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली ही ऐसे क्षेत्र रह गये हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं पिछले तीन वित्तीय वर्षों से हमारे यहाँ एक भी नलकूप नहीं दिया गया है । माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं । वर्ल्ड बैंक की ओर से 20 नलकूप वहां के लिए दिये गये हैं वह राम रतन सिंह जी के क्षेत्र में लगेंगे । इसका

क्या औचित्य है ? और उसके लिए जिला नियोजन का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया । यह आपका कौन सा अधिकार है ।

मीनापुर में वहाँ के सी०एम०ओ० तो आपकी राजनीतिक प्रताड़ना के कारण भगवान को प्यारे हो गये । जनता पार्टी के समय मेरे क्षेत्र में जो मुसलमानों का इलाका है, जिसका मुझे फक्र है, अभी धर्मपाल जी कुछ बोल रहे थे, तो जहाँ से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, उस क्षेत्र में एक भी हिन्दू वोटर नहीं है, उस मुस्लिम आबादी से मैं बहुमत से जीत कर आया हूं । वहाँ के लिए एक डिसपेंसरी स्वीकृति हुई थी । वहाँ पर एक डिसपेंसरी खोलनी थी, उसके खिए कोई बिल्डिग नहीं मिल रही थी, संयोग से म्युनिसिपल बोर्ड की दो दुकानें जिलाधिकारी से बात करके मिल गयीं जब तीन महीने तक डिसपेंसरी नहीं खुली तो मै जिलाधिकारी के पास गया । उन्होंने कहा इसमें जल्दी कराया जायेगा । उन दूकानों की सफाई भी हो गयी, क्या कारण है । लेकिन एक दिन जब मैं हास्पिटल गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आज दिन में 12 बजे उद्घाटन है । मैंने कहा अच्छा मुझे मालूम नहीं । मैं यहाँ का एम०एल०ए० हूं मुझे मालूम नहीं। [व्यवधान] आप कहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक से उद्घाटन कराया जायेगा--

लेकिन वहां पर तय हुआ कि संसद सदस्या, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी उद्घाटन करेंगी और उनको 12 बजे दिन में जाना था ।

[व्यवधान]

श्री सुन्दर सिंह–

एक व्यवस्था का सवाल है [व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें और बिना मेरी अनुमति के बोलेंगे तो वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । आप लोग बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझसे भी जनता ने उद्घाटन में पहुचने का अनुरोध किया था तो मैंने कहा था कि मैं भी पहुंचूगा । लेकिन अफसोस है कि मैं वहाँ का विधायक हूं, किन्तु मुझे सूचना नहीं दी गयी मुझे जानकारी मिली कि 12 बजे एस. पी. के वहाँ एक मीटिंग थी जिससे श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को जाने में देरी हुई और मैं भी नहीं पहुंचा । परिणामस्वरूप जनता को दवाईयाँ बांटना शुरू कर दिया गया । उसके बाद श्रीमती बाजपेयी वहाँ पहुंची जिनको यह चीज अच्छी नहीं लगी । अतः उन्होंने सी. एम. ओ. को डांटा और धमकी दिया कि ट्रान्सफर कर दिया जायेगा । दूसरे दिन ही उनका ट्रान्सफर कर दिया गया । वह लखनऊ आये और बताया कि संसद सदस्या मुझसे नाराज हैं। वह हार्ट के मरीज थे जो इस चीज को बरदाश्त नहीं कर सके और जिससे उनकी मृत्य हो गयी। इसी तरह इनका दूसरे दलों के साथ मतभेद है जिसको मैं बताना चाहता हूं ।

मान्यवर' यहां पर ला -एन्ड आर्डर की बात की गयी, जिसको सभी ने कहा । मैं इसके आंकड़े देना चाहता हूं जिससे साबित होगा कि ला-एन्ड-आर्डर की हालत दिन प्रति दिन बद से बदतर हो रही है । गृह पुलिस अनुभाग–3 से आंकड़े मिले हैं जिससे साफ है कि पिछले 7 महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत हत्याओं की संख्या बढ़ी है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अविसवास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आरोप लगाता हूं कि सरकार रुल-आफ-ला की धज्जिया उड़ा रही है ।

हरिजन एवं संमाज कल्याण राज्यमंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

मान्यवर, कांग्रेस शासन के तीन वर्ष हो गये, तीन वर्षों में अविश्वास का प्रस्ताव यह नहीं ला पाये और जनता ने ही अविश्वास का प्रस्ताव इनके खिलाफ पास कर दिया जिससे जो यह अलग-अलग बैठते थे वह न होकर अब इनका गठबंधन हुआ है जिस पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने प्रकाश डाला । इस गठबंधन की बात यह है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की पार्टी वहाँ तक है जहां बिजली और रोशनी है और विरोधी दल के नेता की पार्टी वहाँ है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है । और यह अंधेरा और यह बिजली दोनों एक साथ अब मिल रही हैं । मान्यवर, अभी एक मा० सदस्य ने कहा था कि नेकर और धोती का मिलन हुआ है लेकिन मुझे लग रहा है कि धोती गायब हो जायेगी और नेकर रह जायेगा ।

मान्यवर, मैंने नेता विरोधी दल का भाषण सुना तो मुझे लगा कि या तो आपको इतिहास आपका अपना नहीं मालूम कि लोकायुक्त की रिपोर्ट आयी है उस पर केवल विवाद करते, इसलिये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिन परम्पराओं को आपने जन्म दिया है, वह प्रजातंत्र के लिये घातक होंगी।

आपने कमीशन की फाइंडिंग होने के बाद, कमीशन ने जिन लोगों के बारे में कहा था कि इनका सामाजिक और राजनैतिक जीवन दूषित रहा है और इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों को आपने अपने कैबिनेट में मन्त्री बनाया है ।

× × ×

यह मैं कमीशन की बात कर रहा हूं, जो कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, उन्हें मैं आपको बता रहा हूं···

श्री मुख्तार अनीस–

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । बीजू पटनायक साहब इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में आप जो कह रहे हैं···

[व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता–

आप इनको बोलने दीजिए ।

श्री गुलाब सेहरा–

कमीशन की फाइंडिंग्स के सम्बन्ध में ही मैं उनका नाम ले रहा हूं । आप से ज्यादा मैं संसदीय परम्पराओं और प्रणाली के बारे में जानना चाहता हूं । [व्यवधान]

(इस समय 7 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिए ।

श्री मुख्तार अनीस–

श्री बीजू पटनायक के सम्बन्ध में अभी कुछ बातें कही गयी हैं और उन्होंने कहा कि उन पर जो ठीक कमीशन बैठा था, उसकी रपट से वह सन्दर्भ दे रहे हैं । आपने उस रपट

नोट :–(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

[श्री मुख्तार अनीस]

से तो कुछ पढ़ा नहीं है, वह केवल अपनी जानकारी से कह रहे हैं और वह सम्बन्धित व्यक्ति पटनायक जी अपनी सफाई देने के लिए यहां मौजूद नहीं, इसलिए इस समय यहां उनका नाम लेने का कितना औचित्य है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें, आप लोग बैठें ।

श्री गुलाब सेहरा–

मैं मुख्तार अनीस जी को एक बात बता दूँ, जिनके खिलाफ फाइंडिंग्स होती हैं ।

'व्यवधान–(घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य सर्वश्री जनार्दन प्रसाद ओझा और रामगोविन्द कुछ बोलते रहे ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

जिनके खिलाफ शाह कमीशन की रिपोर्ट है . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ओझा जी और रामगोविन्द जी, आप लोग बैठिए । (सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों से एक साथ बोलते रहे ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है यदि किसी सम्मानित सदस्य के विरुद्ध, जो यहां नहीं है, यहां पर इस तरह सैक्रेटर एसीनेशन की बात कही गयी है तो यह आदरणीय सदन की गरिमा के विरुद्ध है (व्यवधान), हिम्मत हो तो आप सुनें । (व्यवधान) आप यह हम पर हमला करेंगे हमारे नेताओं पर हमला करेंगे जो यहाँ आज नहीं हैं । यह सदन इस तरह मे नहीं चलेगा। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिए । मैं इसको देख लूंगा । यदि ऐसी कोई चीज है जो नियम के विरुद्ध है, यह नहीं होना चाहिए । अब आप बैठिए (व्यवधान), अब आप बैठिये, मैंने निर्णय दे दिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

फिर नहीं, अभी आप देख लीजिए । सदन की परम्पराओं को काबू में किया जाए.

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह असंसदीय है, इसको वापस लें ।

श्री हरदेव–

नाच न जाने आंगन टेढ़ा यही इनका सवाल है ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह परंपरा है कि जो व्यक्ति इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं है। उनके बारे में कोई बात आप कहेंगे, वह संदर्भ कहीं से लेकर कहें लेकिन सदन में वह बात आ गयी। (शोर)

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

माननीय सेहरा साहब जब तक अपने आक्षेप को वापस नहीं लेंगे तब तक यह सदन नहीं चलेगा।

एक सदस्य–

आप लोग रोज-रोज क्यों श्रीमती गांधी का नाम लेते हैं। क्यों भूल जाते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन में आकर अपनी सफाई नहीं दे सकता उनके बारे में लांछन लगाना अनुचित है। मेरा निवेदन है कि आप इसको कार्यवाही से निकाल दीजिए। आप कार्यवाही को अभी देखकर निकाल दें। एलीगेशंस लगाये हैं। किसी कमीशन का रेफरेंस दिया गया है, माननीय बीजू पटनायक जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनके बारे में सदन में नहीं कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निवेदन किया कि मैं कार्यवाही देख लूंगा और उसमें निर्णय दे दूंगा। मैंने रूलिंग दे दी है। आप मुझको मौका दीजिए।

श्री गुलाब सेहरा–

अध्यक्ष जी, मैं आपसे इस मामले में जरूर व्यवस्था चाहूंगा। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। जो कमीशन की फाइंडिंग्स हैं जिन व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, मैंने उस संदर्भ को केवल कहा है। मैंने किसी सम्मानित मेंबर के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। जो फाइंडिंग्स हैं उनका मैंने जिक्र किया है।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, तो मेरा कहना यह था जनता पार्टी के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह और श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त जी से कि जिन लोगों के खिलाफ कमीशन ने फांइडिंग्स दी हैं, जिनके भविष्य पर कमीशन ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और जिनको सामाजिक वातावरण और राजनीतिक जीवन से संयास ले लेना चाहिए था उनको आपने कैबिनेट मंत्री बनाया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी नियमावली में व्यवस्था है कि जो विचाराधीन विषय होगा उसी के परिवेश में भाषण होगा। माननीय गुलाब सेहरा जी ने कमीशन के बारे में कहा। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस कमीशन की बात कह रहे हैं और उसका उत्तर प्रदेश सरकार से क्या संदर्भ है। यदि कोई संदर्भ है तब तो उसकी

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

फाइंडिंग्स को कह सकते हैं वह सगत होगा अन्यथा वह संगत नहीं होगा । आप उनसे पूछ लें मैं चाहूंगा कि इसको आप कार्यवाही मे निकाल दें । आपने एक व्यवस्था दी कि मैं देख लूंगा यदि असंगत होगा तो निकाल दिया जायगा । माननीय मेहरा जी उसी बात को फिर पेश कर रहे हैं । अगर कमीशन उत्तर प्रदेश मे संबंधित है तो आपत्ति नहीं है लेकिन अगर इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उसकी फाइंडिंग्स यहां मे सम्बन्धित नहीं हैं तो यहां कहना असंगत है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने सारी बातें कह दीं । अगर किसी कमीशन की रिपोर्ट है तो उसको लेकर, गुलाब सेहरा जी उसकी रिपोर्ट लेकर आये हैं, रिपोर्ट उनके पास मौजूद है या नहीं ? आप संदर्भ देकर किसी पार्टी के नेता जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं उनको आप बदनाम नहीं कर सकते हैं । जो उन्होंने अपने भाषण में बीजू पटनायक का उदाहरण दिया है उसको कार्यवाही से निकालने का आदेश दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निवेदन किया कि मैं कार्यवाही को देख लूंगा और जो असंगत बात होगी उस पर निर्णय ले लूंगा । आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे नियम से सम्बन्धित हो उसी पर ध्यान आकर्षित करें ।

श्री गुलाब सेहरा–

खाली अखबारों के आधार पर चरित्र हत्या करने का जो प्रयास विरोधी पक्ष ने किया है यह इनके लिए भी घातक है और राजनीतिक जीवन में रहने वालों के लिए भी दुखद है ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर व्यापारियों पर.....

श्री गुलाब सेहरा– × × ×

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

अगर आप बोलने नहीं देंगे । तो आप भी नहीं बोल पायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं कार्यवाही स्थगित कर दूं ।

(व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

माननीय गुलाब सेहरा जी धमकी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लूंगा अगर धमकी दिया है तो....

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा–

गुलाब सेहरा धमकी दे रहे और कह रहे हैं कि किसी को बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा कि मैं इसको देख लूंगा।

श्री गुलाब सेहरा–

हरिजन को वोट नहीं डालने देते तो यहां....

श्री यदुनाथ सिंह–

व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए खड़े हुए।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लूंगा। यह मेरा काम है। हर व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो कैसे काम चलेगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

सदन में एक उंगली पर हाथ रखे खड़े रहे।

श्री अध्यक्ष–

श्री यदुनाथ सिंह आप बैठें।

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन् मुझे संरक्षण दें। हरिजनों को यह वोट नहीं डालने देते और हमें बोलने भी नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यदुनाथ सिंह आप बैठे।

श्री यदुनाथ सिंह–

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। पहले मैं निवेदन करूंगा कि जिस वातावरण में विचार हो रहा था उस वातावरण में हमको विचार करना चाहिए। कई घंटे समाप्त कर दिए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा अभिप्राय सदन के सभी मा० सदस्यों से है कृपया बैठिए ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं इस तरीके से आप सदन में बोल नहीं सकते ? यह एक धमकी है और इस तरीके से कैसे सदन की कार्यवाही चलेगी ?

श्री गुलाब सेहरा–

अध्यक्ष जी मैं उस कटु सत्य को इस माननीय सदन में लाना चाहता था आप लोग तो सुनना ही नहीं चाहते थे ।

मा० श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी धमकी दे रहे हैं । मान्यवर यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर यह धमकी है तो मैं उन शब्दों को निकाल दूंगा । आप लोग बैठें । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

आप सभी लोग बैठिए ।

श्री गुलाब सेहरा–

मान्यवर यह जो अविश्वास प्रस्ताव है, इस पर मुझे ऐसा लगा कि कोई बुनियादी बात विरोध पक्ष ने नहीं कही. मैं अगर इसका मुकाबला करने लग जाऊं तो मैं कहता हूं कि आप में अगर सुनने का सब्र हो तो मैं कहता हूं कि आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा । आपके लीडर ने जनता पार्टी में अपने टोटल रिश्तेदारों को मंत्रियों को चेयरमैन बना दिया और जनता का कल्याण कर रहे हैं । या अपने परिवारों का कल्याण कर रहे हैं ।

[व्यवधान]

कोई चेयरमैन हो गया कोई मंत्री हो गया मैं गारन्टी के साथ कहता हूं यह गलत हो तो मैं चैलेंज करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए ।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, मैं इनके यहां रिश्तेदारों के नाम गिना दूं । राजीव गांधी, संजय गांधी···

*श्री अकबाल हुसैन–

मैं आपका आभारी हूं मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं अभी मा० नेता सदन जो भाषण कर रहे थे मान्यवर, तो मैंने उनकी बातों को बहुत गौर से सुना । उन्होंने कई बार अपने भाषण में प्रजातन्त्र के मूल्यों की कही । आपने जो चुनाव कराया क्षेत्र समिति का उसका बड़ा बखान किया । उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

क्षेत्र समितियों का चुनाव पहले आपने किया। जो सहकारी समिति ने नामांकन किया था उस नामांकन के द्वारा प्रत्येक विकास खंड में। मान्यवर, हमारे बच्चा पाठक मौजूद हैं। मान्यवर, उन्होंने हर विकास क्षेत्र में 4 से 5 सदस्यों का नामांकन किया मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें कैसे किसको नामांकन किया गया।

आपने किस तरह से वोट प्राप्त किये और किस तरह से हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी ने 31 मई को जब चुनाव समाप्त हुए तो बड़ा बखान किया कि सत्ता में हो गये, 700 से ज्यादा प्रमुख चुने गये। मान्यवर पंचपुरवा में 15 अप्रैल को बच्चा पाठक जी गये थे और मान्यवर तुलसीपुर में सहायक निबंधक को कमरे में बन्द करके ऐसे लोगों का नामांकन कराया जिसके ऊपर 409,420 और 467 के मुकदमें दर्ज थे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सहकारिता मंत्री मौजूद हैं इस बात का खण्डन नहीं कर सकते हैं। उन्हें कार्यक्रम बदल कर गोरखपुर जाना पड़ा। वे तुलसीपुर आए, बन्द कमरे में असिस्टेंट रजिस्ट्रार से ये नामांकन करवाए। मैंने विधान सभा में प्रश्न किया तो उत्तर हां में था। इन्होंने जो समितियों के बकायेदार थे उनको पुनः नामांकित कर दिया। ऐसे लोगों से वोट प्राप्त करके, जो 420 के अपराधी हैं ऐसे लोगों को नामांकित करके पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को फैलाया और इस तरह से नामांकन करके क्षेत्र समितियों पर कब्जा किया। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर दिया उसमें भी यह नहीं कहा है कि बकायेदार नहीं हैं।

आप सहकारिता मंत्री हैं। आपके पास अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण बदल नहीं सके हैं। आपने स्वीकार किया है कि जिस तारीख को तुलसीपुर में नामांकन कराया गया उस तारीख को वे समितियों के बकायेदार थे। ऐसे भ्रष्ट आदमी को आपने नामांकित करके चुनाव में जिता दिया। इस तरह आपने कानून की स्थिति को मजबूत नहीं किया है। मान्यवर, दूसरी बात मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात है। वहां की नीति तय की गयी है कि उनके कुछ खण्ड सड़क बनवाएंगे और कुछ खण्ड भवन बनवाएंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गोण्डा जनपद में, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके अन्दर प्रशासनिक कमियां हैं जो मैं सदन में उजागर करना हूं। आपने नीति अपनायी कुछ खण्डों के अधिशासी अभियन्ता सड़क का निर्माण कार्य और कुछ अधिशासी अभियन्ता भवन निर्माण करेंगे। गोण्डा जनपद में आपने भवन निर्माण कार्य डी० सी० ओ० को दिया था, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग में मान्यवर इस वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल से भवन निर्माण का कार्य बिलकुल ठप पड़ा है। अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। डी० सी० ओ० अस्थायी निर्माण खण्ड में पिछले साल किसी को सड़क का ठेका दे दिया। यह आपके विभाग की बात है।

मान्यवर, यह एक उदाहरण है जिसके द्वारा प्रशासन पूरी तरह पंगु हो चुका है। मान्यवर, इसके साथ भूमि आवंटन की बात है, 20 सूत्री कार्यक्रम की बात है। आप कहते हैं कि गोण्डा जनपद में बलरामपुर तहसील में केसरी विधान सभा क्षेत्र है। मा० राजस्व मंत्री श्री बैजनाथ कुरील है। पिछले तीन वर्षों से इस बात का प्रयास करते चले आ रहे हैं, सैकड़ों बीघा भूमि पर लोग खेती कर रहे हैं, हरिजनों को आवंटित भूमि उन्हें नहीं दी जाती। मान्यवर, मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि गोण्डा जनपद की बलरामपुर तह-

[श्री अकबाल हुसैन]

मील के केसरी विधान सभा क्षेत्र में हरिजनों को कब्जा नहीं दिलवाया गया। बीस सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं। हरिजन कल्याण की बात करते हैं, केवल धोखा है। गोण्डा जनपद में बहराइच जनपद में सरजू परियोजना है। मा० सिचाई मंत्री जी आपने सेंक्शन किया 300 करोड़ रुपया। यह योजना सन् 88 में पूरी हो जानी थी, किन्तु सन् 81 तक आपने खर्च नहीं किया इसलिये लगभग 400 करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन अभी सन् 88 में भी पांच साल बाकी हैं।

70 करोड़ रुपए बहराइच खण्ड को दिया है और एक करोड़ रुपए आपने गोण्डा को दिया है। इस तरह से आप कहते हैं कि हम कुछ क्षेत्रों को सिचाई सुविधा पहुंचा रहे हैं। मैं, माननीय सिचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार एक करोड़ व 70 करोड़ देकर आप दोनों जनपदों में असमानता की खाई पैदा कर रहे हैं। यदि आपकी यही स्थिति रही तो आप 1995 तक भी इस सरयू परियोजना को पूरा नहीं कर पायेंगे। मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि आप पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात के कारण ही आप उन जनपदों को, जिनमें कांग्रेस के विधायक हैं, या फिर जो कांग्रेस में शामिल हो गये हैं, उनको सुविधायें उपलब्ध करवा रहे हैं। फैजाबाद और गोण्डा में जहाँ विपक्ष के लोग हैं, उनके साथ आप यह साजिश कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हैं।

जहाँ तक कानून-व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी से हमारा अवध बार एसोसिएशन तथा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लोग मिले हैं। आज जब मैं हजरत गंज से आ रहा था तो देखा कि हमारे ही कुछ भाई जी. पी. ओ. पर एक बहुत बड़ा जलूस लिये हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कानून व्यवस्था से बिलकुल भी सन्तुष्ट नहीं हैं। मान्यवर, हमारे अवध बार एसोसिएशन ने भी कानून-व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है इन्हीं शब्दों के साथ में अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सिचाई मंत्री जी यदि आप कुछ कहना चाहें तो कहें। इसके बाद 10 मिनट के लिए माननीय नेता विरोधी दल को समय दिया जाता है। जो 5-6 मिनट का समय रह जाता है यदि नेता सदन कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे। उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू की जायेगी।

*उद्योग एवं सिंचाई मंत्री [श्री वीर बहादुर सिंह]

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद कुछ तो बोलने के लिए नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ प्रश्न किये हैं, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि उन्हें उनका जवाब दे दूं।

मान्यवर, आप जानते ही हैं कि जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी, उसमें पहले भी मंत्री था मैं। हमने तमाम प्रोजेक्ट बनाये चाहे वह सिंचाई का प्रोजेक्ट रहा हो, पावर का प्रोजेक्ट रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट रहा है या फिर बड़े-बड़े उद्योग धन्धे लगाने का प्रोजेक्ट रहा हो, जिनकी हमने नीव भी डाल दी थी, उन्हें जनता पार्टी की सरकार ने बिलकुल बन्द करा दिया। हम चाहते थे कि हमारा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

आज हमारी अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। हमने सिंचाई के क्षेत्र में 50 परसेंट लोगों को सिंचाई की सुविधा मुहैया करा दिया है और 50 परसेंट को हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि हम सम्पूर्ण रूप मे खेती पर ही नहीं चल सकते हैं। इसके लिए उद्योग धन्धों की आवश्यकता जरूर है। हमारे यहां जितनी बिजली है, उसी हिसाब से हम उद्योग धन्धों को लगा रहे हैं। आप देखें कि यह सरकार बनने के बाद, छठी पंचवर्षीय योजना में 5000 मेघावाट बिजली पैदा करने की योजना है। इसमें आप देख रहे होंगे कि हम बड़े-बड़े उद्योग धन्धे लगाने जा रहे हैं, बड़े-बड़े सेन्टर्स सेक्टर्स लगाने जा रहे हैं ताकि हमारा उत्पादन बढ़े।

आज औद्योगीकरण के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है। किन्तु ढाई वर्ष के जनता शासन ने हमें 10 साल पीछे कर दिया है। नहीं तो आज हम काफी आगे होते।....

मान्यवर, दो तीन बातें और कहना चाहूंगा। अब गठबंधन की बात कही गयी है। आपने देखा कि जनता पार्टी की सरकार कई प्रदेशों में और नेशनल लेविल पर रही, लेकिन वह टूट गयी। आज चाहे अकाली दल हो या मद्रास की अन्ना द्रमुक पार्टी हो, आज क्या हो रहा है, जहाँ जहां जिसकी सरकार नहीं, कांग्रेस [आई०] की सरकारें हैं, वहां विरोध कर रहे हैं और सरकार को चलाने के लिये हर तरह से परेशानी पैदा कर रहे हैं। आज गठबंधन किस लिए हो रहा है जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, लोकपति त्रिपाठी जी ने कहा कि यह केबल इन्दिरा गांधी के डर से आप कर रहे हैं। आज आप में ताकत नहीं है। आपकी पब्लिक में इमेज नहीं रह गयी है। पब्लिक आपको देख चुकी है और फिर आगे आने वाले समय में भी देखेगी। [मेजों की थपथपाहट] तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इससे कोई बात होने वाली नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, वह एक अच्छी बात हुई है, जो तरह तरह के भ्रम पैदा कर रखे थे उनका विश्लेषण करने का मौका इससे दिया। माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात की तरफ इशारा किया कि सिंचाई विभाग में जो प्रोमोशन ए० ई० का किया गया है, वह अनियमित पाया गया।

मान्यवर, आप जानते हैं, वे सिंचाई मंत्री रह चुके हैं वे भी जानते हैं कि सेलेक्शन कमेटी होती है जिसमें 3 सेक्रेट्री एक पी. डब्लू. डी. का इंजीनियर चीफ और एक सिंचाई विभाग का इंजीनियर चीफ यह पांच व्यक्ति सेलेक्शन कमेटी में होते हैं और उस कमेटी ने जाकर सेलेक्शन किया। मान्यवर, यह मेरिट पर किया गया। क्योंकि जो डिजर्विंग आदमी नहीं होते हैं सीनियारिटी के बल पर इतने ऊंचे पर पहुंच जाते हैं उससे हमारे प्रदेश की जो तरक्की होनी चाहिए थी, उसमें बाधा पहुंचती है, यह अच्छा काम नहीं है।

माननीय नेता विरोधी दल को उसको एप्रीशियट करना चाहिए था लेकिन उन्होंने एप्रीशियट न करके बल्कि उसे अनियमित बताया गया। मेरा तो यही कहना है कि मेरिट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम सीनियारिटी को देखकर प्रोमोट कर दें लेकिन जो व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक तरह से काम नहीं कर सकता, उससे विभाग में अव्यवस्था ही आयेगी। जो कुछ किया गया है, उसमें किसी प्रकार की जानबूकर कोई गड़बड़ी नहीं की गयी। आपने यह भी कहा था कि किसी व्यक्ति का प्रमोशन कर दिया, तो उसमें यह है कि प्राधिकरण से उसका आ गया था.....

[श्री वीर बहादुर सिंह]

वहां से डिग्री उसकी हो गयी थी इसलिए ऐसा करना पड़ा। जानबूझ कर कोई काम नहीं किया जाता है। हर काम को करने से पहले छानबीन की जाती है और यह देख लिया जाता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो और यदि ऐसी पायी जाती है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। एक बात श्री त्रिलोक चन्द्र, ए. ई. बारे में उठायी गयी थी। उसमें कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने उस पर जांच बिठायी थी और उस पर जांच चल रही है। उसमें मैं यह प्रयास करूंगा कि वे रिपोर्ट जल्दी आ जाय और उसमें जल्दी कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। मथुरा एक जे० ई० की बात कही गयी कि 300–400 बोरी सीमेंट के घपले की बात थी उसमें उन्होंने कहा था कि कम सजा मिली है। उसमें शायद वसूली भी हुई है और उसमें हम देखेंगे कि क्या सजा मिलनी चाहिए थी। आज जो भी गलत आदमी हमारे पास आया है, उस पर कार्यवाही की गयी, उसकी पूरी पत्रावली मेरे पास आयी है।

अभी हमारे अकबाल हुसैन साहब बोल रहे थे। सरयू परियोजना के बारे में। मान्यवर, सरयू परियोजना आप जानते हैं कि कोई परियोजना जब चलती है तो एक साइड से चलती है वह किसी जिले से नहीं है। आज अगर बहराइच में ज्यादा खर्च हो रहा है तो आगे गोंडा में होगा, बस्ती में होगा, गोरखपुर में होगा ऐसा नहीं है कि कोई बंटवारा करने में कोई एरिया देखा जाता है, वह तो प्रोजेक्ट पर जाता है। इलाहाबाद के माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि इस साल ट्यूबवेल कम लग रहे हैं, 600 ट्यूबवेल लग रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में साढे छः हजार ट्यूबवेल ऐसे हैं। जिसकी नालियां नहीं है, पक्की नालियाँ नही हैं। और करीब 18 सौ ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनके अधूरे काम को पूरा करना है।

हमने निर्णय लिया है कि इस वर्ष जो अधूरे काम हैं, तो जो बजट है उसका 2/3 पैसा अधूरे काम को पूरा करने में लगायेंगे और 1/3 में अन्य काम करेंगे। मैं और भी कोशिश कर रहा हूं, अगर कुछ पैसे की और व्यवस्था हो गयी तो और भी करूंगा। जितना भी हो सकता है सरकार का हर विभाग ठीक तरह से काम कर रहा है। जो अविश्वास प्रस्ताव यहां पर रखा है, उसका कोई भी आधार नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना भी अच्छा काम हो सकता है, यह सरकार कर रही है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा 'नेता, विरोधी दल' पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राना तथा श्री धनी राम वर्मा अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

जब मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है और वे खड़े हैं तो आपको बैठ जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिए।

(श्री विजय सिंह राना तथा श्री धनीराम वर्मा के पुनः खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिए, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। माननीय नेता, विरोधी दल इन लोगों को बैठायें।

श्री राजेन्द्र सिंह –

मा. अध्यक्ष महोदय। मैं उन सभी मा. सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष में या विपक्ष में अपने मत व्यक्त किये हैं।

श्री अध्यक्ष —

आपको 7.55 पर समाप्त करना है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

जी हां, मान्यवर।

प्रजातांत्रिक प्रणाली की यही परम्परा है। उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं।

माननीय नेता, सदन ने जो एक बड़ा आत्मिक टाइप का भाषण दिया है, उससे उसूलों के बारे में किसी को असहमति नहीं हो सकती। उसूलों से मैं सहमत हूं। सेहरा साहब कुछ बोल रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के समय में मैं मन्त्री था। मेरे खिलाफ एक प्रश्न सदन में पेश हुआ कि किसी के मर्डर में मेरा हाथ है। गुलाब सेहरा साहब ने भी उसको उठाया था।

रुल आफ ला मान्यवर उस समय यह था कि हमारी सरकार ने हमारे खिलाफ एक इन्क्वायरी करायी, सी. बी. आई. भी हुई और आपके सामने भी इन्क्वायरी चलती रही और वह चीज सदन में आ गयी कि मैं पूरी तरह निर्दोष था। अच्छा होता यदि आप भी अपने उन मंत्रियों के खिलाफ भी इन्क्वायरी कराते जिनके विरुद्ध आरोप हैं। जब जनता सरकार ऐसा करा सकती है तो आपको ऐसा करने में क्या परेशानी है, आपको भी कराना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य श्री फिरंगी प्रसाद विशारद जिनकी पत्नी मेडिकल कालेज में भर्ती थीं, उनका केस डाक्टरों की लापरवाही से बिगड़ा। केस दर्ज हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई जबकि होना यह चाहिए था कि प्रत्येक नागरिक को उसका हक मिलना चाहिए। परन्तु यहां तो माननीय सदस्यों तक की सुविधाओं को भी नहीं देखा जा रहा है।

दूसरे संसाधनों की बात हमारे सामने सदन में आयी, तो इस ओर हमको देखना पड़ेगा और हमको यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे हर विभाग का कार्य सुचारू रूप से हो और हर चीज का उपयोग भी सही तरीके से हो यह हमें देखना पड़ेगा। किसी भी मामले को सेलेक्शन कमेटी या किसी भी सचिव के स्तर से अगर आपके पास कोई पत्रावली जाती है प्रमोशनस आदि से सम्बन्धित तो आपको उसे थारोली देखना होगा। क्योंकि यह कमेटी वाले भी इंसान हैं, इनके भी दोस्त हैं दूसरों से व्यवहार है, किसी का कुछ भला करना चाहते हों, इसलिए आपको पूरी तरह से देखभाल कर ऐसे आदेश करने चाहिए। इसी

प्रकार का एक मामला उत्तर प्रदेश चीफ टाऊन प्लासर के एक अधिकारी का था, जिनके 15 माह रह गये हैं रिटायरमेंट के ।

ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, मैं ज्यादा इस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं । मलिन बस्ती कानपुर का हाल देखिए, जो वर्ल्ड बैंक का पैसा आया, क्या वहां पर उस पैसे का सदुपयोग हुआ ? अगर आप में से एक आदमी भी यह कह दे कि सदुपयोग हुआ है तो मैं बैठ जाऊंगा । और जब हम करप्शन की बात करते हैं तो आप इन बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उनका पक्ष लेकर उनको प्रश्रय देते हैं तो इससे भ्रष्टाचार और पनपेगा । दूसरे एक रोड आपने नेशनल हाई-वे की एशिया की रिंग रोड बनावाई, जो 6 माह में ही खराब हो गयी और उसके मरम्मत की आवश्यकया पड़ गयी । जब हमारे यहां एशियाड हुआ था तभी उस सड़क का निर्माण हुआ था और अब उसकी मरम्मत हो रही है । तो यह क्या है ? इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा । जब आप ऐसे आदमियों को भ्रष्ट आदमियों का प्रश्रय देते हैं तो हम समझते हैं, आप ऐसे आदमियों का समर्थन कर रहे हैं । उनकी हर गलत हरकत को सराह रहे है तो यह एक निश्चित मत बनता है कि आप इन चीजों को बजाय रोकने के और बढ़ावा देना चाहते हैं ।

*नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

जैसा कि आपने मलिन बस्ती के बारे में कहा उसके बारे में सन् 73 से इन्क्वायरी चलती रही और जब यह सवाल हमारे सामने आया तो हमने कहा कि 20 दिन के अंदर जांच कराकर उसकी रिपोर्ट दें ।

दूसरी बात जो कानपुर की कही गयी यह कानपुर ही नहीं, किसी भी जगह अगर कोई खराबी हो रही है, अगर स्पेसिफिक बात बताइये, हम उसकी पूरी जांच करायेंगे, कहीं भी आपको शक हो आप उसे बताइये, हम उसे जांच करायेंगे और ठीक कराने की कोशिश करेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यही तो मैं कह रहा था।

श्री श्रीपति मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, एक सड़क के बारे में बताया है और करीब-करीब सारी बातों के उत्तर भी दिये जा चुके हैं । एक नेशनल हाई-वे सड़क के बारे में आपने जिक्र किया, उसका एक टेक्नीकल आडिट सेल जांच कर रहा है । जांच का नतीजा आना है । जांच का नतीजा आते ही उससे अवगत करा दिया जायेगा । आपने एक बात यह भी कही, कहना तो बहुत आसान है कि सेक्रेटरी भी गलत हो सकता है ।

पांच-पांच सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, वह गलत हो सकते हैं और आप उसे सुधार दीजिए । बात सुनने में तो आसान है कि उसको हम सुधार दें और अगर हम उसे सुधार दें तो कहने को हो जाय कि चार-पांच सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की राय को माननीय मंत्री जी ने बदल दिया, उसे सुधार दिया । तो मैं कहता हूं कि बहुत ही सोच

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

समझकर कदम उठाने की जरूरत है। एक व्यवस्था है, जो टाप के अधिकारी है उनके द्वारा जांच करायी गयी या करायी जाती हैं। वही सेलेक्शन करते हैं। स्पष्ट है कि किसी को बचाने का किसी का इरादा नहीं है, न कोई किसी को बचाना चाहता है। लेकिन मजबूरी इस बात की है, आप दबाव की बात को छोड़ दीजिये, जितना आप दबाव में आयेंगे, उतना मैं नहीं आऊंगा, यह याद रखिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आप किसी को छोड़ते भी तो नहीं, आप के हिसाब से कोई बचता भी तो नहीं। आपके हिसाब से कैसे कार्यवाही की जाय ? आप के हिसाब से कार्यवाही की जाय तो सब शून्य हो जाएं। सारे कार्यालय में कोई बचेगा नहीं काम करने के लिए या लिखने-पढ़ने के लिए। इसलिए मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जो दल सत्ताधारी हो कर सत्ता में आये उसका यह फर्ज बनता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि वह आपकी बात को और दूसरी बातों को शाँन्ति के साथ सुनें। तो मान्यवर, इस तरह से आपका भी फर्ज बनता है कि जो बात आप कहें वह जबान को थाम कर कहें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल या क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं।

(श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा नाकारात्मक उत्तर देने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और सोमवार को 11 बजे दिन में फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 58 मिनट पर सोमवार, 5 सितम्बर, 1983 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ
2 सितम्बर, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 156 पर।)

तहसील सदर में जलाये गये "अलाव" का विस्तृत विवरण।

दिनांक	नाम स्थान जहां पर अलाव जला	धनराशि
1-1-83	तहसील मुख्यालय बस स्टेशन, अस्पताल, रिकाबगंज, चौक फैजाबाद, नाका मजफरा, रेलवे स्टेशन, देवकाली, सहादतगंज।	250/- रुपया
1-1-83	मया घाट, सिहार घाट, आर. के. बी. के. स्टोर के सामने, श्री हनुमान गढ़ी चौराहा, तुलसी स्मारक भवन।	150/-
1-1-83	कस्बा गोशाईगंज, बस स्टेशन, भीटी चौराहा तेलिया गढ़ मोहल्ला, रेलवे स्टेशन गोशाईगंज।	1 00/-
4-1-83	मुहल्ला गुदड़ी बाजार, कचेहरी, प्रांगण, अस्पताल रिकाबगंज, चोक फैजाबाद, फतेहगंज, रेलले स्टेशन।	250/-
4-1-83	नया घाट, सिहार हाट, आर. के. बी. के. स्टोर के सामने श्री हनुमानगढ़ी चौराहा, तुलसी स्मारक भवन अयोध्या।	150/-
6-1-83	मऊ सिवाला, रानी बाजार, कचेहरी सदर	150/-
6-1-83	ग्राम दर्शन नगर चौराहा व ग्राम तकपुरा मार्ग के सामने, महबूब गंज बाजार, दिलासीगंज बाजार	100/-
7-1-83	ग्राम सोहावल व सोहावल पम्पिग सेट स्टेशन	100/-
13-1-83	महबूब गंज बाजार के चौराहे पर	100/-
14-1-83	ग्राम मुस्तफाबाद व ग्राम बड़ा गाँव मया बाजार, खानपुर मसोधा व ग्राम भरत कुण्ड, पुरा बाजार आदि	100/-
,,	मया बाजार के चौराहे पर	100/-
,,	पूरा बाजार व बिल्लाहर घाट	100/-
,,	मसोधा, खानपुर मसोधा, भरत कुण्ड	100/-
15-1-83	टेढ़ी बाजार चौराहा, रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन श्री हनुमान गढ़ी नया घाट।	250/-
16-1-83	नगर पालिका कार्यालय, साकेत डिग्री कालेज, बरगदहिया चौराहा, तुलसी स्मारक, श्री हनुमान गढ़ी चौराहा।	200/- 200/-
17-1-83	टेढ़ी बाजार चौराहा, बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन, बालदा, अशरफी भवन।	150/-
18-1-83	नगर पालिका कार्यालय, बाल्दा रेलवे स्टेशन बस स्टेशन हनुमान गढ़ी, चौराहा साकेत डिग्री कालेज, टेढ़ी बाजार चौराहा।	250/-
18-1-83	नया घाट, सिहार हाट, असरफी भवन, तुलसी स्मारक बरगद हिया चौराहा, गोला चौराहा, विद्या कुन्ड व छोटी छावनी।	350/-
		2950/-

तहसील अकबरपुर में जलाये गये "अलाव" का विस्तृत विवरण ।

स्थान	धनराशि	दिनांक
भीटी	150/- रुपया	3, 4-1-83
सेनपुर	100/- रुपया	3, 4-1-83
बरियावन	400/-	4, 5, 6, 7-1-83
मालीपुर	350/-	3, 4, 5, 6-1-83
जलालपुर	400/-	3, 4, 5, 6-1-83
मित्तूपुर चौराहा	100/-	3,4-1-83
अकबरपुर तहसील चौराहा	100/-	1-1-83 से 4-1-83 तक
वर्मा मेल	100/-	,, ,,
रेलवे स्टेशन	100/-	,, ,,
बस स्टेशन	100/-	,, ,,
शाहजादपुर संहनिया	200/-	,, ,,
पहिलीपुर चौराहा	200/-	,, ,,
महरुवा	400/-	5, 6, 7, 8, 9-1-83
कटेहरी	400/-	4, 5, 6, 7, 8-1-83
रामपुर लकरवारी	300/-	3, 4, 5-1-83
योग	3,400/-	

उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार

तहसील बीकापुर में जलाये गये "अलाव" का विस्तृत विवरण ।

दिनांक	नाम ग्राम/नगर/बाजार	स्थान	धनराशि
1-1-83	मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर	चौराहा	25/-
,,	कुचेरा बाजार	,,	25/-
,,	चौरे बाजार	पुलिस चौकी के सामने	20/-
,,	जलासपुर माफी	चौराहा	15/-
,,	बीकापुर	ब्लाक तिराहा, तहसील प्रांगण, बस व टैक्सी स्टैंड तथा परगनाधिकारी न्यायालय के सामने	100-/
2-1-83	मजरुद्दीनपुर	चौराहा गोला बाजार	50/-
,,	चौरे बाजार	पुलिस चौकी के सामने	15/-
,,	बारून	चौराहा	50/
,,	अमानीगंज बाजार	तिराहा	50/-
,,	मिल्कीपुर बाजार	,,	50/-
,,	कुमारगंज बाजार	बाजार मे	50/-
,,	बीकापुर	ब्लाक के तिराहे पर तहसील प्रांगण व टैक्सी स्टैंड तथा परगनाधिकारी न्यायालय के सामने	50/-
11-1-83	बीकापुर	,,	100/-
12-1-83	,,	,,	150/-
13-1-83	,,	,,	150/-
,,	मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर	चौराहा	20/-
,,	देवरिया	चौराहा बारून बाजार	20/-
,,	हरन्टीनगंज बाजार	चौराहा	20/-
,,	मजरुद्दीनपुर	चौराहा गोला बाजार	20/-
,,	बीकापुर	तहसील के सामने सड़क पर	15/-
,,	जलालपुर माफी	चौराहा	20/-
,,	चौरे बाजार	पुलिस चौकी के सामने	25/-
,,	बारून	चौराहा	40/-
,,	अमानीगंज बाजार	तिराहा	40/-
,,	मिल्कीपुर बाजार	,,	40/-
,,	कुमारगंज	बाजार में	40/-
14-1-83	बीकापुर	तहसील प्रांगण, बस व टैक्सी स्टैण्ड, परगनाधिकारी के न्यायालय के सामने ब्लाक के तिराहे पर	100/-

दिनाँक	नाम ग्राम/नगर/बाजार	स्थान	धनराशि
15-1-83	चौरे बाजार	पुलिस चौकी के सामने	25/-
,,	जलालपुर माफी	चौराहा	15/-
,,	तारून	,,	50/-
16-1-83	मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर	,,	50/-
,,	कुचेरा बाजार	,,	25/-
,,	कोछा बाजार	,,	20/-
,,	मजरुद्दीनपुर	गोला बाजार चौराहा	20/-
16-1-83	शुकुल बाजार		30-00
1-1-83	जहांगीरगंज चौराहा		20-00
2-1-83	राम नगर चौराहा		15-00
,,	न्योरी चौराहा		15-00
6-1-83	जहांगीरगंज चौराहा		20-00
7-1-83	राम नगर चौराहा		15-00
,,	न्योरी चौराहा		15-00
15-1-83	जहांगीरगंज चौराहा		40-00
16-1-83	राम नगर चौराहा		30-00
,,	न्योरी चौराहा		30-00
30-12-82	चौक टाण्डा तहसील के सामने बस स्टेशन थिरुवा बस स्टेशन		200-00
1-1-83	चौक टाण्डा नया बस स्टेशन तहसील के सामने पुराना बस स्टेशन जनाना अस्पताल बस स्टेशन थिरुवा नेहरू नगर सड़क पर		
2-1-83	चौक टाण्डा नया बस स्टेशन तहसील के सामने थिरुवा बस स्टेशन		
4-1-83	तहसील के सामने नया बस स्टेशन चौक टाण्डा थिरवा बस स्टेशन जनाना अस्पताल		
5-1-83	तहसील के सामने चौक टाण्डा		200-00
6-1-83	सकरावल चौराहा मुबारकपुर चौराहा झारखण्डी चौक टाण्डा तहसील के सामने		
9-1-83	चौक टाण्डा तहसील के सामने पुराना बस अड्डा सकरावल मुबारकपुर		
15-1-83	चौक टाण्डा पुराना बस अड्डा तहसील के सामने थिरुवा बस स्टेशन		330-00
16-1-83	चौक टाण्डा तहसील के सामने पुराना अड्डा सकरावल		
16-1-83	थिरुवा बस स्टैंड		
17-1-83	चौक टाण्डा तहसील के सामने नया बस स्टेशन थिरुवा बस स्टैंड पुराना बस स्टेशन चौक टाण्डा तहसील के सामने नया बस स्टेशन थिरुवा बस स्टेशन पुराना बस अड्डा जनाना अस्पताल		

दिनांक	नामग्राम/नगर/बाजार	स्थान	धनराशि
15-1-83	तहसील प्रांगण	)	
16-1-83	,,	,, }	100-00
17-1-83	,,	,,)	
		योग कुल धनराशि	1990-00

सत्यमेव जयते

तहसील टाण्डा में जलाये गये "अलाव" का विस्तृत विवरण ।

दिनाँक	नाम स्थान जहाँ पर अलाव जला	धनराशि
2-1-83	केदार नगर बाजार	20-00
3-1-83	इल्फातगंज बाजार	20-00
,,	मखदुम नगर	10-00
5-1-83	केदार नगर बाजार	10-00
6-1-83	इल्फातगंज बाजार	20-00
,,	मखदुम नगर	20-00
15-1-83	मखदुम नगर	20-00
,,	इल्फातगंज	20-00
,,	केदार नगर बाजार	20-00
16-1-83	मखदुम नगर	10-00
,,	इल्फातगंज	20-00
16-1-83	केदार नगर बाजार	10-00
2-1-83	देवरिया बुजुर्ग बाजार	20-00
3-1-83	मदुमपुर नसीरुद्दीन पट्टी चौराहा पर	20-00
,,	राजे सुल्तानपुर चौराहा	45-00
,,	गड़वल चौराहा पर	15-00
6-1-83	देवरिया बुजुर्ग बाजार	15-00
7-1-83	मदुमपुर नसीरुद्दीन पट्टी चौराहा पर	15-00
,,	राजे सुल्तानपुर चौराहा	30-00
,,	गड़वल चौराहा	15-00
15-1-83	देवरिया बुजुर्ग बाजार	25-00
16-1-83	मदुमपुर नसीरुद्दीन पट्टी चौराहा	30-00
17-1-83	राजे सुल्तानपुर चौराहा	60-00
,,	गड़वल चौराहा	45-00
1-1-83	बसखारी चौराहा पूर्वी	25-00
,,	,, ,, पश्चिमी	25-00
6-1-83	,, ,, पूर्वी	25-00
,,	,, ,, पश्चिमी	25-00
16-1-83	,, ,, पूर्वी	25-00
,,	,, ,, पश्चिमी	25-00
,,	बाजार अशरफपुर किछौछा उत्तरी	25-00
,,	,, ,, चौक	25-00
1-1-83	हंसवर चौराहा	20-00
2-1-83	इन्दईपुर बाजार	15-00

दिनांक	नाम स्थान जहां पर अलाव जला		धनराशि
2-1-83	शकुल बाजार		15-00
6-1-83	हंसवर चौराहा		35-00
7-1-83	इन्दईपुर बाजार		20-00
,,	शकुल बाजार		20-00
15-1-83	हंसवर चौराहा		40-00
16-1-83	इन्दईपुर बाजार		30-00
16-1-83	हरन्टीनगंज बाजार	चौराहा	20/-
,,	चौरे बाजार	पुलिस चौकी के सामने	20/-
,,	जलालपुर माफी	चौरौहा	15/-
,,	हैदरगंज बाजार	चौराहा	50/-
,,	अमानीगंज बाजार	तिराहा	50/-
,,	मिल्कीपुर बाजार	,,	50/-
,,	कुमारगंज	बाजार	50/-
,,	बीकापुर	तहसील प्रांगण परगनाधिकारी के न्यायालय के सामने, बस व टैक्सी स्टैंड तथा ब्लाक के तिराहे पर	50/-
17-1-83	बीकापुर	तदनुसार	50/-
,,	कुचेरा बाजार	चौराहा	25/-
,,	जलालपुर माफी	चौराहा	10/-
,,	चौरे बाजार	पुलिस चौकी के सामने	15/-
,,	अमानीगंज बाजार	तिराहा	50/-
,,	मिल्कीपुर बाजार	,,	50/-
,,	कुमारगंज	बाजार	50/-
28-1-83	हरन्टीन गंज	बाजार के चौराहे पर	25/-
30-1-83	,,	,,	15/-
		योग	2100/-

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 167 पर।)

सूची–1

(नजारत अनुभाग माल एवं तलवाना)

क्रमांक	नाम	जातिवार विवरण
1–	श्री भगवानदीन	अनुसूचित जाति
2–	,, बंशीधर	अनुसूचित जाति
3–	,, राम बाबू	सामान्य
4–	,, चन्द्र पाल	पिछड़ी जाति
5–	,, राम सेवक	,, ,,
6–	,, मोती लाल	अनुसूचित जाति
7–	,, जमुना प्रसाद	सामान्य
8–	,, लल्लू प्रसाद	पिछड़ी जाति
9–	,, हरिश्चन्द्र	अनुसूचित जाति
10–	,, वेद प्रकाश	सामान्य
11–	,, राम चन्द्र	अनुसूचित जाति
12–	,, देवीदास	पिछड़ी जाति
13–	,, किशोरी लाल	सामान्य
14–	,, अमर सिंह	पिछड़ी जाति
15–	,, ओम प्रकाश	सामान्य
16–	,, राम सरन	अनुसूचित जाति
17–	,, इन्द्रपाल	सामान्य
18–	,, विजय	सामान्य

सूची—2

(संग्रह अनुभाग)

क्रमांक	नाम	जातिवार विवरण
1—	श्री मुन्नी लाल	अनुसूचित जाति
2—	,, राम सिंह	मृतक वारिस
3—	,, राजेन्द्र सिंह	मृतक वारिस
4—	,, मदन गोपाल	सामान्य जाति
5—	,, देवी दयाल	अनुसूचित जाति
6—	,, माता प्रसाद	पिछड़ी जाति
7—	,, राम किशन	पिछड़ी जाति
8—	,, श्याम लाल	पिछड़ी जाति
9—	,, बाबू लाल	अनुसूचित जाति
10—	,, बृजमोहन	पिछड़ी जाति
11—	,, रज्जन उर्फ विशम्भर दयाल	पिछड़ी जाति
12—	,, राजा भैया	सामान्य जाति
13—	,, मान सिंह	अनुसूचित जाति
14—	,, राम औतार	पिछड़ी जाति
15—	,, इच्छा राम	सामान्य जाति
16—	,, धर्म पाल	सामान्य जाति
17—	,, राम प्रकाश	सामान्य जाति
18—	,, जिलेदार	पिछड़ी जाति
19—	,, इन्द्रपाल	पिछड़ी जाति
20—	,, परभू	पिछड़ी जाति

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

श्री ऊदल-अतारांकित प्रश्न संख्या-46 दिनाँक 2-9-83

श्रीऊदल अतारांकित प्रश्न संख्या-46 दिनांक 2-9-83

न्यायालय परगनाधिकारी, ज्ञानपुर, वाराणसी ।

नं० मु० 228 सन् 1982 ई० वु० का० अन्तर्गत धारा 33/39 एल० आर० एक्ट । सा० हिम्मतपुर बकुचिया ता० असनाँव परगना भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी ।

लाल बहादुर बनाम बिसमिल्ला

निर्णय

प्रस्तुत मामला श्री लाल बहादुर की ओर से इस आशय के प्रार्थनापत्र पर प्रारम्भ हुआ कि ग्राम हिम्मतपुर बकुचिया में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान चक नं. 91 द्वितीय चक रकबा 3–18–15 वादीगण के पिता बुधिराम का नाम बतौर भूमिधर दर्ज होकर चला आया परन्तु नामाँकन बही में दिनांक 21–12–78 को चकबन्दी अधिकारी का यह आदेश दर्ज हुआ कि बुधिराम का नाम खारिज होकर शमीम अहमद आदि का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय परन्तु चकबन्दी अधिकारी श्री के. पी. सिंह दिनांक 29–12–69 को शमीम अहमद की आपत्ति खारिज कर दी थी, जिसके फैसले के विरुद्ध अपील भी कर दी थी, जो दिनाँक 29–1–70 को खारिज की गई । दिनांक 29–12–69 की पत्रावली में बदला हुआ फैसला पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे वादीगण को नुकसान है और यह प्रार्थना की थी कि पूरे मामले की गुप्तचर जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय । इस प्रकरण की जांच तत्कालीन परगनाधिकारी श्री गिरधारी लाल द्वारा की गयी । जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22 जुलाई, 79 को जिलाधिकारी वाराणसी को प्रेषित की । रिपोर्ट में उन्होंने यह अंकित किया कि दिनांक 29–12–69 की फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि जो प्रार्थी के पास है, उसके विपरीत बदला गया फैसला पत्रावली पर उपलब्ध है और उसी के आधार पर अमलदरामद की गई है । दिनाँक 29–12–69 की फैसले की अमलदरामद वर्ष 1978 में की गई है तथा अमलदरामद करने के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी के पेशकार से स्थित स्पष्ट नहीं हो पा रही है । उक्त आधार पर रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 29–12–69 को गलत ढंग से बदल दिया गया है । चूंकि यह मामला महत्वपूर्ण था, अतः इसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई थी ।

इस रिपोर्ट पर तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी ने अपने आदेश संख्या 1558/एस/79 दिनांक 31–7–79/1–8–79 के द्वारा यह आदेश पारित किया है कि परगनाधिकारी की आख्या दिनाँक 22–7–79 का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 29–12–69 को चकबन्दी अधिकारी ने इस मामले में आदेश देते हुए लाल बहादुर आदि के पक्ष में निर्णय लिया था परन्तु उसी दिनांक के फर्जी आदेश के आधार पर नामान्तर बही में दूसरी अमलदरामद कर दी गई, जिसके आधार पर शमीम अहमद आदि का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया गया । इस ग्राम के धारा 52 का प्रकाशन उ. प्र. जो. च. अधि. के अन्तर्गत काफी पहले हो चुका था इस मामले में 2 प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित है ।

1—कागजदुरूस्ती के सम्बन्ध में सुआ 'मोटी कार्यवाही प्रारम्भ करके उभय पक्षों का साक्ष्य लेकर आदेश दिया जाना और उसके अनुसार नामान्तरबही तथा इस ग्राम के माल अभिलेखों की प्रविष्टियां सही करना ।

2— दोषी व्यक्तियों के पता लगाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना ।

परगनाधिकारी ज्ञानपुर उपरोक्त दोनों कार्यवाही करने के लिए सक्षम है, अतः यह मामला उन्हीं को उपरोक्त निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए वापस किया जाता है ।

उपरोक्त निर्देशों से नं. 1 के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दिनांक 2—8—79 को पक्षकारों के लिए सम्मन जारी किया गया ।

लाल बहादुर, जंग बहादुर एवं राज बहादुर पुत्रगण बुधिराम की ओर से यह कहा गया कि चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान चक नं. 91 द्वितीय चक रकबा 3—18—15 बुधिराम के नाम बतौर भूमिधर दर्ज होता चला आया परन्तु नामान्तर बही में दिनांक 22—12—78 को चकबन्दी अधिकारी का फर्जी आदेश इस आशय का दर्ज हो गया कि बुधिराम का नाम खारिज करके बिसमिल्ला पुत्र गफूर शमीम अहमद, नईम अहमद एवं मुईन अहमद पुत्रगण बिसमिल्ला का नाम दर्ज कर दिया जाय । चकबन्दी अधिकारी श्री के. पी. सिंह ने दिनांक 29—12—69 को विपक्षीगण की दरखास्त खारिज कर दी थी जिसके विरुद्ध अपील बिसमिल्ला द्वारा दाखिल की गई थी जो दिनांक 26—11—70 को अदम पैरवी में खारिज की गई । इस पर बिसमिल्ला आदि की ओर से आपत्ति इस आशय की दाखिल की गई कि बुधिराम ने भूमिनिजाई का बैनामा दिनाँक 14—5—69 को शमीम, नईम अहमद, मोईन अहमद पुत्रगण बिसमिल्ला व लाल बहादुर राज बहादुर एवं जंगबहादुर पुत्रगण बुधिराम के नाम किया । आपत्तिकर्तागण ने चकबन्दी अधिकारी ज्ञानपुर के यहां दरखास्त दिया, जिस पर न. मु. 324 शमीम बनाम बुधिराम कायम होकर दिनांक 29—12—69 को फैसला हुआ कि आपत्तिकर्तागण का नाम बहैसियत भूमिधर दर्ज कर दिया जाय । लेखपाल ने उपरोक्त आदेश की प्राप्ति के बाद कागजात में दिनांक 21—12—78 को अमलदरामद किया । उपरोक्त आदेश की कोई अपील आपत्तिकर्तागण ने नहीं किया । यदि किसी अन्य व्यक्ति ने अपील दाखिल की हो तो उसकी कोई पाबंदी हम पर नहीं है । उन्होंने यह भी कहा है कि लाल बहादुर ने दिनाँक 29—12—69 के एक फर्जी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त की है, जब कि कोई ऐसा फैसला दिनांक 29—12—69 को चकबन्दी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, जिसमें शमीम अहमद की दरखास्त खारिज की गई हो । दिनांक 29—12—69 का फैसला आज भी पत्रावली में मौजूद है जो पीठासीन अधिकारी के लेखा और हस्ताक्षर में है । कोई दूसरा फैसला नहीं बदला गया है और नहीं कोई साजिश ही गई है भूमिनिजाई पर बैनामा के बाद से लाल बहादुर आदि का कब्जा न कभी था और न है । इसी आराजी के बाद फौजदारी का मुकदमा अन्तर्गत धारा 145 जा. पौ. नं. मु. 88/ सन् 1979 चला जिसमें रिविजन से बिसमिल्ला आदि का कब्जा बहाल किया गया । यह भी कहा गया कि सरसरी प्रक्रिया के द्वारा बिना कोई मुकदमा कायम किये हुए कागजात मामले किसी तरह की तरमीम करने की कोई कानूनी आधार नहीं है और नहीं इस अदालत को अधिकार प्राप्त है । बैनामें के आधार पर बिसमिल्ला, शमीम मुईन एवं नईम अहमद आराजी पर

काबिज चले आ रहे हैं।

दोनों पक्षों के बयान तहरीरी के पश्चात पत्रावली आदेश दिनांक 29–12–81 के साथ तहसीलदार न्यायालय में इस आशय से भेजी गई कि वे जाँच पूर्ण करके अपनी आख्या प्रस्तुत करें। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26–5–82 को प्रस्तुत की है। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्षयों का अवलोकन किया तथा तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

लालबहादुर आदि का कहना है कि हिम्मतपुर बकुचिया में बुद्धिराम के 2 चक थे जिसमें से द्वितीय चक का बैनामा बुद्धिराम ने दिनांक 14–5–69 को शमीम अहमद नईम अहमद एवं मुईन अहमद पुत्रगण बिसमिल्ला व लालबहादुर, राजबहादुर जंगबहादुर पुत्रगण बुधिराम के नाम किया। दूसरा बैनामा लालबहादुर, राजबहादुर एवं जंगबहादुर ने दिनांक 25–6–69 को बिसमिल्ला के पक्ष में किया। यह ली सेल डीड के आधार पर नं० मु० 324 कायम हुआ और दूसरे के आधार पर नं० मु० 413 कायम हुआ। यह कथन दोनों पक्षों के स्वीकार है कि इन दो बैनामों के द्वारा बुधिराम व उनके लड़कों ने सम्पूर्ण आराजी को बिसमिल्ला एवं उनके लड़कों शमीम, नईम एवं मुईन अहमद को अन्तरीम कर दिया। बैनामें के सम्बन्ध में लालबहादुर आदि ने कोई प्रतिवाद नहीं किया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि भूमि का विक्रय करने के पश्चात उस पर नाम बढ़वाने के लिये क्रेताओं में क्या कार्यवाही की तथा इस दौरान दाखिल के लिये मुकदमा का क्या परिणाम हुआ। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि दो मुकदमा 413 एवं 324 कायम किया गया अभिलेखालय से दोनों मुकदमों की पत्रावलियां तलब की गई है। मुकदमा नम्बर में विसमिल्ला का आवेदन पत्र है कि उसने लालबहादुर जंगबहादुर एवं राजबहादुर से द्वितीय चक का आधा हिस्सा क्रय कर लिया है अत: उसका नाम दर्ज किया गया है। यह मुकदमा दिनाँक 14–11–69 को अदम पैरवी में खारिज किया गया है। उसकी अमलदरामद दिनांक 3–5–76 को करने का इन्द्राज लाल रोशनाई से आदेश फलक पर किया गया। मु. नं. 324 शमीम अहमद, मुईन अहमद एवं नईम अहमद की ओर से बिसमिल्ला के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। इस वाद में भी 11–6–69 को अदम पैरवी में खारिज होने तथा उसकी दिनांक 3–5–76 को अमलदरामद अंकित होने का आदेश पत्रावली पर है। इसी पत्रावली पर दिनांक 14–11–69 का बिसमिल्ला का आवेदन पत्र है कि बस बिगड़ने के कारण वह न्यायालय में नहीं पहुंच सका है अतएव एक पक्षीय रूप से मुकदमा खारिज करने का आदेश निरस्त किया जाय। दिनांक 9–12–69 को यह आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है तथा इसके पश्चात दिनांक 29–12–69 को आदेश पारित कर चकबन्दी अधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि फरीकैन हाजिर आये। बुधिराम एवं बिसमिल्ला का बयान लिया गया। बुद्धिराम को दो चक प्रदिष्ट किया गया है। प्रथम चक 0–19–18 एवं द्वितीय चक 3–18–15 का है बुधिराम ने अपने द्वितीय चक का सम्पूर्ण रकवा 3–18–15 का बैनामा अपने लड़के लालबहादुर आदि एवं शमीम अहमद आदि को एक ही बैनामें से दिनांक 14–5–69 को लिखकर कब्जा दखल दे दिया है। इसके पश्चात लालबहादुर आदि ने भी अपने सम्पूर्ण अंश वैनामा विसमिल्ला पुत्र अब्दुल गफूर को दिनांक

25–6–69 को करके कब्जा दखल दे दिया है। इस प्रकार खाते के एक मात्र मात्र मालिक शमीम अहमद आदि एवं उनके पिता बिसमिल्ला होते हैं। अब बुधिराम उनके लड़कों का कोई हक आ० निजाई में नहीं होता है। उनका यह भी कथन है कि बैनामा तो किया किन्तु अनुमति नहीं ली है। मेरी समझ से बुधिराम ने सम्पूर्ण द्वितीय चक का बैनामा किया है तथा बैनामा करने मे चकबन्दी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिये धारा 5 ग की अनुमति की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। बैनामें को बुधिराम व उनके लड़कों ने तस्दीक किया है। पूरे मालिक बुधिराम आदि के आज भी दर्ज है जिससे उन्होंने बैनामा लिया है जो वैधानिक है। आदेश हुआ कि चक नं० 91 द्वितीय आ० नं० 354 आदि रकवा 3–18–15 से बुधिराम पुत्र सहतू दर्ज खातेदार का नाम खारिज करके शमीम मुईन एवं नईम पुत्रगण बिसमिल्ला एवं बिसमिल्ला पुत्र अब्दुल गफूर निवासी ग्राम का नाम बतौर वैदार भूमिधर दर्ज किया जाय तथा आपत्ति बुधिराम खारिज की गई। लालबहादुर आदि का कोई हक नहीं होगा। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

लालबहादुर आदि का कथन है कि मूल पत्रावली में यह फैसला बदल दिया गया है क्योंकि इस फैसले की अमलदरामद आ० पत्र 23 भाग 1 में नहीं है तथा बिसमिल्ला ने शमीम अहमद आदि की ओर से एस० ओ० सी० न्यायालय में अपील संख्या 6631/सन् 1970 श्री के0 पी0 सिंह चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 29–12–69 के विरुद्ध दाखिल की थी। मैंने आकार पत्र 23 भाग 1 का भी अवलोकन किया जिसमें दिनांक 3–5–76 को आदेश की अमलदरामद अंकित की गई है। मु० नं० 324 दिनांक 29–12–69 को अमलदरामद में यह अंकित किया है कि शमीम अहमद आदि की आपत्ति बावत दा० ख० बैनामा खारिज किया जाय, क्योंकि बैनामा अवैधानिक ढंग से तकरीर हुआ है। इस अमलदरामद की रोशनाई दो प्रकार की प्रतीत होती है। इसी के नीचे नं० मु० 403 के निर्णय दिनांक 14–11–69 की अमलदरामद अंकित की गई हैं। जिसके अनुसार बिस–मिल्ला का आवेदन पत्र अदम पैरवी में खारिज करने का उल्लेख है दोनों पत्रावलियों के आदेश फलक को देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 14–11–69 को दोनों ही वाद अदम पैरवीं में खारिज किया गया है तथा इसी आदेश के नीचे दिनांक 31–5–76 का अमलदरामद अंकित करने का उल्लेख है। दिनांक 29–12–69 को जिस देश की अमलदरामद अंकित की गई है वह संदेहास्पद है। सम्भव है कि अदमपैरवी में खारिज किये गये वाद की अमलदरामद में भी वाद में स्याही से अलग प्रकार का इन्द्राज बनाया गया। जहां तक अभिलेखालय में पत्रा-वली पर उपलब्ध आदेश दिनांक 29–12–69 की वैधता का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अधी–नस्थ न्यायालय में विशेषज्ञ तलब किये गये थे विशेषज्ञ ने दिनांक 29–12–69 के निर्णय पर चकबन्दी अधिकारी श्री के० पी० सिंह के हस्ताक्षर डी० 4 को आदेश फलक पर उनके हस्ताक्षर दिनांक 15–12–69 [सी] – 1 व दूसरे आदेश फलक दिनांक 23–12–69 पर उनके हस्ताक्षर सी – 2 से मिलान किया है तथा यह मत प्रकट किया है कि यह हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति के हैं। न्यायालय में विशेषज्ञ का बयान भी किया गया है, जिसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट की पुष्टि की है। जिरह में भी उन्होंने यही कहा है कि विवादित आदेश दिनांक 29–12–69 पर श्री के० पी० सिंह चकबन्दी अधिकारी के ही हस्ताक्षर है। इस प्रकार विवादित आदेश वैधता के सम्बन्ध में इस प्रश्न का निर्णय इस हद तक हो जाता है कि आदेश पर चकबन्दी अधिकारी श्री के० पी० सिंह के ही हस्ताक्षर है।

लालबहादुर आदि का यह कथन है कि यदि दिनाँक 29–12–69 का आदेश बिस–मिल्ला आदि के पक्ष में हो गया था तो बिसमिल्ला आदि को इस आदेश के विरुद्ध एस० ओ० सी० के यहां अपील संख्या 6631/सन् 1970 दाखिल करने की क्या आवश्यकता थी। इस सम्बन्ध में अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मेमो आफ अपील, 5 सम्मन एवं आदेश फलक के अतिरिक्त और कोई अभिलेख नहीं है। यह अपील दिनांक 26–11–70 को अदम पैरवी में खारिज की गई है। बिसमिल्ला आदि का कथन है कि उन्होंने कोई अपील नहीं दाखिल की थी। उनका यह भी कथन है कि दिनांक 29–12–69 के जिस फैसले के विरुद्ध यह कथित अपील दाखिल की गई है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि मेमो आफ अपील के साथ नहीं लगाई गई है। यहाँ तक कि उनकी कोई अदालतनामा पत्रावली पर नहीं है जिस वकील द्वारा अपील दाखिल की गई है यह उनका वकील भी नहीं है। अपने इस कथन को प्रमाणित करने के लिये उन्होंने अपील नहीं दाखिल की है उन्होंने मेमो आफ अपील पर विवादस्पद हस्ताक्षर डी–1 एवं डी–2 तथा बिसमिल्लाह के दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत हस्ताक्षर शपथपत्र दिनांक 17–2–1982 ए–1 व आवेदन पत्र पर दिनाँक 2–2–82 पर दो हस्ताक्षर ए–2 एवं ए–3 व दिनांक 29–12–69 के हस्ताक्षर डी–3 की तुलना विशेषज्ञ द्वारा कराई गई है। विशेषज्ञ ने यह मत प्रगट किया है कि मेमो आफ अपील के हस्ताक्षर मूल हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं। तहसीलदार न्यायालय में विशेषज्ञ का बयान भी कराया गया है जिसने अपनी रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। इस प्रकार अपील को बिसमिल्लाह द्वारा दाखिल किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि वाद संख्या 324 की पत्रावली पर पारित आदेश दिनाँक 29–12–69 ही श्री के०पी० सिंह चकबन्दी अधिकारी का मूल आदेश है। लालबहादुर आदि जिस 29–12–69 के आदेश की बात करते हैं उनका मौखिक कथन है कि उनके पास इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मौजूद है। यह आश्चर्य का विषय है कि प्रमाणित प्रतिलिपि भी इस न्यायालय में जाँच के समय नहीं प्रस्तुत की गई तथा मात्र इसकी फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत की गयी है, जो कागज संख्या अ–30 है। मूल नकल को प्रस्तुत न करना भी यह संदेह उत्पन्न करता है कि वादीगण के पास उपलब्ध प्रतिलिपि वास्तव में प्रमाणित प्रतिलिपि है या नहीं। अपील संख्या 6631 के साथ इसकी प्रतिलिपि का दाखिल न होना भी सहज ही इस कथन को बल प्रदान करता है कि दिनाँक 29–12–69 के जिस कथित प्रतिलिपि की बात कही जाती है वह जाली एवं फर्जी है।

इस प्रकार सम्पूर्ण अपील पत्रावली संख्या 6631 का गठन तथा आ० प० 23 भाग 1 की अमलदरामद दिनाँक 3–5–76 ही संदेहास्पद पाई जाती है तथा यह पाया जाता है कि वाद संख्या 324 पर उपलब्ध आदेश दिनाँक 29–12–69 ही श्री के० पी० सिंह चक-बन्दी अधिकारी का मूल आदेश है।

इस सम्बन्ध में बिसमिल्ला की ओर से यह भी कहा गया है कि आराजी पर वह काबिज है, इसकी पुष्टि सेसन न्यायालय द्वारा धारा 145 आ० फौ० के मुकदमें में उसके पक्ष में किये गये निर्णय तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी सिंचाई की रसीदों से भी होती है। इसे लालबहादुर आदि की स्वीकारोक्ति से बल मिलता है कि दो बैनामों दिनाँक 14–5–69 एवं 25–6–69 के द्वारा सम्पूर्ण चक का रकबा बिसमिल्ला एवं उनके पुत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

इस प्रकार पत्रावली पर आदेश 29–12–69 में जाल करके बदलने का कथन प्रमाणित नहीं होता है तथा इसे प्रमाणित करने के वादीगण समुचित साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं। इसके विपरीत अपील पत्रावली को गठित कर दाखिल दफ्तर करना संदेह का विषय है जिस पर अलग से विभागीय जाँच मिसिलवन्द एवं अन्य अभिलेखों से की जा सकती है।

आदेश

अभिलेखालय में निर्णय दिनाँक 29–12–69 को बदलने की बात प्रमाणित नहीं है और न ही इस आधार पर माल अभिलेखों में या नामान्तर बही में किसी संशोधन की आवश्यकता है। इस सरसरी प्रक्रिया से यदि किसी पक्ष को हित प्रभावित होता है तो उसे नियमित वाद दायर करने का विकल्प उपलब्ध है। पत्रावलियाँ दाखिल दफ्तर की जाय ! तलब की गयी पत्रावलियाँ एवं आ० पत्र 23 भाग 1 अभिलेखालय में सुरक्षित रखने के लिये वापस किया जाये।

ह/इष्टदेव प्रसाद राय
परगनाधिकारी ज्ञानपुर वाराणसी
28–1–1983

आदेश आज दिनाँक 28–1–1983 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में उद्घोषित हुआ।

ह/० इष्टदेव प्रसाद राय
परगनाधिकारी ज्ञानपुर वाराणसी
28–1–1983

प्रमाणित
ह/0 अपठनीय.
वन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
वाराणसी [पश्चिमी]

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 189 पर ।)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड मुख्यालय पर दिनांक 1–6–80 से 1–6–1983 तक की गई नई नियुक्तियों का विवरण ।

क्रम सं.	पद	संख्या	निर्धारित शैक्षिक योग्यता	नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया	क्या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की गई है ?	यदि नहीं तो क्यों ?	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	मुख्य सिविल अभियंत्रण सलाहकार	1	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री तथा सिविल कार्यों का 15 से 20 वर्षों का अनुभव ।	–	–	प्रतिनियुक्ति पर कोई वरिष्ठ सिविल अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग से उपलब्ध न होने की दिशा में सा.नि.वि. के सेवा निवृत अतिरिक्त मुख्य अभियंता जो सेतु निगम के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं को अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन घटाकर शेष वेतन पर पुर्ननियुक्त किया गया और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आगे सेवा में बनाये रखने के लिए शासन की	

1	2	3	4	5	6	7	8
						अनुमति न प्राप्त होने पर 28-2-83 से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई ।	
2–सलाहकार (गन्ना मूल्य) एवं लेखा	1	शक्कर विशेष निधि के लेखों का पर्याप्त अनुभव ।	–	–		गन्ना विभाग के सेवा निवृत्त सहायक लेखाधिकारी जिन्हें शक्कर विशेष निधि तथा गन्ना लेखा कार्यों का वृहत् अनुभव था, की नियुक्ति शक्कर विशेष निधि कार्य के लिए एक वर्ष के लिए की गई थी ।	
3–विक्रय समन्वय अधिकारी	1	स्नातक डिग्री एवं मार्केटिंग कार्य का अनुभव ।	–	–		वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी की साक्षात्कार करके उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति की गई ।	
4–सहायक अभियंता (सिविल)	1	सिविल अभियंत्रण में स्नातक डिग्री ।	समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करके साक्षात्कार ।	जी हाँ	–		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
5–सहायक कार्मिक अधिकारी		1	स्नातक की डिग्री तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का अनुभव।	–	–	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कांस-ट्रेक्शन लि०, बोकारो स्टील में कार्य का पर्याप्त अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति की गई।	
6–अवर अभियंता (सिविल)		1	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तथा मशीन फाउंडेशन तथा सिविल निर्माण कार्य का अनुभव।	समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करके साक्षात्कार के आधार पर।	जी हां	–	यह दिनांक 5-8-82 से निगम की सेवा छोड़ चुके हैं।
7–आंतरिक सम्प्रेक्षक		2	चार्टर्ड, एकाउन्टेंसी का इण्टरमीडियेट।	तदैव	जी हां	–	यह दि. 22-3-83 से निगम की सेवा से अलग किये जा चुके है।
8–आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्स मैन		1	असिस्टेंट आर्किटेक्चरलशिप में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा तीन वर्ष के कार्य का अनुभव।	तदैव	जी हाँ	–	–
9–ड्राफ्ट्स मैन (यांत्रिक)		1	आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्स मैन का सर्टिफिकेट तथा	समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सेवायोजन कार्यालय	जी हाँ	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
			चीनी मिल के ड्राईंग्स का पर्याप्त अनुभव ।	के माध्यम से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करके साक्षात्कार के आधार पर ।			
10–तकनीकी सहायक		1	बी.एस.सी. (भौतिक रसायन तथा गणित) की डिग्री तथा चीनी मिलों में लैब केमिस्ट का दो वर्ष का अनुभव ।	तदैव	जी हां	–	–
11–सांख्यिकी सहायक		1	बी.काम. तथा साँख्यिकी कार्य का पर्याप्त अनुभव ।	–	–	डाइरेक्टर जनरल शुगर भारत सरकार के कार्यालय में चीनी साख्यिकी कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति की गई।	–
12–कनिष्ठ तकनीकी सहायक		2	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ।	समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करके साक्षात्कार के आधार पर ।	जी हां	–	इन दो कर्मचारियों में से एक जुलाई, 1980 में सेवा छोड़ चुके हैं ।
13–कनिष्ठ सहायक		30	इण्टरमीडिएट ।	प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर मैरिट के अनुसार अथवा शिशिक्षु प्रशिक्षण पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति द्वारा ।	जी हां	–	इन 30 कर्मचारियों में 5 कर्मचारी अब सेवा में नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
14–	कनिष्ठ सहायक	1	इण्टरमीडिएट ।	गन्ना लेखा कार्य में अनुभव वाला अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय से उपलब्ध न होने पर गन्ना आयुक्त के कार्यालय में गन्ना लेखा कार्य के सम्बद्ध स्नातक कर्मचारी को उपयुक्तता के आधार पर।	जी हां	–	–
15–	कनिष्ठ सहायक (लेखा/लागत)	10	बी. काम.।	समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करके साक्षात्कार द्वारा।	जी हां	–	–
16–	कनिष्ठ आशु-लिपिक	17	इण्टरमीडिएट तथा अंग्रेजी अथवा हिंदी आशुलिपि में 80 श. प्र. मि. की गति।	तदैव	जी हां	–	इन 17 कर्मचारियों में से अब 4 व्यक्ति सेवा में नहीं हैं।
17–	पी. बी. एक्स आपरेटर	1	इण्टरमीडिएट तथा पी.बी. एक्स का ज्ञान।	सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त नामों तथा पी.बी. एक्स. का अनुभव रखने वाले शिशिक्षु के साक्षात्कार द्वारा।	जी हां	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
18–	जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट	9	इण्टरमीडिएट हिन्दी तथा अंग्रेजी में 30 श. प्र. मि. की गति ।	शिशिक्षु प्रशिक्षण पूर्ण करने पर सेवायोजन ।	जी हां	–	–
19–	ट्रेसर हेल्पर	1	जूनियर हाई स्कूल ट्रैसिंग कार्य का ज्ञान ।	–	–	ट्रेसिंग कार्य का अच्छा ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति किया गया ।	
20–	ड्राइवर	3	साधारण हिन्दी लिखने व पढ़ने का ज्ञान तथा कार ड्राइविंग में दक्षता ।	उपयुक्त अभ्यर्थी का ड्राइविंग टेस्ट लेकर ।	जी हां	–	–
21–	फैरोप्रिंटर	1	हाईस्कूल तथा फैरोप्रिंटिंग का ज्ञान ।	–	–	आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर रखे गये व्यक्ति को उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति किया गया ।	–
22–	चपरासी/चौकीदार-माली/ स्वीपर	25	–	–	–	आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर रखे गये अभ्यर्थियों द्वारा दैनिक वेतन पर संतोषजनक कार्य करने के आधार पर नियुक्ति की गई ।	–
	कुल संख्या	111					

अमर उजाला विधान सभा

नत्थी (घ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 193 पर ।)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड यन्त्र एवं संयत्र पर व्यय का इकाईवार विवरण ।

क्रम सं.	इकाई	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82	योग (रु. लाख में)
1–	बाराबंकी	5.50	4.65	8.63	7.19	5.73	31.70
2–	भटनी	0.54	0.26	9.75	1.11	2.64	14.30
3–	खड्डा	0.59	4.50	18.58	5.16	0.32	29.15
4–	पिपराइच	9.85	29.35	5.36	0.47	6.70	51.73
5–	मोहिउद्दीनपुर	18.38	0.95	–	20.85	4.86	44.24
6–	सखैतीटांडा	3.44	12.20	–	4.83	19.52	39.99
7–	अमरोहा	–	–	–	88.73	80.00	168.73
8–	बुढ़वल	–	–	3.77	–	23.59	27.36
9–	जरवल रोड	–	–	0.59	3.59	3.87	8.05
10–	रामकोला	–	–	0.45	14.13	11.99	26.57
11–	लक्ष्मीगंज	–	0.06	3.70	2.96	23.30	30.10
12–	रामपुर	–	–	3.72	3.78	39.55	47.05
13–	बिजनौर	–	–	0.59	7.68	10.22	18.49
	योग :	38.30	51.97	55.22	160.48	231.49	537.46
प्रबन्धाधीन :							
1–	डोईवाला	0.52	0.91	4.14	3.88	–	9.45
	योग :	0.52	0.91	4.14	3.88	–	9.45

क्रम सं.	इकाई	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–81	योग (रु. लाख में)
सहायक इकाई							
1–	किच्छा	7.03	1.35	7.54	39.36	13.26	68.54
2–	चाँदपुर	–	0.39	2.06	1.80	19.10	23.35
3–	छाता	–	1.73	10.66	13.71	6.64	32.74
4–	नन्दगंज	–	–	–	–	–	–
5–	रायबरेली	–	–	–	–	–	–
	योग :	7.03	3.47	20.26	54.87	39.00	124.63

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ङ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 218 पर ।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री विद्या सागर नौटियाल के अतारांकित प्रश्न संख्या–145 के उत्तर का संलग्नक ।

रबी 1390 फसली की फसल को ओलावृष्टि से हुई हानि का विवरण ।

दिनांक जब ओलावृष्टि हुई ।	पटवारी क्षेत्र का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम	क्षतिग्रस्त फसलों का क्षेत्रफल हेक्टर में				अनुमानित कुल क्षति	क्षति का प्रतिशत
				गेहूं	जौ	मसूर	आलू		
19-3-83	रिंगोली	1–	रिंगोली	5.06	3.2	–	–	9000.00	30 प्रतिशत
19-3-83	बुढणा	2–	बुढ़णा	5.00	3.00	–	–	6000.00	20 ”
		3–	लुठियाग	4.00	3.00	–	–	5000.00	20 ”
		4–	पालाकुराली	4.00	2.00	–	–	4500.00	20 ”
19-3-83	ललूड़ीखाल	5–	भाल्डियान	1.00	0.05	–	–	1000.00	10 ”
		6–	डोब	2.3	–	–	–	1400.00	10 ”
		7–	ललूड़ी	1.00	0.05	–	–	800.00	10 ”
		8–	डोबलू	1.00	–	–	–	800.00	10 ”
		9–	सिलगढ़	1.05	–	–	–	800.00	10 ”
		10–	सुराड़ी	1.00	–	–	–	800.00	10 ”
		11–	रूमधार	1.00	0.05	–	–	1200.00	10 ”
		12–	त्याड़ी	1.00	0.05	–	–	1200.00	10 ”
		13–	बड़कोट	1.00	1.00	–	–	1400.00	10 ”
		14–	गजेली	1.00	–	0.05	–	1000.00	10 ”
		15–	डाण्डा	1.00	1.00	0.05	–	1600.00	10 ”

दिनाँक जब ओलावृष्टि हुई।	पटवारी क्षेत्र का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम	क्षतिग्रस्त फसलों का क्षेत्रफल हेक्टर में				अनुमानित कुल क्षति	क्षति का प्रतिशत
				गेहूं	जौ	मसूर	आलू		
		16–	भैंसकोट	2.00	1.00	0.05	–	1800.00	10 प्रतिशत
		17–	सेंटली	0.05	–	–	–	400.00	10 ”
		18–	मथाली	0.05	–	–	–	400.00	10 ”
19-3-83	लखपाटों	19–	उनाना	16.00	6.00	2.00	–	30400.00	30 ”
		20–	ल्यूड़ी	3.00	1.00	–	–	7600.00	30 ”
		21–	मडोली	3.00	1.00	–	–	7600.00	25 ”
		22–	दन्देली	3.00	1.00	–	–	7600.00	25 ”
		23–	सिलणी	1.05	1.00	–	–	4750.00	20 ”
		24–	भटीगांव	1.00	1.00	–	–	3800.00	20 ”
		25–	भटवांग	2.00	1.00	–	–	5700.00	20 ”
		26–	लखपाटों	3.00	1.00	–	–	7600.00	20 ”
		27–	दोग्यार	2.00	1.00	–	–	5700.00	20 ”
26-3-83	जाखी	28–	जाखी	3.00	1.00	–	–	6000.00	35 ”
		29–	गवाणा	1.00	1.00	–	–	3000.00	35 ”
		30–	राडागाढ़	1.00	1.00	–	–	3000.00	35 ”
13-4-83	थालीडागर	31–	रैतासी	0.05	0.05	–	–	1000.00	20 ”
		32–	पाली	0.05	0.05	–	–	1000·00	20 ”
		33–	रिंगोलगढ़	0.07	0.05	–	–	1000.00	20 ”
13-4-83	घण्डियालधार	34–	खोमंचा	3.05	1.00	–	–	4500.00	45 ”
		35–	दालदुंग	5.05	3.00	–	–	6600.00	45 ”

अनुपूरक भाग

नत्थी (च)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–194 का उत्तर पीछे पृष्ठ 237 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री राधेश्याम पटेल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–194 के उत्तर का संलग्नक।

क्रम सं०	तहसील सोरों जनपद इलाहाबाद ग्राम का नाम	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या		अनुमानित क्षति (रु० में)	फसलों की क्षति			शासन की ओर से वितरित सहायता				
		आंशिक	पूर्णतः		क्षति का प्रतिशत	प्रभावित जनसंख्या	परिषद को भेजा गया खरीफ की मालगुजारी में छूट का प्रस्ताव	परिवार संख्या	सामग्री ———— मिट्टी का तेल (लीटरमें)	सामग्री ———— दिया-सलाई	परिवार संख्या	आटा (कि.ग्रा. में)
1–	रंगपुरा	18	–	4050	75–100 प्रतिशत	745	528.65	21	21	21	21	158
2–	चकियाघाट उत्तमगिरि की चकिया, मजरा बहमलपुर	9	–	21200	”	295	916.13	27	27	27	29	273
3–	जयतवारडिहि	1	2	1550	”	500	1447.36	36	36	36	46	330
4–	जगदीशपुरेचन्दा †	–	–	–	”	–	962.30	–	–	–	–	–
5–	थरवई (गोडवा)	1	2	5200	”	610	1770.30	39	39	39	6	47

बाढ़ के समय उक्त ग्रामों में 3 नावें, तथा 50 टेन्ट की व्यवस्था की गयी थी। ग्रामीणों की सुरक्षार्थ होमगार्डों तथा पुलिस तैनात की गयी थी तथा रोशनी का प्रबन्ध किया गया था। सभी काश्तकारों की खरीफ की मालगुजारी में शत प्रतिशत छूट का प्रस्ताव परिषद को भेजा गया है। सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी थी।

† ग्राम जगदीशपुरे चन्दा में न कोई आबादी प्रभावित हुई न किसी मकान की क्षति हुई। आबादी के अतिरिक्त कृषक भूमि जो आबादी के दक्षिण एवं गंगा के कछार में स्थित है, वह फसल सहित डूब गया था केवल फसलों को हानि हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (छ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 199 का उत्तर पीछे पृष्ठ 238 पर ।)

व्यक्तिगत उपयोग की भूमि का विवरण ।

1–1137/0–5–0 यह शमसान है । इस पर श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री सनकऊ सिंह नि० भगवन्तपुर मजरा गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है ।

2–103/0–5–0 यह चकरोड है, इस भूमि पर श्री हेमराज पुत्र दुर्जन नि० खनपुरवा, मजरा गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है ।

3–812/0–7–5, 812/2, क्षे०, 0–6–5 यह चकरोड है, इस पर श्री प्यारे पुत्र हेमनाथ, उजागर कुंवर, रामस्वरूप, छोटे लाल पुत्रगण पंचम, नि० गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है ।

4–823/5–16–0, यह रास्ता है जो कि छोट्टा व दूबरि पुत्रगण हुलास निवासी गगरेजपुर को उसके खेत नु० 789 से लगे हुए रकबे पर भू० प्र० स० गगरेजपुर ने अपने प्रस्ताव दिनाँक 17/10/1976 के अनुसार फलदार पेड़ लगाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि वह सूखी लकड़ी व फल के हकदार होंगे । भूमि के हकदार नहीं होंगे व हरे पेड़ नहीं काटेंगे ।

5–1132/0–2–0, 72/0–4–0, यह तालाब है, इस पर श्री मक्का पुत्र रत्ता निवासी रतनपुरवा मजरा गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है ।

6–537/3–17–0 यह तालाब है, भू० प्र० स० गगरेजपुर ने अपने प्रस्ताव दिनाँक 3/1/82 के अनुसार श्री सीताराम कहार नि० शाहपुर मजरा गगरेजपुर को तीन वर्ष की अवधि के लिए 250/– दो सौ पचास सालाना पर सिंघाड़ा की बेल लगाने को दिया है ।

7–606/0–5–0 यह नवीन परती है, इस पर श्री बाबूलाल पुत्र पोड़कर नि० गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है ।

8–615/0–15–0 बिस्वा यह नवीन परती है, इस पर श्री रामशरण पुत्र दत्तर नि० गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है ।

9–1272/0–2–0 यह नवीन परती है, इस पर श्री राम लाल पुत्र छोटकऊ नि० मत्लपुर मजरा गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है ।

10–1576/0–13–0 श्री लालमन पुत्र जोखे नि0 गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है । यह भूमि नवीन परती है ।

11–41/3–13–0 यह बंजर भूमि है, इस पर श्री मथुरी पुत्र लत्तू व राम गुलाम पुत्र सीताराम नि० रतनपुरवा मजरा गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है ।

12–77/0–5–0 श्रीमती चित्तर पत्नी ईश्वरी नि० रतनपुरवा मजरा गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है । यह भूमि बंजर है ।

13–809/0–8–0 श्री सर्वजीत सिंह पुत्र हरिपाल सिंह नि० झरोहिया का अनाधिकार कब्जा है । यह भूमि बंजर है ।

14–340/0–3–0, 846/2, 0–16–0, श्री गनेश पुत्र छबीले नि० गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है । यह भूमि बंजर है ।

15–319/0–7–0, श्री रामचरण पुत्र छत्तर नि० गगरेजपुर व बलवन्त पुत्र लालमन नि० वहदीन का अनाधिकार कब्जा है । यह भूमि बंजर है।

16–1039/0–5–0 श्री दुरजन पुत्र दूबरि नि० गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है । यह भूमि बंजर है ।

17–1120/0–1–0 श्री गोकुल पुत्र नोखे नि० भगवन्तपुर मजरा गगरेजपुर का अनाधिकार कब्जा है । यह भूमि बंजर है ।

18–538/1–3–0, 539/0–7–0, यह भूमि बंजर है । यह श्री सूर्य कुमार व प्रेम कुमार गुप्ता नि० कछौना को भू० प्र० स० गगरेजपुर द्वारा 60/– सालाना लगान पर इस शर्त के साथ दिया गया है कि "जब तक ईंट का भट्ठा चलायेंगे, भट्ठा इनको दिया जावेगा" भट्ठा 1980 तक चला है उसके बाद से बन्द है । ग्राम वासियों की शिकायत पर इसकी जांच परगनाधिकारी सण्डीला के स्तर पर चल रही है। यह भूमि बंजर है ।

विधान परिषद